राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] दसवीं विधान सभा के दसवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 4

सोमवार,

16 मार्च, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अनेक माननीय सदस्य : होली मुबारक।

एक माननीय सदस्य : मुजरो हुकम।

श्री अध्यक्ष : आप सब को।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : पधारो, मिनिस्टर बनो वहां।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : दिल्ली नहीं जाना है, यहीं रहना है ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अब तो नोटिफिकेशन जारी हो गया।

श्री अध्यक्ष : हां, बस जा रहे हैं, साहब।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : आज तो विदाई समारोह हो जाए।

श्री मदनमोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है उसके ऊपर में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय श्री रामस्वरूपजी।

राज्य कर्मचारियों के लिए नवीन वेतनमान

46. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उप मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए नवीन वेतनमान निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो कब से ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नये वेतनमान नीति के आधार पर कर्मचारियों को कोई भी लाभ नहीं मिला ?

(3) क्या सरकार नये वेतनमान नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) पांचवां वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं तथा उनमें से किन-किन सिफारिशों के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को लाभान्वित

(2)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

किया गया है व शेष सिफारिशों को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(5) नये वेतनमान लागू किये जाने से पूर्व कर्मचारियों के वेतन भुगतान से राजकोष पर प्रति माह कितना व्यय भार था व लागू किये जाने पर प्रति माह व्यय भार कितना बढ़ेगा ?

(6) क्या सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए भी उक्त नवीन वेतनमान लागू करने का विचार रखती है ?

उप मुख्य (वित्त) मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) जी हां। दिनांक 1.9.1996 से। एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

श्री चन्दनमल वैद (तारानगर) : अब तो गवर्नमेंट बन रही है, ज़ोर से बोलो जरा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं जोर से ही बोल रहा हूं। बात यह है, मेरे में वह अभिमान नहीं है कि गवर्नमेंट बन रही है इसलिए ज़ोर से बोलूं। मैं आप सब लोगों से इस्तीफा नहीं मांग सकता।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : चेन्नई में रिमोट कन्ट्रोल है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : (2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) पांचवां वेतन आयोग केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु गठित किया था। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें तीन खण्डों में व लगभग 2100 पृष्ठों में हैं। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की एक प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। आयोग की प्रत्येक सिफारिश के संदर्भ में यह टिप्पणी करना सम्भव नहीं है कि उसके अनुरूप राज्य कर्मचारियों को लाभान्वित किया गया है अथवा नहीं। चूंकि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए थीं अतः राज्य सरकार को यह विकल्प है कि वह किस सिफारिश को लागू करे अथवा नहीं।

(5) वेतनमान संशोधन से पूर्व वेतन भुगतान से राजकोष पर प्रति माह लगभग 275 करोड़ रुपया खर्च होता था। वेतनमान संशोधन के फलस्वरूप प्रति माह व्यय भार लगभग 81 करोड़ रुपये बढ़ेगा।

(6) जी हां।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों का यह बहुत ही गम्भीर विषय है जिस पर सारे राजस्थान के कर्मचारी और अधिकारी दुखी हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे वे इतने दुखी हैं कि सरकार को परिणाम भी उन्होंने बता दिये हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जो आपने यह जवाब दिया है - जी हां, जी नहीं, जी नहीं...

एक माननीय सदस्य : केवल प्रश्न पूछें।

श्री रामस्वरूप मीणा : जी नहीं और जी नहीं। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। पहला प्रश्न मेरा है, क्या यह सही है कि –

श्री अध्यक्ष : कृपया टोकाटाकी नहीं। चलें अब।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या यह सही है कि जो वेतनमान वृद्धि से कर्मचारियों को लाभ हुआ है वह भुगतान नहीं किया ? यदि सही है तो सारी बढ़ी हुई रकम राजकोष में जमा क्यों कर ली गई ? कोई लाभ नहीं दिया, झूठी घोषणा की। महंगाई के युग में वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन न देना, वापस अपने खजाने में जमा कर लेना, क्या यह झूठी घोषणा नहीं है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दें, बाद में दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : साथ में ही पूछ लें या एक-एक का जवाब देंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक-एक का अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : एक-एक का आने दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : किसी का मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पांचवें वेतन आयोग के लागू करने के पहले हमने कर्मचारी संघों से बातचीत की और उनसे जो हमारा एग्रीमेंट हो गया, जिस बात में राज्य कर्मचारी सहमत हो गये, उन्हीं बातों को हम लागू कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसमें राज्य कर्मचारियों की सहमति है, उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो रहा। जहां तक रुपया भुगतान का सवाल है, जनवरी महीने से बढ़े हुए वेतनमान देना शुरू कर दिये गये हैं इसलिए उनको भुगतान हो रहा है। सवाल यह कहा कि उनको लाभ नहीं हो रहा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कर्मचारी को 850 रुपये अभी वेतन मिल रहा है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को, यदि वह जयपुर में पदस्थापित है तो अब उसको 695 रुपये अधिक मिलेंगे 850 के स्थान पर। ऐसे ही जो कर्मचारी 1120 रुपये वेतन प्राप्त कर रहा है उसके 903 रुपये अधिक मिलेंगे। ऐसे ही शीघ्रलिपिक को, यदि 1800 रुपये वेतन वह ले रहा है तो उसको 1473 रुपये अधिक मिलेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : डीयरनैस अलाउंस निकाल कर है या डीयरनैस को साथ मिला कर ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वेतन की बात कह रहा हूं मैं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, यह जो आप बता रहे हैं—

(५)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वेतन। डीयरनैस तो वेतन के साथ चलता है। मैं वेतन, शुद्ध वेतन बता रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : कम्पोजिट, कम्पोजिट जो उनको पे पैकेट मिलता है उसको बताएं हमको।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं शुद्ध वेतन बता रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं-नहीं, यह घुमाने की बात मत कीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं कोई घुमा नहीं रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : कम्पोजिट पे पैकेट जो उनको मिल रहा था उससे कितना ज्यादा मिलेगा उनको ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं शुद्ध वेतन की बात बता रहा हूं आपको ।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो फिर डीयरनैस निकल गया न उसमें से, तब शुद्ध वेतन क्या हुआ ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : डीयरनैस अलाउंस तो हमेशा घटता-बढ़ता रहता है, आपको पता है। वह वेतन, पे के साथ में जुड़ा हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : देखिये, मेरी बात सुनिये आप। उप मुख्य मंत्रीजी, मेरी बात सुन लीजिये आप। कम्पोजिट पे पैकेट जो मिल रहा था उससे उनको कितना ज्यादा मिल रहा है, यह बताइये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा जवाब तो सुन लीजिये आप।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो घुमाने की बात है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बता रहा हूं, वही बता रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो गुमराह करने की बातें हैं, कोई हमको फायदा नहीं इससे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो जिनको 2450 रुपये वेतन अभी मिल रहा है निजी सहायक या सहायक लेखाधिकारी को, यदि वह जयपुर में पदस्थापित है तो उनको 2085 रुपये का लाभ होगा। इसलिए यह कहना कि लाभ नहीं हुआ, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। बाकी आप जानते हैं, कर्मचारियों से हमारे सब समझौते हुए हैं, कर्मचारियों ने अपनी प्रसन्नता से हमारी बातों को और उनकी बातों को हमने माना है। जो कमिटमैंट सरकार ने कर्मचारियों से किये हैं वह हम सब पूरा करेंगे, हम कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : फिर आंदोलन किस बात का हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि आपने जो ये बढ़ी हुई बातें बताई हैं क्या आप इसको राजकोष में जमा नहीं कर रहे ? क्या आप पूरा पैसा उनको लौटा रहे हैं ? जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई के लिए पैसा चाहिए उनको, क्या उस पैसे को आप दे रहे हैं या

(श्री रामस्वरूप मीणा)

राजकोष में जमा कर रहे हैं ? सीधा प्रश्न मेरा यह है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने कहा कि जनवरी से उनको कैश वेतन दिया जा रहा है। बिलकुल कैश दे रहे हैं, नकद ही दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उससे पहले का ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब क्या आप सवाल पूछ रहे हैं, खुद आप समझ कर आएं तो जवाब दूंगा। बाकी कैश जनवरी से दे रहे हैं हम उनको।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री खेतसिंहजी साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश ने 1.1.96 से पे स्केल उसी तरह से दे दिये थे जो आपने 1.9.96 से दिये हैं ? दूसरा, क्या यह सही है कि आपने 1.9.97 तक का जो पैसा था वह जी.पी.एफ. में जमा किया और एम्पलोयीज को दिया नहीं ? और क्या यह भी सही है कि आपने 1.1.98 से नकद देने की घोषणा की है ? क्या यह भी सही है कि सारे संगठन, आपके सारे एसोसिएशंस, एम्पलोयीज एसोसिएशन इससे एग्री नहीं हुए ? सिर्फ एक उदय सिंह का एसोसिएशन है, जिसके वे अध्यक्ष हैं, वह एग्री हुआ, बाकी एग्री नहीं हुए। क्या यह भी सही है कि आपने जो चतुर्वेदी समिति एडेड इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाई थी उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है लेकिन अभी तक आपने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपका अंतिम प्रश्न तो इसके बाहर है इसलिए इसका जवाब तो मैं दूंगा नहीं, बाकी सब का जवाब दे देता हूं। जहां तक 1.1.96 से यह परिलाभ देने का सवाल है, यह परम्परा आपके राज में बनी। सन् 1968 से लेकर जब तक आपका राज रहा, आपने यह तय कर लिया कि वेतनमान नये जब भी लागू होंगे वे सितम्बर के महीने से ही राजस्थान में लागू हों। तो चूंकि इस संबंध में केन्द्र सरकार के कोई निर्देश नहीं हैं कि वह बाध्यता हो, हर स्टेट अपने ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हर मामले में हमारे राज में जो तय हुआ उसी के अनुरूप चल रहे हैं, नयी आपकी कोई नीति-रीति है नहीं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : केन्द्र सरकार ने सब राज्यों को स्वतंत्रता दी है कि वे अपने-अपने हिसाब से लागू करेंगे। कोई लागू करना न चाहे तो नहीं भी करे, क्योंकि यह वेतन आयोग केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गठित किया गया है इसलिए भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न उनकी जो परिपाटी, परम्परा या जो

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

नियम-कानून हैं उसके मुताबिक वे लागू कर रहे हैं। चूंकि हमारे यहां सन् 1968 से लेकर-1968 में, 76 में, 81 में, 86 में, 88 में जितने भी वेतनमान संशोधित रूप से लागू किये हैं वे सब सितम्बर से ही लागू किये गये हैं इसलिए जब हमने यह बात उनके सामने रखी तो हमारे पास एक नहीं चार महासंघ हैं कि जिनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। हमने 1.9.96 से 1.1.97 तक नोशनल दिया है, कोई कैश पेमेन्ट नहीं कह रहा हूं। उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि आखिर तो राज्य कर्मचारी भी जानते हैं कि राज्य उनका है, राज्य की वित्तीय स्थिति सारी को समझ कर उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया और इस बात को स्वीकार कर लिया। इसलिए स्वीकार करने के बाद लिखित में, जैसा मैंने आपको बताया कि चार से हो गया है और पांचवें ने भी यही कि अन्त में आप जो भी तय कर दोगे वह हमारे लिए ठीक है, यह कह कर ही भूख हड़ताल उन्होंने तोड़ी थी। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वह कर्मचारियों से समझौता होकर उनके सहयोग से ही किया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

जहां तक आपने कहा कि हम 1.1.97 से दे रहे हैं, बिलकुल सही है। बाकी सारी बातें आपकी सही हैं। जो एरियर था उनका वह जी.पी.एफ. में जमा हो रहा है यह भी सही है, वह भी एग्रीमेंट से होकर कर्मचारियों की सहमति से, उनके सहयोग से हो रहा है, कोई हमने किसी पर लादा नहीं है कुछ भी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपका एग्रीमेंट तो सिर्फ उदयसिंहजी की जो एक यूनियन है उसके साथ हुआ है, बाकी लोगों ने आपके साथ इसमें कोई सहयोग नहीं किया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं। मैं आपको बता दूं हमारा एग्रीमेंट केवल कर्मचारी महासंघ से नहीं हुआ है, हमारा बी.एम.एस. कर्मचारी महासंघ से भी हुआ है, मोहनलाल जैन महासंघ से भी हमारा हुआ है और जो पेन्शनर्स एसोसिएशन है उनसे भी हमारा हुआ है। चारों से हमारा एग्रीमेंट हुआ है।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है .. (व्यवधान) ..

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह लागू नहीं होता यह पांचवां प्रश्न है, कि एडेड इंस्टीट्यूशंस, स्वयंसेवी संस्थाएं इनके ऊपर भी क्या ये वेतनमान लागू होंगे ? अगर होंगे तो इनके लिए जो चतुर्वेदी कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशें आ चुकी हैं, वे कब से लागू होंगी ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस बारे में हमने एक सिसोदिया कमेटी बनायी है जो इन सब पर विचार कर रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब फिर उसके ऊपर एक और नयी कमेटी बना दी, चतुर्वेदी कमेटी तो थी ही।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ऐसा है बहुत-सी ऐसी माइन्यूट विसंगतियां हैं जिनके बारे में चर्चा की जरूरत है और इसलिए कमेटी ने कर्मचारी संघों से चर्चा चालू कर रखी है, उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, यह बात आप अलग से करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, चतुर्वेदी जी तो मिनिस्टर, ऊपर सिसोदिया जी आई.ए.एस. । आप विराज जाते, मुख्य मंत्री जी विराज जाते। यह हमारा सरासर अपमान है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सिसोदिया कमेटी है, चतुर्वेदी की कमेटी यह है ही नहीं। शिक्षा विधेयक की कमेटी है चतुर्वेदी कमेटी तो। विसंगतियों की कमेटी तो सिसोदिया कमेटी है, वह कोई मंत्री पद के ऊपर नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं-नहीं, आप किसी कमेटी के अध्यक्ष थे क्या ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, इनके नहीं थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसी के भी हो न आप जो दुबारा जांच कर रही है आपके।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्षमा करिये ललितकिशोर चतुर्वेदी की दो कमेटियां थी, एक शिक्षा विधेयक की जिसकी चर्चा आप मिला रहे हैं वह। आप जो निवेदन कर रहे हैं वह थी मितव्ययता कमेटी उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। विसंगति कमेटी के सिसोदिया हैं यह कहना है मेरा।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उप मुख्य मंत्री ने गलतबयानी कर दी इसलिए यह भ्रान्ति हुई है। चतुर्वेदी जी की जो कमेटी थी वह सही बात है कि वह शिक्षा विधेयक के अन्दर संशोधन सुझाने के लिए थी और यह जो बनी है अधिकारी की यह वेतनमानों की विसंगति के बाबत बनी है। आपने कह दिया कि अब उसके ऊपर एक अधिकारी की कमेटी बनाई है, तो आपकी गलतबयानी से यह भ्रान्ति हुई।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : किसने कह दिया ? देखिये, या तो + + + ठीक करवाइये।

श्रीमती कमला : + + + हां, निकलवाइये तो जाकर हॉस्पिटल में डाक्टर से मंत्री जी के + + +

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह कहा कि चतुर्वेदी कमेटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चतुर्वेदी कमेटी का इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है, यह मैंने कहा है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(8)

श्रीमती कमला : आपने गलतबयानी की है इसलिए यह बात पैदा हुई है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और वेतन विसंगतियों के लिए सिसोदिया कमेटी बनी हुई है, यह मैंने कहा।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, सरकार को अपनी गलती मानने में शर्म आती है क्या ? ... (व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : ये उप मुख्य मंत्री जी के शब्द हैं क्या ? (व्यवधान)... आप तो विद्वान आदमी हैं ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : विराजिये। बुरड़क साहब।

श्री राधेश्याम गंगानगर : विद्वान आदमी की भाषा यह नहीं हुआ करती ..... (व्यवधान) .....

श्रीमती कमला : गलतबयानी करके फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं ... (व्यवधान)...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उप मुख्य मंत्री जी, आपको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है।

श्रीमती कमला : माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, आप यह बताइये कि पांचवें वेतन आयोग के नाम पर आपने विकास के कार्यों को बंद कर दिया ...

श्री अध्यक्ष : माननीय कमला जी, विराजिये आप।

श्रीमती कमला : जो कार्य हो चुके थे उनका भुगतान बंद कर दिया ... (व्यवधान) ...

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक महिला का अपमान है कि आपके कान ही नहीं है, आप इस शब्द को निकलवाएं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक्सपंज किया जाए इसको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक्सपैंज कर दिया जाए। हां, निकाल दिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक महिला का अपमान उप मुख्य मंत्री द्वारा किया गया ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक्सपंज कीजिये इसको, आप आदेश दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया, विराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ... (व्यवधान) ... आपने एक सदस्य को बाहर निकालने के आदेश दे दिये और जो इस तरह की एक महिला के साथ ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप एक्सपंज करवाइये इसको। आप चलाना नहीं चाहते सदन को .. (व्यवधान) ..

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह गलत बात है .. (व्यवधान) .. किसी भी तरह की शब्दावली का प्रयोग कर लेंगे ? .. (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : उसको एक्सपंज कर दिया। विराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फैसला दें, अगर यह शब्द ठीक है .. (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं है, विराजिये आप। बुरड़क साहब का प्रश्न आने दें।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : .. (व्यवधान) .. वरिष्ठतम सदस्य हैं .. (व्यवधान) शब्द का उपयोग किया वह निन्दनीय है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ये मुख्य मंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। आप इस कुर्सी के लायक भी नहीं हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी आपसे प्रार्थना है, या तो एक्सपंज कीजिये या इस पर फैसला दीजिये। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो एक्सपंज करवाइये या फैसला दीजिये .. (व्यवधान) .. आप फैसला दे दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, माफी मंगवाई जाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं-नहीं, आप माफी भी नहीं मंगवाते। एक आदमी को तो आपने यहां से आदेश दे दिया कि उसको बाहर निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं ? आप विराजिये। माननीय बुरड़क साहब।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : बुरा न मानो होली है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा था, अभी मेरा दूसरा प्रश्न बकाया है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, बुरड़क साहब को बोलने दें। मेन प्रश्नकर्ता हैं उनका तो आने दें आप। मुख्य प्रश्नकर्ता हैं।

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 11.00 बजे से लेकर 12.00 बजे तक प्रश्नकाल का टाइम है, प्रश्नकाल में पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य कि चलो प्रश्नकाल आ रहा है 10 और 11 में भी + + + करवो करयां। लाखों रुपया सरकार का खर्च हुआ है, जनता का खर्च हुआ है, उसमें अधिकार विपक्ष नै भी है और पक्ष नै भी है। 10 और 11 के प्रश्नकाल में + + + हाउस में होती रही है आज भी एक प्रश्न में 20 मिनट पूरा हो गया .. (व्यवधान)..

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(10)

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रश्नकाल चलने दो – (व्यवधान)– टाइम खराब मत करो।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय बुरड़क साहब। लम्बा नहीं करें, आप विराजिये।

श्री किशनाराम नाई : – (व्यवधान) – ये न तो कोई बात सुननी चावै, न कोई सुनानी चावै।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि + + + होती रही।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं आप ?

श्री किशनाराम नाई : – (व्यवधान) – + + + में कितना बड़ा खर्च हुआ जनता रा पीसां का ?— (व्यवधान) –

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि ये ठीक कह रहे हैं क्या ? ये + + + कह रहे हैं यह शब्द ठीक है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप मूल प्रश्नकर्ता नहीं है, कृपया विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आपसे पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे है। + + + शब्द ठीक है क्या ? – (व्यवधान) –

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप इनकी बात सुनें पहले।

श्री किशनाराम नाई : हो हो हो करवो करै।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इधर के लोग + + + करते हैं ये शब्द कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह शब्द निकाल दिया, विराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : – (व्यवधान) – असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं और आप निकाल नहीं रहे हैं। हम लोग करते हैं यहां बैठ करके ?

श्री अध्यक्ष : आप तो विराज जाएं। बार-बार क्या हो रहा है ? एक प्रश्न भी नहीं होगा ? आपका प्रश्न आने दें आप। यह क्या मजाक कर रहें है आप ? इनका प्रश्न आने दीजिये, मेन प्रश्नकर्ता हैं ये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, आप असंसदीय भाषा का प्रयोग न करने दें।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं, मैंने एक्सपंज कर दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग-6 के उत्तर में कहा है कि जी नहीं। यह अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के संबंध में है और उन शिक्षण संस्थाओं के वेतनमान वे ही लागू हैं जो राज्य सरकार में हैं, इनके

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरजीराम बुरडक)

लिए कोई अलग से वेतनमान नहीं हैं। तो राज्य सरकार के दूसरे वेतनमानों में जब यह सुविधा दी गई है, यह लाभ उनको दिया गया है तो इनको क्यों नहीं दिया गया ? आप यह कह रहे हैं कि सिसोदिया समिति बनाई है तो वह तो सभी के लिए है, इनके लिए कोई अलग से सिसोदिया समिति नहीं है इसलिए आप इसको टालें नहीं, सीधा उत्तर दें कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान हैं। एक मिनट, मैं पूरा कर दूं। इसलिए आप इनके बारे में कह रहे हैं कि जी नहीं, ऐसा क्यों ?

दूसरा यह कि प्रश्न के भाग 4 में जो आपने उत्तर दिया है जिसकी वजह से कर्मचारियों में असंतोष है। हमने बातचीत कर ली, हमने यह समझौता कर लिया, हमने सारी बातें कर लीं, अगर ऐसा होता तो यह आन्दोलन नहीं होता। आन्दोलन होने का मैन कारण है, आपने प्रश्न के भाग 4 के उत्तर में कहा है कि आयोग की प्रत्येक सिफारिश के सन्दर्भ में टिप्पणी करना सम्भव नहीं है कि उसके अनुरूप राज्य कर्मचारियों को लाभान्वित किया गया है अथवा नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने यह देखा ही नहीं, न तो आपने आयोग की रिपोर्ट पर विस्तारपूर्वक विचार किया। आपने खुद ने माना है कि आयोग की प्रत्येक सिफारिश पर टिप्पणी करना सम्भव ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपने इस आयोग की रिपोर्ट का न तो अध्ययन किया न उसके अनुसार आपने ये वेतनमान दिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का सीधा जवाब तो यह है कि अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों को वही वेतनमान मिल रहे हैं जो राज्य कर्मचारियों को मिल रहे हैं। उसमें कोई अन्तर नहीं है। सिसोदिया कमेटी की जो बात मैंने कही है उसमें राज्य कर्मचारियों में और एडेड इन्स्टीट्यूशंस के कर्मचारियों में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके बारे में वह कमेटी तय करेगी, बाकी सामान्यता प्रत्येक एडेड संस्था का कर्मचारी वही वेतन प्राप्त कर रहा है जो राज्य कर्मचारी कर रहा है। उसमें कोई अन्तर नहीं है। दूसरा, आपने यह जो कहा कि-

श्री हरजीराम बुरडक : जी नहीं से क्या मतलब हैं ?

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुन लें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने चार के बारे में कहा कि आपने पढ़ा ही नहीं। मैं समझता हूं कि इसको आप पूरा पढ़ते तो इसमें यह लिखा है कि जितनी लम्बी-चौड़ी यह रिपोर्ट है उसके एक एक पर यहां पर कुछ कहना सम्भव नहीं है, इसीलिए हमने उसकी एक कॉपी सदन के पटल पर रखी है। यह 2100 पेज की कॉपी सब को डिस्ट्रीब्यूट करना सम्भव है नहीं, इसलिए 2100 पेज की जितनी भी सिफारिशें हैं उन

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सारी सिफारिशों के बारे में यहा चर्चा करना सम्भव नहीं है, यह कहा था।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, हमने यह पूछा था कि आयोग की कौन-कौन-सी सिफारिशों पर आपने लाभ दिया है, आपने यह कह दिया कि ये इतनी लम्बी चौड़ी सिफारिशें हैं, यह कहना सम्भव नहीं है। हमने सिर्फ यह पूछा था कि जो लाभ आपने कर्मचारियों को दिया है उसमें रिपोर्ट में कौन कौन-से सुझावों पर आपने दिया है। आपने कह दिया कि ये लम्बी-चौड़ी सिफारिशें हैं, यह कहना सम्भव ही नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कौन कौन-सा दिया इसकी भी प्रतिलिपि रखी है, वह भी बड़ी है। उसका बड़ा वाल्यूम है और उसकी भी प्रतिलिपि आपके सामने रखी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मेरा दूसरा प्रश्न और रह गया। मैं अभी निवेदन कर रहा हूं। आपने जो यह छठे में बताया है, क्या सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए भी उक्त नवीन वेतनमान लागू करने का विचार रखती है ? इसके बारे में मेरा अलग से प्रश्न है कि राजकोष पर कितना भार इससे पड़ेगा ? क्या इसकी आपने कोई बजट में तदनुसार व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं तो, क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक और साथ में जवाब दे दीजिये, यह सिक्स्थ का दे दीजिये। क्या सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए उक्त नवीन वेतनमान लागू करने का विचार रखती है ? आपने जवाब दिया, जी नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, यह प्रश्न आप पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का जो आप अर्थ निकाल रहे हैं वह नहीं है। आपने यह कहा है कि क्या सरकार नयी वेतनमान नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है, हमने कहा नहीं। जहां तक लागू का है, हमने कहा लागू है। एडेड संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी राज्य कर्मचारियों को जो वेतनमान दिये जा रहे हैं वही लागू हैं। यह "जी नहीं", क्या है वह इसमें परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं आप। आप पूछ रहे हैं कि नये वेतनमान में परिवर्तन करना चाहते हैं क्या, हमने कहा नहीं। अब आप अपने प्रश्न को तो समझकर सवाल पूछें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो यह वेतन दोगे यह कहां से दोगे, मेरा प्रश्न तो यह था सीधा। क्या इसकी कोई बजट में व्यवस्था की है ? यही तो मेरा निवेदन है और क्या है ? राजकोष पर इससे कितना भार पड़ेगा ? क्या इसकी कोई व्यवस्था आपने की है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने एक प्रश्न का जवाब देते

(श्री चन्दनमल बैद)

फरमाया, जी नहीं। प्रश्न यह है कि क्या सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए भी उक्त नवीन वेतनमान लागू करने का विचार रखती है। आपने कहा "जी नहीं"।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कौन-सा पढ़ रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न का छठा भाग पढ़ रहा हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें "जी हां" लिखा है, "जी नहीं" नहीं लिखा है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। अभी उप-मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को और दूसरे कर्मचारियों को वेतनमान में इतने इतने का फर्क आएगा। मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे, क्या उप-मुख्य मंत्री जी बताने की इस स्थिति में हैं कि जो पे-पैकेज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आज मिल रहा था इस वेतनमान को परिवर्तन करने के बाद और उसके बाद अब जो वेतनमान मिल रहा है उसमें कितना परिवर्तन हुआ ? क्योंकि आपने जो परिवर्तन बताया वह तो बहुत बता दिया, 800 से 1400, 1400 से 2500, यों ही करके काफी बड़ा फर्क बता दिया लेकिन जो उनको पे-पैकेज मिल रहा था, डीयरनेस अलाउंस मिलाकर जो पे-पैकेज उसमें मिल रहा था और जो पे-पैकेज आज मिल रहा है उसमें कितना फर्क आया ? यह बताने की कृपा कर सकेंगे क्या आप ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस सम्बन्ध में मेरे पास जो सूची है उसमें एक आइटम आपको बताता हूं कि राज्य में संशोधन से पूर्व जो वेतनमान 800-15-950-20-1250 का था वह अब बढ़कर 2650-65- 3300-70-4000 है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, मेरे प्रश्न को समझने की कृपा करें आप कि जो पे-पैकेज उनको मिल रहा था, मैं वेतनमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो पे-पैकेज उनको मिल रहा था आपके परिवर्तन करने के पहले उस पे-पैकेज से आज पे-पैकेज कितना ज्यादा मिल रहा है ? यह पूछ रहा हूं। अगर आपको नालेज हो, ज्ञान हो इस बात का तो बताइये, नहीं तो कह दीजिये नहीं है ज्ञान।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सिम्पल है। अगर ज्यादा नहीं होता तो 1500 करोड़ क्यों एक्स्ट्रा होते। अगर कम होता तो वह कम हो जाता। 1500 करोड़ ज्यादा का मतलब ही ज्यादा दे रहे हैं। इतनी सीधी-सी बात है यह।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि दुगना हो गया **(व्यवधान)**

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक्स्ट्रा क्यों देते ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य, यह मैं सब समझ रहा हूं लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं तनख्वाहें दुगनी कर दीं, उसका मैं पूछ रहा हूं। (व्यवधान) वित्त मंत्री के नाते आपको ज्ञान होना चाहिए था। नहीं हो तो कह दीजिये नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सुन लीजिये आप। जिसकी पे अभी 2660 है उसका डीए. 346 है और अब डिफरेंस आगे जाकर इसमें जो 346 अभी है वह आगे डीए. बढ़ेगा 1445 का, यह डीए. का हिसाब अलग से बता दिया, पे का अलग से बता दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय रतनलाल जी ताम्बी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं वित्त मंत्री से ..

श्री अध्यक्ष : अब आपका क्या है ? एक मिनट विराजिये आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न यह है कि 1.1.96 से अगर ये वेतनमान लागू किये जाते ? आपने कहा, 1.1.97 से वेतनमान इसलिए लागू किये गये हैं कि जो वेतन आयोग बैठते रहे उनकी अभिशंषा राजस्थान में 1.9.96 को से होती रही। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप 1.9.96 को लागू करते और नोशलन फिक्सेशन आप कर देते तो 1.9.97 से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उन लोगों को लाभ हो जाता। आज उन लोगों को जो रिटायर हो गये, यह लाभ नहीं मिलेगा और वे राजस्थान सरकार को कोसते ही रहेंगे। तो मेरा आग्रह यह है कि आप इस पर भी विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : राज्य कर्मचारी रिटायर हो गये हैं उन लोगों के लिए भी आप नोशलन फिक्सेशन लागू कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, हमने सारी मांगे पूरी कर दीं।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : फिर ये धरने किस बात के लग रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय रूपाराम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : सारे कर्मचारियों के धरने चल रहे हैं बाहर और (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी- (अनुपस्थित।)

श्री रामसवरूप मीणा : आपने कुछ नहीं किया कर्मचारियों के लिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी मीणा। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय ने जो ये बयान दिया है, जवाब दिया है (व्यवधान) कि सारे एसोसिएशंस ने पूरे राजी खुशी इसको माना है, यह गलत बयानी है। अभी भी सारे एसोसिएशंस में इस बात की नाराजगी है कि एक जनवरी से ये नहीं दिये हैं। (व्यवधान) सारे संघों को लाभ, सारी एसोसिएशंस को लाभ नहीं दिया गया है और इसलिए आन्दोलन किया जा रहा है। अगर सब को राजी करके आपने कार्यवाही की है तो आन्दोलन क्यों हो रहे हैं, जवाब दो।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें, बहुत हो गयी इस पर चर्चा। अब विराजें आप। परसादीलाल जी।

प्रश्न संख्या 47

श्री रतनलाल ताम्बी।

(अनुपस्थिति : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 48

श्री रूपाराम।

(अनुपस्थिति : कृपया आगे देखें)

किराये की वृद्धि से निगम को हुई आय का लेखा-जोखा

49. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः –

(1) सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का 30 प्रतिशत किराया बढ़ाया गया उस समय निगम प्रति माह कितने लाभ हानि में चल रहा था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम की बसों का 30 प्रतिशत किराया बढ़ाने के बाद प्रति माह औसतन कितना लाभ व लाभ का प्रतिशत क्या रहा ?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा) : (1) परिवहन निगम की बसों में किराया वृद्धि दिनांक 3.12.97 से की गई है। किराया वृद्धि से पूर्व की माह सितम्बर, 97 से नवम्बर, 97 की अवधि में हुई हानि का विवरण निम्न है : –

माह	**हानि (राशि लाखों में)**
सितम्बर, 1997	521.68 (प्रोविजनल)
अक्टूबर, 1997	506.65 " "
नवम्बर, 1997	102.95 " "

(2) किराया वृद्धि के पश्चात् निगम को लाभ नहीं हुआ। माहवार विवरण निम्न है: –

माह	**हानि (राशि लाखों में)**
दिसम्बर, 1997	158.81 (प्रोविजनल)
जनवरी, 1998	283.99 " "

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 30 प्रतिशत किराया बढ़ाने के बाद भी निगम को हानि हुई है, नवम्बर, 1997 में

(श्री परसादीलाल मीणा)

जो हानि थी उससे भी ज्यादा हानि हुई है। तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए ? निगम ने क्यों किराया बढ़ाया, जब किराया बढ़ाने के बाद भी आपको लगातार हानि हो रही है? फिर यह जनता के ऊपर आपने 30 प्रतिशत किराया क्यों बढ़ाया ? अध्यक्ष महोदय, जिस दिन रोडवेज का किराया बढ़ाया उसी दिन प्राइवेट वालों ने भी किराया बढ़ा दिया। जनता पर यह मार पड़ी है, फिर भी आपको हानि हो रही है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा ? आपने जो किराया बढ़ाया उससे भी आपको लगातार हानि हो रही है, आप इसके क्या उपाय कर रहे हैं?

आप वापस किराये को घटाइए। आपको जो लीकेज है, आपके निगम के घाटे के जो कारण हैं, मंत्री महोदय, आप उनको ढूंढ़िये और जनता पर आपने जो 30 प्रतिशत किराया लादा है उसको आप वापस लीजिए। कौशल साहब भी यही कह रहे हैं, उनका भी यही मत है कि हमारी चुनाव में हार हुई है वह 30 प्रतिशत किराये में वृद्धि से हुई है। आपकी पूरी पार्टी की है। आपकी भी हार का यही प्रमुख कारण है। आप इस किराये को वापस लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन को बताएं कि हानि के निगम में क्या कारण हैं? किस कारण हानि हो रही है कि किराया बढ़ाने से पूर्ति भी नहीं हुई ? इन कारणों को जनता के सामने स्पष्ट करें। आपने एक साथ 30 प्रतिशत किराया जनता के ऊपर लाद दिया, इस तरह का अन्याय राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। आप किराया वापस लीजिए और हानि के कारण आप सदन को बताइए। आपने सदन को बिना विश्वास में लिये हुए किराया बढ़ाया है जिसका राजस्थान की जनता ने आपको करारा जवाब दिया, आपकी सरकार को दिया। इसलिए खैरियत इसी में है, आगे खैरियत चाहते हो तो आप इस किराये को आज ही वापस लेने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : विराजें। पहले मंत्री जी जवाब दे रहे हैं वरना तो कई बातें हैं। पहले इनके मेन प्रश्नकर्ता का जवाब आने दें।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का किराया वृद्धि का जो सबसे प्रमुख कारण था वह यह था कि 2.9.97 को डीजल के भावों में 27 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी भारत सरकार की ओर से और कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि हो गई। विशेषकर पथकर की दरों में 1.4.97 से जो संशोधन हुआ उसके कारण से रोडवेज पर करीब 57.92 करोड़ रुपये का भार बढ़ गया। जबकि हमारे पड़ौस के राज्य हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और बहुत सारे प्रदेशों में हमसे तीन महीने पहले ही उन्होंने किराये में

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

वृद्धि की, हमें तो भारी मन से जाकर दिसम्बर में वृद्धि करनी पड़ी। दूसरा जो घाटे का कारण है .....

श्री रामस्वरूप मीणा : महाराष्ट्र में वृद्धि की तो वहां सफाया हो गया।

श्री रोहिताश कुमार शर्मा : गुजरात में किसके कारण हुआ ? हिमाचल में किसके कारण हुआ ? मध्य प्रदेश में किसके कारण हुआ ?

श्री परसादीलाल मीणा : बढ़ाने वालों का वहां भी सफाया हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : मत घटाओ, फिर सफाया होना है आपका। मत घटाओ कतई।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जिस प्रकार से चुनाव में हमारा सफाया होने की बात किराये के कारण की है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जनता को गुमराह किया। इन्होंने यह नहीं कहा कि पड़ौस के राज्यों में भी वृद्धि हुई है, इन्होंने गुमराह किया कि केवल राजस्थान में ही वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारा किराया पड़ौस के राज्यों के मुकाबले या तो बराबर है या कम है। किसी से भी एक पैसा ज्यादा नहीं है। दूसरा मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, किराये में वृद्धि के बावजूद भी यह जो घाटा अभी चल रहा है इसके दूसरे कारण हैं। एक तो कारण है कि दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके -

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : दिल्ली बी.जे.पी. सरकार ने ...(व्यवधान)...

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा माननीय सदस्य सुने तो मैं जवाब देना चाहता हूं। एक आदेश जारी करके हमारी बसों को सराय काले खां डायवर्जन करने के कारण करीब 5 लाख रुपये पर डे का नुकसान हमको उठाना पड़ा। माननीय सदस्य तो राजी होकर कह रहे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ। जब 1982 में कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी और माननीय शिवचरण जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी -

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उस समय आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें। महेन्द्र सिंह जी, विराजे। आप पूरी बात सुने कृपया।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : उस वक्त राजस्थान रोडवेज को बीकानेर हाउस में जाने से रोक दिया था और कांग्रेस की सरकार होते हुए भी 1982 में इनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी। यह कोई नई बात नहीं है कि अब बी.जे.पी. की सरकार है।

(18)

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटे के कारण में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1980 से लगाकर 1990 तक कांग्रेस के टाइम में 6 बार किराये में वृद्धि की गई। 96 प्रतिशत के लगभग 10 वर्ष में इन्होंने वृद्धि की और हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1990 से 1998 तक 7 वर्षों में केवल 4 बार वृद्धि की है तो 86 प्रतिशत है और आपका 96 प्रतिशत रहा।

श्रीमती कमला : मन की क्यों रख रहे हो, और बढ़ाओ 50 प्रतिशत, कौन मना कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्रीमती कमला : और अगर आपने यही धारणा कर रखी है कि जो कुछ आप खोटा काम करें उसका उदाहरण कहीं से ढूंढ़ कर जस्टीफाई करते रहो, हमने तो 4 बरस में इतना किया आपने तो एक बार में ही कर दिया उतना।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : खोटा काम नहीं, आपने एक बात कह दी कि दिल्ली में भरतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं तो उसका जवाब दे रहा था। उसके कारण मुझको यह सब कोट करना पड़ा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी, किराया घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो ?

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, विराजें।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, डिपोवाइज जो आंकड़े आ रहे हैं, निश्चित तौर पर फरवरी में हमारा जो घाटा है वह प्रोफिट में बदलता जा रहा है। उसका कारण था, माननीय अध्यक्ष महोदय। घाटे का सबसे बड़ा कारण यह था कि दिसम्बर में जो महीना था, जनवरी के महीने में मल का महीना था और उसमें बरसात और मौसम भी अच्छा नहीं रहा, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था घाटे का। इसके बाद फरवरी में हमको उम्मीद है कि ठीक होता जा रहा है। दूसरी बात एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्रीमती कमला : आवश्यकता से कहीं अधिक किराया बढ़ाया और जनता ने रोडवेज में बैठना बंद कर दिया, इसलिए आपको घाटा हो रहा है।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : 1964 से लगातार इनके टेन्योर में 24 करोड़ से भी ज्यादा घाटे में रहा। ये आज प्रोफिट की बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी प्रोफिट दिया ही नहीं अपने टाइम में। रोडवेज में प्रोफिट क्या होता है...

श्रीमती कमला : घाटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने जनता के ऊपर अनावश्यक बोझ लादा।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : प्रोफिट शब्द हमने दिया है, प्रोफिट शब्द रोडवेज की डिक्शनरी में हमने पैदा किया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यू. पी. की सरकार को बचाने के लिये सारा पैरा वहां चला गया है इसलिए इन्होंने किराया बढ़ाया था। (व्यवधान) यू. पी. की सरकार बचाने के लिए सारा पैसा चला गया इसलिए सारा घाटा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं करें, आप विराजें।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : हमने 3100 के बेड़े से बढ़ाकर हमारे इस 7 साल के टेन्योर में 4800 बसों का बेड़ा बनाया, यह अपने आप में एक रिकार्ड है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने बहुत काम किया लेकिन अब किराया घटाओगे तो नहीं? (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतल परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार केवल राजस्थान रोडवेज ही ऐसी रोडवेज है जिसने अपने बेड़े में भी वृद्धि की, जिसकी एफिशिएंसी की प्रशंसा हुई है। बाकी एक हजार करोड़ से ज्यादा पूरे हिन्दुस्तान की रोडवेज घाटे में हैं।

श्री खेतसिंह राठौड : वो सब अच्छा किया आपने। एक बात सुनो, अब जो किराया आपने बढ़ाया है, उसे वापस घटाएंगे तो नहीं ? इसका एश्योरेंस दो खड़े होकर, आप किराया घटाएंगे तो नहीं ?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं...।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या पूछना है ? (व्यवधान) एक मिनट ।

श्रीमती कमला : आपने इतना ज्यादा किराया बढ़ा दिया और जनता की क्षमताओं के बाहर किराया बढ़ा दिया, इसमें जनता .. (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटे का मूल कारण है अवैध वाहनों का चलना और उसके किरायों में बहुत भारी अन्तर होना। मंत्री महोदय इस व्यावहारिक बात को एक्सेप्ट करके अवैध वाहनों को कैसे रोकेंगे, जिससे रोडवेज हो होने वाला जो घाटा है उसको रोका जा सके ? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मंत्रीजी, आप तो यह बताइये कि 30 प्रतिशत बढ़ाने के बाद भी घाटा हुआ है उसकी पूर्ति के लिए आप क्या नया... (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : किराया बढ़ाने के बाद भी घाटा क्यों हुआ ? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आज राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसें अन्तरराज्यीय बस अड्डे पर नहीं जाकर..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है .. (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने जो किराया बढ़ाया है उस किराये को घटाएंगे तो नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजिए। आप क्या कह रहे हैं ? लक्ष्मणसिंहजी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने किराया बढ़ाने के कारण बताये, उसके बाद घाटे के भी कारण बताये। एक प्रमुख कारण घाटे का यह है कि अनधिकृत बसें पूरे राजस्थान के अन्दर चल रही हैं। इस प्रकार की भी सूचनाए हैं कि षड़यंत्रपूर्वक कुछ जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, जो आपके नजदीकी भी हैं, आपकी पार्टी के और आपकी सरकार के भी नजदीकी हैं उन लोगों के अवैध वाहन चल रहे हैं। इसलिये आपने 18 प्रतिशत पहले बढ़ाया और 30 प्रतिशत अभी बढ़ाया है...... (व्यवधान) .....

श्री अध्यक्ष : खोईवालजी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप उन अवैध वाहनों को बंद करने के लिये क्या कर रहे हैं ? आप राजस्थान की जनता पर भार लाद रहे हैं। अवैध वाहन वाले जयपुर से उदयपुर 90 रुपये में ले जाते हैं, तो फिर आपको 165 रुपये कौन देगा ? इन अवैध वाहनों को बंद करने के लिये क्या आपके पास इच्छाशक्ति है ? क्या आपकी सरकार में इतना दम है कि वह उनको बंद कर सके और पकड़ सके, बताइये।

श्री अध्यक्ष : खोईवाल साहब। विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आज मंत्री महोदय के मित्रों की बसें हैं वे तो आई.एस.बी.टी. पर रुकती हैं और हमारी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें काले सराय खां पर रुकती हैं ...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। आपको अभी अनुमति तो दी नहीं। आप, विराजिए। लक्ष्मणसिंह जी बोले उसके बाद एक एक क्रम से बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : इसलिये बसों के अन्दर कोई सवारी बैठती नहीं है, इसलिए घाटा है। मंत्री महोदय क्या यह बताएंगे कि आई.एस.बी.टी. के ऊपर राजस्थान की बसें रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी ? आपने उत्तर प्रदेश के बार्डर के ऊपर बसों को भेज दिया। जिससे बस के अन्दर कोई यात्री बैठता ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड......(व्यवधान) एक सैकण्ड, महेन्द्रजी, आप विराजिए। इन्दिराजी, आप विराजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत आवश्यक प्रश्न है। (व्यवधान) एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप, विराजिए (व्यवधान) आप विराजिए तो सही, यह क्या हो रहा

(श्री अध्यक्ष)

है? +++ यह इसमें। (व्यवधान) वहीं देख रहा हूं। अभी आपकी तरफ से नाम लिया, लक्ष्मणसिंहजी ने पहले हाथ खड़ा किया उनको कहा, फिर दूसरी बार उन्होंने किया, फिर आपको कहूंगा।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि परिवहन निगम राजस्थान सरकार का विभाग है। (व्यवधान) किराया बढ़ाने के पीछे जो आब्जैक्ट था वह था कि घाटे में आपरेट नहीं करे। परिवहन निगम के घाटे के आपरेट नहीं करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा निगम के माध्यम से किराया बढ़ाया गया था। वहां तक तो मसला ठीक है। लेकिन चूंकि यह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक दृष्टि से राजस्थान के प्राइवेट आपरेटर्स द्वारा जो बसें चलायी जाती हैं, उसके कम्पेटिव व्यूज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था। उस समय उस कम्पेटिव व्यूज को ध्यान में नहीं रखा। जहां प्राइवेट बसों का किराया 90 रुपये हैं, हमारा सौ रुपये था 130 रुपये कर दिया, 90 रुपये से उन्होंने सौ रुपये कर दिया। अब जो यात्री बसों में ट्रैवल करना चाहेगा वह सरकारी बसों के बजाय प्राइवेट बसों में जाएगा। यही कारण है कि जो आब्जैक्ट हमारा था कि घाटा कम हो, वह घाटा कम नहीं हुआ। अपितु घाटा इससे बढ़ रहा है। आज हमारी रोडवेज की सारी बसें आधी खाली चलती हैं क्योंकि वह कैंसिल तो करने से रहें।

अब मैं छोटी-सी नजीर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कुर्ज से उदयपुर जाने के लिये 40 रुपये जाने के लिये व 40 रुपये आने के लिये एक आर्डिनरी बस का किराया है। 80 रुपये हो गये। वहां पर 5 सवारियों के 400 रुपये हो गये। यदि कोई जीप लेकर जाए तो 200 रुपये में जाकर वापस आ सकता है। इसलिए वह जीप में यात्रा करना पसन्द करेगा या हमारी रोडवेज की बसों में यात्रा करना पसन्द करेगा ?

ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि चूंकि यह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, हमारा आब्जैक्ट प्रोफिट के साथ-साथ यह भी है कि जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ऐसी स्थिति में यदि आप इसका कोई सामंजस्य बैठाकर किराया कम कर देते हैं तो निश्चित तौर से जो अभी हमारी बसें घाटे में चल रही हैं वे प्रोफिट में आ सकती हैं। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध यही है कि इसके बारे में पुनर्विचार करें और जो किराया बढ़ाया गया है उस किराये को वापस घटाएं और राजस्थान में जो दूसरी बसें चल रही हैं, प्राइवेट बसें चल रही हैं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(22)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

उनके काम्पीटीशन को भी ध्यान में रखें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। श्री मदनमोहनजी।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध वाहनों का मामला इतना सस्ता नहीं है कि जिस तरह से मंत्री महोदय के ऊपर आरोप भी लगा दिये जाएं या इनके द्वारा डाइरेक्ट रोक दिये जाएं। जब तक राज्य सरकार के द्वारा उनके ऊपर सख्ती से कार्यवाही नहीं की जाए, जो प्राइवेट व्हीकल चलते हैं वे लाइसेंस नहीं होने चाहिए। जितनी भी ये कमाण्डर जीपें चल रही हैं इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो इनसे उतरोत्तर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। परिवहन विभाग का एक सबसे बड़ा दोष यह है कि रास्तों में जितने भी हाई-वे पड़ते हैं, हाई-वे के ऊपर जीपें लेकर खड़े हो जाते हैं, आर.टी.ओ. चाहे कोई दूसरा आदमी भी ड्रैस पहन कर खड़ा हो जाए, ट्रक को हाथ देगा, रोकेगा और उससे पैसे लेकर उसको छोड़ने की बात करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरथल में किशनगढ़ के अन्दर जो नया हाई-वे बना है उस चौराहे के ऊपर परिवहन विभाग की गाड़ी रात और दिन खड़ी रहती है। वहां पर जो भी कोई, यदि कोई अपने परिवार के बच्चों को लेकर भी जा रहा है तो उसकी गाड़ी को उठाकर सीज कर दिया जाता है और मनमाने तरीके से वसूल किया जाता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले के अन्दर अवैध वाहनों का जो प्रचलन है वह इतनी तीव्र गति से है कि यही हाल रहा तो साल भर के भीतर वहां पर परिवहन निगम की बसें चलाने की शायद जरूरत नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि मंत्री महोदय जितनी सख्ती से रोक सकें, अवैध वाहनों को रोकें। चैकिंग का जो स्टाफ है इसमें भी परिवर्तन करें और जिस तरह की मनमानी और गुंडागर्दी पनपा रखी है उसको बंद करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। शैलेन्द्रजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो किराया बढ़ाया है वह घटाएंगे तो नहीं। जो 30 प्रतिशत बढ़ाया है उसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, यह बताइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं, यह तो बता दो।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : आप क्या चाहते हैं, माननीय राठौड़ साहब, आप क्या चाहते हैं ?

श्रीमती कमला : आप घटाएंगे कि नहीं? (व्यवधान) हम तो चाह रहे हैं कि जो बढ़ाया वही गलत था और अब इसको कम करना चाहिए। आप यह कहें कि कम करेंगे कि नहीं करेंगे, जवाब तो दो।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी मंशा किराया बढ़ाने की है या घटाने की है, एक बात तो स्पष्ट करो।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। शैलेन्द्रजी।

श्री मोहनलाल मोदी : हम किराया घटवाना चाहते हैं, किराया घटाएं। बहुत किराया बढ़ा दिया, जनता पर बहुत भार कर दिया, उसे घटाइये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सदस्य, इस प्रकार का प्रश्न पूछना नियमों के विरुद्ध है। सदन को बहुत गम्भरीता से लेना चाहिए। आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हैं कौन पूछने वाले ?

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्रजी। विराजिए, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान) इस बात से अगर प्रतिपक्ष को पीड़ा हुई हो, मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूं, मैंने कई बार पहले निवेदन कर दिया इसलिए नेता महोदय, इतना गुस्सा अनपढ़ आदमी पर नहीं करना चाहिए। (व्यवधान) गांव का आदमी हूं, अनाड़ी आदमी हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। विराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आज राजस्थान में राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रियों ने यात्रा करना बंद कर दिया है क्योंकि जो निजी बसें हैं वे आपरेटर्स 10 प्रतिशत कम किराया ले रहे हैं। इसके कारण आज केवल 10 प्रतिशत ही यात्री यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या रोडवेज में वापस बढ़े वह तभी सम्भव है जब राजस्थान रोडवेज पुनर्विचार करे और किराया कम करें। तो मेरा यह सुझाव है कि क्या मंत्री महोदय घटती हुई यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिये क्या पुनर्विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजिए, अब क्या प्रश्न पूछना है ? एक ही प्रश्न को दो घण्टे तक खींचोगे क्या। (व्यवधान) कोगटाजी, आप बोलिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : मुझे एक ही प्रश्न पूछना है कि जहां रोडवेज चलती है वहां तो प्राइवेट बस वालों ने किराया कम कर रखा है और जहां रोडवेज की व्यवस्था नहीं है वहां किराया प्राइवेट बस वालों ने 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया इस किराये के साथ क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कोई जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : हीरालालजी इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछना चाहता हूं कि 30 प्रतिशत किराया बढ़ाने के

(24)

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

बाद भी जो घाटा हुआ है उस घाटे की पूर्ति आप किराया बढ़ाकर करेंगे या किसी अन्य स्रोत से करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इन्दिराजी, बोलिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल नहीं है, बल्कि एक सजेशन है कि जो किराया बढ़ाया है और प्राइवेट बसों का किराया साथ-साथ आप उतना ही कर देते तो लोगों को शिकायत नहीं होती क्योंकि फिर रोडवेज को जो आप नुकसान बता रहे हैं व भी नहीं होता। आप एक यह भी बता देते कि इससे कम किराया कोई भी नहीं रख सकता, नम्बर एक। दूसरा मेरा यह है कि...

श्री अध्यक्ष : सजेशन नहीं। अब यहां सजेशन का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान) अभी विराजिए, आप विराजिए। (व्यवधान) आप लिखकर दे देना, सजेशन ऐसे याद नहीं रहता। (व्यवधान) भगराजजी चौधरी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सवाल है मेरा, जैसे 8 रुपये 40 पैसे लगता है सांगानेर, बगरू का लगता है 15 रुपये 60 पैसे, कहीं का लगता है 30 पैसे। ये पैसे कोई वापस नहीं देता। 30 प्रतिशत किराया बढ़ाया था, तो अब मेहरबानी करके आप इस बात को भी रैगुलाइज कर दें कि 30 पैसे, 40 पैसे, 60 पैसे नहीं रख कर एक राउण्ड फिगर कर दें, ताकि गरीब लोगों को यह पैसा ज्यादा नहीं देना पड़े।

श्री अध्यक्ष : विराजें। चौधरी साहब।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा (व्यवधान) ...

श्रीमती तारा भण्डारी : गरीब नहीं हैं, कांग्रेस ने सबको गरीब किया है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, please allow me to ask 2-3 questions. मुझे अलाउ करिये, मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसी सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : फरमाओ आप।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि नियमानुसार रोडवेज द्वारा संचालित जो रूट्स हैं उन रूट्स पर प्राइवेट बसें चलने का नियम में प्रावधान नहीं है ? यदि हां, तो फिर राजस्थान के अन्दर हजारों बसेज रोडवेज द्वारा संचालित रूट्स पर क्यों चलायी जा रही हैं। क्या आपके ध्यान में नहीं है ? और यदि है तो फिर आप उनको रोकते क्यों नहीं हैं ? इसी कारण से रोजाना लाखों रुपयों का रेवेन्यू लॉस हो रहा है और उसमें आपकी मिलावट है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, हो गया।

श्री भगराज चौधरी : प्राइवेट बस आपरेटर्स से आपकी मिलावट है... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : हो गया, विराजिये। जवाब दें, माननीय मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : इसी कारण से आपको करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दें। एक मिनट।

श्री भगराज चौधरी : बिना किराया वृद्धि के भी करोड़ों रुपयों से आज हमारा रोडवेज प्रोफिट में चलता था... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। बीस सप्लीमेंट्री हो गये, विराजिये आप।

श्री भगराज चौधरी : बिना 30 प्रतिशत वृद्धि किये हुए हमारी रोडवेज करोड़ों रुपयों का मुनाफा लाती थी, फिर किराया वृद्धि के बाद में यह घाटा करोड़ों रुपयों का क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : यह आपकी मिलावट से हो रहा है। हजारों प्राइवेट बसें जो आप मिलावट करके चला रहे हैं, कृपया उनको बन्द करिये। ये अवैध चल रही हैं, नियमानुसार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री भगराज चौधरी : आज मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं हम उनसे कहते कि आप क्यों रेवेन्यू का भट्टा बैठा रहे हो, इनका इस्तीफा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। चौधरी साहब, अब विराजिये। जवाब तो सुनो आप। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्या था और साइडट्रेक करके... (व्यवधान) उसका जवाब देना बाकी है।

श्री अध्यक्ष : आपने वह प्रश्न लम्बा कर दिया। प्रश्न की पाखड़ी लम्बी कर दी।

श्री भगराज चौधरी : नहीं-नहीं पाखड़ी नहीं, बिलकुल सही बात है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये न आप। बीस सप्लीमेंट्री हो गयीं। जवाब दें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। आखरी प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपकी रोडवेज के पास कितनी बसें राजस्थान में हैं और राजस्थान में कितनी प्राइवेट बसों को जहां पर रोडवेज की बसें चलती हैं, जैसे बीकानेर है, जालौर है, बाड़मेर है, उदयपुर है, उसी रूट्स पर सरकार ने परमिट दे रखे हैं ? मूल कारण तो यह है कि आपने राजनैतिक कारणों से अपने लोगों को प्राइवेट, जो रोडवेज बसें चलती हैं, उन बसों के आगे और पीछे, परमिट दे रखे हैं। रोडवेज की बसें खाली चलती हैं। कितनी बसों को आपने अब तक परमिट दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे माननीय

(26)

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

सदस्यों ने अलहदा-अलहदा प्रश्न किये हैं। मैं उनका एक कम्बाईंड जवाब देना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे सदस्यों ने अवैध वाहन संचालन के बारे में चर्चा की है, ज्यादातर सदस्यों ने। अवैध वाहन संचालन, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई पहली बार मेरे टाइम में हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अवैध वाहन संचालन ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : सुनिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका जवाब एप्रोप्रिएट नहीं है। This is not a reply.

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह जवाब है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब है?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : राज्य में कोई परिवहन नीति नहीं होने के कारण से .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : अवैध वाहन संचालन हुआ और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। राज्य में कोई निश्चित परिवहन नीति नहीं होने के कारण अवैध वाहन संचालन को बढ़ावा मिला और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने, माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंहजी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि हम परिवहन नीति बनाएंगे, जिसके कारण अवैध वाहन संचालन रुके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को पता होना चाहिये, जानकारी होनी चाहिये कि मोटर व्हीकल एक्ट कोई राज्य सरकार का एक्ट नहीं है, भारत सरकार बनाती है। हमने संशोधन के लिये बारबार रिमाइण्डर लिखे हैं। मुख्य मंत्रीजी पर्सनली मिलकर आये, मैं मिल कर आया और चिट्ठी पर चिट्ठी डाली पर संशोधन का जवाब अभी तक नहीं मिला। अंब कल्याणकारी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसके बाद निश्चित तौर पर परिवहन नीति हम बनाएंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, हो गया।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : उसके बाद आप अवैध वाहन संचालन की बात हमसे करना।

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी महुआ। प्रश्न यह समाप्त हुआ। माननीय हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस पर एक सप्लीमेंट्री पूछ रहा था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : प्रश्नकाल समाप्त हो गया? अध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिनों में एक बात को लेकर के सदन में बहुत नाराजगी चल रही थी और अव्यवस्था रही। वह प्रश्न था, इस सदन के माननीय सदस्यों और लोक सभा के सदस्यों पर आक्रमण।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आने दें, उसके बाद फिर...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमले उन पर, उनकी पिटाई, उन पर झूठे मुकदमे, चार दिन से.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्नकाल चल रहा है, उसको चलने दें।

श्री देवीसिंह भाटी : प्रश्नकाल चल रहा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : प्रश्नकाल समाप्त कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : नहीं हुआ। प्रश्नकाल में पांच मिनट बाकी हैं। वह प्रश्न समाप्त हुआ है, आपका प्रश्न आया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा प्रश्न समाप्त हो गया ?

श्री अध्यक्ष : हरिसिंहजी। पांच मिनट बाद।

दौसा जिले में केरोसीन की वितरण व्यवस्था

50. **श्री हरिसिंह** (महुआ) एवं **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) जिला दौसा में केरोसीन के कितने थोक विक्रेता हैं, प्रत्येक विक्रेता को माहवार कितना केरोसीन आबंटित किया जाता है तथा किस-किस विक्रेता को किस-किस तहसील का थोक विक्रेता एवं स्टोरेज का लाइसेंस दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला दौसा के लिये प्रति माह कितना केरोसीन आबंटित किया जाता है तथा आबंटित कोटे में से कितना केरोसीन रोस्टर प्रणाली से खुदरा विक्रेताओं को आबंटित किया जाता है ?

(3) तहसील महुआ के लिये किस-किस थोक विक्रेता को कितना-कितना केरोसीन आबंटित किया गया ? एक वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) दौसा जिले में केरोसीन के कुल पांच थोक विक्रेता हैं। प्रत्येक विक्रेता को केरोसीन के माहवार आबंटन की सूचना परिशिष्ट "अ" पर है। किस विक्रेता के पास किस तहसील का थोक विक्रेता एवं स्टोरेज का लाइसेंस हैं, इसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर है।

(2) दौसा जिले को प्रति माह औसतन 900 किलोलीटर केरोसीन का आबंटन किया जाता है। उक्त आबंटन का खुदरा विक्रेताओं में उप आबंटन रोस्टर के अनुसार कर दिया जाता है।

(3) तहसील महुआ के लिये थोक विक्रेताओं को दिये गये आबंटन के सम्बन्ध में सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर सूची जो रखी है उसकी कापी मुझे नहीं मिली है, महुआ की।

(28)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, महुआ की सूची है ही नहीं। महुआ का डीलर कौन है, यह भी नहीं लिखा है। कितना केरोसीन् महुआ को दिया है, यह भी नहीं लिखा है।

डा. रामप्रताप : महुआ का। तहसील महुआ के लिये एक वर्ष में थोक विक्रेतावार आबंटित केरोसीन की स्थिति-फरवरी, 1997, प्रकाश आयल कम्पनी-96 किलोलीटर, महेश चन्द एण्ड सन्स, बांदीकुई-108 किलोलीटर, इस तरीके से 204 किलोलीटर दिया। मार्च में प्रकाश आयल कम्पनी को 84, महेश चन्द को 108 कुल 192 किलोलीटर दिया। अप्रैल में प्रकाश आयल को 84 और महेशचन्द को 108 कुल 192। मई में इसी तरीके से 192, जून में 192, जुलाई में 192। इन दोनों डीलर्स को इसी तरीके से 192 लीटर दिया गया है। सिर्फ नवम्बर में प्रकाश आयल कम्पनी को 96 दिया है और महेश चन्द को 108 ही दिया है। दिसम्बर में प्रकाश आयल कम्पनी को 84 दिया है और महेश चन्द को 120, इस तरीके से 204 और जनवरी में फिर 84 और 96 और 6 किलोलीटर दिया है लल्लू प्रसाद जैन को। इस तरीके से 186 किलोलीटर दिया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महुआ में केरोसीन का थोक का लाइसेंस किस फर्म को जारी कर रखा है और क्या स्टोरेज लाइसेंस भी उसके पास है? और दौसा जिले में महुआ को सम्मिलित करने से पहले क्या किसी को वहां थोक का अलग से लाइसेंस दे रखा था?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

डा. रामप्रताप : तहसीलवाइज है। होम सेल डीलर नहीं होता, आयल कम्पनी ने उनको लाइसेंस दे दिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तहसील देती है। यह तो सप्लाई डिपार्टमेंट का काम है।

डा. रामप्रताप : होलसेल का लाइसेंस न तो तहसील देती है, न राज्य सरकार देती है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, अब मंत्रीजी को अपने विभाग का भी ज्ञान नहीं है तो मैं क्या करूं ?

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुन लें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह सबसे बड़ी समस्या है। थोक डीलर अपाइंट करती है कम्पनी को, लाइसेंस देने का काम तो ... (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुन लें।

डा. रामप्रताप : हमारे यहां से हम, होल सेलर हमारे यहां से ...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : विशाल ज्ञान का भण्डार .... (व्यवधान)

(12.00)

डा. रामप्रताप : स्टेट लेवल कोआर्डिनेटर होता है इन तीनों आयल कम्पनीज का, उसको हम हमारी जिलेवार जो मांग होती है

(डा. रामप्रताप)

वह दे देते हैं। आबंटन किस होल सेलर को कितना आबंटन किया जाए, वह आयल कम्पनीज करती है हम नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि क्या महुआ में किसी फर्म को थोक का लाइसेंस दे रखा है ? मैं तो सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, इसमें कम्पनी कहां आ गयी ?

डा. रामप्रताप : जैसा मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, महुआ का यह जो होल सेलर है प्रकाश आयल कम्पनी, इसी तरह से महेश चन्द एंड संस है, यह दोनों होल सेलर्स हैं इनको यहां से निर्धारण होता है और महुआ को सप्लाई करते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, सप्लाई करते हैं वो अलग बात है। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि सप्लाई डिपार्टमेंट ने क्या किसी व्यक्ति को महुआ तहसील के थोक का लाइसेंस दे रखा है ?

डा. रामप्रताप : महुआ तहसील का अलग से कोई लाइसेंस नहीं दिया हुआ है। हमारे पास में जो होल सेल के डीलर्स हैं उनको अलग-अलग तहसीलवार यहां से निर्धारण किया जाता है, हम अलग से उसका कोई नहीं करते। जितनी तहसीलें हैं उनमें कोई अलग से एक-एक को इंडीविजुअल नहीं दिया जाता।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी, शायद आपके विभाग वाले आपको सही सूचना दे नहीं रहे। महुआ का थोक का लाइसेंस नवल सिंह एंड संस को दिया हुआ है आपके विभाग द्वारा ।

डा. रामप्रताप : नवलसिंह एंड संस, आपके जिले का अलग होने से करौली में चले गये हैं, यह मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं जो कह रहा हूं वह सुनें । (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : आज की तारीख में हमारे ये दो डीलर हैं...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : करौली गये अब वो माननीय हरिसिंहजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तहसील महुआ का थोक का लाइसेंस नवलसिंह एंड संस के पास है, यह सूचना है क्या आपके पास ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, विराजें आप। (व्यवधान)... वो तो गया न वहां।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक फर्म को बिलकुल सप्लाई से वंचित कर रखा है। किस खुशी में ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप बात कर लेना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिये। इन तथ्यों को छिपाने की आवश्यकता क्या है ?

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, रूल 50 के तहत स्थगन

(श्री किशन मोटवानी)

प्रस्ताव है उसमें आपने व्यवस्था दी थी कि राज्य सरकार से जानकारी चाही है।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड।

श्री किशन मोटवानी : मैं आपसे यह चाहता हूं, जब वह बड़ा संवेदनशील मैटर है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी वह बात आ चुकी है अजमेर के दंगों के संदर्भ में तो मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार स्वतः ही....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, विराजिये आप। एक मिनट का काम है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : वो करौली चला गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं सूचना दे रहा हूं और मंत्रीजी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे।

श्री अध्यक्ष : वह करौली चला गया। आप बात कर लेना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : किसके लिये है क्या उसका लाइसेंस सस्पैंड कर दिया है, मेरा यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप बात कर लेना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नवलसिंह एंड संस का महुआ का लाइसेंस सप्लाई डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया क्या ? या आज भी स्टैंड कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : किससे बात कर लेना ? नहीं बात करने का कहां सवाल है ?

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : बात करने का क्या सवाल है ? मंत्रीजी हाउस में जवाब दें। क्या कोई डीलर अपाइंट है और उसके बाद उसको सप्लाई नहीं दी जा रही है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : अगर मंत्रीजी के पास पूरा जवाब नहीं है...

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप विराजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपके पास जवाब है क्या इसका कोई ? ... (व्यवधान)...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा है कि वह प्रश्न कम्प्लीट होगा, चाहे 12 बजने के बाद दो मिनट ज्यादा हो जाएं। (व्यवधान).

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेहरबानी करके आप विराजें।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं न कि वह करौली चला गया। वह लाइसेंस करौली (व्यवधान) आपके पास है क्या इसका कोई जवाब ?

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में दौसा जिले में महुआ आता है

(डा. रामप्रताप)

और महुआ में मैंने जो दो होल सेलर बताये हैं वही केरोसीन का वितरण कर रहे हैं। नवलसिंह एंड संस है वह जिला करौली में है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं यह प्रश्न नहीं कर रहा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या तहसीलदार, महुआ द्वारा थोक का लाइसेंस जारी किया गया है ? यह तो रिकार्ड में होना चाहिये न। और अगर जारी किया गया है तो क्या उसको खारिज कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बाद में ले लेना। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। एक मिनट विराजें आप। ये कह रहे हैं वो करौली चला गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : + + +

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सदन को मंत्रीजी ने अधूरा जवाब दिया हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी ने अधूरा जवाब दिया है तो स्थगित कर दीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मेहरबानी कर के आप इसको स्थगित करिये और जब लास्ट डे हो उस दिन इस सवाल को लीजिये आप। अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : बात कर लेना आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लाइसेंस होते हुए भी उसको सप्लाई नहीं दे रहे।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट विराजिये।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस के लिए किसी की एप्लीकेशन नहीं आयी न कोई डीलर आया। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : एप्लीकेशन क्या, लाइसेंस बना हुआ है। आपको इस बात की जानकारी है क्या ? आपको पता ही नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लाइसेंस बना हुआ है।

डा. रामप्रताप : कहां का बना हुआ है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : महुआ का लाइसेंस बना हुआ है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नवलसिंह एंड संस कम्पनी महुआ में सप्लाई करेगी, इसका लाइसेंस है।

डा. रामप्रताप : नवलसिंह एंड संस कम्पनी आज की तारीख में करौली में है।

श्री परसादीलाल मीणा : कहां चला गया ? वह नवलसिंह भी चला गया क्या महुआ में ? आपको जानकारी नहीं है विभाग की।

डा. रामप्रताप : आपको मैं अलग से सूचना दे दूंगा। यह करौली में दे रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप पूरी जानकारी लेकर इस सवाल को स्थगित करा कर नेक्स्ट, जो भी इनकी लास्ट डे हो असेम्बली में उस दिन इसका जबाव दिलाइये। इनके पास कोई सूचना नहीं है। आ जाते हैं यहां बिना

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री परसादीलाल मीणा)

तैयारी के, बिना होम वर्क किये मंत्री आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : इनको आप कहिये कि अगली बार जरा होम वर्क कर के आएं। इतना प्रश्न इम्पोर्टेन्ट है,- (व्यवधान)... हमारा अभी तक जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड विराजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता था। चार दिन से इस हाउस में बार बार मांग हो रही थी सरकार के-

श्री हरिसिंह (महुआ) : सूचना हम दे रहे हैं न।

श्री परसादीलाल मीणा : प्रश्न को स्थगित करें हम सूचना दे रहे हैं उसके बाद ... (व्यवधान)..

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी को विभाग ने सूचना ही नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी और माननीय हरिसिंह जी, और भी कई नियम है, उनमें आ जाएं आप।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को स्थगित करिये।... (व्यवधान)... दोबारा जवाब आ जाएगा, क्या दिक्कत है ? करौली नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, स्थगित नहीं। इन्होंने कहा, करौली हो गया। करौली हो गया... (व्यवधान)... यदि इसमें कोई एम्बिग्युटी है तो ...

श्री परसादीलाल मीणा : हम कह रहे हैं करौली में नहीं हुआ है। या तो महुआ को भी करौली भेज दो आप। फिर कहां जाएंगे उपभोक्ता ?

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे तरीके से आएं। विराजें आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमको भी करौली में भेज दो, वहां तो कोई है नहीं उपभोक्ता करौली भेज दो। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थिति सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा स्वीकृत पेंशन/सहायता राशि

47. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सह सही है कि पंचायत समितियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था एवं अन्य प्रकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पेन्शन/सहायता राशि विभिन्न प्रकार से स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो उसके नियम/निर्देश एवं प्रणाली का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा 1 अप्रेल, 1996 से फरवरी, 1998 तक प्रश्न के चरण नं. 1 में वर्णित स्वीकृतियां जारी की गई हैं ? यदि

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हां, तो योजनावार स्वीकृति आदेश की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों को राशि स्वीकृत हुई, उसकी भौतिक रूप से सक्षम अधिकारी ने जांच की है ? यदि हां, तो क्या स्थिति रही ?

(4) क्या स्वीकृत राशि का पूरा भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं सरकार इसकी राज्य अन्वेषण ब्यूरो से उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यिद हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार इस प्रकार की पेन्शन/सहायता राशि की स्वीकृति का अन्य एजेन्सी के माध्यम से भुगतान कराकर अनियमितताओं को रोकने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही तीन योजनाएं यथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के नियम/निर्देश एवं प्रणाली का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। पंचायत समिति, जहाजपुर द्वारा 1 अप्रेल, 1996 से फरवरी, 1998 तक पारिवारिक सहायता योजना के अन्तर्गत 103, वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत 610 तथा मातृत्व लाभ योजना के तहत 469 स्वीकृतियां जारी की है। योजनावार स्वीकृति आदेश सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(3) जी हां, उक्त सभी योजनाओं की स्वीकृति संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन सचिव एवं सरपंच की तस्दीक के आधार पर की गई है। योग्य आवेदकों के आवेदन भी स्वीकार किये गये हैं।

(4) जी नहीं । चूंकि कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई है। अतः उच्च स्तरीय जांच कराने का कोई औचित्य ही नहीं है।

(5) चूंकि कोई अनियमितता इस प्रकरण में नहीं हुई है तथा पेन्शन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जा रहा है। अतः भुगतान माध्यम में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कालानाड़ा तालाब (मकराना) के पास की बस्तियों में गंदे पानी का भराव

48. **श्री रूपाराम (मकराना)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि मकराना शहर की सिवरेज लाइनों का गन्दा पानी, खानों व कम्पनियों का मलबा कालानाड़ा तालाब में डालने से इसकी भराव क्षमता कम होती जा रही है जिससे वर्षा के दिनों में इसके आस

(श्री रूपराम)

पास बसी हुई बस्तियों के मकानों में पानी भरने की सम्भावना रहती है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या का समाधान किस प्रकार से, कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। कालानाड़ा की समस्या के समाधान हेतु जलदाय विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा "कालानाड़ा कैनाल" परियोजना रुपये 285.00 लाख की बनाई है, जिसका उच्च तकनीकी अधिकारियों से परीक्षण करवाकर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटपूतली (जयपुर) में शराब के ठेके

66. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में शराब बिक्री की कितनी दुकानें हैं ?

(2) क्या उक्त सभी दुकानें सार्वजनिक स्थानों, मन्दिरों, मस्जिदों, पाठशालाओं व बस-स्टेण्ड आदि से समुचित दूरी पर स्थित है ? यदि नहीं, तो गलत स्थान चयन के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

(3) क्या सरकार गलत स्थान पर स्थित ठेके हटाने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वित्तीय वर्ष 1997-98 हेतु निम्नांकित मदिरा दुकानें विक्री हेतु अस्थाई स्वीकृत होकर संचालित है : —

देशी मदिरा	वा. नि. वि. म./बीयर
1. कोटपूतली-II	1. कोटपूतली-I
2. प्रागपुरा	2. कोटपूतली-II
3. दांतिल	3. नारेडा
4. नारेडा	4. पावटा
5. बड़नगर	5. पूतली
6. संरूण्ड	
7. सुंदरपुरा	
8. राजनोता	
9. बनेठी	
10. पूतली	
11. पचानी	
12. मण्डा	
13. टोरडा	
14. रघुनाथपुरा	
15. बावड़ी	
16. कुजोता	
17. पावटा	
18. देवता	
19. कोटपूतली	
20. बड़ाबास कोटपूतली	
21. चौकी गोरधनपुरा	

(2) देशी मदिरा दुकान बड़ाबास

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कोटपूतली को छोड़कर सभी दुकानें राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75(2) के अनुसार संचालित होकर स्वीकृत है। देशी मदिरा दुकान बड़ाबास कोटपूतली के लोकेशन के प्रति शिथिलता संबंधी प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

(3) कोई भी मदिरा दुकान नियम विरुद्ध स्वीकृत नहीं की गई है, अतः हटाने का कोई औचित्य नहीं है।

कृष्ण जिनिंग फैक्ट्री (भीलवाड़ा) परिसर में अवैध व्यावसायिक काम्पेलक्स का निर्माण

67. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा स्थित कृष्ण जिनिंग फैक्ट्री से सम्बन्धित सभी मामलें समाप्त हो गए है और अन्तिम जांच होकर निर्णय हो गया है ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

(2) क्या उक्त फैक्ट्री की भूमि पर अवैधानिक तरीके से औद्योगितक भूमि का वाणिज्यिक प्रयोग कर दुकान बनाई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनका नियमन कर दिया है ? यदि नहीं, तो फिर व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाने के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या सरकार उक्त अवैध दुकानों को तोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या उक्त फैक्ट्री को बिला नाम सरकारी भूमि भी दे दी गई है ? यदि हां, तो कब, क्यों और उस पर वर्तमान में किस का कब्जा है तथा इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) मैसर्स कृष्ण काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, भीलवाड़ा का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। इकाई द्वारा आवंटित भूमि में वाणिज्यिक काम्पलेक्स बनाने के कारण आवंटन दिनांक 7.8.95 को निरस्त कर दिया गया था जिसके विरुद्ध इकाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 6.1.97 की अनुपालना में जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 26.8.97 द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा कर जो भूमि खाते की थी वह खातेदार के हक में एवं जो भूमि बिलानाम थी, वह सरकार के हक में इन्द्राज की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, भीलवाड़ा को निर्देशित किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या-22/92 दिनांक 3.9.97 से 13 बीघा भूमि खातेदारी हक में दर्ज की गई और शेष रकबा 5 बीघा यथावत बिलानाम सरकार रखा गया है।

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

(2) यह सही है कि उक्त फैक्ट्री ने अवैधानिक तरीके से औद्योगिक भूमि पर वाणिज्यिक काम्पलेक्स बना लिये थे लेकिन सरकार ने उनको लीगल करार नहीं दिया और प्रकरण सिविल न्यायाधीश, भीलवाड़ा में विचाराधीन है। जिसकी आगामी तिथि दि. 22.5.98 नियत है।

(3) माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत ही कार्यवाही की जाना सम्भव होगा।

(4) उक्त फैक्ट्री की बिलानाम सरकार भूमि फैक्ट्री मालिक को नहीं दी गई है। उक्त फैक्ट्री की बिलानाम सरकार भूमि को तहसीलदार, भीलवाड़ा के नामान्तरण संख्या-22/92 दिनांक 3.9.97 से बिला नाम सरकार दर्ज की गई है।

अलवर के रुग्ण उद्योग

68. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि अलवर में स्थापित उद्योगों/फैक्ट्रियों में से ज्यादातर बन्द पड़े हुए हैं और जो चल रहे हैं वो भी बन्द होने के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इन बीमार उद्योगों को चालू करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नीट्रा द्वारा संचालित पावरलूम प्रशिक्षण केन्द्र अभी चल रहा है ? यदि हां, तो दिनांक 25-7-1997 को संबंधित अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या मुख्य सचिव ने अलवर में पावरलूम प्रशिक्षण केन्द्र के भवन को खाली करवाने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या सरकार फैक्ट्रियां बन्द होने से बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर में अवांछनीय उद्योग कार्यरत हैं। अलवर में कुल 46 उद्योग स्थापित हैं जिनमें 28 कार्यरत हैं। अलवर में कार्यरत उद्योगों के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनमें से कोई और बंद होने वाला है। अलवर में जो उद्योग बंद हुए हैं, उनके प्रमुख कारण ट्रक यूनियन के एकाधिकार/श्रमिक अनुशासनहीनता एवं औद्योगिक जगत में सामान्य मंदी है। बंद औद्योगिक इकाइयों को रुग्ण घोषित कर वित्तीय संस्थानों से और वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान वित्त निगम/रीको द्वारा घोषित बंद इकाइयों के मालिक उद्योग को चलाने में इच्छुक नहीं है, उनका अधिग्रहण कर प्रबंध परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा राज्य की औद्योगिक नीति एवं

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

प्रोत्साहन योजनाओं में बंद/रुग्ण इकाइयों के पुनरूत्थान हेतु विशेष प्रावधान रखे गये हैं।

अलवर मे "नीट्रा" द्वारा संचालित पावरलूम प्रशिक्षण केन्द्र अभी नहीं चल रहा है। इस प्रशिक्षण केन्द्र को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने उनके पत्र क्रमांक- एफ. 4 (5) 97/डब्ल्यू.एस.सी./दिनांक 19.8.97 द्वारा जयपुर स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसकी अनुपालना में उक्त सर्विस सेंटर दिनांक 11.1.98 को जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया।

(2) दिनांक 25.7.97 को किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत केन्द्र सरकार में की गई है तो विभाग को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

(3) मुख्य सचिव द्वारा अलवर में पावरलूम प्रशिक्षण केन्द्र में खाली कराने के संबंध में किसी प्रकार के निर्देश अथवा पत्र विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया जाता है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने उनके पत्र क्रमांक एफ. 4 (5) /97/डब्ल्यू.एस.सी./ दिनांक 19.8.97 द्वारा उक्त सेंटर को जयपुर स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की थी। जिसके क्रम में उक्त सर्विस सेंटर दिनांक 11.1.98 को जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया तथा भवन को खाली कर दिया गया है।

(4) सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत रोजगार मेलों का आयोजन करके तथा अन्य प्रशिक्षण आयोजना के द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है। इनसे बंद फैक्ट्रियों के बेरोजगार व्यक्ति भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आनन्दपुरी (जयपुर) में नाली निर्माण

69. **श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आनन्दपुरी, शांति रोडवेज के सामने वाली गली, जयपुर 4 में गत वर्ष नाली निर्माण के दौरान निकला मलबा ठेकेदार द्वारा पूरी तरह नहीं उठाया गया परिणामस्वरूप सड़क उबड़ खाबड़ हो गई है और मकान नम्बर बी-297, बी-296 के सामने कचरे का ढेर इकट्ठा हो गया है किन्तु कई बार शिकायत करने पर भी नहीं उठाया गया ?

(2) क्या सरकार उक्त ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब सरकार द्वारा उक्त मलबे को कब तक उठावा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) आनन्दपुरी में शान्ति रोडवेज के सामने की गली में गत वर्ष नाली निर्माण के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

दौरान निकले मलबे को ठेकेदार द्वारा पूरी तरह उठाया जा चुका है जिससे अब सड़क उबड़-खाबड़ नहीं है। मकान नं. बी-297, बी-296 के सामने से भी कचरे का ढेर उठवा दिया गया है।

(2) जी, नहीं। क्योंकि ठेकेदार द्वारा मलबा हटा दिया गया है।

(3) मलबा हटाया जा चुका है।

नगर निगम, जोधपुर द्वारा कराये गये विकास कार्य

70. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, जोधपुर शहर के परकोटे के अन्दर नगर निगम, जोधपुर द्वारा दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक कितनी सोडियम लाइटें, कितनी ट्यूब लाईटों के फिक्शर एवं कितने बल्ब नये लगाये गये या बदले गये ? वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से सोडियम लाइटें किस-किस स्थान पर लगाई गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परकोटे के अन्दर नगर निगम जोधपुर द्वारा दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक कितने मीटर लम्बाई की सड़कें नई बनाई गई/सुधारी गई है ? कार्य की लागत के साथ वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में परकोटे के अन्दर नगर निगम, जोधपुर द्वारा दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक कितने लागत की नालियों का निर्माण, सुधार या अन्य इसी प्रकार का सेनेट्री कार्य कराया गया ? वार्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, जोधपुर शहर के परकोटे के अन्दर नगर निगम, जोधपुर द्वारा दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक नये लगाये अथवा बदले गये सोडियम लाइटों, ट्यूब लाइटों फिक्श्र एवं बल्बों की वार्डवार सूची संलग्न है।

(2) जिन स्थान पर सोडियम लाइटें लगाई गई हैं। उनकी सूची संलग्न है।

(3) परकोटे के अन्दर नगर निगम, जोधपुर द्वारा दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक नई बनाई गई/सुधारी गई सड़कों की कार्य लागत तथा लम्बाई के विवरण सहित सूची संलग्न है।

(4) परकोटे के अन्दर नगर निगम, जोधपुर द्वारा दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक करवाये गये नाली निर्माण सुधार एवं सेनेट्री कार्य का लगात सहित विवरण संलग्न है।

(सूचियां व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वैशाली नगर (जयपुर) हेतु सीवरेज लाइन की सुविधा

71. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की कितनी आवासीय कालोनियों में वर्तमान में सीवरेज लाइन चालू है तथा कितनी आवासीय कालोनियों में सीवरेज लाइन का कार्य चल रहा है ?

(2) जयपुर नगर की वैशाली नगर कालोनी में सीवरेज लाइन का कार्य कब स्वीकृत हुआ, कब टेण्डर हुए, तथा संविदा के अनुसार कार्य कब पूर्ण किया जाना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वैशाली नगर कालोनी में नियत समय में सीवरेज लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) सरकार अब सीवरेज लाइन का कार्य कब तक पूर्ण कराकर तथा सीवरेज लाइन को चालू कराकर वहां के निवासियों को सुविधा देने का विचार रखती है ?

(5) सीवरेज लाइन के कनेक्शन जारी करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में जविप्रा. की आवासीय योजनाएं (विद्याधरनगर, त्रिवेणी नगर, मालवीय नगर एवं लालकोठी में सीवर लाइन पूर्ण रूप से एवं चार आवासीय योजनाएं) गीजगढ़ विहार, सूरज नगर पूर्व (स्कीम नं.1) रामपुरा हाउस गृह निर्माण समिति (वैंकटेश्वर कालोनी एवं सिद्धार्थ नगर ई ब्लाक) में आंशिक रूप से सीवर लाइन चालू है। चार आवासीय योजनाओं में (मुरलीपुरा, वैशाली नगर, चित्रकूट, ऋषि गालवनगर) सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है।

(2) वैशाली नगर योजना में सीवर कार्य दिनांक 2.3.96 को स्वीकृत हुये। इस कार्य हेतु तीन निविदाएं क्रमशः 22.4.96, 27.4.96 एवं 16.1.97 को प्राप्त की गई। निविदा संविदा के अनुसार उपरोक्त कार्यों में से क्रम संख्या 1 व 2 के कार्य क्रमश 12.2.97 व 25.3.97 को पूर्ण किये जाने थे तथा क्र.सं. 3 का कार्य दिनांक 5.10.97 को पूर्ण किया जाना था।

(3) जी नहीं। वैशाली नगर की आन्तरिक सीवर लाइन का कार्य दिनांक 12.2.97 की जगह 15.6.97 को पूर्ण हुआ तथा मुख्य सीवर लाइन का कार्य 25.3.97 की जगह 2.6.97 को पूर्ण हुआ। क्योंकि कार्य की प्रगति के दौरान बरसात की वजह से कार्य धीमी गति से चला एवं कार्य के

(५०)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

बीच में झालाना स्थित पत्थर की खानों का बन्द होना रहा। तीसरा कार्य (सीवर लाइन क्रासिंग हेतु पुल का निर्माण कार्य) 5.10.97 को पूर्ण होना था परन्तु असामयिक बरसात के कारण कार्य में बार-बार व्यवधान आ जाने से कार्य की प्रगति धीमी रही है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकारण द्वारा सीवरेज लाइन का कार्य पूर्ण करवाकर इसको जयपुर नगर निगम को हस्तान्तरित करेगी जिसके द्वारा जून, 1998 तक निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी।

(5) सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद कनेक्शन जारी करने के लिए जयपुर नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

जयपुर के सार्वजनिक पार्कों हेतु आरक्षित भूमि का आबंटन

72. **श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित आवासीय योजनओं (कालोनियों) में मूल प्लान के अनुसार सार्वजनिक पार्कों के लिए आवश्यक भूमि आरक्षित की गई थी ? यदि हां, तो जवाहरनगर, मालवीय नगर, सांगानेर एवं मानसरोवर आवासीय योजनाओं (कालोनियों) में कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां पर सार्वजनिक पार्कों के लिये आरक्षित की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवासीय कालोनियों में प्लान के अनुसार सार्वजनिक पार्कों के लिये आरक्षित भूमि का आबंटन कुछ संस्थाओं/समितियों को अन्य कार्यों के लिये कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व उपरोक्त कालोनियों में कितनी-कितनी भूमि का आबंटन किस-किस संस्था/समिति को किन-किन शर्तों पर किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त आवासीय योजनाओं में अब कितनी-कितनी भूमि सार्वजनिक पार्कों/खेल के मैदानों के लिए बची हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में पार्क की भूमि का विवरण योजनावार निम्न प्रकार है : –

1. जवाहर नगर योजना में 1.91,000 व.मी. भूमि आरक्षित की गई है।

2. मालवीय नगर में 1,12,700 व.मी. भूमि आरक्षित की गई है।

3. सांगानेर योजना में 2,26,300 व.मी. भूमि आरक्षित की गई है।

4. मानसरोवर योजना में 6,25,800 व.मी. भूमि आरक्षित की गई है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृत मालवीय नगर के (उत्तर) भाग के कुल 11 पार्कों हेतु भूमि आरक्षित रखी गई है तथा जो वर्तमान में विकसित पार्कों के रूप में उपलब्ध है। इनका क्षेत्रफल 12.5 एकड़ है। मालवीय नगर (दक्षिण) डी ब्लाक में 2 पार्क विकसित किये गये हैं जिनका क्षेत्रफल 2.65 एकड़ है।

(2) जी हां,

1- जवाहर नगर योजना में निम्न को भूमि आबंटित की गई है :—

1. श्वेताम्बर जैन संघ सैक्टर 4	1530.00 व.मी.
2. स्वामी हरिदास ट्रस्ट सैक्टर 4	1530.00 व.मी.
3. महिमा शिक्षा समिति, सैक्टर 4	3330.25 व.मी.
कुल भूमि	6390.25 व.मी.

2- मालवीनय नगर योजना में निम्न को भूमि आबंटित की गई है :—

1. स्वामी चरणदास मेमोरियल ट्रस्ट, सैक्टर 3	1956 व.मी.
2. बगलामुखी साधना केन्द्र, सैक्टर 3	500 व.मी.
3. राजस्थान ब्राहम्ण महासभा, सैक्टर 3	1000 व.मी.
4. गुरूद्वारा श्री गुरूसिंह सभा, सैक्टर 3	1000 व.मी.
5. मालवीय नगर पंजाबी वेलऐसो., सैक्टर 3	1028 व.मी.
कुल भूमि	5484 व.मी.

3- सांगानेर योजना में कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।

4- मानसरोवर योजना में कोई भूमि आबंटित की गई है। जिन शर्तों पर उपरोक्त संस्थाओं को आबंटन किया गया है उसके कार्यालय आदेश क्रमांक 585 दिनांक 26.6.93 की प्रति संलग्न है।

5- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कों हेतु आरक्षित भूमि का किसी भी संस्था को आबंटन नहीं किया है।

शेष बची भूमि का योजनवार विवरण निम्नानुसार है : –

1. जवाहर नगर योजना	1,84,609.75 व.मी.
2. मालवीय नगर योजना	1,07,316.00 व.मी.
3. सांगानेर योजना	2,23,300.00 व.मी.
4. मानसरोवर योजना	6,25,800. व.मी.

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में पार्कों हेतु विकसित करने हेतु कोई भूमि शेष नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बोरानी पार्क, जहाजपुर में अनधिकृत निर्माण

73. **श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(1) नगरपालिका जहाजपुर की बोरानी में पार्क निर्माण किया वह किस प्रस्ताव, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कितनी राशि का, किस ठेकेदार से अथवा नगरपालिका स्तर से करवाया गया और उसमें कितनी-कितनी राशि अब तक किस-किस वर्ष में व्यय हुई है ? क्या उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बोरानी पार्क की भूमि आबादी/सिवाय चक या खलिहान किस किस्म अथवा स्वामित्व की थी ? यह भूमि नगरपालिका में किस आराजी नम्बर, रकबा, किस्म में कब मिली, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस पार्क का कार्य कब प्रारम्भ हुआ और कब पूर्ण हुआ तथा इसका उद्घाटन कब हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत 3 माह में इस पार्क परिसर में नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा दो दुकानें निर्मित की गई हैं ? यदि हां, तो वह किस प्रस्ताव या प्रशासनिक स्वीकृति से किसके द्वारा किन शर्तों पर कितनी राशि लागत से निर्मित की गई हैं ? पार्क में इन दुकानों का निर्माण किस उपयोग के लिए किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त पार्क में दुकानों का निर्माण नगरपालिका की नियमानुसार स्वीकृति से हुआ है ? यदि नहीं, तो नगरपालिका ने इस अनधिकृत निर्माण बाबत क्या कार्यवाही कब-कब की गई है ? उक्त लाखों रुपयों की भूमि पर निर्माण किस-किस आधार पर किसके द्वारा किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका, जहाजपुर के बोरानी में पार्क का निर्माण बोर्ड की साधारण सभा दिनांक 27.12.91 में पारित प्रस्ताव संख्या 14 के अनुसार किया गया। उक्त कार्य बोर्ड की सक्षमता में होने के कारण किसी प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। पार्क निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में वर्ष 1991-92 से 1994-95 के मध्य करवाया गया। जिसमें रुपये 1,75,952/- की राशि का कार्यपालिका स्तर से तथा रुपये 94,839/- की राशि का कार्य श्री नवलकिशोर शर्मा ठेकेदार वास्ते फर्म प्रहलादराय एण्ड सन्स, देवली से करवाया गया। निर्माण कार्यों का भुगतान भौतिक सत्यापन होने के उपरान्त ही किया जाता है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) बोरानी पार्क की भूमि का वांछित विवरण संलग्न है।

(3) इस पार्क का कार्य वर्ष 1991 में प्रारम्भ हुआ और वर्ष 1995 तक विभिन्न

(स्वायत्त शासन मंत्री)

चरणों में पूरा हुआ तथा इसका उद्घाटन वर्ष 1992-93 में हुआ।

(4) नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा इस पार्क परिसर में दुकान निर्माण कराये जाने का कोई साक्ष्य पालिका रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। दुकानों का निर्माण पालिका द्वारा नहीं किया गया है। इसलिये पालिका प्रस्ताव प्रशासनिक, स्वीकृति, राशि की लागत अथवा उपयोग का प्रश्न ही नहीं है।

(5) जी नहीं। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पार्क में दुकान निर्माण का प्रयास किये जाने की जानकारी होने पर वर्ष 1996 में तथा दिनांक 18.12.97 की नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के अन्तर्गत थाना जालजपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने आदि की कार्यवाही कर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जयपुर नगर निगम द्वारा संजयनगर (भट्टा बस्ती) में भू-आबंटन

74. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जयपुर नगर निगम ने संजयनगर भट्टा बस्ती (कच्ची बस्ती) जयपुर में कितने भूखण्ड आबंटित किये एवं कितने भूखण्डों को आबंटित करना शेष है ? आबंटित भूखण्डों के स्वामियों के नाम मय भूखण्ड संख्या तथा खाली पड़े भूखण्डों की प्रत्येक की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या भूखण्ड संख्या बी- 41 से बी- 50 तक के भूखण्डधारियों को भूखण्डों का कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कब-कब और नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रश्न संख्या 2 के भूखण्ड-धारियों को उक्त भूखण्डों के बदले अन्य भूखण्डों का आबंटन निगम द्वारा किया गया? यदि हां, तो किस-किस को कौन-कौन सा भूखण्ड और नहीं, तो क्या विभाग उक्त भूखण्डधारियों को अन्य भूखण्ड आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस को, कौन-कौन सा कब तक ?

उत्तर

(1) संजयनगर भट्टा बस्ती में भूखण्डों का आबंटन नगर निगम ने नहीं किया बल्कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। अब कोई भूखण्ड आबंटित करना शेष नहीं है। उक्त बस्ती में कोई भूखण्ड खाली नहीं है।

(2) भूखण्ड संख्या बी-41 से बी-50 में से तीन भूखण्डधारियों को कब्जा दिया गया, जिसकी सूची निम्नानुसार है : -

(स्वायत्त शासन मंत्री)

भूखण्ड सं.	भूखंड स्वामी का नाम	कब्जा देने की तिथि
बी-41	श्री छुट्टन खां	26-4-90
बी-44	श्री रामचरण	22-1-92
बी-46	श्री सोहनलाल	22-8-96

शेष भूखण्डधारियों द्वारा आबंटन-पत्र की शर्तें पूर्ण नहीं करने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका।

(3) जी नहीं ।

आमेर कस्बा क्षेत्र (जयपुर) की बन्द रोड लाइट्स

75. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवरायपाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बंध घाटी जलमहल से पुलिस आउट पोस्ट कुण्डा (आमेर) राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 के बाई पास एवं आमेर से पुलिस चैक पोस्ट कुण्डा तक एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 की पूर्व में लगाई गई समस्त रोड लाइटें गत एक वर्ष से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त दोनों महत्वपूर्ण मार्गों पर बसी आमेर कस्बे की घनी आबादी क्षेत्र में बन्द रोड लाइट चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ? उक्त रोड लाइट्स के दीर्घकाल से बन्द रहने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बंध की घाटी से पुलिस चैक पोस्ट (कुण्डा) तक एवं आमेर शहर से पुलिस चैक पोस्ट (कुण्डा) तक पोल्स पर लगी हुई रोड लाइट्स सामान्य रूप से चालू हैं। इनमें जब कोई रोड लाइट खराब होती है, तो उसे ठीक करवा दिया जाता है। इसलिए उक्त रोड लाइट्स के दीर्घ काल के बन्द रहने का कोई कारण नहीं है।

कुण्डा (आमेर) में पार्क की जमीन का विकास

76. **श्रीमती उज्जला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुण्डा (आमेर) में आमेर रोड व पुराने कुण्डा रोड जोगी महल के नीचे स्थित पार्क की जमीन की चारदीवारी या तारबन्दी कराने हेतु नागरिक जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई बार मांग करने पर भी अभी तक आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार की कुण्डा (आमेर) में पार्क हेतु आरक्षित इस एक मात्र भूमि को चारदीवारी/तारबन्दी से सुरक्षित कर पार्क

(स्वायत्त शासन मंत्री)

विकसित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्रियान्विति कब तक कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रस्तावित पार्क का साइट प्लान/ब्लू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उक्त वर्णित स्थान पर चारदीवारी या तारबन्दी करने हेतु नागरिकों अथवा जन प्रतिनिधियों द्वारा मांग नहीं की गई है। इसलिये इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गई है।

(2) उक्त वर्णित क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिये किसी प्रकार की दीवार या तारबन्दी या पार्क विकसित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं होने के कारण साईट प्लान/ब्ल्यू प्रिन्ट बनाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

ढहर के बालाजी परिधि क्षेत्र में संचालित अवैध डेयरी

77. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकान नं. 154 पथ संख्या तीन, विजयबाड़ी, ढेर का बालाजी, जयपुर पर बिना निगम की अनुमति से डेयरी का संचालन किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त डेयरी को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा डेयरी संचालन के संबंध में नियम/आदेश बनाये गये हैं ? यदि हां, तो नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त डेयरी का न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

(3) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रजापति ब्रह्माकुमारी संस्थान (माउण्ट आबू) द्वारा अवैध निर्माण

78. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माउण्ट आबू पर्वत पर प्रजापति ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा कितनी सम्पत्ति कब-कब क्रय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आबू पर्वत पर उक्त संस्थान द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो किस

(श्री विजेन्द्रपाल सिंह)

किस क्षेत्र में, कितना-कितना अवैध निर्माण करवाया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माउण्ड आबू पर्वत पर प्रजापति ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। आबू पर्वत पर उक्त संस्थान द्वारा ग्लोबल अस्पताल (सरवरी हाउस) नामक सम्पत्ति में स्वीकृति से अधिक अवैध निर्माण कराया गया है, जिसका विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

विनोबा बस्ती (जयपुर) में अतिक्रमण

79. **श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में सी स्कीम एम.आई.रोड के नाले के पूर्वी और विनाबा कच्ची बस्ती है ? यदि हां, तो वहां कितने भूखण्ड आबंटित किये गये एवं कितने आबंटित करना शेष है ? आबंटियों के नाम व भूखण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कुछ सब्जियों द्वारा रोड पर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण का कार्य जयपुर नगर निगम द्वारा कराया जाना है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर में सी स्कीम, एम.आई. रोड के नाले के पूर्वी ओर विनोबा कच्ची बस्ती है। उक्त कच्ची बस्ती में आबंटित भूखण्ड, आबंटियों का नाम, भूखण्ड संख्या, रिक्त भूखण्ड एवं भूखण्ड आबंटित किया जाना शेष है इत्यादि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। कुछ व्यक्तियों द्वारा रोड़ पर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमियों को बेदखल करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) अतिक्रमण हटवाने के पश्चात् ही नगर निगम द्वारा रोड निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

नगरपालिका खैरथल में अतिक्रमण

80. **श्री मदनमोहन (खैरथल)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका क्षेत्र खैरथल के अधीन कितनी भूमि है, उसमें से कितनी

(श्री मदनमोहन)

भूमि नवोदय विद्यालय व अन्य संस्था को दी जा चुकी है एवं कितनी शेष है ? उक्त भूमि कहां-कहां पर है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिका क्षेत्र में कितनी भूमि पर किस-किस का अवैध कब्जा है ? अब तक नगरपालिका ने उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या-क्या उपाय किये हैं ?

उत्तर

(1) नगरपालिका के अधीन अठ्यासी बीघा नौ बिस्वा भूमि है। नवोदय विद्यालय एवं अन्य संस्था को भूमि नहीं दी गई है। उक्त भूमि हरसोली रोड एवं रसगन रोड को जाने वाली सड़क के मध्य स्थित है। इसको भूड़ावाली के नाम से जाना जाता है। भूमि का विवरण संलग्न है।

(2) पालिका क्षेत्र में उक्त भूमि में लगभग एक बीघा भूमि पर अवैध कब्जे हैं। सूची संलग्न है। उक्त अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की गई है, नोटिस दिये गये हैं, कुछ को हटाया गया है, कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, निर्णय पश्चात् अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पंचायत समिति दूदू के ग्रामों को पेयजल

81. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति दूदू के ग्राम जावली, सीतारामपुरा एवं काल्या के लिए पेयजल हेतु योजना कब स्वीकृत की गई थी? क्या उक्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति चालू कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त ग्रामों की जनता को अभी तक पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त ग्रामों की जनता को पेयजल आपूर्ति की संचालन हेतु क्या कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कब एवं किस तरह ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार उक्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति कब तक करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सीतारामपुरा जावली योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

4.9.92 को एवं कालिया योजना की स्वीकृति 4.12.90 को दी गई थी। ग्राम कालिया में वर्ष 1992-93 से ही जलापूर्ति हो रही है। ग्राम सीतारामपुरा एवं जावली में पेयजल आपूर्ति आरम्भ नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। कालिया कोरसिना क्षेत्रीय योजना वर्ष 92-93 से पंचायत के अधीन संधारण में है। सीतारामपुरा जावली योजना के स्रोत ग्राम मोरडी कलां से क्षेत्रीय योजना के एक भाग को स्थानीय पंचायत द्वारा संधारित किया जा रहा है। स्टाफ की कमी के कारण योजना के इस भाग को भी पंचायत द्वारा संधारित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

(3) योजना को पंचायत द्वारा अपने अधीन लेकर संधारित कराने के प्रयास किये जायेंगे अन्यथा विभाग द्वाराप इसका संधारण किया जायेगा।

पंचायत समिति इटावा के स्वीकृत हैण्ड पम्प

82. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में पंचायत समिति इटावा में प्राथमिक विद्यालय एवं गांवों हेतु हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो कितने-कितने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से अधिकांश हैण्ड पम्प आज भी नहीं लग पाये हैं ? यदि हां, तो समय पर हैण्ड पम्प नहीं लग पाने के क्या कारण हैं व सरकार इन्हें अब कब तक लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति इटावा में वर्ष 1996-97 में 76 हैण्ड पम्प व वर्ष 1997-98 में 23 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये। स्वीकृत हैण्ड पम्पों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत कुल 99 हैण्ड पम्पों में से 39 हैण्ड पम्पों को स्थापित किया जा चुका है। लम्बी अवधि तक वर्षाकाल एवं नहरों के चलने से रास्ते बन्द होने के कारण शेष हैंड पम्पों का कार्य नहीं हो सका। इन शेष बचे हैण्ड पम्पों का कार्य जून-98 तक पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

पंचायत समिति अन्ता (बारां) के ग्रामों में स्वीकृत हैण्ड पम्प

83. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में 30 जिला 30 काम योजनान्तर्गत बारां जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम महुंआ, शाहपुरा, रकसपुरिया, जेतलहेड़ी में हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये थे? यदि, हां तो क्या उक्त योजना में खोदे गये हैण्ड पम्प पर मशीनें लगायी गयी है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

(2) सरकार इन हैण्ड पम्पों को कब तक चालू कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। उल्लेखित ग्रामों में हैण्ड पम्पों हेतु निर्मित नलकूपों पर हैण्ड पम्प लगाकर चालू कर दिया गया है।

(2) हैण्ड पम्प कार्यरत है।

राजसमंद के ग्रामों हेतु पेयजल योजना

84. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत** (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजसमन्द जिले में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिनकी आबादी 1500 से अधिक है और वहां पर पेयजल योजना लागू नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले को भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के बरजाल मिमाला, आमनेर व लाखागुड़ा ग्राम की आबादी 1500 से अधिक होने पर भी अब तक वहां पेयजल योजना प्रारम्भ नहीं की गई है ?

(3) उक्त ग्रामों की पेयजल योजना बनाकर सरकार को भेजने के पश्चात् उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) अब उक्त पेयजल योजनाएं कब तक स्वीकृत होकर प्रारम्भ हो जायेगी ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित जिले के 1991 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्राम पूर्व में ही हैण्ड पम्प योजनाओं से लाभांवित है।

(2) उल्लेखित ग्राम हैण्ड पम्प योजना से पूर्व में लाभांवित है। विभाग की नीति के अनुरूप इन ग्रामों की हैण्ड पम्प योजना को पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव बनाये जाकर तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) योजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर स्वीकृति दी जाकर क्रियान्वयन हो सकेगा।

जोधपुर शहर की पेयजल आपूर्ति में सुधार

85. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में परकोटे के अन्दर दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 के बीच पीने के पानी की कितनी लागत की पुरानी पाइप लाइन बदली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति के सुधार हेतु दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक क्या-क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में दिसम्बर, 1993 से फरवरी, 1998 तक कितने नये हैण्ड पम्प लगाये गये, कितने हैण्ड पम्प ठीक कर फिर से चालू किये गये और कितनी मोटर चालित पानी की टंकियां इन पर लगाई गई? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में जल आपूर्ति सुधार हेतु कितने उच्च जलाशयों का निर्माण किया गया और उन पर कितनी लागत आई ? क्या सरकार के समक्ष और भी कोई उच्च जलाशय निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कितने लागत का और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र में उल्लेखित अवधि में लगभग 14.00 लाख रु. की राशि की नई लाइन पुरानी लाईन बदले जाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत डाली गई। वांछित विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) अंकित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) परकोटे के अन्दर माह दिसम्बर, 93, से फरवरी, 98 के मध्य 24 नये हैण्ड पम्प स्थापित किये गये जिसकी सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। उल्लेखित अवधि में हैण्ड पम्पों को ठीक करने का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। इसी अवधि में उक्त क्षेत्र में 33 इजेक्टो पम्पों को हैण्ड पम्प बोर होल पर स्थापित किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "ड" पर संलग्न है।

(4) शहर के भीतरी क्षेत्र में जल वितरण हेतु दिसम्बर, 93 से फरवरी, 1998 के मध्य तीन उच्च जलाशयों का निर्माण करवाया जाकर चालू किया गया एवं इन पर कुल 40.64 लाख रुपये की राशि व्यय हुई। वर्तमान में परकोटे क्षेत्रों में अन्य किसी भी उच्च जलाशय के क्षेत्रों में अन्य किसी विचाराधीन नहीं है, क्योंकि प्रथम चरण की पुनर्गठित योजना के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम गिड़गिचियां तहसील (सरदार-शहर) की पेयजल की आपूर्ति

86. **श्री भंवरलाल शर्मा** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) ग्राम गिड़गिचियां तहसील सरदार-शहर जिला चूरू हरिजन कूप को कब चालू किया गया और आज उस कूप की क्या स्थिति है ? क्या वहां की जनता को उस कूप से पानी सप्लाई किया जा रहा है और विभाग बिजली का बिल जमा करा रहा है? यदि हां, तो विभाग द्वारा कब-कब कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युत विभाग से मांग पत्र (वर्ष 1996 में) कितनी राशि का किस तारीख को निकला एवं पैसे कब तथा कितने जमा कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राशि जमा हो जाने के बाद भी उक्त कूप को चालू नहीं किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा दोषियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उल्लेखित हरिजन कूप पर अभी तक विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया जाने के कारण जल वितरण आरम्भ नहीं किया गया है। कनेक्शन हेतु मांग पत्र के अतिरिक्त कोई राशि जमा नहीं कराई गई है।

(2) विद्युत मण्डल के दि. 31.3.97 के मांग पत्र के अनुसार रुपये 8110/- की राशि उसी दिन सरदारशहर के कार्यालय में जमा करायी गयी।

(3) विद्युत मण्डल द्वारा कनेक्शन जारी नहीं किए जाने के कारण स्रोत चालू नहीं हो सका है। शीघ्र कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

मुबारिकपुर एवं नौगावां (रामगढ़) की पेयजल योजनाओं का विस्तार

87. **श्री जुबेर खान** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के कस्बे मुबारिकपुर एवं नौगावां में पेयजल योजनाओं के विस्तार का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार ने विस्तार के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

(2) अब उक्त पेयजल योजनाओं का विस्तार कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम मुबारिकपुर पेयजल योजना के संवर्धन प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है। ग्राम नौगावां की योजना के संवर्धन प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

(2) उपरोक्त पेयजल योजनाओं की स्वीकृति धन उपलब्धतानुसार संभव होगी।

विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामों की पेयजल आपूर्ति

88. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम कालवा, छोटा बास व पलाड़ा में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के संयंत्र (इलेक्ट्रोडायीलासिस डीसेलीनेशन) लगाये हुये हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों की शिकायत है कि इन संयंत्रों द्वारा पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही है यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संयंत्रों से पानी की सप्लाई नहीं होने के उपरान्त भी सालाना लाखों रुपये व्यय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इन पर कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस-किस मद पर खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संयंत्रों के बारे में किसी सक्षम अधिकारी से जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पलाड़ा व ग्राम कालवा छोटा बास में डीसेलीनेशन प्लान्ट दिनांक 16.4.94 से लगे हुए हैं। इन संयंत्रों के माध्यम से पेयजल वितरित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं । उपरोक्त संयंत्र मई, 1995 से विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं एवं इनको चलाने व रख-रखाव पर 6.25 व 2.89 लाख रुपये मद 2215 से व्यय हुए हैं। इससे पूर्व इनको चलाने व रख-रखाव का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया गया।

(3) उपरोक्त संयंत्रों को ठीक से कार्य करने के बारे में जांच करवाई जा रही है।

श्री गंगानगर में खुले मेनहोल में गिरने से मृत्यु

89. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल ही फरवरी, 1998 में गुरुनानक बस्ती, श्री गंगानगर की गली नम्बर-1 में टूटी सड़क तथा दोनों ओर गन्दे पानी के खुले मैन हाल में गिरकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी ?

(2) मैन होल में गिरने से मरने वाला व्यक्ति कौन था ? क्या सरकार ने उसकी पहचान कर उसके परिवार को आर्थिक मदद प्रदान की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

निवासियों द्वारा विभाग के अधिकारियों को उक्त खुले मैन होल के सम्बन्ध में शिकायत करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या का समाधान कब तक करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि उक्त गली में कोई मैन होल ही नहीं है। केवल इतना सही है कि फरवरी, 98 को गुरुनानक बस्ती, श्री गंगानगर की गली नम्बर 1 के छोर पर स्थित 20.22 फिट चौड़े व काफी गहरे गंदे पानी के गड्ढे में गिरकर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। पुलिस की सूचना के अनुसार उक्त व्यक्ति हरियाणा निवासी था और इस इलाके से अनजान होने के कारण रात के समय शौच के उद्देश्य से गड्ढे की तरफ गया था। गड्ढे के पानी के ऊपर पॉलिथीन की थैलियां तैर रही थी और उस अनजान आदमी ने उसे रास्ता समझकर उसके ऊपर से गुजरने लगा, जिससे पानी के नीचे दल-दल में फंसकर पानी में डूब कर मर गया।

(2) पुलिस थाने से प्राप्त सूचना अनुसार मृतक व्यक्ति का नाम नत्थूराम पुत्र चन्दूराम जाति धानक निवासी बास महेन्द्रगढ़ हरियाणा का 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति था। इस प्रकार की मौत में मृतक के परिवार को आर्थिक मदद देने का नगर परिषद् में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। उक्तगली में कोई खुला मैन होल नहीं है। अतः कोई कार्यवाही विभाग के अधिकारियों से अपेक्षित नहीं है।

जन सहभागिता के आधार पर जयपुर की आवासीय कालोनियों को पेयजल आपूर्ति

90. **श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में सहभागिता (जनता जल योजना) योजना के अन्तर्गत अब तक गृह निर्माण सहकारी समितियों को आवासीय कालोनियों के लिए विभाग द्वारा जन वितरण हेतु स्वीकृति जारी की है ? यदि हां, तो किन-किन को ? स्वीकृत शुदा आवासीय कालोनियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न आवासीय कालोनियों के लिए जल वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन कालोनियों में ?

(3) क्या यह सही है कि करतारपुरा स्थिति भगवती नगर (प्रथम) एवं दुर्गापुरा स्थित विश्वकर्मा प्रथम एवं द्वितीय के निवासियों द्वारा काफी समय पहले निर्धारित

(श्री रेवती प्रसाद कोली)

राशि जमा करायी जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृति जारी कर जल वितरण का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण है ?

(4) उक्त निवासियों द्वारा विभाग में निर्धारित राशि जमा कराने के कितने दिन बाद जल वितरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है ?

(5) अब उक्त तीनों कालोनियों में कब तक स्वीकृति जारी कर जल वितरण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में सहभागिता योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण सहकारी समितियों की 37 आवासीय कालोनियों के लिए स्वीकृत पेयजल योजना की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है ।

(3) करतारपुरा स्थित भगवती नगर (प्रथम) से सहभागिता राशि विभाग में जमा नहीं हुई है। दुर्गापुरा स्थिति विश्वकर्मा प्रथम एवं द्वितीय के निवासियों से मार्च, 97 एवं जुलाई, 97 में सहभागिता राशि जमा हुई थी एवं योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

(4) इस सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित नहीं है। सामान्यतः योजना की सम्भाव्यता की जांच की जाकर एवं अन्य कार्यों जैसे स्रोत निर्माण हेतु धनराशि की उपलब्धानुसार स्वीकृति दी जाकर कार्य कराया जाता है।

(5) प्रश्न के भाग तीन के अनुसार।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सुशीलपुरा सोडाला जयपुर की सीवरेज लाइन की सुविधा

91. **श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसीन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि जयपुर के सुशीलपुरा, सोडाला में सीवरेज लाइन नहीं होने से इस कालोनी के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या का समाधान कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं, जयपुर क्षेत्र के आसपास की अन्य कालोनियों की तरह, सुशीलपुरा सोडाला कालोनी में भी अधिकांशतः घरों में शौचालय बने हुये हैं। फिलहाल सीवर लाइन डालने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम सूथड़ा, तहसील उनियारा (टोंक) में राशन सामग्री का वितरण

92. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करें : —

(1) ग्राम सूथड़ा, तहसील उनियारा

(श्री जीतराम)

जिला टोंक के वार्ड नम्बर 3 में खाद्य सामग्री प्राप्त करने वाले कुल कितने उपभोक्ता हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995 अथवा अन्तिम बार वार्ड नम्बर 3 के लोगों से राशनकार्ड बनवाने हेतु कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये ? मुखिया के नाम व परिवार के सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) माह जनवरी, 1998 में वार्ड नम्बर 3 के किन-किन लोगों को कितनी-कितनी राशन सामग्री वितरित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम सूथड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक के वार्ड नम्बर 3 में खाद्य सामग्री प्राप्त करने वाले 71 उपभोक्ता है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ग्राम सूथड़ा के वार्ड नम्बर 3 में वर्ष 1995 में राशनकार्ड बनवाने हेतु 71 आवेदन पत्र प्राप्त हुये। इन 71 उपभोक्ताओं को नये राशनकार्ड वर्ष 1997 में जारी किये गये। पूर्ण विवरण प्रश्न के भाग (1) की सूची में अंकित है।

(3) जनवरी, 1998 में वार्ड नम्बर 3 के जिन-जिन लोगों को जितनी-जितनी राशन सामग्री वितरित की गई की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया

93. **श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) :** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार नवीन पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के चयन हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित की है ? यदि हां, तो निर्धारित दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सभी नई पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें खोल दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में सभी को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(2) जी हां। दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कुल 8 नई पंचायतों का गठन हुआ है। इनमें से 5 पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानें खोली जा चुकी हैं। शेष 3 पंचायतों के आवेदन पत्र विचाराधीन चल रहे हैं।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

प्रक्रिया पूर्ण होने पर उचित मूल्य के दुकानदार नियुक्त कर दिये जायेंगे।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण

94. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण हेतु कुल कितने डीलर नियुक्त हैं ?

(2) एक डीलर के कार्य क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतें और उनमें कितने गांव आते हैं? क्या इसके सम्बन्ध में कोई नियम अथवा मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे कौन-कौन से डीलर हैं जो शहर में रहते हैं तथा उनको ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण का डीलर नियुक्त कर रखा है।

उत्तर

(1) जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण हेतु 794 उचित मूल्य के दुकानदार नियुक्त हैं।

(2) एक डीलर के कार्य क्षेत्र में सामान्यतया एक ग्राम पंचायत आती है और एक पंचायत में एक-दो या इससे अधिक गांव आते हैं। एक पंचायत की अधिक आबादी होने पर वहां दो या इससे अधिक डीलर नियुक्त किये जा सकते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 2000 राशन यूनिट पर एक अतिरिक्त दुकान खोलने का प्रावधान है।

(3) ऐसा कोई भी डीलर नहीं है जो शहर का निवासी हो जिसे ग्रामीण क्षेत्र की राशन सामग्री वितरण करने हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो।

राज्य में खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालय

95. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1997-98 के दौरान अब तक कितने प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की गई है ? खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति के बाद छात्रों को प्रवेश देकर विद्यालय चालू कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो चालू किये गये प्राथमिक विद्यालयों की संख्या मय छात्र संख्या के, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि 250-300 की आबादी के कई गांवों में पूर्व

(श्री परसादीलाल मीणा)

से विद्यालय होने के बाद पुनः प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997-98 में 433 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की गयी है। नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की सूची संलग्न है।

(2) सूचना एकत्र की जा रही है।

(3) नवीन शाखा खोलने के आदेशों में स्पष्ट निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामों में पूर्व से ही विद्यालय संचालित है उनमें नवीन प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जावें।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति दूदू के सरपंचों के विरुद्ध लम्बित जांच कार्यवाही

96. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत रसीली, सेवा, मौजमाबाद एवं नरेना के विरुद्ध गबन, घोटाले एवं अनियमितताएं संबंधी जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अब भी किसी सरपंच के विरुद्ध जांच कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों एवं उसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार द्वारा दोषी जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार दोषी सरपंच एवं जांच अधिकारी के विरुद्ध अब भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सरपंच, ग्राम पंचायत, रसीली एवं सेवा के विरुद्ध प्राथमिक जांच मुख्य कार्यवाही अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद, जयपुर के अधीन जारी है। ग्राम पंचायत, नरेना के विरुद्ध कोई जांच विचाराधीन नहीं है। ग्राम पंचायत, मौजमाबाद के विरुद्ध तीन प्रकरण विचाराधीन है। एक प्रकरण में विस्तृत जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त हो चुकी है शेष दो प्रकरणों में विचाराधीन जांच कार्यवाही जारी है। ग्राम पंचायत मौजमाबाद के विरुद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। प्रश्न संख्या 1 के उत्तर से स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्याही की जायेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डेगाना (नागौर) की पंचायतों को अनुदान राशि

97. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति-डेगाना, जिला नागौर ने 15 नवम्बर, 1996 को एक आदेश जारी करके वर्ष 1995-96 से पंचायतों को मिलने वाले अनुदान में से दस प्रतिशत राशि पंचायत समिति में जमा कराने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों, अब तक उक्त आदेश की अनुपालना में कितनी राशि वसूल की गई ? उक्त आदेश की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विकास अधिकारी को इस प्रकार का आदेश देने का अधिकार था ? यदि हां, तो किस कानूनी प्रावधान के तहत और नहीं, तो विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायतों को मिलने वाले अनुदान को खर्च करने के संबंध में नियमों में प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? नियमों व इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डेगाना के आदेश क्रमांक 4201-90 दिनांक 15.11.96 द्वारा वर्ष 95-96 के पंचायतों को मिलने वाले अनुदान में से 10% की राशि पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों द्वारा रुपये 177414/जमा करवाये गये हैं जो कि ग्राम पंचायतों के अनुदान मद से कटौती करली गई है। पंचायत समिति के कार्यालय भवन की अत्यन्त जीर्ण हालत को मद्देनजर ऐसी कटौती की आवश्यकता थी। जिन ग्राम पंचायतों से राशि कटौती की गई है, की सूची संलग्न -1 एवं आदेश दिनांक 15.11.96 की छाया प्रति संलग्न-2 पर प्रस्तुत है।

(2) पंचायत समिति, डेगाना की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर पंचायतों को मिलने वाले वार्षिक अनुदान में से दस प्रतिशत कार्यालय भवन की मरम्मत हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर यह निर्णय लिया गया जो पंचायत समिति कार्यालय भवन की जर्जर अवस्था के मद्देनजर आवश्यक था। उक्त निर्णय नियमानुसार होने के कारण विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी हां, विभागीय पत्रांक एफ, 165 (12) (11) बजट / लेखा/ 95-96/329 दिनांक 8-5-96 में दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं जिसके अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में बिजली की सुविधा एवं सफाई तथा क्षेत्रीय विकास के लिए किया जायेगा। उक्त परिपत्र संलग्न-3 पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जिला बांसवाड़ा में अध्यापकों के रिक्त पद

98. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समितियों के विद्यालयों में कितने पद अध्यापकों के कहां-कहां कब से रिक्त हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद भरने के लिये क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जन जाति/जाति के अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ?

(4) अध्यापक पद के लिये एस. टी. सी. एवं बी. एड. के कितने-कितने अनुसूचित जाति/जन जाति के आशार्थियों द्वारा आवेदन किया गया और इनमें से कितने विचाराधीन हैं तथा इन्हें नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में कुल 515 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) शिक्षा विभाग व इस विभाग में एकरूपता लाने के लिए विभाग द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि भविष्य में संशोधित मापदण्डों के अनुसार चयन किया जावे। संशोधित मापदण्ड व उनसे संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया जारी है।

(3) बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जन जाति/ जाति के 305 पद बैकलॉग होने से रिक्त हैं।

(4) विज्ञापन संख्या 16/96 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के 128 आशार्थियों द्वारा आवेदन किया गया जिसमें से बी. एड. की डिग्री वाले अनुसूचित जनजाति के 41 आशार्थी एवं अनुसूचित जाति के 7 कुल 48 तथा एस. टी. सी. योग्यता वाले 64 अनुसूचित जनजाति एवं 16 अनुसूचित जाति कुल 80 आशार्थियों द्वारा आवेदन किया गया। उक्त आशार्थियों में से नियुक्ति हेतु किसी का मामला विचाराधीन नहीं है ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बारां की पंचायत समितियों का अंकेक्षण

99. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

जिला बारां की ग्राम पंचायतों के लेखे-जोखों के अंकेक्षण में दर्शायी गई

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

आपत्तियों की अनुपालना में किस-किस ग्राम पंचायत के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा ग्राम पंचायतवार कितने अंकेक्षण आक्षेप निरस्त किये गये ? विवरण ग्राम पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बारां की ग्राम पंचायतों के लेखे-जोखे आडिट में की गई आपत्तियों को निरस्त करवाने हेतु संबंधित विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किये गये हैं । (सूची संलग्न है) जिला बारां की कुल 40 ग्राम पंचायतों के 353 पैराज निरस्त किये गये हैं। विवरण की सूची संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत बहाला (अलवर) में सरपंच का रिक्त पद

100. **श्री जुबेर ख़ान** (रामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रामगढ़ (अलवर) की ग्राम पंचायत बहाला के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण यह पद रिक्त पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो निवर्तमान सरपंच के खिलाफ किस तिथि को यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् राज्य में ऐसे सभी स्थानों पर पुनः चुनाव हो चुका है जो पद किसी कारणवश रिक्त हो गए थे ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में ये चुनाव सम्पन्न हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तिथियों में पंचायत समिति रामगढ़ (अलवर) में भी कुछ पदों के लिए पुनः चुनाव (उप-चुनाव) सम्पन्न हुए हैं।

(4) ग्राम पंचायत नहाला "पंचायत समिति रामगढ़" (अलवर) के सरपंच के लिए चुनाव नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ? इसके लिए कौन दोषी है, और उक्त सरपंच का चुनाव कब तक सम्पन्न करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच, ग्राम पंचायत बहाला के विरुद्ध दिनांक 30.6.1997 को अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है।

(2) जी हां। दिनांक 31.7.1997 तक रिक्त हुऐ पदों के उप चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-7(2), (3) पंचा/रानिवा (97)277 दिनांक 16.5.1997 एवं वितन्तु सन्देश एफ-7 (2) (3)

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) पी/एसईईसी. (97) /656 दिनांक 26.5.1997 एवं पत्र क्रमांक एफ-8 (2)(25) पंचा/रानिवा (97)362 दिनांक 13.6.97 के अध्याधीन रहते हुए चुनाव सम्पन्न कराये गये थे। सरपंच के पद हेतु उप चुनाव दिनांक 26.10.97 को हुए।

(3) जी हां

(4) ग्राम पंचायत बहाला के सरपंच पद रिक्त होने की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण मतदाता सूचि समय पर पुनरीक्षित नहीं हो सकी, जिसके कारण यहां उप चुनाव नहीं हो सका। सूचना समय पर प्रेषित नहीं करने वाले दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अब तक हुए रिक्त पदों के उप चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर को लिख दिया गया है।

सरपंच, ग्राम पंचायत लाम्बा द्वारा अनियमितताएं

101. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास व पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत लाम्बा के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्राप्त शिकायत पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है एवं उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जांच कार्यवाही चल रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत समिति कोटपूतली (जयपुर) के विद्यालयों में रिक्त पद

102. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायती समिति कोटपूतली के विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त है ?

(2) उक्त पंचायत समिति में एकल अध्यापक विद्यालय कितने हैं एवं ऐसे कितने स्कूल हैं जहां एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति कोटपूतली में अध्यापकों के 31 पद रिक्त हैं।

(2) पंचायत समिति कोटपूतली में 4 एकल अध्यापक विद्यालय हैं जो निम्नानुसार है : —

1. हरिजन बस्ती कासली
2. नन्दा की ढाणी

(राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

3. राघवजी की ढाणी

4. ढाली बालकान

पंचायत समिति में ऐसा एक भी विद्यालय नहीं है जहां एक भी अध्यापक नियुक्त नहीं हो।

पंचायत समिति सुवाणा (भीलवाड़ा) के प्रधान के विरुद्ध लम्बित जांच

103. **श्री कालूलाल गूजर (मांडल)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति सुवाणा के प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के मामलें जांच हेतु सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितने ? विवरण मय जांच रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त मामलों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री भंवरलाल गर्ग, प्रधान, पंचायत समिति, सुवाणा के विरुद्ध एक प्रकरण विचाराधीन है।

(2) जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम राड़ावास, तहसील शाहपुरा (जयपुर) में अतिक्रमण

104. **श्री हरिसिंह (महुआ)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राड़ावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में सार्वजनिक उपयोग की भूमि खसरा नं. 1731/0.83 व 1732/0.06 पर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है ?

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारा भूमि है।

(2) जी नहीं ।

ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं (जयपुर) में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भूमि का आवंटन

105. **श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसीन्द) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर तहसील चौमूं के ग्राम कानरपुरा में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि होने के बाद भी अभी तक पट्टा जारी नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि भवन रहित केन्द्र में अध्ययनरत लाभार्थियों को इससे काफी परेशानी/नुकसान हो रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त केन्द्र के भवन

(श्री विजेन्द्रपाल सिंह)

हेतु अब शीघ्र पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत घिनोई को पाबन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) अब उक्त पट्टा कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां।

(3) जी हां, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ को निर्देश दिये गये हैं।

(4) उक्त पट्टा शीघ्र ही जारी करने के निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं।

पंचायत समिति बेगूं के ग्रामों में बस सेवा

106. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति बेगूं के ग्राम पंचायत मुख्यालय नन्दबाई, चेची, धामण्चा, रामपुरिया, मंडावरी, अनोपपुरा और सुवाणिया निगम की बस सेवा से नहीं जुड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मुख्यालयों पर राजस्थान राज पथ परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति बेगूं के ग्राम पंचायत मुख्यालय नन्दबाई, चेची, धामण्चा, रामपुरिया, मंडावरी, अनोपपुरा और सुवाणिया अराष्ट्रीकृत मार्ग पर स्थित है। निगम का वर्तमान में इन पंचायत मुख्यालयों के लिए बस सेवा चलाये जाने का कोई विचार नहीं है।

आटोरिक्शा किराये पर नियंत्रण

107. **श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार आटो रिक्शाओं के चालकों द्वारा मनमाने किराये लेने पर नियंत्रण लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आटोरिक्शा चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूल करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आटोरिक्शाओं में मीटर लगाये गये हैं तथा मीटर के अनुसार किराया वसूल न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। चालू वित्त वर्ष (1997-98 माह फरवरी तक) में 2288 आटोरिक्शाओं के चालान बनाये जाकर 5,54,412 रुपये प्रशमन राशि वसूल की गई है।

(राज्य मंत्री, यातायात)

उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त जयपुर व अजमेर शहर में आटोरिक्शाओं के किराये के पूर्व भुगतान की (प्री–पेड) पद्धति भी चालू की गई है।

(2) जी हां। राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 7.82 के अनुसार भाड़े पर संचालित मोटर कैब (आटोरिक्शा) में फेयर मीटर लगा होना आवश्यक है। नियमों की प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राज्य में अवैध बसों का संचालन

108. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पथ परिहवन निगम द्वारा इस वर्ष कितनी बसों को अनुबंधित किया गया और वर्तमान में राष्ट्रीय राज मार्गों पर कितनी अवैध बसें संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में अवैध बसें संचालित कर नियमों की अवहेलना करने वाले कितने लोगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नियम द्वारा इस वर्ष माह फरवरी, 98 तक 237 निजी बसों को अनुबन्धित किया गया है। जहां तक अवैध रूप से संचालित बसों की संख्या का प्रश्न है, इनका कोई समय, सीमा एवं निश्चित मार्ग निर्धारित नहीं होता है, इसलिए इनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(2) नियमों की अवहेलना कर संचालन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1997-98 (जनवरी, 98 तक) में 3310 वाहनों के चालान बनाये जाकर 58.49 लाख रुपये प्रश्मन राशि के वसूल किये गये ।

ग्राम नारेठ मेठ (जयपुर से अलवर) हेतु बस सेवा

109. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक को जयपुर से अलवर वाया प्रतापगढ़ संचालित बसों में से एक बस वाया नारेठ-मेड़ होते हुए चलाने के आदेश प्रदान किये गये थे? यदि हां, तो इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। माननीय विधायका से इस सम्बध में प्राप्त पत्र प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था जिस पर निगम

(राज्य मंत्री, यातायात)

के स्तर पर मार्ग का सर्वेक्षण कराये जाने के उपरान्त यह पाया गया कि यदि अलवर से जयपुर वाया प्रतापगढ़ थौला-ताला-तालामोड-अचरोल-आमेर मार्ग पर संचालित बस को वाया नारेठ मेड होकर चलाया जाता है तो सीधे यात्रा करने वाले यात्रियों को 30 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा तथा किराया भी अधिक देना पड़ेगा। इस कारण वाहन को मुख्य मार्ग से डाईवर्ट कर चलाने पर सीधे यात्री भार में गिरावट आ सकने के कारण तथा प्रस्ताव अनुसार निगम वाहन का संचालन अनार्थिक पाये जाने के कारण प्रस्तावित मार्ग से वाहन संचालित नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में महिलाओं पर कथित अत्याचार बढ़ने एवं कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भीमसेनजी चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से लूणकरणसर पंचायत समिति क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सम्वत् 2043 के शुरू हुए सैटलमैंट के 2050 में समाप्त होने तथा सम्वत् 2043 से बढ़ा हुआ लगान वसूल करने से किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(4) श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत एवं 9 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने एवं जन प्रतिनिधियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा कथित प्राणघात हमलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान) एक सैकण्ड। आप पूरी सुन लीजिये। मैं एक सैकण्ड में खत्म कर रहा हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आपके सामने प्रस्ताव आये हैं और प्रस्तावों के सम्बन्ध में आप व्यवस्था देने जा रहे हैं और जिस मुद्दे को और जिस प्रस्ताव के सम्बन्ध में फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य अपने विचार सदन में प्रस्तुत कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : मैं उसी को ले रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी व्यवस्था में इस बात का आपने उल्लेख किया कि राज्य सरकार से सूचना ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अभी एक सैकण्ड में ही खतम कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह अविलम्ब लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अत्यन्त लोक महत्व की बात कह रहा हूं मैं भी।

श्री परसराम मदेरणा : मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपको सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं न।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आप विराजिये।

श्री अध्यक्ष : यह बैठ गया।

श्री परसराम मदेरणा : आप विराजिये, आप विराजिये, मेरे यह रट लग गयी है क्योंकि आप हमेशा बहुत विनम्रतापूर्वक इस सदन के माननीय सदस्यों को विराजने का अनुरोध करते हैं। कुछ मान भी लेते हैं कुछ नहीं भी मानते हैं। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया।

हम तो यह सोच रहे थे कि आप लोक सभा में बिराजेंगे। इलैक्शन कमीशन के 10 तारीख के नोटिफिकेशन के बाद आपको आप्शन देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : जल्दी।

श्री परसराम मदेरणा : दे दिया ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आप इस आप्शन को देने में जितनी कंजूसी बरत रहे हैं उतना ही इस एग्जाल्टेड चेयर की प्रतिष्ठा पर थोड़ा-थोड़ा आघात भी लगता है, क्योंकि इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप लोक सभा में जाना नहीं चाहते। आपने करीब-करीब मानस यह बना लिया है कि आप आप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि इस सदन का सदस्य रह कर और इस आसन पर विराजमान रहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बनध में भी कुछ न कुछ निर्णय लिया जाना चाहिये। वह भी अविलम्ब लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल है।

श्री परसराम मदेरणा : अविलम्ब लोक महत्व का नहीं है तो यह सदन के महत्व का प्रश्न, आपके स्वयं के महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह सत्य फरमा रहे हैं आप।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा प्रश्न, जो अभी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने और जो दीपेन्द्र सिंह जी और नौ अन्य माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है वह सब विधान सभा के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में है। इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में जिसके आप सबसे बड़े संरक्षक है, जाते-जाते कम से कम जनप्रतिनिधियों का तो बचाव कीजिये जिनको लोग जान से मारना चाहते हैं। उन पर हमले हो रहे हैं, अपमानित हो

(श्री परसराम मदेरणा)

रहे हैं, मनगढंत और असत्य मामले बनाये जा रहे हैं। अगर लोकतंत्र में राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसी चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र कमजोर होगा। और लोकतंत्र ही नहीं है यह गणतंत्र भी इस देश में गणराज्य भी है। गणराज्य की प्रस्तावना तो गृह मंत्रीजी ने रट रखी हैं। अदने से अदने व्यक्ति स्टेटस और सम्मान की बात कांस्टीट्यूशन की प्रस्तावना में कहीं गयी है। विधान सभा के माननीय सदस्य इस सदन में आने से वंचित रह जाएं और इस मामले को आप गंभीरता से नहीं लें, आपको स्वयं इसमें पहल करनी चाहिये। अगर आप पहल नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है और जहां लोकतांत्रिक व्यवहार का अभाव होगा और निरकुंशता दिमाग में आएगी तो बाद में फिर वहीं परिणति होगी जो आपकी लोक सभा में हुई थी। मैं गर्व से नहीं कह रहा हूं, ये पोलिटिकल फैसले जनता देती है, जनादेश है मैं कोई गर्व से यह बात नहीं कह रहा हूं कि आपकी कम सीटें आयीं। कांग्रेस की भी कम आयी होंगी, मैं यह नहीं कह रहा हूं। लेकिन जनप्रतिनिधि सदन में आने से वंचित रहें, जनप्रतिनिधियों पर मनगढंत, कंकाक्टेड केसेज, फैब्रिक्रेटेड फ्राम ए टू जैड, फाल्स केसेज रजिस्टर किये जाएं और 307 के केस रजिस्टर हों, उसके संबंध में मैं चाहता हूं प्रतिपक्ष के और दूसरे हमारे सहयोगी दल हैं और निर्दलीय सदस्यों से भी मैंने बात की थी, सदन में इस मामले को रूल और प्रक्रिया के अन्तर्गत उठाने की बात है, उसमें आपकी सम्मति की आवश्यकता है। आप हमेशा ही नियम 50 के अन्तर्गत इस सदन में स्टेटमैंट भी दिलाते रहे हैं और उस पर चर्चा भी कराते रहे हैं। हालांकि फार्मली आप सदन की कार्य सूची को स्थगित नहीं करें, कोई जरूरी नहीं है स्थगित किया जाना, परन्तु विषय की गंभीरता है, लोक महत्व का प्रश्न है, रीसेंट आकरेंस है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना आप्शन जाहिर करें लोक सभा के लिये या इस गरिमामय पद के लिये, उससे पहले मेहरबानी करके यह स्टेटमैंट तो दिला दीजिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अर्ज करना चाहता हूं, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव पर दस्तखत किये हैं। चार दिन तक इस सदन में अव्यवस्था रही इस मुद्दे को लेकर, आज आपने व्यवस्था फरमायी है कि हम सरकार से जानकारी मंगवा रहे हैं। तो क्या चार दिन तक आपका जो शासन है वह अनभिज्ञ रहा है जो कुछ घटा है उससे, जबकि यहां कार्यवाही नहीं चलने दी ? तो अब क्या जानकारी चाहिये ? चार दिन में इन्होंने परवाह ही नहीं की कि इस तरह का हुआ है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आज इनको बयान देना चाहिये सदन के अंदर । मैं कभी आवेश में बात नहीं कहता हूं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लेकिन आपने व्यवस्था फरमायी कि इसमें सरकार से जानकारी लेंगे। चार दिन से हम चिल्लाकार कह रहे हैं, सरकार क्या कर रही थी इतने दिन तक ? उनके जूं तक नहीं रेंगी कि इस के अंदर वक्तव्य देना है उनको सूओ-मोटो, अपने आप में यह वक्तव्य देना चाहिये था। आपने दिया नहीं। कृपया आप आज ही इस के संबंध में वक्तव्य दिलाएं। सरकार को सब जानकारी है, सरकार उनको छिपाकर रखना चाहती है। यह उचित नहीं है, सदन का अनादर है।

दूसरा प्रश्न, जो संकेत में प्रतिपक्ष के नेता ने उठाया, अध्यक्ष महोदय, आप दोनों जगह चुने हुए हैं ....(व्यवधान)....

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : चेयर की आंख मैंने पकड़ी है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : मैंने भी पकड़ी है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, आप कुछ और पकड़ लो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यहां अगर आप कार्यवाही करते हैं तो इसका (व्यवधान) एक मिनट...... (व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय, आपको अब दो विकल्प हैं, या तो आप यहां से इस्तीफा दें या वहां से इस्तीफा दें। लेकिन आपने जब यहां अध्यक्षता वहां चुने जाने के बाद में कर ली तो क्या आपने आप्शन यहां का नहीं दे दिया कानून की दृष्टि से यानि, नहीं जाना चाहते तो वह अलग बात है लेकिन मतलब भी यही होता है। अगर आप वहां लोक सभा में बैठ जाते तो इम्प्लाइडली दस्तखत नहीं करें कोई होश-हवाश में नहीं हो तो आप विल कर रहे हो कि हां-हां, कर रहा हूं। तीन जने कह देंगे कि हां साहब, किया तो हम इतने प्रत्यक्षदर्शी हैं कि आपने अध्यक्षता की है। इसमें भी कृपया अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद में, दो घंटे बाद में व्यवस्था दिलाएं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इसमें इतना निवेदन करना है कि सदन में माननीय अध्यक्ष जी ने यह व्यवस्था दी है कि अहम मामला है और मैं सरकार से इसकी जानकारी करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी कहा है कि इसमें स्टेटमैंट दिया जाए। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अहम मुद्दा है, सदन के माननीय सदस्यों का मामला इसमें सम्मिलित है। पिछले तीन रोज से विधान सभा की कार्यवाही इसलिए नहीं चल पायी कि सरकार ने न तो सुनी और न आसन ने हमको कुछ कहने का अवसर दिया। यदि वह बात तो जाती तो सरकार को वह जानकारी मिलती । इनकी सर्विसेज माध्यम से, इनके तंत्र के माध्यम से जो गलत सूचना आती है उससे अधिक सूचना यहां सदन में इनको मिल जाती। इसलिए मैं इस बात को अधिक नहीं बढ़ाते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पहले माननीय सदस्य

(श्री शिवनाथ सिंह)

जिनसे यह संबंधित है, वे सदन में मौजूद हैं, दूसरे माननीय सदस्य भी यहां है इसलि माननीय गृह मंत्री स्टेटमैंट दें उससे पहले माननीय सदस्यों को कुछ कहने का अवसर दिया जाए। थोड़ी चर्चा यहां हो जाए और माननीय गृह मंत्रीजी का हम ज्ञानवर्धन कर सकें उसके बाद में वे स्टेटमैंट देंगे तो मेरे ख्याल से वे जो स्टेटमैंट अभी तैयार करके आये हैं उससे अधिक सदन का उपयोग होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप थोड़ी चर्चा करवाइए, संक्षिप्त करवा सकते हैं, और उसके बाद में स्टेटमैंट दिलाइए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कह रहे हैं ?

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्थगन प्रस्ताव आपके सामने आया है, इसमें तीन मामले तो अभी रीसेंट आकरेंस के हैं। झालावाड़ के विधायक, श्री भरत सिंह जी का हैं, नावां के विधायक श्री रामेश्वर लाल जी का है और तीसरा अभी जो बाड़मेर के सांसद कर्नल साहब, उनका मामला है। ये तो रीसेंट आकरेसंज हैं जिनके बारे में अपनी-अपनी चिन्ता व्यक्त की गयी इससे पहले माननीय सदस्यों के साथ में जो घटनाएं घटी हैं वे आज तक किसी तथ्यपूर्ण निष्कर्ष पर नहीं आयी है, न कोई उन पर कदम उठाया गया है, जिसमें गंगानगर के श्री राधेश्याम जी और इंदौरा जी वगैरह हैं और दूसरा मोहनलाल जी मोदी का है, भाटीजी का है और हमारे राजेन्द्र जी चौधरी का है। कई मामलों में तो जांच पूरी हो चुकी है लेकिन आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। कई मामलों की अभी तक जांच पड़ताल हो रही है। इतना लम्बा समय गुजरने के बावजूद भी इतने गंभीर मुद्दों पर, विधायक महोदय के ऊपर हुए हमलों पर किसी प्रकार से सरकार ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी है और कोई कार्यवाही नहीं की है। इस तरह से अगर चलता रहा तो फिर आगे आप यह रास्ता साफ करना चाहते हैं कि इस प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं निभा सकें। आज रामेशवर लाल जी चौधरी की स्थिति सरकार ने क्या बना रखी है ? उनके ऊपर झूठा मुकदमा बनाकर पुलिस की गाडियां की गाड़िया उनको गिरफ्तार करने के लिए दौड़ रही है। वे कैंसर के पेशेंट हैं, एक साल से उनको कैंसर की बीमारी है। उनका फेफड़ा निकाल दिया गया है। वे इस स्थिति में नहीं है और उसके बाद में ... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : (व्यवधान) रामेश्वर चौधरी ने की है और रामेश्वर चौधरी के खिलाफ की है। रामेश्वर चौधरी ने ... (व्यवधान)... ।

श्रीमती कमला : आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आप बाद में बोलिये। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : एक एक्स एम. एल. ए. पर प्राणघातक हमला किया है

(70)

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

और आप उलटा बयानबाजी कर रही हैं सदन में । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप बाद में बोलिये। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्या बाद में बोलिये ? (व्यवधान) मैं कहता हूं कि मेरे को पूरी घटना का मालूम है, पूरी जानकारी है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : एक माननीय सदस्य को विधान सभा में आने से रोका जा रहा है। गिरफ्तार किये जाने की आशंका के कारण से आज वे विधान सभा में नहीं आ पा रहे हैं। (व्यवधान) इस तरह की हरकतें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। इसलिए पहले माननीय सदस्यों को इस मुद्दे के ऊपर चर्चा का समय दीजिये, उसके बाद सरकार का स्टेटमैंट कराइये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उनको मारा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, आप विराजिये, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उलटा बयानबाजी कर रही हैं आप यहां सदन में। (व्यवधान) वकालत कर रही हैं रामेश्वर चौधरी की। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : हम भी तो यही कह रहे हैं कि यहां चर्चा होनी चाहिये। आप भी बोलिये न। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : (व्यवधान) अब तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिये, कैसे नहीं होगा ? होना चाहिये उनके खिलाफ।

श्रीमती कमला : हम भी यही कह रहे हैं कि यहा चर्चा होने दीजिये। आप भी अपनी बात कहियेगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं कह रहा हूं, मेरी बात ही तो कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं मैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजें, आप विराजें। (व्यवधान) गृह मंत्री जी। बात आने दीजिये। ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : पहले चर्चा कराइये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, गृह मंत्री जी कोई बात कह रहे हैं। सुनें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : रामेश्वर लाल जी ने, उसके परिवार के लोगों ने, हरीश कुमावत की पिटाई की और अब उलटा केस (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें-विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : विधायकों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता ने जिस गंभीर स्तर पर... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : वो क्यों बोले ? कोई जरूरी है क्या वे बोले।

(71)

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा))

आपको क्या मतलब है ? मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं मेरी बात कहूंगा आपको कुछ है क्या तकलीफ उसमें ? फिर क्या है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप कैसे दबा रहे हो उनको ? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बोलने से रोक सकते हो आप किसी को ? तो फिर क्या कह रहे हो ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक भरत सिंह जी पर हमला हुआ है, वे सदन में उपस्थित हैं, उनको बोलने दिया जाए जिससे कोई रेलेवेंस रहे। वे विधायक जिन पर हमला हुआ है, उनको बोलने दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। गृह मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय विधायक भरत सिंह जी उपस्थित हैं, उनको बोलने दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : रामेश्वरजी चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वह घटना बता रहा हूं। उनको जीप के बांधकर घसीटा है, वे तो मार देते उनको।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, हरीश कुमावत की पिटाई की गयी रामेश्वरलाल जी के द्वारा। जब उनके ऊपर केस बना तो उलटा उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया । (व्यवधान) हरीश कुमावत की पिटाई करने वालों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अगर भरत सिंह जी के साथ हमला हुआ है उनकी बात सदन में आनी चाहिये। उनके पूछा जाए कि उनके साथ किस तरह की क्या घटना हुई।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट विराजिये। गृह मंत्री जी कोई बात कह रहे हैं उनको सुन लें, उसके बाद आप कोई बात कहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, गृह मंत्रीजी को कहने दो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं यह बात कह रहा था, माननीय अध्यक्षजी, जो नावां के एक्स एम. एल. ए. हैं हमला उन पर हुआ...(व्यवधान)...

माननीय नेता महोदय, एक मिनट मैं कहूंगा मेरी बात। आप विराज जाओ, मैं कहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच में नहीं बोल सकते। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं कहूंगा मेरी बात, बैठ जाओ आप। अध्यक्षजी ने मेरा नाम पुकारा है। मैं मेरी बात कहूंगा । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जो आदमी सभ्यता के हाथ खड़ा करता है आप उसको इशारे से कहते हो कि शांति रखिये। उसको आप बोलने का मौका नहीं देते और जो बिना पूछे बोलने के लिए

(72)

(श्री भीमराज भाटी)

खड़े हो जाते हैं वे सदन में बोलते ही रहते हैं। मैं इतनी देर से हाथ खड़ा कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : आप तो अभी बिना कहे ही बोल रहे हो।

श्री भीमराज भाटी : आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप शांति रखें। क्या शांति रखें ?

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें आप। ये बोलने के लिए खड़े हुए थे, मैंने इनको कहा था कि दो मिनट में आप बात कह दीजिये।

श्री भीमराज भाटी : हम फालतू ही हाथ खड़ा कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, मैं आपको भी सुनूंगा। मैं तो सबको मौका दे रहा हूं पर कोई एक विधायक नहीं बोले, ऐसा तो नहीं होगा। कोई अपनी बात कहना चाहे, कहे अब। आप दो मिनट में अपनी बात कहें जल्दी। सुनिये, इनकी भी सुन लो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह चुनाव के पहले की घटना है। हरीश जी कुमावत के ऊपर रामेश्वर जी चौधरी और उनके लड़के ने ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्षजी, आप यह बताइये, माननीय कमलाजी जनरल बात कह रही थीं, माननीय विश्नोई जी ने जनरल बात कही, इन विषयों के सम्बन्ध में क्या स्पेसिफिक इश्यूज पर आपने डिबेट कर दी है ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : अगर डिबेट अलाउ की है तो पहले हमें अलाउ कीजिए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ये जनरल बात कह रहे थे और आप स्पेसिफिक पर आ गये । यह बताइये आप कि क्या आपने डिबेट अलाउ कर दी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाद में कह लेना आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : कमलाजी बोली उस समय क्यों नहीं बोले आप ? यह डिबेट कमलाजी ने शुरू की थी, उस समय क्यों नहीं बोले आप ?

श्रीमती कमला : जिन्होंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, उनको पहले बोलने दीजिये अगर डिबेट करा रहे हैं तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब प्रक्रिया और नियमों में कोई भी बात नहीं करना चाहता तो क्या होगा ? आखिर कोई नियम और प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं, आप सुन लें। कृपया शांति बनाये रखें।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्षजी, मैं एक व्यवस्था आपसे चाहूंगा। नियम 50 के तहत एक स्थगन प्रस्ताव फ्राइडे को दिया था। वह बहुत अहमियत का सब्जैक्ट था, अजमेर के दंगों के सन्दर्भ में था तथा अजमेर के कर्फ्यू के सन्दर्भ में था। आपने सरकार की जानकारी चाही।

(श्री किशन मोटवानी)

सरकार तो जानती है, सरकार को स्वतः ही स्टेटमेंट देना चाहिए...

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनें इनकी, ये क्या कहना चाहते हैं।

श्री किशन मोटवानी : जब राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उस बात को बहुत अहमियत दी है और कहा है कि अजमेर के दंगों के अलावा राज्य में कानून की व्यवस्था ठीक है तो अजमेर के दंगों के संदर्भ में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। पहले आप दो मिनट गृह मंत्रीजी की बात सुन लें।

श्री किशन मोटवानी : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कब दिलवाएंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : आप इनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। एक साथ सब जने खड़े हो जाते हैं। आप सुनों तो सही ये क्या कहना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सरकार क्या कहना चाहती है, सुन तो लो।

श्री किशन मोटवानी : आज दे रहे हैं क्या?

श्री हरिसिंह (महुआ) : अजमेर वाला इश्यू अलग से है। आप बार-बार दखल देते रहते हैं यूं ही, यह अजमेर वाला अलग से इश्यू है।

श्री किशन मोटवानी : मैं आपसे विनम्रतापूर्वक बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे सबके लिए बात कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : काहे के लिए ? आदत पड़ गयी है क्या का कटेल करने की ?

श्री किशन मोटवानी : सरकार की कहां गलती है, जनता की कहां गलती है, वह सब खुलकर आना चाहिए। आखिर सरकार क्यों कतराती है उस पर स्टेटमेंट देने से मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कॉकटेल करने की आदत है क्या ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : पहले गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट तो सुन लीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप इस सदन के अध्यक्ष हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : जवाब तो गृह मंत्रीजी को देना है उनको पूरी बात बोलने दीजिये।

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्षजी, आपने व्यवस्था नहीं दी इसीलिए कह रहा हूं आप व्यवस्था दे दें। आप दिलवा रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बोलने के लिए खड़े हुए उनको बोलने नहीं दिया। उसके बाद 25 जने खडे हो गये।

(74)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्षजी, यह अलग से इश्यू है। नहीं, इसकी अलग से व्यवस्था चाहते हैं आसन से । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुनें। वे क्या कहना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह एक स्थगन प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पहले थोड़ी-सी चर्चा प्रारम्भ हुई थी। इस प्रस्ताव पर आज आपसे स्टेटमेंट का निवेदन कर रहे थे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य। अन्य माननीय सदस्यों ने भी एक स्थगन प्रस्ताव जो जयपुर और अजमेर में दंगे हुए हैं उनके सम्बन्ध में दिया है, वह भी कानून और व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में दिया है। मैं चाहता हूं दोनों को सम्मिलित नहीं करते हुए कल उसका स्टेटमेंट दिलवा दीजिये आप गृह मंत्रीजी से, यही उचित रहेगा।

श्री भीमराज भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : नो, पाइंट आफ आर्डर।

श्री भीमराज भाटी : आपको मुझे इजाजत देनी पड़ेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इतनी देर शांति से बैठा हूं। जो आदमी शांति से सदन में कोई बात आपकी इजाजत से कहना चाहता है....

श्री अध्यक्ष : आप तो बार-बार खड़े हो रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि शांति से बैठा हूं। 15वीं बार खड़े हुए हैं।

श्री भीमराज भाटी : मैं नहीं खड़ा हो रहा । मुझे मजबूरी से खड़ा होना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : पन्द्रह बार मैंने नोट किया है। आप बैठिये, माननीय गृह मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। आप बाद में कह देना ना।

श्री भीमराज भाटी : मैंने आपसे परमीशन मांगी उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मैंने परमीशन नहीं दी है। प्लीज सिट डाउन। आप पहले दो मिनट इनको बात कहने दें।

श्री भीमराज भाटी : बिना परमीशन कोई खड़ा होना चाहिए + + +

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं पहले इनकी बात तो सुनें आप। आप अपनी बात जरूर कहना। पहले ये अपनी बात कह रहे हैं इनको सुनें आप।

श्री भीमराज भाटी : आप बोलने ही नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने कोई बात कही है और उस पर वे अपनी बात कह रहे हैं।

श्री भीमराज भाटी : जो आसन की गरिमा का ख्याल करके बोलना चाहते हैं उसको तो आप दबाना चाहते हो, उसको तो आप विराजने के लिए कह देते हो।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप चौथी बार खड़े हो गये । गृह मंत्रीजी छः बार खड़े हो गये। बार-बार बीच में खड़े हो जाते हैं आप। ये अपनी बात कहना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कोई बात कही है उस पर कोई बात कहना चाहते हैं। उसके बाद आप जरूर कहना आपको कोई मना नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कुछ मसले उठाये हैं जन प्रतिनिधियों के साथ जो कुछ आपराधिक प्रकरण हुए हैं उनके बारे में । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि जो घटनाएं होती हैं सरकार को उनकी पूरी जानकारी है और खेतसिंहजी सचेतक महोदय इस बात के साक्षी हैं। घटना होने के बाद लगातार मैं उनसे सम्पर्क करता रहा हूं, उनसे जानकारी लेता रहा हूं, दूसरे प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी जानकारी लेता रहा हूं, अपने सूत्रों से भी जानकारी लेता रहा हूं और नीचे पुलिस प्रशासन को भी बिलकुल निष्पक्ष कार्यवाही करने के निर्देश देता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह आपकी व्यवस्था है कि आप जानकारी मांगते हैं। तीन तरह की स्थितियां हमारे सामने आती हैं। एक तो रीसेंट माननीय सांसद सोनारामजी का मामला है और माननीय सदस्य भरतसिंह का मामला है और एक मसला जो कहा जा रहा है कि माननीय सदस्य रामेश्वर जी चौधरी का है। इसके बाद स्थगन प्रस्ताव में कुछ पुरानी घटनाओं का उल्लेख आया है जो कि माननीय सदस्य राजेन्द्र चौधरी से सम्बन्धित हैं, माननीय सदस्य भाटी साहब से सम्बन्धित है, माननीय सदस्य राधेश्यामजी से सम्बन्धित है। मेरे पास इन सारे प्रकरणों की जानकारी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार राजनीतिक विद्वेष से, राजनीतिक दुर्भावना से और किसी भी तरह की राजनीति से प्रेरित होकर राजस्थान के किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी नागरिक पर झूठा मुकदमा चलाने के लिए तैयार नहीं है और न ही चलाएगी। मैं गृह मंत्री होने के नाते इस सदन के प्रति उत्तरदायी हूं, सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के प्रति उत्तरदायी हूं कि राजस्थान की कानून और व्यवस्था सही ढंग से संचालित की जाए, जो मेरी क्षमता है और माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश हैं। इसलिए मैं इसमें आपका निर्देश चाहता हूं। इन प्रकरणों में माननीय सोनारामजी का स्टेटमेंट मेरे पास तैयार है, भरतसिंहजी का स्टेटमेंट मेरे पास तैयार है, रामेश्वरजी चौधरी का स्टेटमेंट मेरे पास तैयार है, गंगानगर से आने वाले माननीय विधायक का स्टेटमेंट मेरे पास तैयार है। भाटी साहब का पुराना है, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं मंगवा लूंगा। इसलिए मैं आपसे निर्देश चाहता हूं कि आप किस विषय पर कब मेरा स्टेटमेंट करवाना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहते हैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से आप राय मिलाकर मुझे बता दें। उस समय इस सदन के सामने सरकार की स्थिति और सब मसलों पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने आसन से अनुरोध किया, जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है, आपको दिया है, उस स्थगन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं, पहले उन्हें बोलने का आज अभी अवसर दिया जाए। उसके बाद में गृह मंत्रीजी से जो भी मुद्दे वे आपके सामने उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट आपके पास में है, आप तो सर्वव्यापक हैं, You are omnipotent. भगवान का रूप है, सब आपको ज्ञात रहता है लेकिन हमारा भी-

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इंटेलीजेंट, जागरूक, संवेदनशील।

श्री कैलाश मेघवाल : जो भी तथ्य हो सकते हैं वे तथ्य मेरे पास हैं। न तो मैं ओम्नीपोटेंट हूं प्रतिपक्ष के माननीय नेता, न आप ओम्नीपोटेंट हैं। आपको भी जानकारी मिलती है वे यहां रखते हैं और मुझको भी जिन सूत्रों से जो जानकारी मिलती है वह यहां रखता हूं, इसलिये ओम्नीपोटेंट अपने दोनों में से कोई नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार के जो सूत्र है, निश्चित तौर पर सरकार की बहुत बड़ी मशीनरी है और मशीनरी आपका सूत्र हो सकती है। दूसरा आपने कहा कि मेरे स्टेटमेंट लिये हुए हैं, उनके स्टेटमेंट के लिये तो यह दूसरा सूत्र है। लेकिन गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि माननीय सदस्यों के पास में और भी इन्फोर्मेशन है, और भी तथ्य हैं, वे तथ्य वे सदन में रखना चाहते हैं। उन तथ्यों के सदन में रखने के बाद में आपको तो उसमें मदद ही मिलेगी। इन्वेस्टीगेशन हो सही लाइन पर लेने के सम्बन्ध में। अगर नये तथ्य आपके सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर वे तथ्य भी इम्पार्शल इन्वेस्टीगेशन में मददगार होंगे, इसलिये पहले माननीय सदस्यों को अपनी बात यहां पर कहने दी जाए। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि पहले माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाए और उसके बाद में गृह मंत्रीजी से हम स्टेटमेंट लें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक निवेदन करना है। इस सदन में स्थगन प्रस्ताव आने के बाद एक व्यवस्था रही है। वह व्यवस्था यह रही कि आप स्थगन प्रस्ताव खरिज करने के बाद भी राज्य सरकार को उस विषय पर स्टेटमेंट देने के निर्देश देते हैं, नम्बर एक। आप स्थगन प्रस्ताव खारिज करने के बाद स्टेटमेंट नहीं लेकर जिस सदस्य का स्थगन प्रस्ताव होता है उसको कुछ शब्दों में अपनी बात कहने का अवसर देते हैं, नम्बर दो। और आप स्थगन प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसी को किसी तरह से बोलने का अधिकार नहीं देते, नम्बर तीन।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता की इस बात से सहमत हूं, अगर वह चाहते हैं कि एक जनरल डिबेट कानून और व्यवस्था पर हो जाए और उसके बाद सरकार जवाब दे तो वह भी मुझे स्वीकार है । लेकिन स्थगन प्रस्तावों की जो परम्परा आज तक चली है 50 साल तक, उस परम्परा से अगर अलग हटकर वे चाहेंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कानून और व्यवस्था पर आज किसी भी समय पर आप चर्चा कर लें, सारे सदस्यों की सब बातें जिसमें अजमेर से आने वाले माननीय विधायक का भी मसला होगा। प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां पर चर्चा होगी तो कोई एक विषय तक सीमित नहीं रहेंगे, यह यहां की परम्परा हमने हमेशा देखी है, इसलिये मुझे जो भी आप व्यवस्था दें स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो फिर मेरा स्टेटमेंट पहले आना चाहिये उसके बाद सदस्य जो भी हैं, जैसी भी अपने यहां प्रक्रिया रहती है उसके बाद देखें। और जैसा प्रतिपक्ष के माननीय नेता का सुझाव है मैं उससे भी सहमत हूं कि हम एक समय निश्चित कर दें जिससे जितने भी मसले हैं उन पर चर्चा हो जाए और सरकार अपनी स्थति सामने रख दे जो बाद में आती है। इन दोनों ही व्यवस्थाओं में मुझे ऐतराज नहीं है। आप प्रतिपक्ष के सदस्यों से राय मिलाकर जो भी व्यवस्था देंगे वह मुझे स्वीकार होगी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। मैं एक सैकण्ड में निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट विराजें। आपसे अभी तय कर लेंगे कि कितनी देर बाद यह स्टेटमेंट दिलवाना है फिर बोल देंगे। बोलेंगे उसमें कोई मना थोड़ी ही है। मनाही नहीं है बोलने की।

एक माननीय सदस्य : मुझे जरा-सा निवेदन करने दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने और गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरी बात कहीं। उन्होंने यह कहा कि स्ट्रेट-वे जो स्थगन प्रस्ताव हमारा है उसको आप ले लीजिये और हमें बोलने की अनुमति दे दीजिये। हमारे पास में जानकारी है , हम आपसे निवेदन करेंगे। सरकार के पास कोई अतिरिक्त जानकारी होगी। ये दोनों ही परम्पराएं हैं। स्ट्रेट-वे भी आपने बहस करवायी है और स्टेटमेंट भी दिलवाया है। स्टेटमेंट बाद में भी हुआ है और पहले भी हुआ है। कोई एक परम्परा इस सदन की नहीं रही। जो इम्पोर्टेंट हुए हैं उनके ऊपर भी आपने स्ट्रेट-वे वक्तव्य दिलवाये हैं, स्ट्रेट-वे आपने डिस्कशन करवाया है और दिन भर चला है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता और गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य शिवनाथ सिंह जी ने जो यह अनुरोध किया है, जिन माननीय सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव है उनको

(श्री रामनारायण चौधरी)
आप बोलने की अनुमति प्रदान कर दीजिए ताकि उस पर चर्चा हो जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं वही कह रहा हूं ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सैकण्ड में निवेदन कर रहा हूं। मैंने जो अपना सुझाव दिया था, परम्पराएं सब अपना हाउस बनाता है और बिगाड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे भी मौके आते हैं जब परम्पराओं से हटकर भी हमको काम करना पड़ता है। पिछले तीन दिन में सदन की कार्यवाही नहीं चल पायी और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य एजिटेट करते रहे। मैंने तो सदन की कार्यवाही चल पाए उस हिसाब से अपना निवेदन किया है, अच्छा होगा कि पहले माननीय सदस्यों को सुन लिया जाए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो मुझे आशंका है कि सदन की कार्यवाही तीन दिन जिस हिसाब से चली है वैसी ही चलेगी। सरकार चाहती है कि सदन की कार्यवाही नहीं चले क्योंकि सरकार इस मामले में बहुत दबाव में है। लोक सभा के चुनाव के बाद दबाव में हैं। अतः सदन की कार्यवाही चले मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने दी जाए वरना किसी को भी आप रोक नहीं पाएंगे और सदन की कार्यवाही नहीं चल पायेगी। इसलिये इसमें थोड़ा-सा आसन का विवेक काम में लेते हुए और आसन के अधिकार को काम में लेते हुए पहले माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दी जाए ताकि सदन आगे भी तीन रोज चल पाए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमसे विचार-विमर्श करना और कब लिया जाए और कब नहीं लिया जाए, यह तत्काल लिया जाना चाहिये, इसमें विलम्ब किया जाना चाहिये, एक तो मेरा निवेदन यह है।

दूसरा, गृह मंत्रीजी ने भावनापूर्ण भाषण में जिन परम्पराओं का यहां पर गुणगान किया, बखान किया इस सदन में ऐसे भी अवसर आए हैं, यह बात सही है कि कालिंग अटेंशन मोशन पर स्टेटमेंट पहले दिया जाता है। लेकिन यह जो आप समझ रहे हो कि अध्यक्ष महोदय ने इस स्थगन प्रस्ताव पर अभी व्यवस्था नहीं दी है, आपसे एक जानकारी मांगी है और उसमें भी रूल 50 के अंतर्गत एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया इस सदन में यदा-कदा ही प्रयोग हुई है। दो दफा, केवल एक दफा मैं जब प्रतिपक्ष में नेता था उस वक्त महंगाई पर हुई थी और एक और हुई है। लेकिन हमेशा स्टेटमेंट दिलाते रहे हैं, इस सदन में चर्चा हुई है। इनके अलावा भी कालिंग अटेंशन और एडजोर्नमेंट मोशन के अलावा भी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों के ऊपर चार-चार घंटे तक चर्चा हुई है।

अगर आज एडजोर्नमेंट मोशन के लिये आप सम्मति देते हैं तो इसमें एक पीरियड लिखा हुआ है दो घंटे, दो घंटे से ज्यादा उस पर डिबेट नहीं होगी, लेकिन एडजोर्नमेंट

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं होते हुए भी लोक महत्व के ऐसे प्रश्न यहां पर आए हैं जब इस सदन में तीन-तीन घंटे चार-चार घंटे भी चर्चा हुई है। इस वक्त जो सत्तारूढ़ दल है वह प्रतिपक्ष में बैठता था और उन्होंने भी चर्चा की है इसमें चार घंटे तक। एक नहीं है, अनेकों उदाहरण है, आप असैम्बली के सचिव से पूछ सकते हैं। इसलिये आप परम्पराओं की जो बात कह रहे हैं...

श्री कैलाश मेघवाल : आपकी स्मृति पर विश्वास है मुझे

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, मैं परम्परा के सम्बन्ध में यह कह रहा हूं कि यह कोई परम्परा नहीं रही है। स्टेटमेंट भी दिलाते हैं पहले और माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं। हमारा निवेदन यह था कि पहले आप बोलने का अवसर दीजिये, आपके पास में सभी प्रकार के तथ्य आ जाएंगे। आपकी सूचना के जितने स्रोत हैं, मैं यह मानकर चलता हूं उनको आप रिलाएबल मानते हैं और सरकार के पास में चूंकि वे सूत्र हैं उन्हीं को वे रिलाएबल मानेंगे, लेकिन और भी अगर आपके पास में तथ्य आते हैं उन पर विचार करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है इम्पार्शल इन्वेस्टीगेशन के लिये। इसलिये माननीय सदस्यों को, अध्यक्ष महोदय, पहले बोलने का अवसर दिया जाए। बातचीत का कोई प्रश्न नहीं हैं बातचीत तो करेंगे अपन चैम्बर में, आपकी विदाई के समारोह में जो बात होगी वह तो करेंगे लेकिन इसमें अभी बातचीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह प्रश्न सामने आया हुआ है फलौदी से आने वाले विश्नोई जी की ओर से जो एक्स-स्पीकर रहे हुए हैं। चार दिन से नहीं, यह मामला तारीख का है, 10 से चल रहा है तथा आज तारीख 16 है, सात दिन हो गये हैं। सात दिन का समय निकल गया है, समय व्यतीत हो गया है। इस अवधि में आपके पास में आपने सब इन्फार्मेशन ले ली है, आप कह रहे हैं कि मैंने सब इन्फार्मेशन कलक्ट कर ली है। इसलिए माननीय सदस्यों को जिन्होंने एडजोर्नमेंट मोशन रखा है उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मैं जिन मुद्दों पर आप चाहें स्टेटमेंट दे दूं जिससे यह जानकारी सभी सदस्यों को हो जाए, कि सरकार के पास क्या सूचनाएं हैं और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तो फिर माननीय सदस्यों को अपनी ओर से कहने का मौका रहना चाहिए कि यह आपकी कमी है, यह सूचना अब तक नहीं है, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। वह ज्यादा समीचीन होगा, इस सदन में बहस के लिये ज्यादा सार्थक होगा। इसलिये आप मेरे स्टेटमेंट का समय तय करा दीजिए कि जिन प्रकरणों पर आप चाहते हैं उन तीनों ही प्रकरणों पर मैं स्टेटमेंट दे दूं। उसके बाद अगर आप मेरे स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं है,

(80)

(श्री कैलाश मेघवाल)

सहमत नहीं है और सरकार की कार्यवाही से आपकी कोई असहमति है तो उसके लिए यहां पर चर्चा खुली है, आप सारे सुझाव दे सकते हैं। मेरे पास जो जानकारियां नहीं है उन जानकारियों को एड भी कर सकते हैं...

श्रीमती बीना काक : लेकिन माननीय सदस्य की सूचना भी अगर आ जाती है तो क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : और पुलिस तफतीश किस स्तर पर चल रही है, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो भी दिशा देने के लिए आप अपनी बात कह सकते हैं जो ज्यादा उचित तरीका रहेगा। इसलिए ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय सदस्य की सूचना भी अगर आ जाती है तो क्या परेशानी है, मंत्री महोदय आपको ? ..(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आप मेरे स्टेटमेंट का समय तय कर दीजिए।

श्रीमती बीना काक : मंत्री महोदय, इसकी सूचना भी अगर आपको और मिल जाती है तो आपको परेशानी क्या है सुनने में ?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं वह है मेरे पास ... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : आप इनके श्रीमुख से भी सुन लीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : जो माननीय सदस्य जितनी सूचनाएं देना चाहते हैं वे सारी सूचनाएं मेरे पास हैं और इसलिए पहले मैं वे सूचनाएं रखता हूं। यह ज्यादा सार्थक होगा।

श्रीमती बीना काक : इनके श्रीमुख से भी सुन लीजिए । सुनने में क्या दिक्कत है आपको ? आप बड़ा दिल रखिये, जरा सुन लीजिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय होम मिनिस्टर साहब ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि कुछ मामलों की जानकारी उनके पास नहीं है। कुछ की उनके पास है, कुछ की अभी नहीं है तो अच्छा होगा कि पहले माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे दें जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, ताकि उनकी जानकारी भी इनके पास आ जाए। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी ने खुद ने स्वीकार किया कि उनके पास जानकारियां नहीं है .. (व्यवधान) इसलिए स्टेटमेंट तो क्या देंगे ? स्टेटमेंट तो अधूरा होगा आपका। (व्यवधान) आप खुद मान रहे हैं। आपने कहा कि भाटी साहब के बारे में जानकारी नहीं है। (व्यवधान) आपने मोहन मोदी के बारे में कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है आप खुद ही अनभिज्ञ है इसलिए स्टेटमेंट आपका अधूरा रहेगा। (व्यवधान) आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : सारी जानकारियां हैं मेरे पास।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आप स्वयं काफी विद्वान हैं और आप जानते हैं कि विधान सभा अपने प्रक्रिया और नियमों से चली हुई है और चलती है। आसन ने उन नियम और प्रक्रियाओं के तहत। जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष भी काफी एक्सपर्ट हैं। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं। आप चाहे तो मैं उनकी व्यवस्थाएं भी पढ़ कर सुना सकता हूं। मेरा यह निवेदन है कि ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : इसमें मैं पहले स्थिति स्पष्ट कर देता हूं एक मिनट में...

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मेरा आपसे निवेदन है कि स्थगन के जितने भी प्रस्ताव आज तक विधान सभा के इतिहास में आये, उन सारे स्थगन प्रस्तावों पर आसन की ओर से आज तक जो व्यवस्था हुई है वह यह हुई कि आप उसको खारिज करते हैं और या तो दो मिनट बोलने का अवसर देते हैं कि स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है आप दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं या सरकार की जानकारी के लिए भेजते हैं। सरकार की जानकारी आने के पश्चात् यदि आपको लगता है कि इसमें सरकार का वक्तव्य दिया जाना आवश्यक है तो आप इस प्रकार के निर्देश देते हैं कि सरकार इस पर वक्तव्य दे। लेकिन आज जो इस प्रकार का प्रस्ताव आसन के पास आया कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर हम चर्चा करना चाहते हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा हुआ, कानून और व्यवस्था की स्थिति पर इस प्रकार हुआ, मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव आज विधान सभा में मिला और उसकी जानकारी सरकार से लिखित रूप में आपके पास नहीं आयी। नियमों और प्रक्रियाओं में भी यह व्यवस्था है कि कोई भी माननीय सदस्य जो भी विषय उठाना चाहता है, सचिव को लिखित रूप में वे यह देंगे कि हमारा कौनसा विषय है या सरकार के और प्रशासन के क्या लैप्सेज हैं, उन पर हम यह चर्चा करना चाहते हैं। विधान सभा सचिवालय में आज के पहले तीन दिन में कभी भी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव किसी माननीय सदस्य की ओर से नहीं आया है। कल रात्रि को यह प्रस्ताव आया। जैसी मेरी जानकारी है, सचिव महोदय के यहां पर रात्रि को उनके निवास पर यह प्रस्ताव दिया गया और सुबह विधान सभा में यह प्रस्ताव आया और इसको आप सरकार को जानकारी के लिए भेज रहे हैं। लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने जिस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की और जिस प्रकार की अरजेंसी, इस मैटर में बतायी, उस पर सरकार भी तैयार है, सारी जानकारी सरकार के पास है। तो व्यवस्था यह रहती है कि आपके पास लिखित में तो कोई सरकार की ओर से जानकारी नहीं है। जो प्रस्ताव कुछ माननीय सदस्यों ने दिया हुआ है वह भी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पूरी जानकारी नहीं है। केवल एक घटना का विवरण है तो उस पर सरकार कभी भी वक्तव्य दे सकती है। यह हाउस की परम्परा रही है कि कभी भी सरकार किसी मामले में भी वक्तव्य दे सकती है आसन की परमीशन से। स्थगन प्रस्ताव में यह व्यवस्था है कि कोई भी प्रस्ताव आता है वह किसी एक विषय में आता है लेकिन यह जो स्थगन प्रस्ताव आया है वह 1986-87, 1990, 1997 इस प्रकार की घटनाओं पर एक क्रमवाइज प्रस्ताव आया है। उसके बावजूद भी मेरा प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन है कि जो भी तात्कालिक मुद्दे हैं उसमें या तो चर्चा हो या जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि वे स्टेटमेंट देना चाहते हैं उस पर वे दे दें या ये जो सारे विषय हैं इन सारे विषयों पर एक साथ चर्चा हो। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से और फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य से जो इस आसन पर बहुत लंबे समय तक विराजे रहे थे, उनको काफी अनुभव है ... (व्यवधान) उन्होंने इस सदन में बहुत परम्पराएं कायम की है ...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, भरतसिंह जी के सदन में आते ही हमें आपसे उम्मीद थी कि आप सबसे पहले भरतसिंह जी को मौका देंगे, तत्काल 11 बजे आते ही ...... (व्यवधान) इतना महत्वपूर्ण विषय है, आज छह दिन से यह राजस्थान के...

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह चाहता हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष राजस्थान की जनता के लिए बहुत जिम्मेदार हैं और इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं हो, वाद-विवाद हो। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, ये प्रक्रियाएं हम सब जानते हैं। सदन का समय बरबाद न करें ... इतने समय में तो डिबेट हो जाती और हम अपनी बात कह देते। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : नौ तारीख को यह बिन्दु उठाया गया था ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस पर आज तक अपनी व्यवस्था नहीं दे सके हैं। भरतसिंह जी के साथ जो घटना हुई, आपको तत्काल उन पर नजर पड़ते ही इनको बोलने का मौका देना चाहिये था । (व्यवधान) नौ तारीख से यह सदन चल रहा है। आप पुराने कई मसले हैं उन पुराने मसलों पर स्टेटमेंट देंगे। लेकिन भरतसिंह जी का मसला है वे स्वयं उपस्थिति हैं। इस पर आप वाद-विवाद करवा रहे हैं .... (व्यवधान) माननीय सदस्य को बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप हमारी बात तो सुनते ही नहीं हो। आप हमें सुनना नहीं चाहते। जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने दीजिये। आप बीच में क्यों बोल रहे हो ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हाउस को चलाओ, हाउस को। यह महत्वपूर्ण है कि

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

हाउस चले और यह प्रतिपक्ष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है . ... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह भी हाउस का मुद्दा है। जब चर्चा के लिए इजाजत देना चाह रहे हैं तो पहले इजाजत देने में क्या दिक्कत हो रही है ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : गंगानगर में 4-4 विधायकों को पीटा, उसके बारे में गृह मंत्रीजी ने कुछ बात नहीं कही और बहुत पुराना मामला है हमारा तो।

श्री अध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के जो नियम हैं प्रक्रियाएं हैं इस सदन के कार्य को संचालन करने की चीफ व्हिप महोदय ने सभी प्रकार के मोशंस के बारे में, प्रस्तावों के संबंध में ए से लेकर जैड तक हमारा आज जो ज्ञानवर्धन किया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन आपने जो यह तर्क रखा है कि पहले स्टेटमेंट होना चाहिये, यह एडजोर्नमेंट मोशन अभी अध्यक्ष महोदय ने खारिज नहीं किया है। जानकारी चाही है सरकार के पास में जानकारी है जैसा कि गृह मंत्री जी ने अभी-अभी अपने बयान में कहा। क्योंकि यह मोशन अंडर रूल 50 है इसलिए अगर मान लें अध्यक्ष महोदय इसको स्वीकार कर लेते हैं और अपनी स्वीकृति और अनुमति दे देते हैं तो उस पर स्टेटमेंट नहीं होता उसमें पहले डिस्कशन होता और बाद में सरकार का स्टेटमेंट होता। आगे दो दफे जब यह एडजोर्न हुआ है। उसकी यही प्रक्रिया की स्थिति है यह उप मुख्य मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब स्वीकार नहीं किया है लेकिन क्योंकि अविलम्बनीय लोक महत्व का है, इस पर चर्चा कराई जाएगी। सदन में एक डैडलॉक चल रहा था, वह डैडलॉक सदन में नहीं चले, इसलिए मैं यह कहूंगा कि पहले डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन का मतलब ही यही है कि जिन माननीय सदस्यों ने यह एडजोर्नमेंट मोशन रखा है उनको पहले बोलने का मौका दिया जाए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : नियमों का सार भी यही है। मैं अर्ज कर देता हूं, नियम यह कहते हैं ..(व्यवधान) .. नहीं, नहीं, नियमों में बिलकुल साफ है पहली बात तो यह है कि अविलम्ब लोक महत्व का, आपरेटिव पोर्शन है, पूर्व निश्चित आज की कार्यवाही को स्थगित कर उस पर तत्काल विचार किया जाए, यह है, चर्चा है। उस पर अपन वैसे रिजैक्ट करते हैं लेकिन कायदा, मान लो अलाउ करते हैं, जैसा आपने किया है तो चर्चा उठाने की अनुमति पहले दी जाएगी, जिन्होंने मोशन मूव किया है उनको, यह स्पष्ट है न...(व्यवधान)... जो आपने तय यह किया है कि इस पर मंत्रीजी उत्तर देंगे तो

(84)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चर्चा इंट्रोड्यूज करने के लिए जो हमारी तकलीफ है वह हम कहेंगे, उसका मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्रीजी तो अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। आज ही नहीं पहले...

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अंतर्गत मैं माननीय सांसद सोनारामजी के साथ हुई घटना और माननीय सदस्य भरतसिंहजी के साथ हुई घटना के बारे में स्टेटमेंट देना चाहता हूं, कृपया मुझे समय निर्धारित करके सूचित करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Mode of asking for leave to move the adjournment motion.

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : अलाउ करने पर है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अलाउ तो कभी होता नहीं है, सिर्फ दो दफा हुआ है, लेकिन प्रक्रिया है वो की वो अगर आप अलाउ नहीं करते हो तो फिर भी इस विषय पर आप चर्चा की अनुमति देते हो तो ...(व्यवधान)...

श्री नाथूसिंह गुर्जर : पहले स्टेटमेंट आता है, बाद में चर्चा होती है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कारण तो पहले सदन समझेगा कि क्यों यह स्थगन प्रस्ताव मूव किया है, किसलिए किया है। तो वह तकलीफ तो सामने आ जाए, किसने पढ़ा है, सदन के सदस्य ने ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय विश्नोई जी, आपके 10 साल के अध्यक्ष के कार्यकाल में कभी कोई एक उदाहरण भी ऐसा बता दें कि आपने इस प्रकार की व्यवस्था कायम की। एक उदाहरण भी बता दें, एक भी बता दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कई उदाहरण हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक उदाहरण बता दें। यह आपकी सारी व्यवस्था का है, एक उदाहरण भी बता दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जबानी कोई याद नहीं रहता है। कायदा यह है कि अगर अलाउ करें, अगर अलाउड है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अलाउ तो कोई आपने कभी किया नहीं और जब तक आसन के पास सारे तथ्य न हो तब तक आसन अलाउ कैसे कर सकता है ? आप बताओ एक भी उदाहरण दस साल के कार्यकाल में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अलाउ किया है। स्टेटमेंट को भले ही रिजेक्ट कर दो लेकिन तकलीफ भी कहेंगे, कई दफे किया है। मुझे सब अच्छी तरह से याद है नहीं। मैं एनसाइकलोपीडिया हूं क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, आपको किताब दे देता हूं और आपको तो बहुत ज्ञान है, आपकी स्मरण शक्ति भी बहुत है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे ज्ञान है बराबर और मैं कॉमन सैंस की बात कह रहा हूं कि जो बात...

श्री भीमराज भाटी : Common sense is not so common.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : Common sense is a very rare sense, यह भी बात सही है लेकिन यहां विषय अगर कोई इन्ट्रोड्यूज करना चाहते हैं तो अपनी तकलीफ तो पहले रखेंगे तब ये तकलीफ दूर करेंगे। मतलब यही है। डाक्टर पहले दवाई लिखेगा या पहले मरीज अपनी तकलीफ बताएगा, यही कहना है।

श्री कैलाश मेघवाल : मंत्री को स्टेटमेंट देने का अधिकार है या नहीं ?

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अध्यक्ष रहे हैं। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप विराजिये, मुझे अध्यक्षजी ने इजाजत दी है। आप हमारे अध्यक्ष रहे हैं, इस पवित्र सदन के अध्यक्ष रहे हैं। हमें खुशी है कि आप दिल्ली पधार रहे हैं। हम आपकी ठाठदार और शानदार विदाई करना चाहते हैं लेकिन उसके पहले हमारा जो दर्द है वह आपके सामने इस सदन में प्रकट किए बिना नहीं रह सकते। आज जो स्थिति सदन की बनी है परिस्थिति यह हो गई है कि कहीं किसी माननीय सदस्य के ऊपर हमले होते हैं, आज सांसद के ऊपर भी हमले होने चालू हो गए।

श्री अध्यक्ष : उसी के लिए तो मैं यहां हूं। विराजिए, हो गया।

श्री भीमराज भाटी : यह पीड़ा इसलिए कह रहा हूं, मेरी पीड़ा सुन लीजिए। मैं इतनी देर से शांति से बैठा हूं, मेरी पीड़ा सुन लीजिए । मैं यह पीड़ा इसलिए कह रहा हूं कि अब आज के बाद या जब भी आपको समय मिलेगा, आप इस सदन से विदा होने जा रहे हैं। लेकिन यह स्थिति सदन में क्यों पैदा हुई ? आज के पहले धारा 50 के तहत, धारा 131 के तहत, धारा 157 के तहत सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव हमने आपको दिए हैं, हमने प्रश्न पूछे हैं। वो सदन का कार्यकाल खतम होने आ गया है। माननीय भाभड़ाजी आपकी जगह पर विराजमान थे, वे वहां से यहां आ गए है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री भीमराज भाटी : आप यहां से दिल्ली चले जाएंगे। हम अनुशासन से बात करते हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : इसके सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी अपना जो वक्व्य देना चाह रहे हैं, वह वक्तव्य दिया जाए। (व्यवधान).

(86)

श्री अध्यक्ष : विराजिए, आपकी बात सुन ली, विराजिए आप।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्षजी, मैं अनुशासन से बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहना चाहता हूं वह तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को पहले समय देने में सरकार को क्या आपत्ति है और क्या तकलीफ है और क्या घाटा पड़ रहा है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सदस्यों के साथ कई तरह की घटनाएं घटी, वे अपने मुद्दे यहां पर पेश करना चाह रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए। इसमें कौन सी स्थिति खराब हो गई ? यह बहुत गलत तरीका है सरकार का। (व्यवधान)

माननीय, सदस्यों को यदि इस प्रकार के हमले हों और इनको इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों का शिकार होना पड़े, वे अपनी बात सदन में कहना चाहें और सरकार सदन में उनको इजाजत नहीं देना चाहती है तो बहुत ही गलत तरीका होगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिए, कमला जी।

श्रीमती कमला : जब आप इजाजत ही दे रहे हैं तो पहले बोलने की इजाजत देने में क्या तकलीफ है ?

श्री अध्यक्ष : अभी बात ही कहां हुई है ? आप बैठिए तो सही।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अभी जो चर्चा हुई है, अध्यक्ष महोदय, उसमें कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। केवल व्यावहारिक कठिनाई है, उसको आप समझ लें। व्यावहारिक कठिनाइयों को यदि आप ठीक समझते हैं तो मानें। सरकार स्टेटमेंट देने को तैयार है वह चर्चा कराने को तैयार है, कहीं डिफरेंस नहीं है। चर्चा भी होनी चाहिए, जो अपनी बात कहना चाहते हैं उनको बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, यह भी बात सही है। लेकिन आपको पता है कि अभी गर्वनर एड्रेस पर चर्चा चल रही है, तो जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, जिसमें सारे प्रश्न आएंगे उस पर चर्चा होगी और उसका जवाब मुख्य मंत्रीजी देने वाले हैं, दे देंगे। जहां तक तात्कालिक प्रश्नों का सवाल है इसमें व्यावहारिक कठिनाई यह आएगी कि माननीय सदस्यों के कहने के बाद सरकार तत्काल उनका उत्तर नहीं दे सकेगी, सरकार के पास जो स्टेटमेंट तथ्यों का तैयार है केवल वहीं पढ़ेगी । तो जो सार्थक चर्चा आप करवाना चाहते हैं वह सार्थक नहीं होगी। इससे अच्छा तो यह होगा कि सरकार पहले अपने तथ्य सामने रखें फिर बाकी के जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे बोले ताकि उनके जो नए तथ्य आएं सरकार उनको नोट कर ले या उन तथ्यों में कहीं कमी नजर आए तो वह कमी

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

निकाले और सरकार उसको नोट कर ले और उसकी जांच में आपके द्वारा दिये हुए तथ्यों का उपयोग ले सके। यह तो है व्यावहारिकता और यदि यही है कि आप बोले और वह जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वह पढ़ दें तो फिर आप यह कहेंगे कि हमारा जवाब नहीं आया। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि स्टेटमेंट हो जाए तो फिर आप सब बोलिए। यदि आप कोई नई सूचना देंगे, नई बात देंगे तो निश्चित रूप से जो आज जांच हो रही है, उस जांच में उसको इनकारपोरेट किया जा सकता है, आपके सुझावों का लाभ उठाया जा सकता है तभी यह चर्चा सार्थक होगी, नहीं तो चर्चा सार्थक नहीं होगी। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, आप चाहे पहले बोल लीजिए। वे अपना स्टेटमेंट पढ़ देंगे, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आखिर गृह मंत्रीजी को...?

श्री किशन मोटवानी : सरकार पहले जानकारी कर लें फिर कल दे दे स्टेटमेंट।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं पीड़ित हूं और आपसे न्याय मांग रहा हूं। मेरा निवेदन आप सुनें। आपने जो...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा एक नम्र निवेदन है, आप देख रहे हैं कि हाउस में क्या हो रहा है, किसी भी नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री भरतसिंह : मुझे भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, साहब।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप नेता नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिए मैं समझता हूं कि यदि आपके नेता को ही नहीं बोलने दिया जाएगा, मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा तो आपको कौन बोलने देगा ? इसलिए ये कुछ मर्यादाएं तो रखिए, कुछ तो मर्यादा रखिए आप। प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं, उनको विथ ड्यू रेस्पैक्ट सुनना चाहिए कि वह क्या कहते हैं। हमारी तरफ से कोई जिम्मेदार आदमी खड़ा होता है तो उसको सुनिए और रास्ता उसमें से निकाल लीजिए। अब कोई देने और नहीं देने का झगड़ा तो नहीं है। आपको बोलने का अधिकार है उसको भी मानते हैं स्टेटमेंट देंगे वह भी सरकार ने स्वीकार कर लिया । अब यह केवल व्यावहारिक बात है कि आपके सुझावों का सार्थक परिणाम निकले, उन सुझावों को नोट करके सरकार अपनी जांच में इनकारपोरेट करें। जो आप नई बात दें... (व्यवधान) . इसकी एक बात और सुन लीजिए।

श्री भरतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य पहले देते हैं ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : फिर इसके लिए आप समय तय कर दीजिए, दो बजे तक कर दीजिए, तीन बजे तक कर दीजिए।

श्री भरतसिंह : गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य पहले देते हैं तो मुझे बाद में बोलने का मौका दिया जाए।

माननीय सदस्य : पहले चर्चा करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल होगा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्षजी, बिना इजाजत बोलते रहने का क्या मतलब ?

श्री भरतसिंह : अध्यक्षजी, गृह मंत्रीजी अगर बोलते हैं तो मेरा निवेदन है कि इस खानपुर वाले प्रकरण की जितनी भी एफ. आई. आर. दर्ज है, एक-एक को पढ़कर सुना दें यहां पर। जितनी भी दर्ज हुई है इस प्रकरण में, उसका खुलाशा गृह मंत्रीजी पढ़ कर सुना दें और फिर मुझे अपनी बात विस्तार से कहने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। आपको सबको अपनी-अपनी बात कहने का हक है। विराजिए आप।

(13.00)

श्री परसराम मदेरणा : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो प्रस्ताव रखा है सदन में उसमें गवर्नर साहब के अभिभाषण पर सामान्य वाद-विवाद पर चर्चा का है। सामान्य वाद-विवाद में अन्य मामले तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन फार्मल नैचर का बिजनेस लिया जा सकता है स्पीकर की परमिशन से। इसीलिए आपने वोट ऑन अकाउण्ट की परमिशन दी। सामान्य वाद-विवाद के अंदर, रूल 17(3) को आप पढ़ लीजिए, निश्चित तौर पर उसमें एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में भी डिस्कशन हो सकता है। "The discussion on the address shall be interrupted in the course of a sitting by an adjournment motion under rule 55." 55 में परमिशन देते हैं। परमिशन नहीं दी है इसमें दो-राय नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें कोई दो-राय नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो आपकी राय से सहमत हूं। आपने यह बात भी कही कि सदन में अगर पहले माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो चर्चा हो जाए या पहले स्टेटमेंट हो, इस इंपासे को साल्व कर लिया जाय। इस संबंध में, उप मुख्य मंत्री जी, हमारा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य जिन्होंने भी एडजोर्नमेंट दिया है, पहले उनको बोलने का अवसर दे दीजिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उनको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन उनकी राय का कुछ फायदा होना चाहिए। यह स्टेटमेंट देने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

के बाद वे जो बोलेंगे, कोई नई चीज बताएंगे तो कम से कम सरकार इस बात को लिख लेगी कि हमारे तथ्यों के अलावा ये तथ्य हमारे सामने आए हैं, ताकि जांच में उन तथ्यों को भी शामिल कर लिया जाए। यदि आप पहले बोलेंगे तो इनका स्टेटमेंट तो वही आएगा। मैं आपको यह कह रहा हूं कि उसका एक तो प्रोपर जवाब नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री कैलाश मेघवाल : मंत्री के स्टेटमेंट देने के अधिकार को मान्यता दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इसमें एक बार बोलना पड़े तो बाद में बोले वह सही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह समझकर चलना, उप मुख्य मंत्री जी का यह मानना, वो तो उनके पास में जैसा स्टेटमेंट तैयार किया है वैसा ही पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे। यह ऐसा स्टेटमेंट है जो दूसरे फैक्ट्स आएंगे, मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास और भरोसा है कि होम मिनिस्टर इतने जीनियस है कि कोई इनको रिटन नहीं पढ़ता है, इनके सरस्वती बोलती है, ये स्टेटमेंट को बदल सकते हैं। इसलिए कोई स्टेटमेंट पढ़ा हुआ बोला जाए या लिखा हुआ ही पढ़ा जाए यह नहीं उनकी मैमोरी बहुत शार्प है, स्टेटमेंट ओरल और वर्बल भी दे सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं इस टेक्निकलिटी और औपचारिकता में न पड़ कर, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को पहले बोलने का अवसर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजें। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जो डैडलॉक चला आ रहा है वे उस डैडलॉक को खतम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ? एक जिद् पर आप अड़े हुए हैं उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहते ? यह डैडलॉक तीन रोज से यहां बना हुआ है, उस डैडलॉक को समाप्त करने की जिम्मेदारी आप पर अधिक है, हम पर कम है। हम इसमें कोआपरेट करना चाहते हैं, सदन को चलाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की तार्किक या कानून की बाधा देकर आप इस डैडलॉक को क्यों बढ़ाना चाहते हैं ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस डैडलॉक को खतम कीजिए और माननीय सदस्य को अपनी बात यहां पर कहने दीजिए। बाद में स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है ? इससे डैडलॉक खतम हो जाएगा। वरना वही बात आएगी, आसन को एडजोर्न करना पड़ेगा। फिर आएंगे, फिर एडजोर्न करना पड़ेगा इसलिए यह डैडलॉक होगा।

माननीय सचेतक महोदय ने एक बात कही कि इस प्रकार के पहले भी उदाहरण हुए हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकारी मुख्य सचेतक का उदाहरण महावीरजी जैसा पहले कभी यहां नहीं आया।

श्रीमती कमला : सरकार को दो-दो बार क्यों बोलना पड़े ? पहले स्टेटमेंट देंगे, फिर मैम्बर्स बोलेंगे, फिर उनका जवाब देंगे। दो-दो बार क्यों बुलाना चाह रहे हैं ? एक बार बोल देंगे आखिर में। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय, आप सत्ता पक्ष के जरूरत से ज्यादा दबते जा रहे हैं। दबने का कोई कारण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दब रहा हूं, आप बिना काम के बोले जा रहे हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह आरोप है, इसको एक्सपंज करिए ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कृपा करके स्टेटमेंट ...

श्री अध्यक्ष : मैं किसी से नहीं दब रहा हूं। आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, मर्जी आए जब सब जने खड़े होकर बोलते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था तो दी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते किसी की। सब माननीय सदस्य बोलते जा रहे हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज करिए।

श्री अध्यक्ष : मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े-बुजुर्ग हैं, मर्जी आए जो कह सकते हैं, इनको छूट है पूरी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप आसन पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इनको दबा रहे हैं बात-बात पर दबा रहे हैं। कोई परम्परा कायम नहीं होने दे रहे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी चौधरी, इधर के पक्ष की ज्यादा बातें आ रही है। यह मत कहो आप। दो मिनट सुनिए आप। (व्यवधान), आप सुनिए। मेरा यह निवेदन है कि आप और हम किसी समस्या का समाधान चाहते हैं। आपने मुझे लिखकर दिया है 50 के तहत, मैंने जानकारी मांगने के लिए लिखा है। जो आपको जानकारी थी आपने दे दी, अब सरकार की जानकारी आनी चाहिए। उसके बाद आप बोल लें उस पर। भरतसिंह जी को पूरा हक है कि वे पूरी बात कहेंगे। (व्यवधान) पहले नहीं होगा। पहले सरकार की जानकारी। माननीय मंत्री जी।

श्री भरतसिंह : अध्यक्ष जी, मेरी बात को सुनिए। आप चारों एफ.आई.आर. सुनाएंगे पहले।

श्री अध्यक्ष : आपकी पूरी बात सुनूंगा, मैं बैठा हूं आपकी बात सुनने के लिए । (व्यवधान) फिर कोई तथ्य रह जाएंगे तो फिर आ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले इनकी बात सुन ले, फिर आप पूरी बात कहें। उसके बाद ये वापस कह देंगे जो भी बात होगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पहले माननीय भरतसिंह जी को बोलने का मौका दिया जाए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने स्थगन प्रस्ताव को रिजैक्ट किया है या एक्सैप्ट किया है? क्या किया है, यह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कहा है, हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। मैं जानकारी सुन रहा हूं और आपको जानकारी दिला रहा हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एडजोर्नमेंट लिखकर दिया है, उनको बोलने का अवसर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए उसका स्टेटमेंट दिला रहा हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : हम लोगों को कब अवसर देंगे ? जिन सदस्यों ने लिखकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपको दी है ...

श्री अध्यक्ष : उन सबको बुलवाऊंगा। माननीय मंत्री जी।

श्री भरतसिंह : आसन से मेरा निवेदन है कि ये चारों एफ.आई.आर. पढ़े। इस प्रकरण में जो एफ. आई. आर. दर्ज है उनको सुनाएं गृह मंत्री जी। एफ.आई.आर. को सुनाएं ये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। कोई बात हो तो आप कह सकते हैं, मना नहीं है।

श्री भरतसिंह : इस प्रकरण में जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई हैं उनको पढ़ाइए ताकि सच्चाई सामने आए। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी, आप एफ.आई.आर. पढ़ेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपके पास जो अवेलेबल चीज है वो आप सुना देंगे। आपको भी पूरी अनुमति है कि आप भी अपनी बात पूरी कहें। आपको कोई मनाही नहीं है।

श्री भरतसिंह : आप एफ.आई.आर. पढ़ेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा आपके कहने से नहीं करूंगा। मैं इस सदन के प्रांगण की मर्यादाओं को निभाते हुए जो भी मुझे कहना होगा, मैं कहूंगा।

श्री भरतसिंह : आप चारों एफ.आई.आर. पढ़ दीजिए। आप जितनी एफ. आई. आर. दर्ज हैं उसके अंदर, उनको सुना दीजिए।

शासकीय वक्तव्य

कर्नल सोनाराम संसद सदस्य पर असामाजिक तत्वों के कथित हमले

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12.3.98 को लगभग 6.30 पी. एम. पर श्री मेवाराम मेहता, पुत्र श्री ओगड़ मेहता, निवासी बालोतरा ने थाना बालोतरा पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी। वह है–

"आज संसद सदस्य श्री सोनाराम जी चौधरी के साथ उनकी जिप्सी गाड़ी में समदड़ी से बालोतरा आ रहे थे। तब जालियान के पास पीछे से गाड़ी नं. आर. जे. -04-सी-1052 टाटा सूमो ने तेज रफ्तार

(श्री कैलाश मेघवाल)

से हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए जानबूझकर टक्कर मारी। टाटा सूमो में बैठे लोगों की नीयत खराब होने का संदेह होने से हमारी गाड़ी बिना रोके हम बालोतरा की चलते रहे। उसके बाद उस गाड़ी ने रफ्तार बढ़ा कर पीछा करते हुए गलत साइड में आकर हमारी जिप्सी के आगे लाकर हमारा रास्ता रोक दिया। तब हमारे ड्राइवर ने पास से साइड लेकर हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डाक बंगले के पास पहुंचाया और पीछा कर रही गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया तो उस गाड़ी के ड्राइवर बाबूसिंह ने गाड़ी तेज गति से बैक लेकर समदड़ी की तरफ बहुत ही तेज गति से भाग गया। उस गाड़ी में दो-तीन आदमी और थे, उन सबने हमको जानी-नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और हमारी जिप्सी गाड़ी के टक्कर मारी।"

इस पर मुकदमा नं. 79/98, अंतर्गत धारा 279, 341, 352, 336, भारतीय दण्ड संहिता व 184, 185 मोटर व्हीकल एक्ट में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही चारों तरफ नाकेबंदी करायी गई एवं पुलिस द्वारा पीछा कर घटना के आधा घण्टा बाद तलाश कर टाटा सूमो गाड़ी नं. आर. जे. -04 सी 1052 एवं मुलजिम बाबूसिंह को दस्तयाब किया गया उसके शराब पीये हुए होने के कारण डाक्टरी मुआयना करवाया गया तथा टाटा सूमो गाड़ी को कब्जा पुलिस लिया गया। बाबूसिंह को गिरफ्तार किया गया तथा उससे पूछताछ के पश्चात् अन्य मुलजिमान मनोज कुमार भलिया उर्फ भरत कुमार एवं छगना राम को नामदज किया गया। मुलजिम बाबूसिंह से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैं शराब पीया हुआ था। ज्यों ही गाड़ी सामने आयी तक मैंने देखा कि सामने आने वाली गाड़ी एम. पी. साहब की गाड़ी थी तक मुझे होली की रामा-श्यामा करने की इच्छा हुई। मैंने मेरी गाड़ी एकदम पीछे मोड़ी और कनाना और जानियाना के पास बाहर हाथ का इशारा देकर रोकने की कोशिश की मगर गाड़ी नहीं रुकी। बालोतरा चुंगी नाके से एक किलोमीटर से पहले मेरी गाड़ी एम. पी. साहब की गाड़ी के पीछे से टकरा गयी। फिर चुंगी नाके के आगे समदड़ी रोड पर मैंने मेरी गाड़ी को एम. पी. साहब की गाड़ी के आगे लाकर उन्हें रोकने हेतु खड़ी कर दी। तब एम. पी. साहब ने गाड़ी न रोक कर हमारी गाड़ी के पास से आगे निकाल ले गये। फिर मैं व मेरे साथी मनोज कुमार भलिया एवं छगना भील गाड़ी लेकर रवाना होकर पीछे-पीछे गये। डाक बंगले के पास हमारी गाड़ी को देखकर 200 के करीब आदमियों ने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो डर के मारे गाड़ी को बैक लेकर गाड़ी वापस मोड़कर गांव की तरफ

(श्री कैलाश मेघवाल)

हम भाग गये। शेष तीनों मुलजिमानों की गिरफ्तारी हेतु उनकी सकूनत पर दबिश दी गयी एवं उनके साथी मित्रों की तलाश की गई । उनके सम्बन्धियों को मुलजिमानों को

(13.13)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पेश करने बाबत समझाइश की गयी तथा अभियुक्त छगना भील को दिनांक 13.3.98 को शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफतीश से यह बात सामने आयी है कि गत लोक सभा चुनाव में बाबूसिंह के भाई खींवसिंह द्वारा कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करना ज्ञात हुआ है। जहां तक अन्य मुलजिमान छगना भील का प्रश्न है, उसके भाई गोगाराम गत लोक सभा चुनाव के दौरान जानियान मतदान केन्द्र पर कांग्रेस (आई) के पोलिंग एजेंट के रूप में बैठे थे। इस प्रकरण का तीसरा मुलजिम मनोज कुमार उर्फ तेजा राम नाई, निवासी बालोतरा, बालोतरा थाने का हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरुद्ध थाना बालोतरा में आठ प्रकरण दर्ज होकर अदालत में जेर ट्रायल है।

अनुसंधान में पाया गया कि अभियुक्तों ने जानबूझकर लम्बी दूरी तक पीछा किया तथा टाटा सूमो को तेज गति से चलाकर जिप्सी के पीछे से टक्कर मारी जिसकी वजह से जिप्सी में बैठे व्यक्तियों की जान संकट में डाली। उनका यह कृत्य जुर्म धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता की हद में आने से उक्त धारा भी जोड़ी गयी। अब तक के अनुसंधान में चारों मुलजिमान के विरुद्ध प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 279, 341, 336, 352, 308 भारतीय दण्ड संहिता व 184,185 मोटर व्हीकल एक्ट बनना पाया जाता है। इस प्रकरण में मुलजिम बाबूसिंह व छगना भील को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शेष दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतु दो टीमें गठित की गयी हैं जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टाटा सूमो गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें किसी प्रकार का कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। प्रकरण का अनुसंधान तत्परता से जारी है।

इसके पहले की घटना है। दिनांक 10 व 11.3.98 की रात्रि को करीब 1.15 एएम.पर सर्किट हाउस के चौकीदार ने थाना कोतवाली पर टेलीफोन पर सूचना दी कि एक मारुति में तीन आदमी आये तथा सर्किट हाउस, बाड़मेर में ठहरने को लेकर कर्मचारियों से झगड़ा-फसाद करने को उतारू हैं। उक्त सूचना पर कोतवाली से उप निरीक्षक मय पुलिस जाब्ते के सर्किट हाउस पहुंचे तो तीन व्यक्ति सर्किट हाउस के कर्मचारी कमल सिंह एवं दौलत राम को सर्किट हाउस में कमरा देने को कह रहे थे। चौकीदार ने उन्हें सर्किट हाउस में कोई कमरा नहीं दिया जिस पर वे गाली-गलौच करने लगे तथा झगड़ा करने पर उतारू हुए।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इन लोगों ने कर्नल सोनाराम, सांसद, बाड़मेर के टेलीफोन नम्बर भी पूछे तथा नहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इन लोगों को जब सर्किट हाउस में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा कमरा नहीं दिया गया तो वे आक्रोश की मुद्रा में सर्किट हाउस से यह कहते हुए रवाना हो गये कि वे अभी आते हैं और सर्किट हाउस के कर्मचारियों को देख लेंगे। यह कहकर कि वे बिना नम्बरी मारुति कार में बैठकर रवाना हो गये। इस पर उप निरीक्षक ने मय जाब्ता कार का पीछा किया एवं करीब 150 मीटर दूर रेलवे क्रोसिंग पर उन्हें रोक लिया तथा कार के बिना नम्बर के होने पर गाड़ी के कागजात मांगे तो उनके पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं होना पाया गया तथा कार के बारे में पूछताछ की तो वे उत्तेजित हो गये। उन लोगों को पुलिस द्वारा समझाइश की गयी लेकिन ये लोग और उत्तेजित होने लगे जिसके कारण यह आशंका प्रबल हो गयी कि ये निश्चित रूप से कोई न कोई काबिल पुलिस दखलंदाजी अपराध कारित करेंगे जिस पर इन तीनों व्यक्तियों, सर्वश्री राजवीर, महेन्द्र, अनिल को शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा कार को धारा 102 दण्ड प्रक्रिया संहिता से जब्त किया गया। इनकी कार की तलाशी ली गयी तो कार में कोई हथियार अथवा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गयी। इन तीनों से पूछताछ में यह बात सामने आयी कि ये तीनों एवं तीन अन्य पुखराज पुत्र एम.एल.अग्रवाल, नीरज सिंघल एवं ज्ञानमल अग्रवाल निवासी जोधपुर, सभी 6 व्यक्ति जोधपुर से मारुति कार में रवाना होकर रात्रि में करीब 12 बजे बाड़मेर पहुंचे जहां पर तीन व्यक्तियों को बाड़मेर में ही उनके रिश्तेदार के घर जाने हेतु छोड़कर सर्किट हाउस पहुंचे। जहां पर ठहरने को लेकर विवाद हुआ। उल्लेखनीय यह है कि ये तीनों व्यक्ति सर्किट हाउस में ठहरने के लिए कर्मचारियों से विवाद कर रहे थे उस वक्त श्री सोनाराम जी चौधरी, सांसद सर्किट हाउस में अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। पूछताछ में यह बात सामने आयी कि ये तीनों व्यक्ति कर्नल सोनाराम से पूर्व परिचित नहीं थे तथा न ही इनकी कर्नल सोनाराम से पुरानी दुश्मनी होना बताया। गिरफ्तार शुदा तीनों व्यक्तियों को दिनांक 11.3.98 को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है।

श्री भरतसिंह, विधायक के साथ मनोहरपुर में घटी घटना

कस्बा मनोहरथाना में दर्ज प्रकरणों की तथ्यात्मक रिपोर्ट

दिनांक 9.3.98 को 6.45 पी.एम.पर श्री अरुण कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ वर्मा,

(श्री कैलाश मेघवाल)

विधायक, मनोहरथाना ने एक लिखित रिपोर्ट थाना मनोहरपुर पर प्रस्तुत की कि जब वह महाजन सागर कुएं पर पूजा कर रहा था तो श्री भरतसिंह, रघुराज सिंह हाडा, भोला राम शर्मा, राजमल व अन्य बाउण्ड्री के अन्दर आकर उसके पिता को गाली-गलौच करने लगे। मना करने पर भरतसिंह ने पकड़कर चाकू निकालकर मारा तथा अन्य लोगों ने भी लात-घूंसों से मारपीट की। उक्त रिपोर्ट पर अपराध संख्या 33/98 अन्तर्गत धारा 341, 324, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता थाना मनोहरथाना पर दर्ज किया गया। उक्त मुकदमे के मजलूम अरुण कुमार को डाक्टरी मुआयने के लिए मनोहरथाना अस्पताल भेजा गया तो उसके अपने साथियों के साथ वहां के प्रभारी डाक्टर अनिल जैमन को कमरे में बंद कर उक्त चोट को गम्भीर लिखने बाबत कहा। डाक्टर जैमन के मना करने पर स्टूल उठाकर उसके सिर में मारी। डाक्टर की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 34/98 अन्तर्गत धारा 332, 353, 34 भारतीय दण्ड संहिता थाना मनोहरथाना में दर्ज किया गया है। दिनांक 9.3.98 को समय 10 पी. एम. पर रघुराज सिंह हाडा पुत्र माधोसिंह निवासी झालावाड़ ने अकलेरा थाने पर लिखित रिपोर्ट दी कि आज भरतसिंह विधायक कार्यकर्ताओं के साथ वीरमचन्द सरपंच, बांसखेड़ी के साथ मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं करने बाबत मनोहरथाना पर प्रदर्शन करने गये थे तथा वहां से ज्यों ही निकलकर सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर 7 पी. एम. पर रवाना हुए तो अरुण पुत्र जगन्नाथ वर्मा, विधायक, रामचन्द्र पुत्र बाला राम, रेडू पुत्र धन्ना, रमेश मेवाड़ा, बृजेश मालपानी, विनोद कुमार लाल उर्फ गिरज्या, नवनीत मालपानी वगैरह ने लाठी, सरियों से मारपीट की जिससे भरतसिंह, विधायक के हाथ में भी चोटें आयीं, जीप के शीशे तोड़ दिये व अरुण वर्मा ने फायर किया जिससे बचकर भागे। वहां से भागकर अकलेरा थाना पर रिपोर्ट करने आये हैं। इस रिपोर्ट पर थाना अकलेरा पर बिना नम्बरी एफ. आई. आर. अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 307, 323 भा. दं. सं. दर्ज की गयी तथा मुकदमा कायमी हेतु थाना मनोहरथाना पर भेजी गयी। जहां पर इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 33/98 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 307, 323 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 10.3.98 को श्री राजेन्द्र कुमारी सोनी निवासी मनोहरथाना ने थाना मनोहरथाना पर एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि कल रात को सात-सावा सात बजे अचानक कुछ व्यक्तियों की जीप मेरी दुकान के सामने आयी और वे चिल्लाये कि मारो-मारो तथा पथराव करना शुरू कर दिया। अचानक मेरे पर हुए जानलेवा हमले के डरकर मैं अन्दर चला गया वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। उसके बाद उन्होंने मेरी दुकान बंद कर तोड़फोड़ शुरू कर दी, मेरी दुकान के कांच

(96)

(श्री कैलाश मेघवाल)

तोड़ दिये और पत्थर मारा जो अलमारी के लगा जिसके निशान भी मौजूद हैं। पथराव करने वालों में से मैंने सिर्फ एक व्यक्ति हो पहचाना जिसका नाम ओम चौटाला है और बाकी व्यक्ति से अपने आपको बचाने के प्रयास में पहचान नहीं पाया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उचित कार्यवाही की जाए।

इस रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 36/98 अन्तर्गत धारा 147, 148 336, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया है। उक्त चारों प्रकरणों का अनुसंधान सी. आई. डी. (सी. बी.) द्वारा किया जा रहा है तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (सी. बी.) कोटा ने घटनास्थल पर पहुंच कर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया है। अनुसंधान के पर्यवेक्षण हेतु जयपुर से सी. आई. डी. (सी. बी.) के पुलिस अधीक्षक को भी भेजा गया है। कस्बा मनोहरथाना व अकलेरा में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है तथा स्थिति की निगरानी जारी है। कस्बा मनोहरथाना एवं अकलेरा में बंद का आह्वान किया गया है। पुलिस उप निरीक्षक, कोटा ने बताया है कि कस्बा मनोहरथाना व अकलेरा में धारा 144 लागू कर दी गई है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेटमेंट है...

श्री कैलाश मेघवाल : वह मैंने कहा ना, दो के स्टेटमेंट आज दे दूं। रामेश्वर जी चौधरी का भी दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे नहीं बोले, श्रीमान् रामनारायण जी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : हमारा जो स्थगन प्रस्ताव है उसमें इतना ही नहीं है। वायदा किया था सरकार ने कि पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। हमने एग्जिटेट किया था कि आपके पास जानकारी नहीं है। आप स्वयं यह कह चुके हैं कि मेरे पास जानकारी नहीं है, फिर स्टेटमेंट किस बात का दिया है ? यह क्यों समय बरबाद किया है विधान सभा का और क्यों हमारा समय बरबाद किया है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय तो मैं कतई बरबाद नहीं कर रहा । माननीय विधायकों की ओर से जो भी प्रकरण उठाये गये, मैं सारे प्रकरणों के बारे में स्थिति स्पष्ट रखना चाहता हूं। मेरे पास माननीय रामेश्वर लाल जी चौधरी के बारे में भी है, मैं थोड़ा निकाल लूं और वह भी पढ़ दूं। मेरे पास में श्री राधेश्याम जी के बारे में भी है, वह भी पढ़ दूं। मेरे पास राजेन्द्र जी के बारे में भी है, वह भी पढ़ दूं। अगर आप चाहते ही हैं तब तो थोड़ा मैं निकाल लूं। पहले मैंने कहा था कि मैं दो विषयों पर ही स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसलिए वे मैंने निकाले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, आप सभी पढ़ दो। (व्यवधान) नहीं नहीं, हमने तो

(श्री रामनारायण चौधरी)

अनुरोध किया था कि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप हमारी पूरी बात सुन लें, सारी जानकारी ले लें। (व्यवधान)

गंगानगर के किसान आन्दोलन के दौरान उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति

श्री कैलाश मेघवाल : गंगानगर के किसान अन्दोलन के दौरान उत्पन्न कानून व्यवस्था की स्थिति पर तथ्यात्मक रिपोर्ट : -

गंगानगर में नरमा व कपास की खराब हुई फसलों के मुआवजे की सरकार से मांग करने के संबंध में माह दिसम्बर, 97 के अंतिम सप्ताह से किसान मोर्चा तथा अन्य राजनैतिक दलों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शन व धरने का आयोजन कर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय श्री गंगानगर में ज्ञापन दिये गये। दिनांक 10.11.97 को इसी संबंध में सभी राजनैतिक दल, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, पार्टियों, व्यापारिक संगठनों और छात्रों ने मिलकर गंगानगर बंद का आह्वान किया जो पूर्ण रूप से सफल रहा। इसके बाद सरकार द्वारा खराब हुई नरमा व कपास की फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई गई। उसके बाद राजनैतिक पार्टियों द्वारा खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाये जाने बाबत प्रदर्शन किये जाते रहे। इसी सिलसिले में मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस (आई), वामपंथी दलों सी. पी. एम. , सी. पी. आई., बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि के नेतागण द्वारा जिला प्रशासन का दिनांक 10.12.97 को घेराव करने का आह्वान किया गया है। कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु दिनांक 9.12.97 को जिला मुख्यालय पर आयोजित अपराध गोष्ठी के दौरान जिले से आये सभी पुलिस अधिकारियों के समक्ष इस घेराव के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, सभी पहलुओं पर विचार किया गया।

इसी अनुपात में दिनांक 10.12.97 को होने वाले प्रदर्शन के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किये गये। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गंगानगर, उप अधीक्षक (शहर) श्रीगंगानगर, उप अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीगंगानगर, उप अधीक्षक पुलिस, करणपुर, श्रीगंगानगर शहर के चारों थानाधिकारी, थानाधिकारी केसरीसिंहपुर, करणपुर, गुमड़वाली, सार्दुलशहर, लालगढ़, जाटान, मटोली राठान, हिन्दूमल कोट, चुनावढ़ को मय जाब्ता के दिनांक 10.12.97 को प्रातः 8 ए. एम. पर गंगानगर मुख्यालय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया एवं पुलिस लाइन में गंगानगर की अतिरिक्त पुलिस मय आर. ए. सी. व घुड़सवार पुलिस, महिला पुलिस तथा मुख्यालय पर मौजूद अन्य सभी जाब्ते को तैनात किया गया । दिनांक 10.12.97 को प्रातः के लिए जिला दण्डनायक श्रीगंगानगर को कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए भी निवेदन किया गया। दिनांक 10.12.97 को प्रातः अधोहस्ताक्षरकर्ता कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा जो रेंज कार्यालय, बीकानेर के आदेशानुसार पुलिस लाइन में होनी थी, उसमें बोर्ड के सदस्य होने का

(श्री कैलाश मेघवाल)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को कार्यभार सौंप दिया। कानून व शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्व में लगी हुई धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कड़ाई से पालन किया जाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर की बाउन्ड्री एवं दरवाजों पर थानाधिकारी स्तर के अधिकारियों को मय जाब्ता के प्रातः 8 ए.एम. पर लगाया गया। तैनाती से पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर जाब्ते को विस्तार से ब्रीफ कर दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) श्रीगंगानगर, श्री सी.आर. मीणा ड्यूटी देने हेतु उस समय पहुंच चुके थे। इतंजाम के संबंध में श्री सत्यनारायण शर्मा, थानाधिकारी द्वारा सभी को विशेष हिदायतें दी गई। करीब 10 ए.एम. पर गंगासिंह सर्कल पर माइक की व्यवस्था कर आन्दोलनकारी इकट्ठे होना प्रारम्भ हो गये। गंगानगर शहर के कांग्रेस वर्कर दुकान नंबर एक, पुरानी धान मंडी, गंगानगर पर एकत्रित हुए जहां कांग्रेस का कार्यालय है। वहां से श्री राधेश्याम, विधायक, गंगानगर, श्री हीरालाल इन्दौरा, विधायक, केसरीसिंहपुर , श्री शंकर पन्नू, जिला प्रमुख, श्रीगंगानगर के नेतृत्व में 50-60 व्यक्ति जुलूस की शक्ल में करीब 10.15 ए.एम. गंगासिंह सर्कल पर पहुंच कर अपने...

श्री हीरालाल इन्दौरा : हजारों आदमी थे, 50-60 नहीं थे

श्री राधेश्याम गंगानगर : 3000 आदमी...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक किलोमीटर लम्बा जुलूस था।

श्री कैलाश मेघवाल : आगे ज्यादा हो गये होंगे, यह तो आप जहां से रवाना हुए वहां की बात है। मैं विस्तार से दे रहा हूं। नहीं आप हजारों को इकट्ठे कर सकते हैं।

इसी दौरान श्री हेतराम, पूर्व विधायक, श्री भूरामल स्वामी, नवरंग चौधरी ने नेतृत्व में सी. पी. एम., कार्यकर्ता, ईंट भट्टा के मजदूर संघ, पल्लेदारों को लेकर माल गोदाम की... (व्यवधान) धीरे-धीरे इकट्ठे हुए थे अलग- अलग, वह वर्णन कर रहा हूं। आपका योजनाबद्ध अन्दोलन था, व्यवस्थित था। (व्यवधान) जुलूस के रूप में गंगानगर चौक पर पहुंचे जिनकी संख्या लगभग 150 थी। इन्होंने भी सी. पी. एम. के बैनर व झंडे गंगासिंह चौक पर लगाये। जनवादी महिला समिति की महिलाएं लगभग 30-40 की संख्या में गंगासिंह चौक पर पहुंची। लगभग 11 बजे करीब 200 आदमी एवं 30-40 महिलाओं की उपस्थिति गंगासिंह चौक पर थी। इस दौरान सभा को श्री राधेश्याम, श्री हीरालाल इन्दौरा, विधायक, श्री नवरंग चौधरी, भूरामल स्वामी, श्री के. सी. शर्मा, बेद प्रकाश व राजेन्द्र सोनी, श्रीमती मनिन्दर कौर नंदा, श्रीमती दुर्गास्वामी, श्री कुलदीप इन्दौरा, श्री सहदेव नाडे गुप्ता, श्री अमीर चौधरी, श्री सत्कल व अन्य नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया। धीरे-धीरे बाहर से आये हुए लोगों की भीड़ बढ़ती गई। दोपहर 12 पी. एम. 2500-3000 लोगों की

(श्री कैलाश मेघवाल)

भीड़ इकट्ठी हो गई । इसको आप ज्यादा और बता देना। (व्यवधान) जिन्होंने कलेक्ट्रेट गंगानगर के सामने रास्ता जाम कर दिया। उपरोक्त नेताओं ने भीड़ में उत्तेजनात्मक भाषण दिये। ये लोग कह रहे थे कि कलेक्ट्री में घुसकर तोड़फोड कर दो, मंत्री देवीसिंह भाटी की तरह अधिकारियों के जूते मारों एवं इनके मुंह काले करो। श्री भूरामल स्वामी जिला प्रशासन को भद्दी गालियां दे रहा था। श्री हेतराम बेनीवाल ने कहा कि अधिकारियों के जूते मारो। श्रीमती दुर्गा स्वामी महिलाओं को जबरदस्ती कलेक्ट्री में घुस जाने को कह रही थी तथा यह भी कहा कि जो भी रोके तो इन डंडे वाले को डंडों से मारो। करीब एक पी. एम. पर श्री हेतराम बेनीवाल ने कहा कि कलेक्ट्री को चारों तरफ से घेर लो और मेरे आदेश का इंतजार करो आदि। इस पर इकट्ठी भीड़ ने मिलकर कलेक्टर को बाहर से घेर लिया और इसी दौरान श्री हेतराम बेनीवाल, श्री राधेश्याम, विधायक, श्री शंकर पन्नू, जिला प्रमुख ने बात करने के बहाने कलेक्ट्री के उत्तरी दिशा के मुख्य दरवाजे से अन्दर प्रवेश किया। श्री हेतराम बेनीवाल के अन्दर आते ही...

श्री हीरालाल इन्दौरा : बात करने के लिए नहीं, बहाने से बुलाया था।

श्री कैलाश मेघवाल : कलक्टर परिसर के अन्दर से ही...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य। पहले आप धैर्य से सुनिये।

श्री कैलाश मेघवाल :...बाहर खड़ी भीड़ को अन्दर घुस आने के लिए उकसाने लगे। इसी दौरान गेट के बाहर सड़क की तरफ खड़ी भीड़ में खड़ी श्रीमती दुर्गा स्वामी, श्री नवरंग चौधरी, श्रीमती मनिन्दर कौर नंदा व अन्य बहुत से नेता लोगों को भड़काने लगे तथा गेट को तोड़ने के लिए धक्का देने लगे जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा ऐसा करने से मना करने एवं समझाने पर भी लोग वहां नहीं माने तथा कलेक्ट्री की बाउण्ड्री व गेट के ऊपर से जबरदस्ती कलक्ट्रेट परिसर में घुसने लगे एवं उनको रोक रहे पुलिस जाब्ते को पत्थरों व लाठियों से मारपीठ करने लगे। इसी दौरान नेताओं द्वारा उकसाने पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बलवाई हो गई तथा बुरी तरह से तैनात पुलिस जाब्ते पर पथराव करने लगी जिससे पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी काफी संख्या में घायल हो गये। बलवाइयों की भीड़ धारा 144 सी. आर. पी. सी. को तोड़ते हुए कलक्ट्रेट में घुस गई। उन्हें पुलिस द्वारा रोकने एवं समझाने का भरसक प्रयत्न किया गया परन्तु उन पर कोई असर नहीं हुआ। मौके पर मौजूद अतिरिक्त कलेक्टर (शहर), श्रीगंगानगर पी. आर. मीणा ने भी बलवाइयों को समझाने का भरसक प्रयत्न किया परंतु इसका भी भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ तथा भीड़ और अधिक उग्र

(100)

(श्री कैलाश मेघवाल)

होकर लाठियों तथा ईंट पत्थरों से ड्यूटी पर तैनात जाब्ते पर टूट पड़ी।

हालात बेकाबू होते देख कर अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), श्री गंगानगर ने भीड़ को संबोधित करते हुए आदेश दिया कि उसका मजमा गैरकानूनी है इसलिए वे लोग पांच मिनट में बिखर जाएं अन्यथा उन लोगों पर आंसू गैस का प्रयोग किया जाएंगा। यह आदेश एक बजकर पांच पी. एम. पर दिया गया था। दिया गया समय समाप्त होते ही अतिरिक्त कलक्टर (शहर), श्रीगंगानगर ने थानाधिकारी कोतवाली को आसूं गैस का प्रयोग करने बाबत लिखित आदेश दिया जिस पर तीन सिग्नल गैस ग्रेनेड फिकवाये गये। हवा चलने से गैस बेअसर साबित हुई तथा बलवाई और उग्र होकर पथराव करने लगे। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) ने पुनः बलवाइयों को चेतावनी दी कि उनका मजमा गैरकानूनी है, पांच मिनट में बिखर जाएं अन्यथा उन पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया जाएगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कहां से कह दिया भाई यह ?

श्री कैलाश मेघवाल : परन्तु चेतावनी का नियम समय में बलवाइयों पर असर नहीं होने देख कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर), गंगानगर ने थानाधिकारी कोतवाली को हल्का लाठी प्रहार करने का आदेश दिया। इस पर बलवाइयों पर नियमानुसार लाठी प्रहार किया गया। बलवाइयों की भीड़ लाठी प्रहार से तितर-बितर नहीं हुई तथा और अधिक उग्र होकर पथराव करने लगी। पथराव, लाठियों से पुलिस जाब्ते से मारपीट करने लगी। कलेक्ट्रेट के कार्यालय की तरफ बढ़ने लगी। इस पर अतिरिक्त जिला कलक्ट्रेट ने पुनः थानाधिकारी कोतवाली को लिखित आदेश दिया कि रबर बुलेट चलाई जाएं। इस पर कुल 13 चक्र रबर बुलेट फायर किये गये तक कहीं भीड़ पीछे हटी और तितर-बितर हो गई। भीड़ ने बलवे के दौरान मजिस्ट्रेट के उत्तरी दिशा में मुख्य दरवाजे के पिलर को व गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया, अन्दर लान के साइड में लगी लकड़ी की फैक्ट्रियों को तोड़फोड़ किया एवं उन्हें बतौर हथियार प्रयोग कर पुलिस जवानों को चोटें पहुंचाई तथा जिला विशेष शाखा का टेपरिकार्डर जो पुलिसकर्मी के पास था इस दौरान टूट गया। बलवाइयों ने पथराव कर कलक्ट्रेट परिसर में मौजूद वकीलों के शैड को क्षतिग्रस्त कर दिया। वृत्ताधिकारी ग्रामीण के कमाण्डो श्री अनवर पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया तथा सिर पर प्रहार किये जो उसकी आंख पर लगा, दाहिनी आंख पर चोट लगी। पथराव में कुल 27 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को चोटें लगी जिनमें श्री जीगेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, श्री हरीप्रसाद कटारा, वृत्ताधिकारी (ग्रामीण) श्रीगंगानगर, श्री राजेन्द्र सिंह, थानाधिकारी,

(श्री कैलाश मेघवाल)

केसरसिंहपुर , श्री मदनसिंह, थानाधिकारी करणपुर, श्री नंद किशोर, कांस्टेबल, श्री दौलतसिंह, कांस्टेबल, श्रीमुरारी लाल कांस्टेबल, श्री राजेन्द्र प्रसाद कांस्टेबल, श्री लक्ष्मीनारायणा, कांस्टेबल, श्री प्रहलाद सिंह कांस्टेबल, श्री वेदपाल कांस्टेबल, श्री नीरज शर्मा, कांस्टेबल, श्रीमती प्रेमलता, महिला कांस्टेबल, श्री विजय कुमार कांस्टेबल, श्री जयपाल कांस्टेबल, श्रीमती रतनेश कपूर, महिला कांस्टेबल, श्री अशोक कुमार कांस्टेबल...

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक भी दाख़िल हुआ क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह जिनके चोटें आई उनके नाम दे रहा हूं। श्री भागीरथ, कांस्टेबल, श्री सोमदत्त, हैड कांस्टेबल, श्री महावीर प्रसाद, श्री मनोज कुमार, कांस्टेबल है। बलवाइयों में मची भगदड़, उनके द्वारा किये गये पथराव एवं पुलिस द्वारा किये गये बल प्रयोग के बलवाइयों के भी चोटे आई हैं जिन्होंने पुलिस को सूचना दिये बिना स्वयं राजकीय चिकित्सालय, श्री गंगानगर जाकर अपना इलाज करवाया। चिकित्सालय अधिकारियों से सम्पर्क करने पर दी गई इन्जरी रिपोर्ट से निम्न बलवाइयों के चोंटे आना दर्ज किया है जिनके नाम इस प्रकार है: श्री जसवीर मक्कड़, श्रीमती दुर्गा स्वामी, श्री ओमप्रकाश, श्री राम नारायण, श्रीमती वेद मेहता, श्रीमती जीत कौर, श्री महावीर प्रसाद, श्री नवरंग चौधरी, श्री गुणन सिती, श्री राधेश्याम, श्री हीरालाल, श्रीमती किरण आर्य, श्री कबन हुसैन, श्री रामेश्वरलाल, श्री लक्ष्मण सिंह ...

श्री रामनायण चौधरी : राधेश्याम, इनको बलवाई बता दिया ?

श्री कैलाश मेघवाल : उपरोक्त बलवाइयों में से श्री लक्ष्मण सिंह के दाहिने पांव के घुटने के नीचे तक, कबन हुसैन के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर फैक्चर है। अन्य सभी के साधारण चोटें हैं। बलवाइयों के खिलाफ दिनांक 10.12.97 को पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर समय 7 पी. एम. पर मुकदमा नम्बर 463/97 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 188, 307, 336 भारतीय दण्ड संहिता व 3 पी. डी. पी. एक्ट दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 302 नहीं है ?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, 302 नहीं है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : 307 भी है क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह हे जो मैंने बोल दिये। दिनांक 14.11.97 को उक्त राजनैतिक पार्टियों ने फिर एक जुलूस निकाला जिसमें लोगों की संख्या करीब डेढ़ सौ थी जिसके नेता राधेश्याम, विधायक व श्री हेतराम बेनीवाल, पूर्व विधायक थे

(श्री कैलाश मेघवाल)

जिन्होंने सर्कट हाउस, श्रीगंगानगर पहुंचकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। उक्त दोनों अभियुक्त सी. आई. डी. (सी. बी.) के पास जेर तफतीश है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अच्छा हमारा कोई ? इजाजत है सर ?

श्री उपाध्यक्ष : ठहरिये । (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : रामेश्वर सिंह चौधरी वाला अभी आ रहा है, अभी आ रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मोदी जी वाला, मोहनजी मोदी।

श्री कैलाश मेघवाल : आपका तो आज ही सामने आया है तो कल ले आएंगे उसकी जानकारी। ऐसा है कि आपका मसला दो-ढाई साल पुराना है। आपको भी मालूम है कि आपके और माननीय विधायक रामनारायण जी डूडी के बीच में यह विवाद था और इस विवाद को सी. आई. डी. से तफतीश के लिए दे रखा है। आप कहते हैं आप सही है, माननीय रामनारायण, विधायक कहते हैं कि आप गलत हैं, झूठा मुकदमा आपने उन पर दर्ज कराया और इसीलिए आपकी पार्टी में भी अवरोध पैदा हुआ है। अब वह मुकदमा सी.आई.डी. में जेर तफतीश है, बिलकुल निष्पक्ष कार्यवाही उस पर की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिस तरह का यहां बयान दिया है मुझे यह बात सुनकर बहुत दुःख हुआ क्योंकि स्थिति जो है वह बहुत स्पष्ट है। मैं सदन को भी जानकारी देना चाहूंगा चूंकि उन्होंने बड़ा असत्य बयान दिया है यहां पर और राजनीति के प्रेरित होकर बयान दिया है, सत्यता यह है...

श्री परसराम मदेरणा : सुनिये, दूसरे स्टेटमेंट होने दीजिये आप। एक-एक का दें तो दूसरे वाले भी बोलना चाहते थे न बीच में।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, उन्होंने मेरे बारे में, नेता महोदय, जिस तरह का बयान दिया है मेरे को वापस तो कहना पड़ेगा न।

श्री परसराम मरेदणा : नहीं, आपको मौका मिलेगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं, उन्होंने मेरे बारे में भी कहा है न, तो मैं कहूंगा तो सही।

श्री परसराम मदेरणा : सब के बारे में कहा है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : नहीं-नहीं, अभी पर्टीकूलर मेरे बारे में ही बोला। मंत्री महोदय ने वही बात बोली है।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो उनके बारे में भी बोला है। दूसरे स्टेटमेंट हैं दो और, वे दो स्टेटमेंट देने दीजिए। सभी के बारे में नाम आ रहे हैं, राधेश्यामजी का नाम

(श्री परसराम मदेरणा)

भी आया है। आप दूसरा, रामेश्वरजी वाले मामले का दीजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : वह भी आए जब तक चर्चा चालू कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : है ?

श्री कैलाश मेघवाल : अब ये आए जो मैंने आपके सामने स्थिति रख दी। शुरू में ही कहा था, रामेश्वरजी चौधरी का भी मैंने तैयार कर लिया है, ज्यों ही मालूम पड़ा कि वह मसला भी यहां उठाया जा रहा है। आप जानते हैं कि जानकारी एकत्रित करने में, विभाग से सूचना आने में देरी, मैं उसमें छिपाना कुछ नहीं चाहता, वह अभी तक पहुंचा नहीं है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता। क्योंकि जिस ढंग से यहां अचानक, अनायास, मुझे एक निवदेन करना है। कुछ मामले तो उठे थे, जैसे माननीय फलौदी से आने वाले विधायक ने कहा। मनोहरथाना वाला और यह सोनारामजी वाला, जिसमें खेतसिंह जी बार-बार मुझे कह रहे थे जब से हुआ तब से। तो कुछ मामले ये प्राथमिकता पर थे कि यह उठने वाले हैं। अब दूसरे जो मामले आज के उस स्थगन प्रस्ताव में उठाये गये हैं उनकी सूचना मुझे पहले नहीं थी। यहीं आने पर मालूम पड़ा कि ये-ये मामले भी उठाये जाएंगे तो उनके बारे में भी मैंने सूचना मंगवाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सूचना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रख दूंगा मेरे पास आते ही। मैं कोई बात इस सदन से नहीं छिपाना चाहता।

श्री परसराम मदेरणा : वह आपका, भाटीजी का ?

श्री कैलाश मेघवाल : आपका भी बहुत पुराना है, वह भी अब आएगा। दो-ढाई साल पुराना है।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मामले में मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव इस सदन में दे रखा है और अध्यक्षजी को दे रखा है –

श्री कैलाश मेघवाल : विशेषाधिकार चल रहा है उनका।

श्री भीमराज भाटी : मैं निवेदन कर रहा था विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। एक हमारी कमेटी गई थी पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी, उस कमेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और उसका विशेषाधिकार का प्रस्ताव मैंने यहां पर दे रखा है अध्यक्ष महोदय को। उसके बारे में प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने दो चिट्ठियां मुख्य मंत्री को लिखी हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय ने चिट्ठियां लिखी हैं उसके बावजूद राज्य सरकार की हालत यह है कि जिस कर्मचारी के बारे में मैंने लिखा है और जिस कर्मचारी ने उपक्रम समिति के सदस्यों के साथ वहां सरेआम दुर्व्यवहार किया था, आज उस सरकारी अधिकारी को चूंकि वह राज्य के

(श्री भीमराज भाटी)

मुख्य मंत्रीजी का रिश्तेदार है इसलिए उस रिश्तेदार को ऐसी जबरदस्त पैसे कमाने वाली पोस्ट पर यहां जयपुर में जहां सारे राजस्थान की.....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब आप विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री भीमराज भाटी : माननीय सदस्यों की सुरक्षा की कोई....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया नियमों का ध्यान रखें, आप विराजें।

श्री भीमराज भाटी : मैं नियमों का ध्यान रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज विराज जाएं। आपने अपनी बात कह दी, कृपया विराजें।

श्री भीमराज भाटी : आप कहने तो देते ही नहीं है। जो अनुशासन में रहता है उसको सदन के अध्यक्ष महोदय, उस बात को कहने ही नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य कृपया विराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बार-बार मुख्य मंत्री जी को भी लिखा इन्होंने राज्यपाल महोदय को भी लिखा, गृह मंत्री जी को लिखा कि नहीं लिखा मुझे मालूम नहीं है, बराबर इनको जान से मारने की धमकी दी गई है।

श्री भीमराज भाटी : मेरे बच्चों को उड़ाने की बात करते हैं, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : इसके बाद वे विधान सभाध्यक्ष से मिले, यहां पर प्रिविलेज मोशन मूव किया। तो बैठ तो जाएंगे, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इस सदन के माननीय सदस्य को बराबर थ्रैट दी जा रही है कि तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। तो, गृह मंत्री जी, आपने इन्वेस्टीगेशन किया है इस मामले का, एक ? अभी आपके पास में फैक्ट्स नहीं है तो आज फैक्ट्स लेकर स्टेटमेंट दीजिये, दो। मेरी बात सुनिये और तीसरा माननीय सदस्य को ....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझे टेलीफोन पर सूचना दी थी और एस.पी. पाली से भी इनकी बात हो चुकी थी। उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन भी दिया। मैंने भी एस.पी., पाली को इस तरह के ....

श्री परसराम मदेरणा : यही मैं कह रहा हूं आपने इनको ...

श्री कैलाश मेघवाल : .... निर्देश दिये कि माननीय विधायक को प्रोटैक्शन दिया जाए। इनकी एस.पी., पाली से भी उसी संदर्भ में बात हो चुकी है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रोटैक्शन की बात मैं तीसरी कह रहा हूं कि इनको बिलकुल प्रोटैक्शन दिया जाए।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, दिया जा रहा है। पूरा प्रोटैक्शन दिया जाएगा। आप जैसा सुझाव देंगे वैसा प्रोटैक्शन देंगे। किसी भी

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय विधायक की प्रोपर्टी, लाइफ और लिबर्टी पर किसी तरह का आक्षेप नहीं आए यह राज्य सरकार की खुली मंशा है, स्पष्ट मंशा है। इसमें राजनीतिक मतभेद और राजनीतिक पार्टियों को बीच में नहीं आने दिया जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अब तक क्या प्रोटैक्शन दिया आपने बताएं ?

श्री हरिसंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) ... फिर भी इनकी जान की धमकी बदस्तूर जारी है। प्रिविलेज कमेटी ने लिखा है, अध्यक्ष जी ने लिखा है सरकार के लिए, उसके बाद भी ये बहुत चिन्तित थे। इनका परिवार चिन्तित है।

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि वे भी पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के सदस्य हैं ऐसी जलालत वे भुगत चुके हैं, इसलिए अभी कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे। मैं तो चेयरमैन हूं। यह बहुत सीरियस मैटर है पूरी कमेटी के साथ दुर्व्यवहार करना। फिर यहां पर माननीय सदस्य को अलग से पर्यटन विभाग में जब ये गये तो वहां पर घेर लिया गया। ये फैक्ट्स भी इन्होंने लिखे हैं और प्रिविलेज मोशन में भी दिये हैं। यह मामला बहुत सीरियस है। कोई भी माननीय सदस्य जब अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनको निर्वहने करने में बाधाएं डाली जाएं और उसमें राज्य का गृह विभाग पूर्ण प्रोटैक्शन नहीं दे, संरक्षण नहीं दे, यह बहुत दुःख की बात है, बड़ी चिन्ता का विषय है। मैं कहूंगा गृह मंत्री जी से कि आप निश्चित तौर पर इस मामले की जांच करवाइये। जो व्यक्ति मारने की धमकी देता है उसका आप प्रमोशन करने जा रहे हैं, तो आप यह कहेंगे कि आपके समायत में नहीं आता है। आपके समायत में नहीं आता है लेकिन जो अपराधी हैं अगर उनका ही प्रमोशन होना शुरू हो गया तो फिर इस विभाग में असामाजिक तत्वों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अब क्योंकि यह रीसेंट मामला जो दो-तीन दिन से यहां पर चल रहा था वह खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य के संबंध में था, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मौका दिया जाए ताकि वे अपनी बात कहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरतसिंह।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज से एक सप्ताह पहले मनोहरथाना में मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर हमला हुआ जिसकी एफ.आई.आर. अकलेरा डीवाई. एस.पी. के यहां दर्ज करवाई गयी। माननीय गृह मंत्री जी ने जब वक्तव्य दिया था तब मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वे चारों या जितनी भी एफ.आई.आर. इस प्रकरण में दर्ज हैं उनको पढ़कर सुनाएं।

(श्री भरतसिंह)

मनोहरथाना राजस्थान का वह हिस्सा है जिसकी हालत अगर बिहार से भी खराब कही जाए तो गलत नहीं होगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मनोहरथाना में, जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शिक्षा की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, वहां जो लोग कुर्सी पर शासन में बैठे हुए हैं उनके आतंक के साये में वे लोग-बाग जी रहे हैं। मुझे खानपुर से विधायक बनने का मौका मिला। मनोहरथाना की कुछ पंचायतें खानपुर विधान सभा क्षेत्र से लगती हैं इसलिए मेरा मनोहरथाना से भी सम्बन्ध है। पिछले चार साल से मैं मनोहरथाना की पंचायत समितियों की बैठक में भाग लेने जब जाता हूं तो मनोहरथाना के ऐसे क्षेत्र जो मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में आते हैं उसमें आतंक और लोगों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं उसके चिट्ठे उदय होकर सामने आते हैं। वहां से जो विधायक हैं उनका राजनीतिक जीवन जब शुरू नहीं हुआ था उसके पहले झालावाड़ जिले में झालरापाटन के अन्दर रेप के केस में मुंडन करके उनको झालावाड़ में घुमाया गया था।

श्रीमती बीना काक : उन्हें प्रोटैक्ट करना चाह रहे हैं आप लोग + + +

श्री भरतसिंह : और जेल में वे बंद रहे। लकड़ी की तस्करी में, हर प्रकार के अवैध धन्धे में उनको जेल में बंद किया गया था ....

श्रीमती बीना काक : इसीलिए बोलने नहीं देना चाह रहे थे भरतसिंह जी को।

श्री भरतसिंह : वर्तमान में जो वहां पर पुलिस अधिकारी लगते हैं ...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह भरतसिंह जी ने जो किया है यह फोटो है उसका। यह फोटो देखें।

श्रीमती बीना काक : आप बैठ जाइये। अभी सुनिये। अभी बैठिये...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (महुआ) : इससे क्या होगा? इससे अखबारों में नाम छप जाएगा आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भरतसिंह जी को बोलने दें, कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपका अखबारों में नाम छप जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है यह कोई एवीडेंस है क्या ? इसकी कोई एवीडेंशियल वैल्यू है क्या ? क्या बातें कर रहे हैं ?

श्री भरतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनोहरथाना में जो पुलिस कर्मचारी लगाये जाते हैं वे जगन्नाथ वर्मा के इशारे पर लगते हैं और ऐसा नहीं है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों को उसकी जानकारी नहीं है। हाल ही में अकलेरा में सी.आई. की पोस्ट कायम हुई है, जब सी.आई. की नियुक्ति नहीं हुई थी तब मनोहरथाना के

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री भरतसिंह)

बाजार में, कस्बे में और शहर में यह बात हो गई थी कि यहां पर राधेश्याम चौहान सी.आई. बनकर आ रहे हैं। एस.पी. ने आदेश नहीं किये थे, आदेश होने थे मगर खबर बाजार में थी कि अमुक व्यक्ति यहां पर आ रहा है। और राधेश्याम कौन है ? वह जब हैड कांस्टेबल था तो वह मनोहरथाना में भी रहा है और अकलेरा में भी रहा है। दो साल तक वह सी.आई.डी. में यहां जयपुर में था और जगन्नाथ जी जो विधायक हैं उनके घर में रहता था दो साल तक। उसकी नियुक्ति इसलिए करायी जा रही थी वहां ताकि उनकी जो राजनीतिक घटनाक्रम है लोगों के साथ जो मार-पीट करते हैं, वे लोग जो थाने में न्याय के लिए आते हैं उनको न्याय नहीं मिले। मनोहरथाना मैं क्यों गया था ? चुनाव के बाद मैं मनोहरथाना गया था उन लोगों को धन्यवाद देने के लिये, जिन्होंने चुनाव में मेरा साथ दिया। कांग्रेस पार्टी की हमारे अध्यक्ष ने बैठक की और 28 फरवरी को जब चुनाव के परिणाम नहीं आये थे, बांसखेड़ा के सरपंच वीरम लोधा जो जाति से लोधा हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से जगन्नाथ जी के उन लोगों ने जिनके खिलाफ पहले से ही अनेक प्रकरण थानों में दर्ज हैं, जो कायदे से हिस्ट्रीशीटर होने चाहिए, उन लोगों ने बुलाकर उनके साथ मारपीट की और मरा हुआ समझकर उनके हाथ और पैर खाट से हाथ एक तरफ और पैर बांधकर छोड़कर गये थे। उसके बाद में पुलिस को इत्तला हुई, झालावाड़ थाने में वह दर्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : यह घटना कब की है ?

श्री भरतसिंह : यह 28 फरवरी की घटना है और मतगणना दो तारीख को होनी थी। 28 तारीख को हुई, एक तारीख को शफाखाने में भर्ती हुए। चार तारीख को गांव के लोगों ने एस.पी. को दरख्वास्त दी कि इन मुलजिमों को, इन मारने वालों को, मैंने खुद ने भी बात की कि गिरफ्तार करें। मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। 9 तारीख को मैं अकलेरा पहुंचा। यहां अकलेरा में, मनोहरथाना में परिपाटी है कि वे मारते भी हैं और थाने में जो कर्मचारी उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है पहले से उसको सूचित कर दिया जाता है कि अमुक आदमी पीटेगा और पिटने वाले हैं उसके खिलाफ क्रॉस केस और दर्ज करवा दो। यह प्रथा है वहां की। उस वीरम को मारा है उसके बाद उसके खिलाफ वहां पर क्रॉस केस दर्ज करवाया है। वहां जो ए.एस.आई. लगा रखा था वह ए.एस.आई. उसी क्षेत्र का रहने वाला है। हैड कांस्टेबल था तब भी वहीं था, ए.एस.आई. है तब भी वहीं है। राजेन्द्र प्रसाद उसका नाम है, जावर का रहने वाला है वह। जावर थाना मनोहरथाना में लगता है। डांगीपुरा थाना जो मनोहरथाना में लगता है उसमें ए.एस.आई. के पद पर रहते हुए दो साल तक थानेदारी उसने कर ली, यह गृह मंत्री जी की जानकारी में मैं बता दूं। ए.एस.आई. थाना है आपका, मैं आपसे पूछता

(श्री भरतसिंह)

हूं वहां थानेदार क्यों नहीं लगाया ? थानेदार इसलिए नहीं लगाया कि वह ए.एस.आई. थानेदारी करे और इसके जो अवैध धंधे हैं, इनके जो अवैध काम चलते हैं उनको चलाने में प्रोत्साहन दे। जानकारी लीजिये, तथ्यों के आधार पर, रिकार्ड भी मिलेंगे। 9 तारीख को मेरे पास खबर आती है, लोग-बाग कहते हैं, साहब, हमें मारा अलग है और यह जो ए.एस.आई. है राजेन्द्र प्रसाद, हमारे पास आकर हमको बन्द करने के लिए बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ केस है, तुम चलो और जो मुलजिम हैं हमारे केस में मारने वाले, उनके साथ बैठकर चाय पीता है। डी.वाई.एस.पी. जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, मैंने उनके अकलेरा कार्यालय में टेलीफोन किया। मैं 9 तारीख को उनके वहां जाता हूं और उनसे कहता हूं कि यह क्या व्यवस्था है, लोगों को पीटो भी और लोगों को पकड़ने का दायित्व जिनका है वे मुलजिमों के साथ बैठकर चाय भी पीएं। यह आपकी व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था सुधारोगे आप। डी.वाई.एस.पी. टेलीफोन करते हैं मनोहरथाना के थानेदार को और कहते हैं कि इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लो। चूंकि मुझे मनोहरथाना जाना था, 4-5 घंटे के बाद मैं और गांवों में रुकता हुआ मनोहरथाना पहुंचता हूं।

मनोहरथाना हमारी कांग्रेस की मीटिंग में लोगों से बात करते हैं तो लोग-बाग धन्यवाद देना तो दूर, लोग-बाग जावर के थानेदार की शिकायत करते हैं। वे कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता से तूने पंजे पर वोट दिया था, तेरा पंजा हम तोड़ देंगे। यह थानेदार बोल रहा है जावर का। ए.एस.आई. की, उस राजेन्द्र प्रसाद की अनेक शिकायतें आती हैं। यह मेरा धर्म बनता है चुनाव लड़ने के नाते कि चुनाव मैं लड़ूं और कार्यकर्ता हमारा पिटे और उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएं और प्रशासन सुने ही नहीं ? कौन बोलेगा उसके लिए ? थानेदार को मैंने टेलीफोन किया, थानेदार वहां नहीं था मगर ए.एस.आई. वहां मौजूद था। मैंने कहा ऐसे कर्मचारियों को, अगर हम बोलेंगे कि इनका स्थानान्तरण कर दो तो हम इन अधिकारियों के सामने भीख मांगने की स्थिति में जाते हैं और ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा ऐसे आदमी का मनोबल हम तोड़ेंगे उसके थाने के सामने प्रदर्शन करेंगे और इस बात का इजहार करेंगे कि यह चलने वाली बात नहीं है। मैं थाने पर जाता हूं ए.एस.आई. के पास, मेरे साथ 5-25 कार्यकर्ता थे जो उस मीटिंग से उठकर, हमारे अध्यक्ष के वहां से गये। हमने उसको वहां बोला, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया, क्यों मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, क्यों तुम चाय पी रहे थे उसके साथ? उसने कहा था कि एक्स-रे रिपोर्ट नहीं आयी इसलिए मैंने गिरफ्तार नहीं किया। धन्य है आपका भैरूं शासन। वहां से चलकर एक शिकायत आयी मेरे पास, शिकायत क्या थी। "अपना गांव अपना काम" योजना के तहत एक सामुदायिक

(श्री भरतसिंह)

भवन बन रहा था। कौन निर्माण करवा रहा था उसका ? इस जगन्नाथ वर्मा जी के पुत्र अरुण वर्मा जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। सामुदायिक भवन के जो नियम होते हैं उनको ताक में रखकर किया गया। मेरे पास शिकायत आयी। मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूं कि मौके पर जाकर चीज को अपनी आंखों से देखूं। उसके बाद उसके बारे में जिला प्रशासन की, डी.आर.डी.ए. की 21 तारीख को झालावाड़ में बैठक होने वाली थी उस बैठक में इसके ऊपर चर्चा करता। मैं मौका देखने गया, हालात को समझने गया कि वास्तविकता है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो शिकायत करने वाले हैं वे तथ्यों से परे शिकायत कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ बी.डी.ओ. से जब मैंने जानकारी ली। मैंने कहा, इसमें 30 प्रतिशत राशि क्या जमा करायी ? "अपना गांव अपना काम" में 30 प्रतिशत राशि कैश जमा करानी पड़ती है, वह जमा नहीं करवायी। जहां एक मन्दिर स्थल है वहां सरकारी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस स्थान पर पूरा कब्जा कर लिया। ऐसा ही नहीं, काफी पचासों लोगों की भूमि पर निजी कब्जा करने के लिए सामुदायिक भवन के नाम से तो पैसा खर्च किया और उस जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं मौका देखने गया। क्योंकि मैंने थाने में नारे लगाये थे, ए.एस.आई. माननीय विधायक जी का एजेंट है उन्होंने उसको सूचना कर दी कि इस प्रकार भरतसिंह और उनके साथी आये थे और इन्होंने यहां पर नारेबाजी लगायी। क्योंकि सामुदायिक भवन का निरीक्षण मैं करने गया, उनको था कि यह तो हमारे पीछे पड़ गया, हर बात को उजागर कर रहा है। और यह सही है, मैंने विधान सभा के माध्यम से इनके जो कारनामे हैं उनके बारे में समय-समय पर जानकारी ली। तथ्य मेरे सामने हैं। जब मैं वहां से निकलकर आ रहा था, मुझ पर हमला हुआ। लोगों ने कहा कि आप आइये, ये गुण्डे हैं। जान बचाकर, वहां से निकलकर मैंने कहा कि मैं मनोहरथाना थाने में शिकायत करूंगा। उन्होंने कहा, मनोहरथाना बाजार के अन्दर है थाना, आप अकलेरा जाकर शिकायत करिये। लोगों ने कहा आप जल्दी से जीप निकालें। जब मैं जीप निकाल कर जा रहा था इन्होंने उस टाइम भी वार किया। हमारे भाई रघुराजसिंह जी के लगी, मेरे ऊपर कांच के टुकड़े लगे। इन्होंने फायर तक किया। मनोहरथाना जाकर मैंने, वहां डी.वाई.एस.पी. नहीं थे उनका आने तक इन्तजार किया, उनके आने के बाद उसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवायी और उसके बाद धरना दिया वहां पर कि इनके खिलाफ जब तक कार्यवाही पूरी नहीं होगी मैं नहीं उठूंगा। और क्यों दिया मैंने धरना? इसलिए दिया कि एक साल पहले भी अकलेरा बन्द रहा था और धरना दिया था वहां के लोगों ने। इन्हीं जगन्नाथ वर्मा जी के और इन्हीं लड़कों के साथ जिन लोगों ने हमारे साथ शिकायत की थी कि इस केस में जगन्नाथ जी नहीं थे, 144 लागू हुई थी

(श्री भरतसिंह)

अकलेरा के अन्दर बंदूकें चली थीं। क्या नतीजा निकला ? एक मुलजिम उस एक साल पहले की घटना के बाद अरेस्ट हुआ आज तक। वे फाइलें पड़ी हुई हैं, उसके अन्दर आपकी सी.आई.डी. जांच कर रही है, सी.आई.डी. (सी.बी.) जांच कर रही है और वे प्रकरण वहां पर पड़े हुए हैं। यह चिट्ठा है इनके कारनामों का। 31 संगीन मामले हैं इनके ऊपर। मैं सदन की मेज पर रखूंगा। आप इसको देखेंगे तो + + + आनी चाहिए उस पार्टी को, जो लोग-बाग कहते हैं कि राजनीति में स्वच्छता लाएंगे और गुण्डागर्दी दूर करेंगे। + + + क्या स्वच्छता लाएंगे आप ? भले आदमी को जिन्दा नहीं रखना चाहते। उसके बाद, गृह मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल आपने संदेश भेजा पूरे थानों में कि भरतसिंह के खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज हैं, मेरी जांच करवाई है, मुझे दबाना चाहते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बिलकुल असत्य कथन कह रहे हैं। मैंने इस तरह कोई निर्देश नहीं दिया है। इस तरह भावना में आकर ये सदन को प्रभावित नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री भरतसिंह : आप आपके वहां से जांच करवा लीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायक जब-जब भी मेरे पास आये मैंने हमेशा इनकी बात सुनकर न्यायोचित कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। आज जो इन्होंने यह आरोप लगाया है वह बिलकुल असत्य है, मनगढ़ंत है, राजनीति से प्रेरित आरोप है कि मैंने इनके खिलाफ इस तरह की कोई जानकारी मांगी हो।

श्री भरतसिंह : माननीय गृह मंत्री जी, आपके आदेश के बिना इस तरह —

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भरत सिंह जी, जो घटना है उसके बारे में आप संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें।

श्री भरतसिंह : इस घटना से सम्बन्धित ही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समय ले लिया आपने। वक्तव्य के बाद केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री भरतसिंह : समय ? क्या मेरी जान ही ले लेंगे ? उसके बाद —

श्री उपाध्यक्ष : फिर आपको समय दे रहे हैं आप उसका सदुपयोग करिये।

श्री भरतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्होंने मेरी पूरी रिपोर्ट वहां से करवायी। मेरे खिलाफ आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। मैं इस प्रकार का नहीं हूं, मुझे राजनीति में इस प्रकार का शौक भी नहीं है। एक + + + की बात है जो चार साल

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भरतसिंह)

से मैंने देखा है कि किस स्तर पर हम इस विधान सभा में आ चुके हैं। ईमानदार आदमी और सही निष्ठा से काम करने वाले को तो नफरत होती है। स्थिति यहां तक है कि इस्तीफा देने का सौ बार मन में आया, मगर एक गीता में लिखा है कि भले आदमी मुकाबला करना पड़ेगा इस व्यवस्था के विरुद्ध, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। कौन है यह अरुण वर्मा और यह कौन है ? उनके चिट्ठे आप देखिये। क्या रिपोर्ट दर्ज करवायी है अरुण वर्मा ने ? उसका मुकाबला तो मैं कर लूंगा मगर कानून व्यवस्था तो आप लोगों को ही करनी है। क्या रिपोर्ट दर्ज करवायी है अरुण वर्मा ने? आज समाज में शिकायत यह है कि डाक्टर पैसा खाकर उलटी-सीधी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। आज शिकायत यह है कि हर लोगों के पास, नेताओं की शिकायत है कि पैसा खाकर इधर उधर पलट जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको जनरलाइज मत करिये आप, अपनी घटना के बारे में कहें जो कहना है।

श्री भरतसिंह : यह अनिल वर्मा जो है, वहां डाक्टर्स को मैं शक्ल से नहीं जानता मगर यह जानता हूं एक साहसी, बहादुर और ईमानदार डाक्टर वहां था जिसने रिपोर्ट दर्ज कराने का साहस किया। वही रिपोर्ट है जो मुझे बतायी गयी है। मुख्य मंत्री ने चाकू वाली बात कही, कैसा चाकू था, किसका चाकू था और किसके लगा, वह डाक्टर बताए। यह डाक्टर अनिल कुमार जैमन और उसकी शिकायत है, अरुण कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ वर्मा मनोहरथाना, सेवा में एस.एच.ओ. साहब, मनोहरथाना जिला झालावाड़-विषय-राजकीय चिकित्सा में ड्यूटी के वक्त मारपीट धारा 307 की धमकी। माननीय, प्रार्थी डाक्टर अनिल जैमन चिकित्साधिकारी मनोहरथाना के पास अरुण वर्मा विधायक महोदय के पुत्र और उनके बहुत से साथी एम.एल.सी. केस लेकर सी.एच.सी. मनोहरथाना आये। मेरी ड्यूटी के वक्त मुझे कमरे में बन्द कर जोर-जबरदस्ती व चाकू मारने की धमकी के साथ धारा 307 का केस बनाने का कहने लगे। अरुण वर्मा ने घाव को साफ नहीं करने दिया और खून से सने घाव पर ही उनके साथी मुआवजा की जिद् पर अड़ गये व बोलने लगे कि जैसा हम कहें वैसी ही आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, यदि मनोहरथाना में रहना है तो। इसी बीच वाद-विवाद में उनके साथी व अरुण ने मुझसे मारपीट की व धक्का-मुक्की की और मरीज के बैठने की स्टूल को मेरे सिर पर मारा व मुझे लहूलुहान कर दिया। साथ ही जान से मारने धमकी दी। इतने में ही पुलिस कांस्टेबल की सहायता से मैं उनके साथ अस्पताल परिसर से बाहर निकला और पुलिस संरक्षण

(श्री भरतसिंह)

में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया। यह घटना लगभग रात्रि के 8 बजे के आस-पास की है। अस्पताल परिसर में चिकित्सा आउट डोर में हुई।

(14:00)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री भरतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना डाक्टर के साथ हुई जो ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहा था। आज एक डाक्टर के साथ यह चीज हो सकती है, आज एक विधायक के साथ यह चीज हो सकती है, इस बात को लेकर मैं वहां पर धरने पर बैठा। धरने पर इसलिए बैठा कि इनके खिलाफ जो-जो प्रकरण पुलिस में हमने दर्ज करवाये हैं उनमें से एक के ऊपर भी जांच की कोई प्रगति नहीं हुई। यह जगन्नाथ वर्मा का ही अकेले का सवाल नहीं है, झालावाड़ जिले में शासन में बैठे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जो भी प्रकरण दर्ज होते हैं उनको ठंडे बस्ते में पुलिस डाल देती है और कांग्रेस के लोगों के खिलाफ छोटा-सा भी मुकदमा दर्ज होता है उसको बढ़ा-चढ़ाकर लोगों को परेशान किया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी, जगन्नाथ वर्मा जी के खिलाफ....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत।

श्री भरतसिंह : माननीय गृह मंत्री जी, आज से तीन साल पहले इन जगन्नाथ वर्मा के खिलाफ धारा 420 का मुकदमा इस बात को लेकर....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी, आप बोलिए न। आप तो पीछे ही देख रहे हैं। वे समाप्त कर रहे हैं, आप बोलिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय देंगे ?

श्री भरतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक एफ.आई.आर. रिपोर्ट और आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। निवेदन है कि प्रार्थी थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ में....

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह जी।

श्री भरतसिंह : मान्यवर, एक एफ. आई. आर. जगन्नाथ वर्मा के खिलाफ तीन साल पहले भी दर्ज करवायी थी उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई जो आज पैंडिंग है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि धरना देने की आवश्यकता हुई। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट थाना अकलेरा में दर्ज करवायी थी जिसकी एफ.आई.आर. नम्बर 9195 है जो कि धारा 420 आई.पी.सी. में दर्ज हुई थी। नगर पालिका के मूल दस्तावेज में हेराफेरी की गयी थी। हेराफेरी में विधायक जगन्नाथ

(श्री भरतसिंह)

वर्मा, चेयरमैन, नगरपालिका रमेशचन्द्र वर्मा, जो जगन्नाथ वर्मा के छोटे भाई हैं व अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, अकलेरा द्वारा षड्यन्त्र रचकर नगरपालिका के दस्तावेज में हेराफेरी की। इस आशय की रिपोर्ट थाना अकलेरा में की गयी थी जिसके तहत अकलेरा थाने में मुकदमा नम्बर 9595 धारा 420 में दर्ज हुआ था। परन्तु इस पर बड़े राजनैतिक लोगों के दबाव के कारण पुलिस मौन बैठी हुई है। और मेरे बारे में निवेदन किये जाने पर...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला यह था कि सरपंच निजामुद्दीन ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे तो इनका नाम भी ग्राम पंचायत में दर्ज था। जगन्नाथ वर्मा और ये नहीं चाहते थे कि ये चुनाव लड़ें। इन्होंने अकलेरा नगरपालिका से एक फर्जी राशन कार्ड तैयार करवाया...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। आपको बहुत समय दे दिया है।

श्री भरतसिंह : एक फर्जी राशन कार्ड इस आशय का तैयार करवाया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भरत सिंह जी, आप विराजें। श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, आप बोलना चाहते हैं, आप बोलिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : हां, साहब, बोलना चाहता हूं। लेकिन बीच में कैसे बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : ये बैठ गये। मैंने उनकी बात समाप्त कर दी, आप बोलिए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप उनको बोलने क्यों नहीं देना चाहते ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खां। श्री रामनारायण चौधरी। श्रीमती कमला।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उनको बैठाओ तो सही आप।

श्री भरतसिंह : पूरा धरना ही इस बात को लेकर है कि इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। मैं इसी बात को बता रहा हूं कि इनके खिलाफ एक भी केस में कार्यवाही नहीं हुई।

श्रीमती कमला : विधायक खुद प्रभावित हैं, उनको आप खतम करने दीजिए उसके बाद हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपकी बात समाप्त कर दी, आप बिराज जाएं। आप बिराज जाएं, आपकी बात पूरी हो गयी।

श्री भरतसिंह : नहीं, साहब, बात ही खतम नहीं हुई।

श्रीमती कमला : जो खुद अफैक्टेड हैं उनका बोलना ज्यादा जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : पूरा बोलने का

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अवसर दीजिए ताकि सारी स्थिति सामने आए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि आपको पूरा समय देंगे। अभी इनको बोलने दें जितना बोलना चाहें।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा ही दिया है, अधूरा नहीं दिया। पूरा समय दिया है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपको किस बात की जल्दी है ? इन पर आक्रमण हुआ है और आप इनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि पूरा समय देंगे। आपको किस बात की जल्दी है, मुझे यह समझ में नहीं आता। आप इनकी आवाज बंद करना चाहते हैं ? आप इनका मुंह बंद करना चाहते हैं ?

श्रीमती बीना काक : हम अपना समय इन्हें देते हैं अगर आप समय सीमा में बांधना चाहते हैं तो।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मैं चर्चा समाप्त कर दूं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय सदस्य की जिन्दगी का सवाल है और आप प्रभावित माननीय सदस्य को पूरे तथ्य सदन के सामने रखने का अवसर नहीं दे रहे हैं मंत्रिमंडल में जो सीनियर हैं मंत्री महोदय बीच-बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। यह कोई उचित बात नहीं है।

श्रीमती बीना काक : आप हमारा वक्त भी इन्हें दे दीजिए। (व्यवधान) इतने सीरियस आरोप लगे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप इनका गला घोंटना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप बात तो करने दीजिए उनको। आप क्यों बोल रहे हैं इसमें ? आपको क्या आवश्यकता हो रही है ? (व्यवधान) आप बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, आपसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और आप बोलने का अवसर नहीं देना चाहते हो ? इसका मतलब आप अन्याय करने वाले को प्रोटेक्ट कर रहे हो बराबर। यह जनतंत्र के खिलाफ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जिस भाषा का आसन के साथ प्रयोग कर रहे हो, कृपया उसमें संशोधन करें। आप धमकी देना चाहते हैं ? आप धमकी देने के मूड में नहीं बोल सकते।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मैं संशोधन करने को तैयार हूं लेकिन आप यह बताइए कि ऐसी घटना किसी के साथ हो जाए, आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है फिर भी आप बोले जा रहे हो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि पूरा समय देंगे। पूरा समय क्यों नहीं दे रहे हैं आप इनको ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराज जाएं। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। जब आसन पैरों पर हो तो आप बिराज जाएं। आसन की भी बात सुनें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप अध्यक्ष महोदय की रूलिंग निकालकर देख लीजिए कि आपको पूरा समय दिया जाएगा। चारों एफ.आई.आर. पढ़ने के लिये पूरा समय दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह जी, मुझे आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। कृपया बिराज जाएं आप। श्री दीपेन्द्र सिंह जी।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव में हमारे भी नाम हैं। कृपया हमारा समय आप इन्हें दे दीजिए। भरतसिंह जी, जो खुद भुगतभोगी हैं, इनके साथ यह दुर्घटना हुई है, आप हमारा समय स्थगन प्रस्ताव में इन्हें दे दीजिए। (व्यवधान) हमारा समय इन्हें दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बोल चुके हैं भरतसिंह जी। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : असली बात तो अब बोलनी है इनको। सारे तथ्य लाएंगे अभी सामने। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे तथ्य तो अब बोलेंगे।

श्रीमती बीना काक : हम नहीं बोलेंगे अगर आप समय सीमा में बांधना चाहते हैं तो। हम दोनों का समय भी इन्हें दीजिए।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहें नहीं बोलेंगे या कम बोलेंगे लेकिन जो सदस्य खुद प्रभावित हैं उनको बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भरतसिंह जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री भरतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी देर में मेरी बात समाप्त होगी मैं करूंगा, मुझे बोलने का शौक नहीं है ज्यादा।

मनोहरथाना अकलेरा में रोशन भाई सरपंच हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ पंचायत चुनाव में षड्यन्त्र करके जगन्नाथ वर्मा ने एक फर्जी राशन कार्ड बनाकर एसडी.ओ., अकलेरा के पास इस आशय का पेश किया कि इनका नाम वोटिंग लिस्ट में से काटा जाए कि ये अकलेरा नगरपालिका के रहने वाले हैं। उसके ऊपर उनका नाम काट दिया गया। रोशन ने हाई कोर्ट में उसकी अपील की। जगन्नाथ वर्मा के भाई रमेश की जो नगरपालिका के चेयरमैन थे, इन्होंने फर्जी राशनकार्ड पर दस्तख्त किये, 420 का मुकदमा है। आज उसको 4 साल हो गये, वह अभी तक पैंडिंग है। जगन्नाथ वर्मा के

(श्री भरतसिंह)

खिलाफ जो भी मुकदमा होता है वह इसी प्रकार से पैंडिंग होता है।

एक चीज मैं और आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, जगन्नाथ वर्मा ने एक एफ.आई.आर. कलक्टर झालावाड़ के माध्यम से डी.आर.डी.ए. की दर्ज करवायी। कलक्टर महोदय के आदेश से एफ.आई.आर. दर्ज हुई है इस बात की कि सरपंच जाकर......।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइण्ट ऑफ आर्डर आ गया।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियमों में यह प्रावधान है कि किसी भी सदस्य विशेष के विरुद्ध यदि आप कोई बात कहना चाहेंगे तो उसका नोटिस आपको पहले दिया जाएगा। क्या दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया है, तो इसको स्थगित कर दें।

श्रीमती कमला : यह तो केस है।

श्री जुबेर खान : यह तो केस है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई एफ.आई.आर. पढ़ी जा रही है जो पहले से दर्ज हो चुकी है। इसलिये इस पर नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई भी इस प्रकार के आक्षेप लगाये जा रहे हों तो नियमों में यह प्रावधान है कि आप उस सम्बन्ध में सूचना देंगे। अगर यह दी गयी हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जुबेर खान : क्योंकि एफ.आई.आर. पढ़ी जा रही है, कोई आरोप नहीं लगाये जा रहे हैं। जो एफ.आई.आर. के तथ्य हैं, वे ही तथ्य सरकार के सामने लाये जा रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सिर्फ यही बता रहे हैं.(व्यवधान) वे धरने पर क्यों बैठे..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई नया आरोप नहीं लगाया है, आलरेडी नोटिस है, पुरानी एफ.आई.आर. है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वे धरने पर बैठने को क्यों बाध्य हुए। भरतसिंहजी यही बता रहे हैं कि वे धरने पर बैठने को क्यों बाध्य हुए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जाएं। माननीय श्री दीपेन्द्र सिंहजी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने पिछले लगातार तीन दिन तक प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बिगड़ी हुई हालत और जन प्रतिनिधियों के साथ जो घटनाएं हुई उस पर चिन्ता करते हुए सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर ये हालात पैदा क्यों हुए। साथी भाई भरतसिंहजी पर जो हमला हुआ, आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

थी ? लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब बुरी तरह पराजय का मुंह देखकर बौखलायी हुई थी...(व्यवधान)... तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक वक्तव्य था कि ब्याज सहित बदला चुकाएंगे। दूसरे दिन पत्रकारों ने जोधपुर में प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष से पूछा कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षजी ने कहा था कि पहले मूल तो चुका दें, ब्याज बाद में चुकाएं। इन सारी घटनाओं के पीछे वह मूल और ब्याज चुकाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की कृपा से सोचे हुए षड्यंत्र के रूप में साबित किया है। इनके साथ घटना घटी, इन्होंने सारा ब्यौरा प्रस्तुत किया।

दूध के धुले हुए होंगे माननीय विधायक, मैं उन पर आरोप नहीं लगाता। उनका बेटा उनका लाड़ला पुत्र है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की गुंडागर्दी की हालत मनोहरथाना में पैदा हुई है, एक दिन में पैदा नहीं हुई है। मैं स्वयं मनोहरथाना गया हूं। सारे प्रकरणों को आंख से देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। त्राहि-त्राहि मची हुई है। मध्य प्रदेश के बार्डर पर, बिलकुल दूर दराज के अन्दर इस प्रकार के इलाके में जहां लोग शराब माफियाओं की गुंडागर्दी से त्रस्त हैं और वे शराब माफिया गैंग बनाकर जनता का शोषण करते हैं, राज-लाभ लेते हुए। जहां सागवान की तस्करी में माफिया लिप्त हैं, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। दर्ज होने के बाद में जांच नहीं होती है, वरदहस्त प्राप्त है। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि डाक्टर ने जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी है क्या वह झूठी निकली या सही निकली ? आपने मुलजिमों को डाक्टर की एफ.आई.आर. के आधार पर गिरफ्तार किया है और मामूली केस बनाकर हाथों-हाथ जमानत भी कर दी है। वह जमानत की है, इसका मतलब केस सच्चा है। उनका चालान कितने दिनों में हो जाएगा ? यदि भरतसिंह ने जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी है वह झूठी है तो इन पर 182 चलाइये, वरना उनको गिरफ्तार कराइये। इन्होंने यह खुद ने घोषणा की है। पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती है झूठा गिरफ्तार करने की इनको, यदि उस व्यक्ति ने उनके खिलाफ एफ.आई.आर. करायी है। क्या आप इस बात का सदन को विश्वास देंगे कि जिस व्यक्ति ने झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करायी है इनके खिलाफ मंदिर पर हमला करने की, उसके खिलाफ आप 182 चलाने की हिम्मत जुटा पाएंगे ? आज ये स्थितियां जो पैदा हुई हैं उस के पीछे बहुत बड़ा कारण है। निरंकुश होकर आज जंगल राज राजस्थान में चल रहा है। अब आप कहेंगे कि पुरानी घटनाएं हैं। लेकिन भाई राजेन्द्रजी चौधरी को 2 साल हो गये, 9 महीने पहले जांच कम्प्लीट हो गयी, आज तक जांच में चालान की सरकार इजाजत नहीं देना चाहती। विधायकों को दबाकर, ब्लैकमेल करके, पार्टियां बदलने के

(११८)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

लिये आप मजबूर करते हैं, इस तरह का राजस्थान में इनका जनतंत्र चल रहा है।

मेरे साथी भाई मोहनजी मोदी पर 15 अगस्त को एक कार्यक्रम में हमला किया गया, आज तक कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है। 151 में मामूली गिरफ्तार दिखाकर मामले को रफा-दफा कर दिया गया। 15 अगस्त जैसे पवित्र दिन पर जन प्रतिनिधि झण्डारोहण करने जाएं, उन पर हमला करें, इस तरह के प्रमाण केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो सकते हैं। मेरे बड़े भाई, मेरे अच्छे दोस्त, अपने आपको काबिल समझने वाले गृह मंत्री के सामने यह सब हो रहा है, आखिर इसका नतीजा क्या निकलने वाला है ? हमारे साथी ने कहा कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आखिर इसका नतीजा क्या होगा ? विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जाती है, विधायकों पर कातिलाना हमले होते हैं तीन दिन पहले सांसद जीता है और ब्याज सहित बदला चुकाने के लिये जान से मारने का हमला बाड़मेर में किया जाता है। आखिर आप कौनसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं ? जिस तरह का जंगल राज राजस्थान में आज चल रहा है, हो सकता है आपके आदेश से मैं बैठ जाऊं, हो सकता है आपके आदेश से भाई भरतसिंह की जबान बन्द कर दी जाए, हो सकता है आपके आदेश से दूसरे विधायक न बोलें ....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पूरा समय दिया है। (व्यवधान) पूरा समय दिया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कृपा है आपकी।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यदि एक विधायक की जान खतरे में हो, यदि एक विधायक पर प्राणघातक हमला होता हो, यदि एक सांसद पर प्राणघातक हमला होता है तो इस प्रदेश की गरीब जनता का क्या हाल होगा ? क्या स्थितियां बनाना चाहते हैं आप ? आपके अपने लोगों को आप बचाइये लेकिन राजस्थान की जनता आपकी करतूतों को देख रही है। आज आप ताकत में हैं, एक दिन आने वाला है, वे स्थितियां बनने वाली हैं कि जितने कारनामे, कुकृत्य आपके होंगे, जितना गुंडों को प्रोटेक्शन आपका होगा, जितना हत्यारों को आप बचाएंगे, जितने ब्लैकमेल करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को आप बचाएंगे, अवसर आने पर राजस्थान की जनता सारा हिसाब-किताब चुकता कर देगी। ज्यादा समय आपके सामने नहीं है।

इन परिस्थितियों में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र एक स्टेटमैंट पढ़ देने से राजस्थान की जनता को सुरक्षा नहीं मिल सकती। राजस्थान की पुलिस का हाल जो आज हुआ है, बीकानर के एस.पी. के दफ्तर की तिजोरी से चोरी हो जाए, जयपुर शहर में पुलिस के थानेदार की हत्या करके वर्दी में उसकी लाश को सड़क पर छोड़ दिया जाए ....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप घटना से बहुत दूर जा रहे हैं। घटना जो है उससे बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : घटना का जिक्र कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये ही तो घटनाएं हैं। इनसे बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं घट रही हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज राजस्थान की विधान सभा में आपकी अध्यक्षता में ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। इस प्रकार के काले कारनामे, करतूत करने वाले लोगों को यह सरकार बचाएगी नहीं, इस बात का आश्वासन आपसे हम चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने पिछला अपना इतिहास दिखाया है, एफ.आई.आर. की नकलें बतायी हैं, मुकदमे बताये हैं कि बलात्कार जैसे मुकदमों में जिन लोगों के बाल काट कर घुमाया जाए फिर उन लोगों को सरकार का संरक्षण हो। तो वे आगे से आगे हिम्मत करने की कोशिश करेंगे। वे लोग हत्याएं करने की भी कोशिश करेंगे, वे लोग साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, यदि आज उनको नहीं रोका गया तो। आने वाला इतिहास इस बात का गवाह होगा। आपको, उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे विधान सभा के हों, हाड़ौती सम्भाग में साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ की शुरूआत होती है। बडानी में साम्प्रदायिक दंगा किसने करवाया ? झालावाड़ के एक मंदिर की मूर्ति तोड़कर साम्प्रदायिक दंगा कराने की कोशिश की गयी और शिव की मूर्ति तोड़ने वालों पर ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, समाप्त करें। श्रीमती कमला।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं वही निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं उसी पर आ रहा हूं, शिवजी की मूर्ति तोड़ने वाले लोगों को मुसलमान बताया गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रसंग से अलग जा रहे हैं, आप घटना से बहुत दूर पहुंच रहे हैं। कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : और उसके बाद गिरफ्तार हुआ आपकी पार्टी का कार्यकर्ता, शिव की मूर्ति को तोड़ने में गिरफ्तार हुआ। इस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थितियां आज झालावाड़ जिले में हैं, हाड़ौती में हैं। यह तो सदन आ गया, आपके सभापतित्व में हमको इतनी बात कहने का मौका मिल गया, वरना, उपाध्यक्ष महोदय, ये तो राजस्थान के विरोध पक्ष के लोगों पर कत्ले-आम करना चाहते हैं, विधायकों और सांसदों पर हमला कराना चाहते हैं। छोटे सरपंच स्तर के कार्यकर्ताओं की व्यथा की तो आप कल्पना भी नहीं करके चल सकते, ऐसी परिस्थितियां इन्होंने पैदा की हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला। (व्यवधान) कमलाजी, आप बोलना चाहती हैं ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे हालात में या तो गृह मंत्रीजी को चाहिए कि तीन दिन में सारी एफ.आई.आर. की जांच करवाएं ... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका पुकार रहा हूं...

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं बोलूंगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी, समाप्त कर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वरना वे अगर असक्षम हैं तो ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य श्री दीपेन्द्र सिंहजी, बिराजिए। श्रीमती कमला।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अपने पद से त्याग पत्र देकर अपनी वीरता को बताएं, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधायक प्रभावित हैं, खुद खड़े हैं उनको बोल लेने दीजिए पहले।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपने नाम दिया है। नाम दिया है आपने।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं प्रभावित हूं, जी।

श्रीमती कमला : नहीं, नाम दिया है परन्तु इनके बाद में बोलूंगी मैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलना चाहतीं, ठीक है। श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नाम दिया है, प्रभावित हूं मैं।

श्रीमती कमला : पहले स्वयं विधायक जो प्रभावित हुए हैं उनको आप मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था मेरी है, यह व्यवस्था मैं करूंगा। आप बोलना नहीं चाहतीं ? (व्यवधान) नहीं, पहले आप बोलिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथ घटना हुई है ... (व्यवधान) घटना हमारे साथ हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि जिन विधायकों के बारे में हम लोगों ने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है वे विधायक स्वयं यहां सदन में मौजूद हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : सबको बुला रहा हूं, आप अपनी बात कह दें।

श्रीमती कमला : मैं आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं कि आज जो विधायकों के बाबत माननीय सदस्यों को इस सदन में एक प्रस्ताव लाने की मजबूरी पैदा हुई, ये हालात बहुत गम्भीर हैं, अत्यन्त शोचनीय हैं। सरकार की जिस तरह की मनोवृत्ति बन चुकी है, जिस तरह से प्रशासन

(श्रीमती कमला)

अपंग हो चुका है। भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण और अपराधीकरण जिस तरह से पूरे स्टेट में व्याप्त हो चुका है, उसका एक नमूना है कि आज हमारे इस प्रदेश के बड़े-से-बड़े स्तर के जो जन-प्रतिनिधि विधायक हैं, उनके जीवन की भी सुरक्षा नहीं है। मैं नहीं समझती कि सरकार में बैठकर हमारे वही जन-प्रतिनिधि किस तरह से यह भूल जाते हैं कि उन्हें जनता ने यहां पर इस तरह की हरकत करने के लिये नहीं भेजा। जनता के ही वोट से बने और जनता को ही बरबाद करने को उतारू हो जाएं और जनता के ही माध्यम से चलाये जाने वाले प्रशासन के जरिये उनके जीवन को इस तरह से संकट में डाला जाए, इसके लिये जनता ने आपको वोट नहीं दिया है। आप किस प्रकार से सोच करके यहां बैठे हैं और कैसे प्रशासन को आप चला रहे हैं ? खुला भ्रष्टाचार पूरे स्टेट में है। भ्रष्टाचार के तहत सारा ..... (व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष : इस घटना के सम्बन्ध में आपको कोई ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ? जो प्रसंग चल रहा है उसके सम्बन्ध में आप बोलिये। आप कहां जा रही हैं ?

श्रीमती कमला : हां, प्रसंग से ही तो है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, उस पर नहीं जा रहीं। कृपया जो घटना है, उसके बारे में ही आप अपने विचार रखें।

श्रीमती कमला : पुलिस प्रशासन और दूसरे प्रशासन को इन्होंने राजनीति के दबाव में, अपने स्वार्थ में बिलकुल कमजोर कर दिया है, बिलकुल अपंग कर दिया है। बिलकुल एक तरह से एक पार्टी के साथ में जोड़कर उसका राजनीतिक लाभ लेने की व्यवस्था कायम कर दी है। यह उसका परिणाम है कि आज विधायक और सांसद स्तर के हमारे जन-प्रतिनिधियों को भी इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा है। अभी आपके सामने विधायक महोदय भरतसिंह जी ने अपनी बात कही कि क्या वास्तविकता है, किस तरह से इसको दबाया जा रहा था और अब किस तरह आगे भी दबाया जाएगा। यह सदन के सोचने की बात है। आज जो इस कुर्सी पर यहां पर बैठे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप इस चर्चा के बाद में कोई न कोई इस तरह का निर्णय दें कि इस विधान सभा के सदस्यों के खिलाफ इस तरह की अगर कोई घटनाएं घटती हैं तो एक निश्चित समय में, एक निश्चित तौर-तरीके से उसकी जांच की जाकर अपराधियों को सजा दी जाए, उसका निराकरण किया जाए। राजेन्द्रजी के मामले में कितने समय से मुद्दा पड़ा हुआ है ? सिर्फ इसलिए पड़ा हुआ है कि जो ऊंचे से ऊंचे पद पर इसको देखने वाले हैं, उनकी उसमें अभी तक स्वीकृति नहीं हुई है। जांच हो चुकी है, रिपोर्ट हो चुकी है लेकिन उसके

(श्रीमती कमला)

ऊपर कार्यवाही की इजाजत अभी तक नहीं हुई है। आप इस तरह के जो मुद्दे देख रहे हैं यह हमारे लिये बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। अभी बहुत ज्यादा विवाद हो गया रामेश्वरजी के मामले पर। कौन कह रहा है कि अगर वह गलत कर रहा है या उसने कोई ऐसी हरकत की है तो आप सजा मत दीजिये ? लेकिन कितने लोगों की वह हत्या करके आ गया कि जिसके पीछे इतनी गाड़ियां पुलिस की दौड़ी जा रही हैं कि वह विधायक इस सदन में आने की स्थिति में नहीं है ? क्या हत्या करके आया वह ? आप ज्यादा से ज्यादा यह बता रहे हो कि साहब, उन्होंने मार पिटाई कर दी तो मार पिटाई करने का जो केस बनाना है आप बनाइये, लेकिन उसको सदन में आने से आप कैसे रोक सकते हैं ? उसको किस तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं ? लोगों ने जानलेवा हमले किये हैं, मारने के हालात पैदा किये हैं, उनके केस को तो बांका-टेढ़ा करके कमजोर बना दिया गया। एक कैंसर का पेशेंट है, उसकी हालत नहीं है कि वह दंगलबाजी करे। उसके ऊपर इस तरह के केस बना दिये कि उसने इतने पैसे छीन लिये, उतने पैसे छीन लिये, उस पर हमला कर दिया। इस तरह की परिस्थितियां विधायकों के साथ में गुजर रही हैं, यह बहुत ही लज्जाजनक है। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोलेंगे। क्या रिपोर्ट उन्होंने दी है और क्या घटना घटी है, ये सारी बातें आप देखिये। मोहनजी मोदी विधायक हैं, आज वे इस बात को कहने में भी लज्जा महसूस कर रहे हैं कि एक विधायक को भरी प्रजातंत्र की महफिल में 15 अगस्त को थप्पड़ मारा गया और उस आदमी को सजा देने के बजाय, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाए उसको रफा-दफा कर दिया और कुछ भी कार्यवाही नहीं की। अब ये कहते हैं कि इतना समय हो गया, मैं क्या कहूं इसके लिये लज्जा की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि प्रशासन में आपके हुक्म को चलाने के लिये, आपकी पार्टी को पनपाने के लिये, अपराधियों को संरक्षण देने के लिये जनता ने आपको यहां नहीं बैठाया। आज यही कारण है कि आपने जिस तरह से जनता को बोझ में लादा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार से नोचा है, जिस तरह से प्रशासन को आपने बरबाद किया है, उसका जवाब दिया है जनता ने। फिर भी आप नहीं चेतना चाहते हैं। आप इस प्रजातंत्र को मखौल मत बनाइये, आप इसको अपनी बपौती मत बनाइये। यह प्रजातंत्र का पावन अधिकार जनता ने आपको भेजा है उसको जनता के हित में, समाज के हित में अच्छी तरह से शासन चलाकर काम में लीजिये। लेकिन आपको कोई चेतना की जरूरत नहीं है। आप तो फिर बयान दे रहे हैं कि आने वाले समय में ब्याज सहित बदला लेंगे। सात वर्ष

(श्रीमती कमला)

से जो बदला आप जनता से ले रहे हो, क्या आपने कम बदला लिया जो और बदला लेने की बात बाकी रह गयी ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब विराजें, माननीय कमला जी।

श्रीमती कमला : मैं इस बात को बहुत गम्भीरता से सदन के सामने रखना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने यहां पर यह बयान दिया कि अपराध करने वालों के मामले में राजनैतिक विचारधारा आड़े नहीं आएगी और हम अपराधियों के स्तर पर ही उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। यह उनका बयान तो स्वागत योग्य है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, इस पवित्र सदन में आसन की तरफ मुखातिब होकर कि जो माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आते हैं वे अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं को लेकर जाते भी हैं, जैसा भरतसिंहजी ने अपनी बात बतायी। उपाध्यक्ष महोदय, किसी दल की बात नहीं है लेकिन यदि उनके ऊपर प्राणघातक हमले किये जाएं, उन हमलों के बारे में हम सरकार से यह उम्मीद रखें कि सरकार निश्चित तौर पर उसके बारे में कार्यवाही करेगी और सरकार से हम इस विश्वास के साथ में, इस भरोसे के साथ में बैठ जाएं तो उसकी कोई सीमा तो होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य के साथ 15 अगस्त को घटना हुई। मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में 15 अगस्त को मुझे आमंत्रित किया गया था प्रिंसिपल के द्वारा फ्लैग होस्टिंग के लिये। विधायक विकास फण्ड के माध्यम से जो खर्चा होता है, उसमें मैंने एक हॉल का निर्माण करवाया वहां शाला में, उसका भी वे उद्‌घाटन कराना चाहते थे। उन्होंने उसका मुझे निमंत्रण दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस आधार पर वहां पहुंचा। मेरे स्कूल के अन्दर पहुंचते ही, मेरे गाड़ी से नीचे उतरने से पहले ही मेरे ऊपर सुनियोजित हमला किया गया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। किसी तरह से जान बचा कर मैं गाड़ी मोड़ कर वहां से निकला। मेरे ऊपर पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, बाहर निकलने के बाद में उन्होंने ट्रक से पीछा किया और जो रेलवे क्रोसिंग आता है वहां हमारी गाड़ी को रास्ते के अन्दर जीप से रोकने की कोशिश की। उसकी वजह से हमारी गाड़ी का आगे का टायर भी पंचर हो गया। किसी तरह से मैं वहां से रतकुड़ा से सातिन तक पहुंचा। पीछे से ट्रक से पीछा किया गया मेरा। मैंने

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी दी, मैंने हमारे प्रतिपक्ष के नेता परसरामजी मदेरणा को भी इस बात की जानकारी दी, मैंने हमारे कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोतजी को दिल्ली में जानकारी दी। मुख्य मंत्रीजी ने उसी समय मुझे फोन पर यह कहा कि मैं दस मिनट में चौधरी साहब, आपसे वापस बात करता हूं। उन्होंने बात करके मुझे यह कहा कि आपका कहना बिलकुल सही है, पुलिस की इसमें मिलीभगत थी। पुलिस को इस बात की पहले से जानकारी थी, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने कहा। मैं अभी यहीं से, मेरे सामने होम सैक्रेटरी और डी.जी. बैठे हुए हैं, मैं इनको आपके सामने फोन पर ही निर्देश दे रहा हूं कि मैं ए.एस.आई. को सस्पैंड कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उसी समय उन्होंने ए.एस.आई. को सस्पैंड किया फोन के ऊपर, मैं फोन को होल्ड कर रहा था। उसके बाद में क्या होता है ? बहुत ही विद्वान गृह मंत्री जी ने यहां पर बयान दे दिया, मुझे बहुत दुःख हुआ यह बात सुनकर। मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। मैं यह बात इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, मेरी किसी से कोई अदावत आज की जिंदगी में, अभी तक मैं खड़ा हूं, मेरी किसी से कोई अदावत नहीं है, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। अब आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं तो हम विपक्ष में बैठे हैं। हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। चूंकि हम किसी राजनीतिक दल की विचारधारा रखते हैं, हम हमारी बात कहते हैं, हमारे क्षेत्र के विकास की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैंने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया तो उसकी जांच को सी.आई.डी. में दे दिया गया। मैंने मुख्य मंत्रीजी से, उनके सैक्रेटरी सुनील अरोड़ा से और डी.जी. साहब से यह निवेदन किया कि आपने यह मुकदमा सी.आई.डी. (सी.बी.) में कैसे दे दिया। तो उन्होंने कहा कि विधायकों का मामला है वह सी.आई.डी. (सी.बी.) में देते हैं । मैंने कहा कि मैंने तो विधायक के खिलाफ कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं कराया। विधायकों के खिलाफ मुकदमा सी. आई. डी. (सी. बी.) में जाता है, लेकिन मैंने तो किसी विधायक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, एक बात। गृह मंत्रीजी, आप इसका जवाब दें।

नम्बर दो, उसके बाद भी आज पूरे दो साल हो गये हैं। मैं बराबर गृह मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करता रहा-चाहे विधान सभा का सत्र आये और चाहे सैक्रेटेरिएट में हों, मैं आपसे व्यक्तिगत मिलता रहा। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से, मैं गिनती नहीं कर सकता हूं इतनी बार व्यक्तिगत रूप से मिला। मैंने उनसे फोन पर जयपुर में भी बात की और जोधपुर में भी बार-बार

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मिलता रहा। मैं डी.जी. साहब श्याम प्रताप सिंहजी राठौड़ यहां विराजे हुए हैं, इनसे व्यक्तिगत रूप में आफिस में जाकर और फोन से भी बात करता रहा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही जवाब दिया गया कि जांच पूरी हो गयी है। मुख्य मंत्रीजी ने भी मुझे कहा कि जांच हो गयी है और आपके जो तथ्य हैं वे सारे तथ्य सही हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैंने कल फाइल मंगायी है। आज सात-आठ महीने हो गये हैं, हम इस सदन के अन्दर आपके समक्ष खड़े हैं, हम जनता की सुरक्षा की बात करते हैं, आप मुझे बताइये ऐसी स्थिति में हम क्या उम्मीद करें ? गृह मंत्रीजी ने यह बात कही है कि हम राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन नहीं करें ? आज सदन के सदस्यों के हालात इस तरह के हैं तो हम कहां जाकर बात करें? जनता कैसे विश्वास करेगी ? ताजा मामला सी.आई.डी. (सी.बी.) में डाल दिया और मेरा मामला दो साल से चल रहा है जिसकी जांच हो चुकी है उसके बारे में आप फाइल को वापस पुलिस को नहीं भेज रहे हैं, यह क्या बात है ? एस.पी. खुद ने मौके पर सारी बात को देखा है। मैंने कहा कि जो एस.पी. का इन्वेस्टिगेशन है वह सही है, एस.पी. खुद मौके पर आये थे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा यह कर्नल सोनारामजी का मामला है। मैं स्वयं उनसे जोधपुर में मिला। कर्नल सोनारामजी बाड़मेर से दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। वह सबसे बड़ा लोक सभा क्षेत्र है हिन्दुस्तान का। उन्होंने प्रेस के सामने और मुझे व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी दी थी कि तुम्हारे को हम देख लेंगे, तुम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टेलीफोन पर उस समय मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद 10 तारीख की सर्किट हाउस की घटना है, जो आपने बयान दिया। उन्होंने कर्नल सोनारामजी के बारे में ही वहां पर चौकीदार को सारे अपशब्द बयान किये थे और देख लेने की धमकी दी थी। उसके बाद कर्नल सोनारामजी वहां आये और उन्होंने पुलिस को कहा। पुलिस ने कार्यवाही करके उनको अरैस्ट किया। इसके बाद दूसरी घटना 12 तारीख की है जिसमें वे शाम के पौने छः बजे के करीब समधणी से मीटिंग लेकर वापस आ रहे थे। गाड़ी में पांच लोग थे, उनका पीछा किया गया टाटा सूमो से। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस जिप्सी को देखा है जिसके टक्कर मारी है। गाड़ी के पीछे जो टक्कर मारी है वह लैफ्ट साइड में मारी है। वे रांग साइड से ओवरटेक करना चाहते थे। उन्होंने जिप्सी को आगे भगाया। आगे सिंगल ट्रैक की रोड की जगह डबल ट्रैक की रोड आ गयी तो उन्होंने गाड़ी को ओवरटेक करके उस गाड़ी को रोकने के लिए आगे लिया। कर्नल सोनारामजी को मैंने खुद ने तीन बार पूछा तो उन्होंने कहा कि पास से जो गाड़ी निकली थी उसमें बैठे हुए लोग मुंह से कुछ बोल रहे थे और

114
126

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उनमें से एक व्यक्ति के पास पिस्टल थी। उन्होंने गाड़ी को ओवरटेक कर के रोका। डबल रोड आ गयी थी इसलिए साइड से उस गाड़ी को निकाल दिया और सीधे पुलिस स्टेशन गये। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, रिपोर्ट करने के बाद मजे की बात क्या सामने आती है। दूसरे दिन उस सूमो गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस का यह कहना है कि उन लोगों ने यह बात कही कि हम तो कर्नल साहब को माला पहनाना चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे। पुलिस का यह बयान है, पुलिस ने यह कहा है कि वे लोग यह कह रहे हैं कि हम तो कर्नल साहब का स्वागत करना चाहते थे इसलिए हमने पीछा किया। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से पीछा करके, टक्कर मारके, ओवरटेक कर के कैसा स्वागत करना चाहते थे ? आज मैंने जोधपुर के अखबार में पढ़ा है, उसमें इस तरह से बिलकुल मिसलीड किया गया है कि वे लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। किसने बताया ? यह उनको कौन इन्फार्म कर रहा है ? आज उसको इस तरह से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कर्नल सोनारामजी ने यह बात भी कही कि काउंटिंग के बाद वहां पर यह कहा गया कि वोटों से तो हम हार गये हैं पर सोटों से हम नहीं हारेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात किस प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है? इस बात को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। ..(व्यवधान).. सोढ़ाजी, मैं तो मेरी बात कह रहा हूं। जो उन्होंने बताया वही बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की भावनाएं हैं। आज आपके मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट से असुरक्षा की बात और यह फीलिंग है। जहां, मैंने यह बात कही कि उनको जान का खतरा है और आप धारा 307 लगा नहीं रहे हैं वहीं थानेदार यह कह रहा है कि मेरे ऊपर बहुत भारी दबाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने डी.आई.जी. साहब से बात की। मैंने कहा कि जो व्यक्ति गाड़ी में थे वे हिस्ट्रीशीटर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब हिस्ट्रीशीटर का मतलब तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। डी.आई.जी. साहब ने जांच करके फोन करके मुझे बताया कि आप वास्तव में ठीक कह रहे हैं, वे हिस्ट्रीशीटर व्यक्ति हैं। उन्होंने यह कहा। उसके बाद मैंने कहा कि इतनी जल्दी क्या हो रही है जो धारा 307 को आप लगाना नहीं चाहते हैं ? मैं आपके ऊपर फायर करूं या आपको रिवाल्वर दिखाऊं, आप तो कह देंगे मेरे पर खरोंच ही नहीं आयी, आपके खिलाफ 307 कैसे लग सकती है ? अब उनका इन्टेंशन क्या था यदि मारने का नहीं था तो ? यदि स्वागत करना चाहते थे तो पीछे भी आ सकते थे।

आज जो इस तरह के हालात हैं यह गम्भीरता की बात है। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आप इस पवित्र सदन में विराजे हैं, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक विचारधारा की लाइन पर नहीं लेकर जैसा आपका बयान है, अपराधियों के विरुद्ध मन से, वचन से और कर्म से कार्यवाही करनी चाहिये। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी। कृपया टू दी पाइंट कहें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, टू दी पाइंट बोलूंगा, आपके आदेश की पालना करूंगा।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने ऐसा विषय लाना चाहता हूं जिसको सुनकर यहां बैठे हुए तमाम हमारे जो मित्र चुनकर आये हैं उनका दिल कांप जाएगा। ऐसी घटना है। हमारे परम सम्माननीय गृह मंत्रीजी ने जिस तरह की रिपोर्ट उनके पास आयी वह हाउस के सामने रखी लेकिन वास्तव में उस रिपोर्ट और घटना में दिन-रात का अन्तर है। मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि हमारा कोई द्वेष नहीं है, यहां हम सब एक हैं, हम सब चुनकर आते हैं, सब अपनी-अपनी समस्याएं आपके माध्यम से यहां रखते हैं। किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, व्यापारियों की समस्या हो, छात्रों की समस्या हो, कर्मचारियों की समस्या हो, हर माननीय सदस्य अपने इलाके की जनता की समस्याएं यहां रखता है। यहां क्योंकि जनता की नुमाइंदगी करते हैं इधर वाले भी और उधर वाले भी, सब लोग अपनी बात अपने तरीके से कहते हैं। यह पवित्र सदन है, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं और उन मर्यादाओं के अन्दर रह कर हम यह चाहते हैं कि उन समस्याओं का समाधान होना चाहिये। हमारे राजस्थान में सरकार वही पार्टी बनाएगी जिसको बहुमत मिलेगा। बहुमत वाले लोगों को दूसरे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिये और जो बात वाजिब हो, जो सही हो उस बात के लिये कभी इनकार नहीं करना चाहिये।

मैं आपको उस किसान आन्दोलन की तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आपने जिस घटना का जिक्र किया वह घटना उस तरह नहीं है। जिन लोगों ने घटना की उन्होंने आपको रिकार्ड बनाकर दे दिया और आपने पढ़ लिया, बड़े दुःख की बात है। मन में ऐसा बड़ा कष्ट हो रहा है कि आपके हरिजन भाई, कास्ट और ट्राइब के लोग, छोटे-छोटे गरीब किसान, गरीब मजदूर और महिलाएं, कास्ट और ट्राइब की महिलाएं, उनके जेंटि पकड़कर सड़क पर खींचा गया और खून की होली खेली गयी। मुझे रोना आता है। उस वक्त जो घटना हुई, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप वहां

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

होते तो आपकी आंखों में आंसू तड़-तड़ आ जाते और आज इस तरह की रिपोर्ट, बड़े दुःख की बात है। यह प्रश्न राधेश्याम का या कांग्रेस का नहीं है, उसमें तमाम पार्टियां थीं किसान संगठन उसमें थे, उसमें छात्र संगठन थे, व्यापारी संगठन थे, सी.पी.आई. और सी.पी.एम. था, कांग्रेस पार्टी थी, और भी बहुत-से दल थे। केवल कोई एक व्यक्ति का वह काम नहीं था, सब लोग मिलकर पहले 10 अक्टूबर से 9 नवम्बर तक धरना देते रहे वहां कि सरकार को यह मालूम हो जाए कि ऐसी दर्दनाक घटना हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुई। आठ क्विंटल नरमा और कपास एक बीघे में होता है। उसमें केवल एक किलो भी कहीं नहीं हुआ, कहीं पांच, कहीं दस किलो हुआ। उस किसान के आंसू सरकार नहीं पोंछेगी तो कौन पोंछेगा ? सब पार्टियों के वहां जन प्रतिनिधि थे। आप तो कह रहे थे बी.जे.पी. उसमें शामिल नहीं थी। बी.जे.पी. के भी कुछ लोगों ने रोया। यहीं मंत्री मौजूद हैं उन्होंने भी स्टेटमैंट दिये कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जो यहां बैठे हैं कि किसानों के हित में किसी ने बात तो की। किसान पता नहीं किस वक्त रात को दो बजे पानी लगाता है उस सर्दी के मौसम में जब सांप और बिच्छू निकलते हैं, लोग आराम से सोये हुए होते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया सुनिये सुनिये आप, गृह मंत्रीजी से संबंधित बात ही कहेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गृह मंत्रीजी के ऊपर ही तो जाऊंगा। गृह मंत्रीजी ने तो अपना वक्तव्य और स्टेटमैंट दे दिया है, उनको बताना चाहता हूं कि आपको किस तरह आपके अधिकारी बढ़ाकर दे देते हैं। मेरे प्यारे गृह मंत्री जी, आप बड़े विवेक वाले हो, उसमें डीपली जाइए। पांच-पांच विधायक, पूर्व विधायक, प्रमुख और प्रधान, सरपंच और आपके पंचायत समिति और जिला परिषद के डायरेक्टर मारे गये, किसान पीटे गये, महिलाओं के ऊपर घोड़े चढ़ा दिये गये। ऐसा काम कभी अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ होगा। ऐसा काला दिन, वह 10 दिसम्बर का दिन इतिहास में कभी नहीं देखा। जब वह घटना याद आती है तो अन्दर आग लग जाती है। इस तरह आप जन-प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करेंगे होम मिनिस्टर साहब, तो कैसे चलेगा- चाहे सरकार इधर के लोग चलाएं, चाहे उधर के लोग चलाएं ?

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा आप बहुत जल्दी में हैं लेकिन यह बात बड़ी पीड़ा की है, आपको सुननी पड़ेगी। आप हमारे मालिक हो, आप इस ट्रस्ट के मुखिया हो। अगर ट्रस्ट का मुखिया ही बात को नहीं सुनेगा तो

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

जनता कहां जाकर रोएगी ? साढ़े तीन-चार करोड़ जनता की इज्जत का सवाल है, बड़े प्यार से आप मेरे दो शब्द सुनिये। मैं प्रार्थना कर रहा था कि 10 अक्टूबर को हम धरने पर बैठे गांधीवादी तरीके से सब लोग मिलकर, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 नवम्बर को हमने कॉल दी जैसा आपने अपने वक्तव्य में पढ़ा है। उस कॉल के अंदर आज तक कभी गांव ठप्प नहीं हुए, गांव बंद, सड़क बंद, दूध बंद, पानी बंद, पनवाड़ी बंद, मोची बंद, धोबी बंद। ऐसा बंद कभी नहीं देखा क्योंकि लोगों को आग लगी हुई थी, लोगों के अंदर आग सुलग रही थी। जिस गवर्नमेंट के खजाने में गंगानगर का किसान दस सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष देता है, पहली दफा उसने मुआवजा मांगा, पहली दफा रोया-चिल्लाया है कि हे राजे, हे मंत्री, हमारे मुख्य मंत्रीजी, हमारी पुकार सुनो। सुनी पुकार, जूते मिले, लाठियां मिलीं, गोलियां मिलीं, घोड़े चढ़े। औरतों और गरीब हरिजनों को लताड़ा गया और ये कहते हैं कि केवल 100-150 आदमी थे। फिर करते करते तीन हजार तक पहुंचे 3500 आदमियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। करीब दस हजार किसान थे, छात्र थे, महिलाएं थीं। ऐसी दर्दनाक घटना हमारे जीवन में आज मेरी 64 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखी। (व्यवधान) मेरे प्यारे मित्रों, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह प्यार से सुनो और अन्दर उतारो। आपको भी किसी ने वोट देकर यहां भेजा है।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : आसन को संबोधित करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आसन को सम्बोधित कर रहा हूं, मदन दिलावर जी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। श्री राधेश्याम जी, समाप्त करें। बहुत समय ले लिया आपने, समाप्त करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अभी तो सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, ट्रेलर ही हुआ है, शुरूआत ही है, अभी खतम कहां से हो जाएगा ? लट्ठ पड़े हैं। आप मौजूद नहीं थे वहां। मैं कुर्ता खोलने पर मजबूर हुआ। अगर अब आप कहो तो लगी हुई चोटें आपको दिखाऊं। शरीर जरूर मोटा लगता है आपको लेकिन जब देखोगे तो लाल पड़े हुए छापे आज तक कायम हैं, इतने मोटे-मोटे हुए। अभी देखो डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टरी मुआयना कराओ, पी.एम.टी. करायी है। आपके एक होता है एम.आर.सी. कराई है, एम.आर.आई.। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एम.एल.सी.।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हां, और उसके अंदर यह आया है कि यह छह महीने तक तो दर्द रहेगा। रात को जागते रहते हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं था, वहां कोई वोट नहीं मिल रहे थे। उस वक्त इलेक्शन

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

की कोई घोषणा नहीं हुई थी, इलेक्शन कोसों दूर था। यह तो अचानक आ गया। हमने उस वक्त जो किया था, वे रोते हुए किसान जिनके 4,200 रुपये एक बीघे में खर्च होते हैं, 4,200 रुपये एक बीघे में। आप कहो तो अलग-अलग विवरण दे दूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री खेतसिंह जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हद हो गयी। वह घटना ऐसी हुई...(व्यवधान) गंगानगर बंद हुआ 10 दिसम्बर को, आपको पता होना चाहिये कि हमने घेराव किया।

श्री रामप्रताप कासनियां : यह जो चोटों वाली बात है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है, ये रिक्शे से गिर गये थे भाषण देते वक्त। इतनी तो मुझे जानकारी है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा है आप जैसे...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : नहीं, चुनाव के वक्त की बात कर रहा हूं मैं। आप गिरे थे रिक्शे से इसलिए मुझे जानकारी है। इसके आगे-पीछे और मुझे कुछ नहीं कहना है। (व्यवधान) नहीं, चुनाव के वक्त की बात कह रहा हूं वे रिक्शे से गिरे थे। यह हकीकत है, सच्चाई है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी घिनौनी हरकत की बात वे कर रहे हैं, सन् 1969-70 का आन्दोलन याद करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसे असत्य बोलने वाले आदमी का + + + हो। ये जो बैठे हैं, किसानों के दुःख-दर्द को सुनकर उसमें कुछ सहयोग करें।

श्री उपाध्यक्ष : ये शब्द कार्यवाही से निकाले जाएं। + + + शब्द कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : लेकिन ऐसे मैं ईमानदारी से कहता हूं कि कोई आज तक मैं रिक्शे से नहीं गिरा। यह तो रिपोर्ट बता रही है। मंत्री महोदय पढ़ो, राधेश्याम के खिलाफ क्या चीज है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें, माननीय सदस्य श्री राधेश्याम जी। श्री राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पढ़ो आप, मंत्रीजी, उसमें, चोट लगी, डंडे लगे कि नहीं लगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद। श्री हरेन्द्र मिर्धा। (अनुपस्थित)

श्री राधेश्याम गंगानगर : रामप्रताप जी, कभी लगेंगे तो पता लगेगा। अभी आपको मौका नहीं मिला डण्डे खाने का।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़। (अनुपस्थिति), श्री पूनमचन्द विश्नोई। (अनुपस्थित)

श्री रामप्रताप कासनियां : 15 वर्ष तक लगे हैं सन् 1969-70 से लेकर। आप कहो तो एक-एक घटना की जानकारी दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बार-बार नहीं। मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं, विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं दो-चार मिनट में समाप्त करूंगा। आपके आदेश की पालना करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं आपके आदेश की पालना करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको बहुत समय दे दिया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह घटना ही नहीं आयी है, उपाध्यक्ष महोदय, कमाल कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरे लगी वह बात तो आयी ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा अंकित न हो। कृपया विराजें आप। आप बहुत कुछ कह चुके। सारी घटना का वर्णन कर दिया आपने और क्या बात है ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं वहां तक आ रहा हूं, अभी बंद कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपके आदेश की पालना करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी। अंकित न हो।

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य। यह अंकित नहीं हो रहा है। आप सुना करो, माननीय सदस्य। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य। मैंने श्री शैलेन्द्र जोशी का नाम पुकार लिया है, आप विराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं वह अंकित नहीं हो रहा है इसलिए आप कृपया विराज जाएं। आपने अपनी बात बड़े विस्तार से कह दी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : xxx

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस लाठी चार्ज में मेरे भी लाठियां लगी हैं इसलिए मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है। किसानों का मसला है। इन्होंने भले ही समय थोड़ा ज्यादा ले लिया हो लेकिन सरकार भी सुन रही है इनके बयान को। अंकित तो करवाइये। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया तो क्या हो गया ? कोई खुद की बात तो कह नहीं रहे हैं ये कि, साहब, इन पर किसी ने व्यक्तिगत आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सारी बात अंकित हुई है, जो इन्होंने कहा है वह अंकित हुआ है। अब ये आसन की अनुमति के बाद भी बोलना चाहें तो ——

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बोलने दीजिये, उपाध्यक्षजी। अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो——

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह जो रिपोर्ट दी है——(व्यवधान)

श्रीमती कमला : इनके साथ जो हुआ है इनकी सुन लें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : राधेश्याम जी, एक मिनट, 60 सैकण्ड होते हैं केवल मात्र।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सिर्फ एक मिनट। मैं निवेदन कर रहा था, गृह मंत्री महोदय, इस तरह की रिपोर्ट्स जो आपके पास आती हैं, आपके पास बहुत-सी एजेंसी हैं, आपके पास बहुत-से साधन हैं, आप उन रिपोर्ट्स को मर्यादा में रहकर चैक कीजिये, यहां लाखों-करोड़ों रुपया खर्च होता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ हम लोगों ने दर्द रोया उसने लिखकर दे दिया और आपने यहां पढ़ दिया ? सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट पैरा है। मैं मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि ऐसे मामलों में आप सदन की कमेटी बनाकर पूरी मुस्तैदी से जैसा कि आपने कहा है उसी तरह से जांच करें। अगर हमारे विधायकों की रक्षा नहीं हुई तो जनता आप सबसे मुख मोड़ लेगी। न इधर और न उधर बैठे रहेंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा सदन में कि किसी विधायक के साथ, चाहे बी.जे.पी. का हो, चाहे सी.पी.एम. का हो, चाहे सी.पी.आई. का हो, चाहे वह कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, विधायक के साथ इस तरह का कोई अन्याय नहीं कर सकता। अगर विधायक गलती करे तो उसको सजा दो, विधायक कोई भगवान नहीं है लेकिन जन प्रतिनिधि

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

के साथ इतना दुर्व्यवहार हो और हम यहां मजाक उड़ाते रहें ? 15 तारीख को चीफ मिनिस्टर को दिखाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें, माननीय सदस्य। कृपया आप व्यवस्था भंग नहीं करें, माननीय सदस्य श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : चीफ मिनिस्टर ने वायदा किया कि मैं इन्क्वायरी कराऊंगा, मुआवजा दूंगा। न मुआवजा मिला और न इन्क्वायरी हुई। मैंने 307 का केस दर्ज कराया, उसका क्या हुआ ? मेरा 307 का केस दर्ज है। मैं यह पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल करके बैठ जाता हूं कि मैंने जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी, उन एफ.आई.आर. का कहीं जिक्र नहीं है, सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका क्या हुआ ? आप जवाब दिला दीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच-छः सप्लीमेंट्री करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। पहले श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले इन्दौराजी को बुलवा दीजिये, जोशीजी बाद में कह देंगे। तारतम्य नहीं टूटेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जोशीजी का नाम पुकार लिया है। जोशीजी, आप बोलना चाहते हैं ? बोलिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक इस सदन के माननीय सदस्य श्री भीमराजजी भाटी, राजेन्द्रजी चौधरी, भरतसिंहजी, रामेश्वरजी चौधरी, राधेश्याम जी और अन्य माननीय सदस्यों के साथ दुर्घटना और दुर्व्यवहार की बात हुई पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें पुलिस प्रशासन नाकामयाब रहा। इस चुनाव के बाद जो हम यहां चर्चा कर रहे हैं उसमें यह दृष्टिकोण व्यक्त होता है कि जितने भी माननीय सदस्य हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है जिसके साथ राजस्थान की पुलिस ने दुराचरण किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, मारपीट की हो और इस तरह की घटना की हो। इसका क्या कारण है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका कोई कारण है कि इसके पीछे बदमंशा छिपी हुई है। वह बदमंशा किसकी है ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : भारतीय जनता पार्टी के विधायक झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, वह भी मैं बताऊंगा। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के खिलाफ विपक्ष के माननीय विधायक यदि न्याय के लिए गुहार करते हैं, जो अनसोशल एलीमेन्ट्स हैं उनके खिलाफ अपने-अपने क्षेत्रों में यदि कोई बात कहते हैं, चाहे वे कर्नल सोनारामजी सांसद

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हों, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर हमला कराते हैं, मारपीट कराते हैं, गुण्डों से कराते हैं। भरतसिंहजी ने आपको जो एक लिस्ट दी है उसमें माननीय विधायक महोदय वर्माजी के खिलाफ करीब आठ मुकदमे हैं जिनमें एक मुकदमा 376 आई.पी.सी. का भी है। इस तरह से जिन पर लगातार आदतन मुकदमे चल रहे हैं, अभी भी केस कर रहे हैं इस तरह के परिणाम वाले वे विधायक महोदय हैं, राजस्थान का पुलिस प्रशासन चाहता क्या है कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आये हैं उनको मारा जाए, पीटा जाए ? गंगानगर में आज म्युनिसिपैलिटी की चेयरमैन श्रीमती नन्दा के साथ जिस तरह किया, उनके बाल खींचे गये जैसे दुःशासन ने द्रोपदी के बाल खींचे थे। इस तरीके से आप क्या करना चाहते हैं ? आप यह बताना चाहते हैं कि हमारे पास सत्ता है? यह गुरुर, यह घमण्ड, यह आपका भ्रष्टाचार, यह कानून और व्यवस्था की हालत-दुर्दशा- उसका नतीजा यह निकला कि बीस सीटें जो आप पाना चाहते थे, वे हमें मिलीं। अब आप चाहते क्या हैं कि इस तरह के कार्यकरण से आपकी पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं रहे। आप एक-एक विधायक को क्या मारेंगे ? क्या मौत के घाट उतारना चाहते हैं ? आप यह चाहते हैं कि जब तक विधायक का अंतिम संस्कार नहीं हो तब तक आप कुछ करने वाले नहीं हैं? आज गृह मंत्री महोदय ने कहा सब के साथ न्याय होगा, यह थोथी घोषणा है गृह मंत्री जी की। इस तरह की बात बिलकुल शर्मनाक स्थिति है। एक के बाद एक विधायक पिटता रहे, एक के बाद एक सांसद का घेराव किया जाए, उनकी कार के ऊपर हमला हो, टकराव की स्थिति हो और फिर कहते हैं कि शराब के नशे में स्वागत करना चाहते थे। शराब के नशे वाले को मालूम होता है कि स्वागत होता है ? इस तरह की बात कहकर ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं माननीय गृह मंत्रीजी के आचरण की बात कह रहा हूं। माननीय गृह मंत्रीजी जो थोथी घोषणाएं करते हैं, यह कह रहे हैं कि वे और उनका गृह विभाग माननीय सांसदों और माननीय विधायकों की रक्षा करेगा, इनका जो डेमोक्रेटिक राइट है, उसकी रक्षा करेगा। एक विधायक डेढ़-दो लाख जनता से चुनकर आता है, उसका संरक्षण यह सरकार नहीं कर सकती तो इस सरकार को सत्ता में बने रहने का एक मिनट का भी अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में कानून और व्यवस्था के नाम पर इस तरह की हालत कर दी है कि क्या थानेदार, क्या डी.वाई.एस.पी. और एस.पी. इन सबसे हर महीने पैसे लिये जाते हैं, घूस ली जाती

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है, जिसके कारण और तो और, गये चौबीस घंटों में जयपुर शहर में बारह चोरियां हुई हैं। माननीय गृह मंत्रीजी, गये 24 घंटों में इस कैपिटल में जिसमें हम दो सौ विधायक बैठे हुए हैं, बारह चोरियां हुई हैं, आपने क्या किया ? एक एस.पी. की जगह चार एस.पी. कर दिये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत दूर पहुंच गये, कृपया विराजें आप। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : दो चोरी की जगह बारह चोरियां।

(15.00)

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी गृह मंत्रीजी ने गंगानगर के किसान आन्दोलन के सम्बन्ध में स्टेटमैंट दिया। वह स्टेटमैंट बिलकुल एकतरफा है, उसमें किसानों की बात नहीं कही गयी, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसकी बात नहीं कही गयी। उस पर सिर्फ सरकारी तंत्र ने जो कुछ लिख दिया वही उन्होंने यहां वक्तव्य पढ़ दिया। पहली बात तो यह है, माननीय गृह मंत्रीजी अपने दिल पर हाथ रखकर देखें कि क्या यह रिपोर्ट सत्य है ? या तो आप इस्तीफा लिखकर दे दीजिये, या मैं कहता हूं यह असत्य है, मैं इस्तीफा लिखकर दे देता हूं। विधान सभा की पांच मैम्बर की कमेटी बना दीजिये, वह कमेटी जाए और वहां उसकी जांच करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पीछे की तफतीश में नहीं जाना चाहता कि यह आन्दोलन कब से शुरू हुआ, कब से नहीं, लेकिन मैं तीन-चार-पांच सप्लीमेंट्रीज करूंगा। दस से बारह बजे तक गंगासिंह चौराहे पर हम बैठे रहे, अपनी बात कहते रहे, क्या प्रशासन ने कोशिश की बात करने की ?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सवाल पूछ रहे थे, सवाल पूछिये आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। यह जो रिपोर्ट में इन्होंने दिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निहत्थों पर 307 लगा रहे हैं ? हम विधायक, जन प्रतिनिधि निहत्थे, अपनी मांग कर रहे हैं और सामने स्टेनगन लिये हुए, ए.के. 47 लिये हुए, अश्रु गैस के गोले लिये हुए हैलमेट पहने हुए, हाथों में बड़े-बड़े डंडे लिये हुए पुलिस वाले हैं 307 के मुकदमे हमारे पर ? हम उनको मारने के लिये जाते हैं ?

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि लोगों को चेतावनी देने के लिये अनाउंसमैंट किया गया। कोई जीप नहीं थी, कोई लाउड स्पीकर नहीं था। एक साथ ही तमाम आर्डर, अन्दर खड़े-खड़े सियाराम मीणा ने मेरे सामने लाठी चार्ज के, अश्रु गैस के और गोली चलाने के, सब एक

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

साथ मेरे सामने दिये हैं। दो मिनट में ही घोड़े दौड़ पड़े, अश्रु गैस के गोले छोड़ दिये गये, लाठी प्रहार हो गया और मंत्री महोदय कहते हैं कि उनको चेतावनी दी गयी, फिर अश्रु गैस छोड़ गयी, फिर घोड़े भगाये गये। ये स्टैप बाई स्टैप की बात करते हैं, मैं कहता हूं एक ही साथ कोई भी चेतावनी लाउड स्पीकर से नहीं दी गयी और लोगों को पीटना शुरू कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। यदि यह सही है और हम पर 307 लागू होती है तो हो जाए लेकिन मैं चाहता हूं कि न्याय मिले। हमारे जो बाकी लोग हैं गरीब किसान और मजदूर उनके खून-खराबा हुआ, जब मैं और राधेश्याम जी मुआयना करा रहे थे तो मेरे लाठी पड़ी, राधेश्यामजी के बहुत तेज लगी। हम मेडिकल जुरिस्ट के यहां मुआयना करा रहे थे तो लोग आ रहे थे, थानों में से सिपाही भेजे जा रहे थे। थाने के सिपाही हमें जानते थे, हमने कहा कहां लगी भइया? उन्होंने कहा, कि हमें तो सिर्फ रिपोर्ट लिखाने के लिये भेजा है। इस तरह की कार्यवाही जिस प्रकार पुलिस बनाती है वह कार्यवाही वहां हुई और निहत्थों पर लाठी चार्ज हुआ। किसानों की बात को कुचलने के लिये उन पर प्रहार किया गया दो महीने से शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे, गोली चलायी लाठीचार्ज किया और घोड़े दौड़ाये। इस प्रकार का वातावरण आज तक राजस्थान में नहीं हुआ है पूरे पचास साल के अरसे में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज फिर से यह घटना होगी क्योंकि मेरा इलाका गंगानगर शहर के चारों तरफ पड़ता है। मेरे किसान ज्यादा आहत हुए हैं, मेरे किसान ज्यादा परेशान हैं और पांच-छह गांवों कोठा, पक्की, दोलपुरा और संगतपुरा सीमावर्ती क्षेत्रों में पांच दिन में काफी ओलावृष्टि हुई है। छह-छह इंच तक बर्फ जम गयी, दो सौ से पचास ग्राम तक के ओले पड़े हैं। यह आन्दोलन फिर होगा यदि राहत मंत्री इसके लिये कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। राहत मंत्रीजी को मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चार-पांच दिन में ओलावृष्टि हुई है, किसानों की करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, उसको यदि राहत दिलानी है तो आज इस सदन में कुछ अनाउंसमेंट करें और पहले वाले प्रकरण की न्यायिक जांच हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावरजी, राज्य मंत्री महोदय।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां काफी चर्चा हुई है। मनोहरथाना क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ है। कांग्रेस के विधायक भरतसिंह जी साहब सांगोद तहसील में विराजते हैं और खानपुर से विधान सभा का चुनाव लड़ते हैं। सांगोद पंचायत समिति में ही मेरा विधान सभा क्षेत्र लगता है। नगरपालिका का जब चुनाव था, नगरपालिका का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का जीत गया तो माननीय भरतसिंह

(श्री मदन दिलावर)

जी ने मेरी गाड़ी के सामने खड़े होकर मेरी गाड़ी पर, कार्यकर्ताओं पर पथराव किया। हमने तो उस समय भी ऐसा सोचा कि यदि बिच्छू अपना स्वभाव न छोड़े तो साधु अपना स्वभाव क्यों छोड़े, यह समझकर उस समय कोई कार्यवाही नहीं की। हमने सोचा समझ जाएंगे, गरिमामय सदन के माननीय सदस्य हैं। एक दिन हम बरसात में पुलिया पर मिल गये तो शिष्टाचारवश मैंने कहा, माननीय विधायक महोदय, आप कहां से पधार रहे हैं ? पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया मैं आज सदन में नहीं कह सकता। पता नहीं किस प्रकार का शिष्टाचार वे निभा सकते हैं, किस प्रकार की फूहड़ भाषा का प्रयोग वे कर सकते हैं ? यदि शायद मैं भी उस समय उत्तेजित हो जाता तो जितने कार्यकर्ता मेरे साथ थे वे उत्तेजित हो जाते और कोई अनहोनी हो सकती थी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ये शिष्ट भाषा बोलने के लिये प्रसिद्ध हैं। किसी प्रकार की अशिष्ट भाषा का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, यह उनके क्षत्रिय कुल के विपरीत है।

श्री दलजीत सिंह : इन घटनाओं से उसका क्या ताल्लुक है ? उसका क्या लेना-देना है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : यह बोलने की हैसियत भी है क्या इनकी ? गड़े मुर्दे उखाड़ कर पर्दा डाल रहे हैं सब अपने ऊपर। आवेश में आ रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप रोकें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : ये बोल सकते हैं, इनको अधिकार है। अपनी बात नहीं रख सकते, यह कौनसा नियम है ?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 दिसम्बर को मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव वालों से मिलने के लिये मैं जा रहा था। जो ओलावृष्टि हुई थी, मेरे गांववासियों को मिलकर आ रहा था क्योंकि मुझे भी उनकी वेदना में शामिल होना था। मैं वहां पर आ रहा था, नगरपालिका क्षेत्र में कार को रोक करके, मेरे को रोक करके...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक भी ओलावृष्टि नहीं और छह सौ रुपये बीघा मुआवजा मिल गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और आर.एस.ई.बी. के दो कनिष्ठ अभियन्ताओं ने इनको गाली दी। अभी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि आर.एस.ई.बी. के दो कनिष्ठ अभियन्ताओं ने इनको गालियां दी है। पता नहीं कहां-कहां तो गालियां खाते रहते हैं और इल्जाम हम पर। दुनिया तो गालियां देवे इन्हें और कहते हैं साहब हम पर इल्जाम।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वहां रोक करके मैंने सोचा काश्तकार होंगे।

(श्री मदन दिलावर)

गाड़ी से उतरकर उनके सम्मान में मैंने बात करनी चाही। माननीय भरतसिंह जी सामने बैठकर इशारे कर रहे थे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब मुझे लगा कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं मैंने उनसे निवेदन किया, आइये पंचायत समिति में बैठिये, आप भी विराजिये, क्या बात है अपने बैठकर बात करेंगे। वहां के एसडी.एम., डी.वाई.एस.पी. और उनके साथ पुलिस भी थी, मैंने सम्मान के साथ उन लोगों को बुलाया। उन्होंने मेरी बात सुनी, सारी समझ में उनके आ गयी और वे चले गये। लेकिन ज्योंही मैं आने लगा, मेरी गाड़ी निकली, मेरी गाड़ी के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। मेरी गाड़ी टूट गयी-

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां लगी आपके ? कहां लगी ? कहां-कहां लगी ?

श्री मदन दिलावर : मेरा गनमैन घायल हो गया, मेरा ड्राइवर घायल हो गया। (व्यवधान) एक शीशा टूट गया गाड़ी का ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, गलतबयानी कर रहे हैं आप। आपकी गाड़ी का एक शीशा टूटा और आपने पच्चीस आदमियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। अगर पच्चीस आदमी करते तो आपका छिंदा नहीं पाता। आप बिलकुल असत्य कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य धारीवालजी, विराजें। अब आप जल्दी समाप्त करें, माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : हमारे इतने बोलने पर ही आज पथराव याद आ रहे हैं आपको। आपको अपने पथराव के लिए ध्यानाकर्षण करना चाहिये था। ध्यानाकर्षण के बाद पथराव याद आ रहे हैं। आपने स्थगन क्यों नहीं रखा पथराव हुए हैं आपके ऊपर तो ? आपने असेम्बली में आकर क्यों नहीं रखा ध्यानाकर्षण ? आज पथराव याद आ रहा है आपको।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : इनका इस प्रसंग में कहां लेन-देन है इनको बोलने की इजाजत ही नहीं दी जानी चाहिये। जो पीड़ित हैं जिन्होंने यहां आकर स्थगन प्रस्ताव दिया है उनको बोलने देना चाहिये।

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी, भरत सिंहजी ... (व्यवधान) तो महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार करते हैं... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और एफ.आई.आर. लिखवायी गयी पच्चीस आदमियों के खिलाफ।

श्री मदन दिलावर : ये उनकी पत्नी के लिये कहते हैं, मैं यहां नही कह सकता। तेरे वक्त दीदार करके... मैं यहां नहीं कह सकता। क्या क्या किये हैं धारीवालजी, भरतसिंहजी ने कार्यकर्ताओं के साथ वहां

(श्री मदन दिलावर)

कांड ऐसे करते एक महिला के साथ। जो थानेदार वहां की सुरक्षा की बात करता है, वहां रक्षा की बात करता है वह आप सबकी रक्षा करता है। उसकी महिला के बारे में, उसकी बेटी के बारे में इन लोगों ने क्या-क्या शब्द कहे, सदन में कहने लायक नहीं है। ये आज उन जन-प्रतिनिधियों की रक्षा की बात करते हैं ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के चुनाव की घटना दो साल पहले हो गयी, उस नगरपालिका के चुनाव की घटना का आज क्या संबंध है, जरा पूछिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : वे तो वह घटना सुना रहे हैं जो उनके साथ बीती है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : दो साल बाद? ...(व्यवधान) और उसकी क्या इन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि विधायकों के साथ यह होता है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को दो जे.ईस्न. ने गाली दी थी, दो जेई.एन. ने परसों मंत्री महोदय को गाली दी थी...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरी जनता जानती है। माननीय मंत्री महोदय आपके आचरण को जनता जानती है ...(व्यवधान) ... आप पर कितने मुकदमे चले हैं यह तो जनता जानती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मुकदमे चल रहे हैं, फौजदारी मुकदमे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इससे बढ़कर लज्जाजनक क्या बात हो सकती है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप इस सभ्य समाज में रहने लायक नहीं बने हो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्री महोदय, आप +++ आपका पूरा जीवन अपराधी प्रवृत्तियों से भरा हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने...

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलिये... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हाउस के अंदर एक मंत्री ने एक विधायक को पीटा है और वह उदाहरण है मदन दिलावर। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर एक ही उदाहरण है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय ने विभिन्न घटनाओं के संबंध में अपने स्टेटमेंट

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(140)

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिये। उन घटनाओं में एक घटना सांसद कर्नल सोनाराम के संबंध में भी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने एक वातावरण यहां बनाने की चेष्टा की ...

एक माननीय सदस्य : सत्य बात कही है।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, बिलकुल सही। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने माननीय गृह मंत्री जी के इशारे से 182 में कार्यवाही पुख्ता कर ली है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें मुलजिम के बयान की कितनी अहमियत होती है, आप भी जानते हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी जानते हैं। आपने कर्नल सोनाराम की तरफ से लिखी गयी रिपोर्ट पढ़ी है और उसके बाद में पूरी तफतीश में फलां मुलजिम ने यह कहा कि हम शराब पिये हुए थे, हम उनका सम्मान करना चाहते थे और यहां तक कहा गया कि इन मुलजिमों की माननीय सांसद से कोई पहले से जान-पहचान नहीं थी और न उनका इरादा उनको नुकसान पहुंचाने का था। इस प्रकार का आपने वातावरण सदन में पेश किया है। मैं माननीय गृहमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में मुलजिमों के ही बयान लिये गये हैं या जिन लोगों ने रिपोर्ट पेश की है कर्नल सोनाराम के भी बयान लिये गये हैं ? उन लोगों ने क्या कहा है, उनके गवाहों ने क्या कहा है उसको तो आप गौण कर गये हैं और मुलजिमों के बयान के आधार पर इस सदन में इस प्रकार की तस्वीर पेश करने की चेष्टा की कि कि घटना बिलकुल गलत है और 182 में कर्नल सोनाराम के खिलाफ रिपोर्ट पेश होने वाली है। इस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी का यह आचरण बहुत आपत्तिजनक है। देश के अंदर जो निर्धारित कानून प्रक्रिया है उस कानून प्रक्रिया का, क्रिमिनल प्रोसीजर का पूरा उल्लंघन है। कभी भी मुलजिम के बयान को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन आपने सब मुलजिमों के बयान पढ़े और प्रोसीक्यूशन के एक भी गवाह का बयान आपने नहीं पढ़ा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य 4 दिन से, 10 तारीख से अकलेरा में धरने पर बैठे हुए थे क्योंकि उनके ऊपर 9 तारीख को कातिलाना हमला किया गया था। उस हमले में जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रघुराज सिंह के फ्रैक्चर भी हुआ है। खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ भी यहां सदन में स्टेटमेंट दिया उससे एक बात स्पष्ट होती है और वह इस बात को इंगित करती है कि विधान सभा का सदस्य भी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है।

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय राज्य मंत्री की गाड़ी पर किसने अटैक किया किसने नहीं किया, मुझे उसके तथ्य मालूम नहीं हैं। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि 9 तारीख को माननीय भरतसिंहजी की गाड़ी पर वार किया गया, उनके शीशे तोड़े गये ? वे वहां से भागते नहीं तो निश्चित तौर पर रघुराज सिंह के ही फ्रैक्चर नहीं हुआ, माननीय सदस्य के भी होता। इन्होंने पृष्ठभूमि रखी है कि आज किस तरह से शराब के माफिया का एक गैंग है, वह गैंग आपरेट किस तरह से करता है और उसके आपरेशन के अंदर पुलिस प्रशासन की किस तरह की मिलीभगत है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और आज की चर्चा से स्पष्ट है कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया चरमरा गयी है। एम.एल.ए. अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। एम.एल.ए. ही नहीं, गृह मंत्री जी, सुदूर ढाणियों में बैठे हुए जो लोग हैं, आप मुझे बताइये कि हर आल्टरनेटिव डे में ढाणियों में डकैतियां और नकबजनियां हो रही हैं। दांतारामगढ़ में हुई, अभी थोड़े दिन पहले कोटपूतली में हुई एक ढाणी में। ये गिरोह घूम रहे हैं माफिया गिरोह हैं, केवल शराब के माफिया नहीं ...

श्री जुबेर खान : ... उपाध्यक्ष महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में ही हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : और भी माफिया हैं। अभी आप यह कह रहे थे कि पुलिस चुस्त दुरुस्त है और कानून व्यवस्था राजस्थान में ठीक है। महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उसमें कमीशन ने आपको माफ नहीं किया, आपको दोषी ठहराया है। खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य के संबंध में केस को कंकाक्ट करके प्रोटैक्शन दे रही है पुलिस। सी.आर. नम्बर 33 में जो मुस्तगीस हैं अरुण कुमार, उन्होंने यह हमला करने के बाद एक रिपोर्ट लिखायी है पुलिस स्टेशन मनोहरथाना में। उस रिपोर्ट में लिखा है किसी को मारो, इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है। यह बात तो सही लिखी है, गुंडागर्दी तो वे कर ही रहे हैं। भरत सिंह जी ने मुझे पकड़ लिया और चाकू निकाल कर मेरे ऊपर मारा। मैंने चाकू से बचने की कोशिश की और मेरे हाथ पर लगा। गृह मंत्री जी, आपने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया। इनके खिलाफ वह चाकू का केस बनना चाहिये था कि क्या वास्तव में विधान सभा के माननीय सदस्य ने, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अरुण कुमार के चाकू मारा है और चाकू नहीं मारा है और कोई एक आध अधिकारी, चूंकि आपने इस पूरे राजस्थान में ... मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं पहले ही सदन के अंदर कह चुका हूं कि ब्यूरोक्रेसी में ऊपर ही कोई अफसर नहीं नीचे से लेकर ऊपर तक आपने इसका राजनीतिकरण किया है। इसी का

(श्री परसराम मदेरणा)

परिणाम है कि कोई जो निष्पक्ष अधिकारी है वह अपमानित हुए बगैर, ठुकाई हुए बगैर बचेगा नहीं। इसलिए निष्पक्ष अफसर भी निष्पक्ष रहने की स्थिति में नहीं है, यह आपके प्रशासन की डांवाडोल स्थिति है।

डाक्टर को कहा कि तुम मुझे इस तरह का सर्टिफिकेट दो जिससे ग्रीवियस शार्प वैपन से इंजरी साबित हो। डाक्टर ने कहा, मैं यह कैसे कर सकता हूं। इनकी पिटाई कर दी, इस एफ.आई.आर. के लॉज होने के बाद में, सी.आर. 33 के बाद में। सी.आर. 34 डाक्टर ने जो प्रस्तुत की है और वह पुलिस प्रोटैक्शन में गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि आपके झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ लैसनैस है। उनके चाकू लगने वाली बात है, उसका मेडिकल मुआयना हुआ, एम.एल.सी. रिपोर्ट आई। उस एम.एल.सी. रिपोर्ट में कोई इस प्रकार की चाकू की रिपोर्ट है, घाव कितना गहरा है और किस जगह पर गया है, उसका आपने कतई उल्लेख नहीं किया है। इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, इसलिए धरने पर बैठे हैं कि झूठा केस मेरे खिलाफ बनाया गया है और जो दूसरे लोगों ने पीटा है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। गये इसलिए थे कि 28 फरवरी को बीरम लोदी के साथ जो मारपीट हुई है उस समबन्ध में अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो। यह आपका जो ए.एस.आई. मिला हुआ है, साथ में इनके चाय पी रहा था, यह बात सही है कि नहीं है ? यह सही नहीं है तो, गृह मंत्रीजी, जब इतना धरना हुआ, हो-हल्ला हुआ है तो यह बात साबित हो गई है कि यह चाय पी रहा था। वहां के अधिकारियों ने यह देख करके कि ए.एस.आई. की गलती है और जानबूझकर मुलजिमों से इसकी सांठ-गांठ थी, उसको वहां से पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया। वह इस बात का सबूत है कि वहां पर पुलिस के जो अधिकारी लगे हुए हैं वे इस माफिया गिरोह से मिले हुए हैं। डाक्टर के साथ मारपीट करना, उसी वक्त, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है, यह संकेत देता है कि कितनी निडरता से वे राज्य अधिकारियों की पिटाई कर सकते हैं और उनको लहूलुहान कर सकते हैं। जहां एम.एल.ए. सुरक्षित नहीं, यह आज जो एडजार्नमेंट मोशन लाए हैं, यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है ? यहां का हरेक नागरिक यह महसूस कर रहा है, मैं यह समझता हूं कि वह भयभीत है। उसको चिंता बनी रहती है कि ऐसा नहीं हो कि नकबजनी हो जाए, डकैती हो जाए और उसे लोग मारे।

आज जयपुर शहर के अंदर कितने नकबजनी के केसेज हो रहे हैं ? आठ-दस से कम नहीं हो रहे हैं। आज सुबह जो रोडवेज का दूसरा क्वेश्चन चल रहा था, कितनी दुर्घटनाएं सड़कों पर हो रही हैं ? इसके सम्बन्ध में आपने कहा कि हमने जगह-जगह पुलिस लगा दी है, यह कर दिया है, वह कर दिया है, हास्पिटल खोल दिए हैं लेकिन बराबर लगातार हो रहे हैं,

(श्री परसराम मदेरणा)

आपका प्रशासन फेल हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ी है और बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था में आप कानून का सहारा लेकर मुलजिमों के बयान के ऊपर फैक्ट्स को पेश करना चाहते हैं।

एम.पी. कर्नल सोनाराम के मामले में आपने सब बात तो कही, वह पीछे जो गाड़ी आ रही थी टाटा-सूमो, उसने टक्कर मारी कि नहीं मारी ? उस टाटा-सूमो को आप देख लीजिए और कर्नल की गाड़ी को भी देख लीजिए, वह वहीं पड़ी है। अगर टक्कर मारी है तो फिर बाबू की बात करना कि बाबूसिंह को हमने पकड़ लिया और बाबूसिंह का भाई जो ऐसा बताया गया है कि लोग सभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का प्रचार कर रहा था, आप इस केस को डाइल्यूट करना क्यों चाहते हैं ? तो आप वह क्या कहना चाहते हैं ? इसका मतलब यह है कि यह बात निश्चित है कि वहां पर टाटा-सूमो को जब आगे डबल लेन आया, करीबन एक या डेढ़ किलोमीटर दूर, बालोतरा से गाड़ी लाकर खड़ी की है। आगे लाकर खड़ा करने के बाद में जो ड्राइवर है वह खट से निकाल करके पास में, जिप्सी कच्चे रास्ते से भी निकल जाती है, नीचे उतार करके नहीं भगता तो आप यह कह रहे हो कि उनको बधाई देने के लिए आए थे, उस वक्त उनकी ठुकाई अच्छी तरह से हो जाती। इसलिए आप इसको डाइल्यूट करने की बात जो कर रहे हैं, आपको इसमें निष्पक्ष इन्वेस्टीगेशन करना चाहिए। यह एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट का प्रश्न है। यों ही नहीं उठाया जा रहा है कि इसको एग्जेबजरेट करके यह बात कही जा रही है। वह गाड़ी दौड़ाई है उन्होंने सौ और एक सौ बीस की स्पीड से। जाइनवाला से करीबन तेरह-चौदह मील यह गाड़ी बराबर आने की कोशिश कर रही थी। वे समझ गए थे देख करके उन लोगों को। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस वक्त गाड़ी मेरे आगे लाए हैं, एक व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल था, इसका भी आपने इन्वेस्टीगेशन करवाया है ?

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : पिस्तौल वाली बात नहीं आई है।

श्री शिवनाथ सिंह : मुलजिम के बयान से सबको बरी कर दिया ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मुलजिम कहां रखा इन्होंने ? होम मिनिस्टर ने तो मुलजिमों की पूरी पैरवी की है।

श्री परसराम मदेरणा : तो फिर मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, have you taken the statement of the Member of Parliament ? If you have not taken the statement of the Member of Parliament. तो आप उनका स्टेटमेंट लीजिए। आप यहां कह रहे थे प्रारम्भ में, मेरे पास उनके भी स्टेटमेंट हैं। उनका स्टेटमेंट नहीं है, एफ.आई.आर. है, जो मेवा राम मेहता की है। मेवा राम मेहता की एफ.आई.आर. है, वह आपके मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटमेंट नहीं है।

(144)

(श्री परसराम मदेरणा)

आप यहां पर गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य की बात कह रहे थे। हमने वहां पर घेराव की बात की। यह घेराव की बात दिसम्बर 10 तारीख को नहीं हुई है, गंगानगर में जगह-जगह पर, सभी तहसील हैडक्वार्टर्स पर अक्टूबर में जब से नरमे और कपास की फसल को जबर्दस्त नुकसान हुआ है। नरमे और कपास की फसल ऐसी है कि उसमें इनीशियल इन्वैस्टमैंट है वह करीबन साढ़े पांच-छह हजार रुपए प्रति एकड़ होता है। और एक पैसा ही नहीं मिला। क्या उन काश्तकारों को अधिकार नहीं था, यह मांग करने का कि जो हमारी फसल को क्षति हुई है, नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए ? मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी पत्र लिखा है, मैंने कहा है कि राजस्थान के अन्य स्थानों पर भी कपास को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं भारत सरकार से बात कर रहा हूं, सैंट्रल रिलीफ फण्ड में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है, मुझे यह आश्वस्त किया गया है कि अमुक सम्बन्ध में कुछ मुआवजा देंगे। यह चिट्ठी उन्होंने मुझे लिखी है सात दिसम्बर को, यह इन्सीडेंट हुआ उससे पहले। तो क्या आप यह चाहते थे कि वहां धारा 144 लगा दी ? कलक्टर का घेराव कर रहे थे, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य राधेश्यामजी, केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कलेक्ट्रेट की बाउण्ड्री के अंदर थे क्या ? ये बाउण्ड्री के बाहर थे और लाठी से इनकी पिटाई की है। इन्होंने मुझे भी बताया था और यहां डाक्टर से मुआयना भी कराया था। इतना बड़ा उनके यहां लम्प हो गया है, हीमोटोमा हो गया है। वह हीमोटोमा यों ही हो जाता है क्या ? मैंने एंजियोग्राफी कराई थी, मेरे हो गया तो हीमोटोमा। तीन महीने तक यहां पड़ा रहा। 1994 में कराया था, इतना बड़ा हीमोटोमा हो गया था लेकिन उसके बाद में कराया तो उन्होंने बहुत सावधानी बरती। सावधानी बरतने का परिणाम यह हुआ कि मेरी हालत रात को बहुत ज्यादा खराब हो गई इसलिए इन्ट्रावीनस पर मुझे 24 घण्टे रखा। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि क्या गंगानगर के काश्तकार चुपचाप इसी तरह से आत्मघात करते जैसे कि तेलंगाना के अंदर आन्ध्र प्रदेश में किया ? इसके पीछे प्रश्न यह है कानून-व्यवस्था के साथ ही साथ कि फसल बीमा योजना को लागू करने का आप सोच रहे हैं क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : एजेण्डे में है।

श्री परसराम मदेरणा : एजेण्डे में है तो आपको उसी तरह से इसको देखना चाहिए था। उस लाइट में देखना चाहिए था कि काश्तकारों में कितना भारी रोष है, असंतोष है कि उनकी फसल उनके सामने जिस पर इतना भारी कर्जा लेकर इन्वैस्टमैंट किया है वह बरबाद हो गयी है। वहां पर 30-30 लोगों ने आत्मघात किया, फैमिलीज की

(श्री परसराम मदेरणा)

फैमिलीज ने। अगर इसी तरह से होता तो यहां पर भी आत्मघात करते। लेकिन आत्मघात नहीं किया, सिर्फ उन्होंने प्रदर्शन किया कि हमको मुआवजा दीजिए। सिर्फ इतना ही कसूर था। फिर जो ठुकाई आपने शुरू की, उस ठुकाई में मैम्बर ऑफ लैजिस्लेचर, वहां खड़े हुए सब जानते हैं, जानबूझकर इनकी अच्छी तरह से पिटाई की। ये हास्पिटल में भर्ती हुए, भर्ती होने के बाद इनका डाक्टरी मुआयना भी वहां पर हुआ है। इसका मतलब यह है कि बहुत बेरहमी से आपने यह पिटाई की है। यह जो आपका एक्शन है, यह भर्त्सना के योग्य है। विधान सभा के सदस्यों की निर्दयता के साथ पिटाई करना मैं समझता हूं कि यह सदन की गरिमा और सदन के सदस्यों के प्रति एक अपमानजनक रवैया है।

यहां पर आपने बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का भी उल्लेख किया। तथ्य यह सामने आया है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके सामने आ गयी है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई उसके बाद में आज कई महीनों तक आप इसको पड़ा हुआ क्यों रखना चाहते हैं ? इसके पीछे कारण क्या है ? जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, आपने सी.बी.आई. क्राइम ब्रान्च से कराया है। सी.बी.आई. क्राइम ब्रान्च से कराया है तो उसका नतीजा आ गया है ? अभी हुआ इन्वेस्टिगेशन ? इन्वेस्टिगेशन तो पहले हो गया था। कितने महीने हुए ? मुझे मालूम नहीं, लेकिन साल भर पहले का है। जो रिपोर्ट आपके पास है तो आप उसका चालान कीजिए। पाली से आने वाले माननीय सदस्य और नावां से आने वाले माननीय सदस्यों के संबंध में, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य के संबंध में जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर आप मेहरबानी करके स्टेटमेंट दीजिए और जो कुछ भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यह इन्वेस्टिगेशन निष्पक्षता के साथ में कीजिए। विधान सभा सदस्य के खिलाफ चाकू से झूठा केस बनाना, एक महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी की निर्ममतापूर्वक पिटाई करना और आज दिन तक मुलजिमानों का गिरफ्तार नहीं होना, यह बहुत चिन्ता का विषय है। चार केसेज एक ही रात में हुए हैं। केस नम्बर 33, 34, 35, 36, आप इन केसेज का कब तक चालान पेश कर देंगे ? आप कहते हैं कि सीनियर एस.पी. को वहां पर भेज दिया है। अगर सीनियर एस.पी. वहां चला गया है तो सीनियर एस.पी. ने जाने के बाद स्टेटमेंट भी निश्चित तौर पर लिए होंगे। स्टेटमेंट के बाद में इमिजियेटली इन केसेज के अंदर जो मुलजिम हैं उनका चालान कीजिए और यह बात भी स्पष्ट कीजिए कि खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य के खिलाफ मुस्तगीस अदन कुमार ने जो रिपोर्ट लिखायी है, अगर यह रिपोर्ट झूठी है तो उसके खिलाफ 182 का केस दायर कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपराधिक प्रकरण को लेकर आज विधान सभा में दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। घटनाओं के बारे में आक्षेप भी किए, आलोचना भी की, आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए और कुल मिलाकर मैं यह मानता हूं कि सुझावात्मक और सहयोगात्मक रुख भी सामने आया, तो कुछ राजनैतिक धरातल पर भी बात हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। गंगानगर की स्थिति जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कही उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है किसानों की प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल को नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामने विराजे हुए प्रतिपक्ष के सदस्य किसी न किसी रूप में सत्ता में लम्बे समय तक रहे हैं, कई विभाग उन्होंने संभाले। माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी यह जानते हैं कि क्षतिपूर्ति के हमारे नियम बने हुए हैं और कई बार उन नियमों से परे ही राज्य सरकार इधर-उधर जाती है और केन्द्रीय सरकार से सहयोग भी प्राप्त करती है।

गंगानगर का जो प्रकरण था, निश्चित रूप से किसानों के प्रति सारे सदन की, राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय की, जो सदन के नेता हैं और प्रतिपक्ष के लोगों की भी सहानुभूति होना वाजिब है। उस सहानुभूति में उनको पूरी क्षतिपूर्ति मिले, इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिल्ली बात भी की है, पत्र भी लिखे हैं, प्रतिपक्ष के नेता को भी विश्वास में लिया है और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति का जहां तक संबंध है किसानों को पूरी तरह, जो नियमों की परिधि है और जो उपलब्ध धन है उसके अनुसार क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए और की जाएगी राज्य सरकार द्वारा।

अब दूसरा पक्ष आता है क्षतिपूर्ति कराने के लिए आंदोलनात्मक रुख का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, ये हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था के अधिकार हैं और इन अधिकारों से कभी मना नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी सीमा-रेखा कहां तक रखी जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है। 144 की धारा भी रैगुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने भी आंदोलन किए हैं, हमारे ऊपर भी मुकदमे चलते हैं। हम पुलिस से इस प्रकार की बात कर लेते थे कि किस सीमा तक हमको जाना है, क्योंकि हमको अपना प्रदर्शन करना है। कानून व्यवस्था को चुनौती देकर अराजकता पैदा करना और अपनी ज्यादा से ज्यादा ख्याति प्राप्त करने की जो भावना रहती है वह स्थिति ठीक नहीं रहती। ऐसी स्थिति में मैं यह मानता हूं कि वहां पर जिस प्रकार का घेराव हुआ, जिस तरह का बयान दिया है और जो तथ्य आए हैं, माननीय इन्दौरा साहब का यह कहना था कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

ये सब बातें एक साथ हो गई। एक साथ सब बातें नहीं होती हैं, धीरे-धीरे वार्निंग भी दी जाती है। वहां जो कुछ हुआ है वह आपके सामने है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : एक साथ हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं, माननीय सदस्य। यह अंकित नहीं होगा बीच में बोलेंगे तो। आप पूरी बात सुन लिजिए। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं फिर से इस सारे प्रकरण को दिखवा लूंगा। क्योंकि जिस समय की यह स्थिति बनती है, प्रशासनिक स्तर पर स्थानीय अधिकारी जो वहां पर उस समय प्रभारी होता है, इंचार्ज होता है उसका विवेक कई दबावों में काम करता है, उन दबावों में प्राथमिक आवश्यकता यह रहती है कि यह सिचुएशन कंट्रोल के बाहर न जाए, जनहानि की स्थिति नहीं आए, कोई खून-खराबा न हो। ऐसी स्थिति में उनके विवेक पर हमको निर्भर करना पड़ेगा। अगर कहीं लाठीचार्ज हो गया है, अश्रुगैस के गोले चल गए हैं या कहीं किसी तरह का बल प्रयोग हुआ है जो सरकार के और कानून के दिए हुए अधिकारों के अंतर्गत है, अगर उस बल-प्रयोग को हमेशा ही आलोचना का ही बिन्दु बनाएं तो हमको कानून-व्यवस्था बनाने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर हमको पार्टियों के दायरे से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। उन परिस्थितियों में लाठीचार्ज करने, अश्रुगैस के गोले चलाने और क्या दूसरी बातें हुई हैं वह कारण उचित था या नहीं, इस बारे में कार्यवाही चल रही है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर का डैलिगेशन मुख्य मंत्रीजी से मिला और मुख्य मंत्री जी से मिलने के बाद ये लोग मेरे पास भी आए। मुख्य मंत्रीजी से इन्होंने मांग रखी थी कि यह जो एक्सेस फोर्स यूज की है इसकी आवश्यकता नहीं थी। बहुत उत्साह के अंदर कुछ अधिकारी पिटाई करने पर उतारु थे, इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज भी किया, बुलेट भी चलाई, अश्रुगैस भी छोड़ी। मुख्य मंत्रीजी ने उनसे यह बात कही कि मैं डिवीजनल कमिश्नर से इसकी जांच करवाऊंगा। आपने डिवीजनल कमिश्नर से जांच करवाई ? यह आश्वासन तो दिया है इन्होंने। उसी वक्त उन्होंने मुझे आकर कहा। (व्यवधान) जुडीशियल इंक्वायरी की आपने मांग की, उस पर सी.एम. ने कहा कि मैं पहले कमिश्नर से जांच करवाता हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो हाईकोर्ट जज से करवाऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : वह अलग बात है, लेकिन उसका कमिटमेंट किया है कि एक सीनियर आई.ए.एस. ऑफिसर से इसकी जांच कराऊंगा। उससे यह मालूम हो जाएगा कि उचित था या नहीं था बल-प्रयोग करना, इनकी पिटाई करना उचित था या नहीं था।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए आपने कमिश्नर से जांच क्यों नही करायी ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेताजी की बात पर भरोसा करके यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस तरह का आश्वासन दिया है तो डिवीजनल कमिश्नर से, फोर्स का एक्सेस यूज हुआ या नहीं हुआ, उन परिस्थितियों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होगी चाहिए, उस विषय पर जांच करा ली जाएगी और उसके आधार पर अगली कार्यवाही की जाएगी। मैं आपके द्वारा यह विशेष निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी का आश्वासन भी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इस सारे मामले में सीरियसनैस आयी नहीं। मुख्य मंत्री जी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो आए थे, यहां चार-चार एम.एल.एज. का मामला है, एम.पी. का मामला है, वे यहां आकर घण्टे भर विराज नहीं सकते थे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : खेतसिंह जी साहब, आप चालीस साल तक लट्ठ बजाते रहे, और आंदोलन में तो लट्ठ ही चलते हैं और क्या चलेंगे ?

श्रीमती कमला : कितना समय हो गया मुख्य मंत्री जी से बात हुए ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो तो आपने परम्पराएं बनाई हैं, वे ही हैं।

श्रीमती कमला : माननीय गृह मंत्री जी, कितने समय पहले मुख्य मंत्रीजी से बातचीत हुई, कितने समय पहले उन्होंने आश्वासन दिया है और अभी तक कन्वे ही नहीं हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : अगर हम 40 साल तक लट्ठ बजाते तो हमको 40 साल तक सत्ता में कोई नहीं रखता। आपने लट्ठ बजाना शुरू किया और आपकी यह दुर्गति हो गई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमने कम बजाये।

श्रीमती कमला : कसर रह गई तो और बजा लो। ब्याज सहित लट्ठ बजा लो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कुछ करो तो सही।

श्रीमती कमला : यह तानाशाही नहीं, यह प्रजातंत्र है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के नेता और सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस सदन को इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी का स्वरूप नहीं दिया जा सकता। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं हमारे देश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इण्डियन पैनल कोड है और इण्डियन एविडेंस एक्ट है और किसी भी अपराध की सूचना होने पर उस अपराध के बारे में तफतीश करने की सम्पूर्ण नियम-उप नियम बने हुए हैं। ऐसी स्थिति

(श्री कैलाश मेघवाल)

में इस प्रांगण में तथ्य कहे जा सकते हैं लेकिन उन तथ्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी को डायरेक्शन नहीं दिया जा एकता। इसलिए डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता कि इन तथ्यों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी को ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह की बातें आयी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह किसने मांग की है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी बनाया जाए? ये तथ्य जो सामने आ रहे हैं उसके आधार पर, गृह मंत्रीजी, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन कराइये। इण्डियन पैनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है यह हमको सिखाने की आवश्यकता नहीं है और न क्रिमिनल प्रोसीजर के पावर यह सदन यूज करना चाहता है। सदन के माननीय सदस्यों का यह अधिकार है कि जो कुछ भी यहां घटनाएं घट रही हैं और उनके साथ में अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, निष्पक्षता से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, यह बात आपके सामने रख रहे है। यह तो आपका दायित्व है कि आप ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन कराए। कोई कमेटी बनाने का या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहां से कोई लोग जाएंगे, यह कभी सोचा भी नहीं है और कल्पना भी नहीं की है।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पृष्ठभूमि में मैंने यह बात कही है वह इस पृष्ठभूमि में कही है कि एफ.आई.आर. क्या है, 161 के बयान क्या हैं, 164 के बयान क्या हैं और किस तरह का साक्ष्य एकत्रित किया गया है उसको वे करने का काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी का है, जिसका स्तर आपका ऊंचा हो सकता है, डी.आई.जी. का हो सकता है, सी.आई. डी. (सी.जी.) हो सकता है। हम तो उन तथ्यों को यहां देख सकते हैं और यह डायरेक्शन दे सकते हैं कि इसमें निष्पक्ष कार्यवाही होनी चाहिए। इस तरह की सारी भावना आयी है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमने जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी उसका जिक्र ही नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : उन भावनाओं के आधार पर और जो तथ्य हैं, यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मैंने इस बात को देखा है। माननीय सांसद सोनाराम जी चौधरी का जो मसला था, यह मसला होते ही उसी रोज रात को एस.पी. ने भी टेलीफोन किया। अब यह देखना आवश्यक है कि सोनाराम जी उस समय सर्किट हाउस में थे नहीं, ये तीन आदमी आये जो जोधपुर के रहने वाले थे। मैंने यह पूछा है और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अखबारों में कुछ आरोप आये कि ये इनको मखाना चाहते हैं और विरोधी पार्टियां इनके साथ में यह करना चाहती हैं–

श्री परसराम मदेरणा : फिर आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : कर्नल सोनाराम ने कभी नहीं कहा कि मैं सर्किट हाउस में था। वे खाना खाने के लिए एडवोकेट करनाराम जी के मकान गये हुए थे। मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे मित्र हैं और मेरी कांस्टीटयूएंसी के हैं। उसमें पीछे चौकीदार था। जो कुछ भी उन्होंने कहा वह चौकीदार ने कहा और एफ.आई.आर. जो लॉज हुई है वह चौकीदार ने की है। अगर चौकीदार से वे यह कहते है कि हम सोनाराम को देखेंगे और सोनाराम जी के बारे में गाली-गलौच भी किया, सोनारामजी के बारे में अपशब्द भी कहे तो यह तो चौकीदार कह रहा है। वह भी गवर्नमेंट सरवेंट है, वह कोई सोनाराम जी का नौकर तो है नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि जोधपुर से आये, जोधपुर के लोग थे, वे सोनाराम जी को जानते भी नहीं थे, तो उनको क्या आवश्यकता थी वहां चौकीदार को धमकाने की, सोनाराम का नाम वहां पर इन्डक्ट करके उसको गाली-गलौच करने की और उसके सम्बन्ध में कहने की कि हम उसको देखेंगे? यह कहने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री कैलाश मेघवाल : प्रतिपक्ष के नेता, मैंने कहा कि ये कुछ बिन्दु हैं जो केस देखते हैं तो उठना लाजिमी हैं। मेरे सामने भी यह सवाल आया कि आखिर क्यों ये तीन लोग वहां गये कि सोनाराम जी का नम्बर बताओ, कहां हैं, कहां नहीं हैं, इससे बदला लेंगे, उससे बदला लेंगे और लेना-देना कुछ नहीं है। कई बार इन्नोसेंट मिसचीफ मोंवगरिंग भी होती है। आजकल की नयी पीढ़ी जिस तरह से उच्छृंखल होती चली जा रही है, मैं आपको बताऊं कि रास्ते चलते कई तरह की घटनांए हो जाती हैं कई बार। अब यह दूसरा केस भी शराब पीये हुए लोग थे। जो भील पकड़ा गया है उस भील का बड़ा भाई .. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : .. (व्यवधान).. क्या औचित्य है, यह बताइये आप ? (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : .. यह रिकार्ड पर है कि मैंने इसको असर्टेन किया कि यह जो दूसरा मुलजिम भील पकड़ा गया है इसका बड़ा भाई इसी लोक सभा चुनाव में सोनाराम जी का पोलिंग एजेंट बनकर बैठा है। आखिर क्या मेन्स रिया हो सकता है, क्या कारण हो सकता है ? अधिक शराब के नशे में पराये घोड़े पर आदमी सवार हो जाता है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, तो क्या स्थिति बनती है ? कई बार आपस में दोस्त बैठे-बैठे शराब पीकर एक-दूसरे को मारने की भी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं के आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय गृह मंत्रीजी, आप पोलिंग एजेंट पर तो चले गये। और सोनाराम जी के बयान नहीं ले पाये ? आप उनके गवाहों के बयान नहीं ले पाये ? (व्यवधान) इसका मतलब आपकी मंशा क्या है, हम जानते है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप उसका मजाक उड़ाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आखिर इन बिन्दुओं पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी - (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आप पोलिंग एजेंट तक चले गये और सोनाराम का बयान नहीं ले रहे हैं, आप गवाहों के बयान नहीं ले रहे हैं ? किस, प्रकार का वातावरण यहां पर खड़ा किया जा रहा है ? मुलजिमों को बचाना चाहते हैं आप ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप कैसे सरसरी तौर पर कह रहे हैं कि इन्नोसेंट मिसचीफ है ? (व्यवधान) आपको तो कम से कम ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : - (व्यवधान) - कोशिश नहीं की है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इन्नोसेंट मिसचीफ - (व्यवधान) और कोई नहीं हो सकता। आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यहां पर क्रोधित होने से, आवेश में आने से और एजिटेट होकर कोई बात कहने से कानून अपना रास्ता नहीं बदल सकता है। कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी। (व्यवधान) और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर चीज को, हर घटना को -

श्रीमती कमला : यह गृह मंत्रीजी को नहीं बोलना चाहिए कि इन्नोसेंट मिसचीफ - (व्यवधान) यह शराब के पराये घोड़े पर चढ़कर हो सकता है, यह गृह मंत्रीजी के बोलने की बात है क्या ? एक सांसद पर हुए हमले के मामले पर ?

श्री कैलाश मेघवाल : बैराठ से आने वाली माननीय विधायिका -

श्रीमती कमला : बहुत ही आपत्तिजनक बात है, गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : ये जब भी बोलने खड़ी होती हैं तो आलोचनात्मक ही कहती हैं - (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह इन्नोसेंट मिसचीफ हुई है, यह कोई कहने की बात है क्या ? (व्यवधान) आप प्रोटैक्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : पार्लियामेंट के एक मैम्बर पर हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, उसको मारने की चेष्टा की गयी और मुलजिम का बयान लेकर मजाक उड़ाते हैं, यह क्या बात हुई ? यह कोई तरीका हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष जी, गृह मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वे शराब पीये हुए थे, घोड़े पर सवार थे। यहां सेशन जज की हैसियत के भी महानुभाव विराजे हुए हैं, अगर कोई नशा करके कोई भी अपराध करे और मर्डर का

(152)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इंटेंशन हो तो वह मर्डर का भागीदार होता है। नशा करके अपराध करना कोई एक्सक्यूज नहीं है या उसको लाइट नहीं बना सकता नशा करने के बाद में। तो आप यह कैसे कह रहे हैं कि नशे में सवार था इसलिए कर दिया ? कर दिया तो पूरा जिम्मेदार था।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि कई बार शराब के नशे में शराब पीते-पीते दोस्तों को आपस में एक-दूसरे को बिना किसी कारण से हमने मारते देखा है, छुरा लगाते देखा है। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आयी हैं। इसमें धारा 308 लगायी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : शराब पीकर आपने कितनी जगह इन्नोसेंट मिसचीफ क्रीएट की है, वह तो बताइये ?

श्री कैलाश मेघवाल : सारी एविडेंस को स्क्रीन पर लाकर जल्दी ही जो घटित होना अपराध में आएगा वह अपराध भी लगाएंगे। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि शराब के नशे में थे और उस शराब के नशे में वे खुद एडमिट करते हैं कि हमने टक्कर भी मारी, रामाश्यामा भी करना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से चिंतित था कि यह जो चुनाव की पृष्ठभूमि बनी है, वहां पर जो चुनावी दंगल हुआ है, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थित या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं हैं जिन्होंने गुस्से में या प्रतिशोध के कारण ऐसा कृत्य कर लिया हो। इसलिए इस बिन्दु पर मैंने बार-बार पूछा है, एस.पी. से भी पूछा है। जो तथ्य सामने आये हैं वे मैंने आपके सामने रखे हैं। जो अपराध हुआ है उसकी उतनी ही गम्भीरता से तफतीश हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह विश्वास दिलाता हूं ... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : फ्लोर के अन्दर, हाउस के अन्दर प्रोटेक्शन कर रहे हो कि यह इन्नोसेंट मिसचीफ हो सकती है, यह शराब पीकर बकवास हो सकती है। आप यहां सदन में इस तरह की बातें कर रहे हैं इस तरह के गम्भीर मुद्दे पर। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आप बैठिये। मुझे बोलने दीजिये। मैंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : गृह मंत्रीजी, कानून और व्यवस्था है वह काफी टीडियस अफेयर होता जा रहा है। आपने अभी उच्छृंखलता की बात की, उसके रीजन पर जाइये। आप जा रहे हो ? पुलिस फोर्स के आपके पुलिस स्टेशन बढ़ाये ...

श्री कैलाश मेघवाल : कलैक्टिव विजडम सामने आएगी तभी उस पर नियंत्रण होगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता। केवल एक

(श्री कैलाश मेघवाल)

पक्ष या एक व्यक्ति के आधार पर कुछ नहीं हो सकता।

श्री परसराम मदेरणा : एक नहीं है। पापुलेशन एक्सप्लोजन, एक। कन्सन्ट्रेशन ऑफ पापुलेशन, जो दूसरी जगह हो रही है, नम्बर दो। असामाजिक तत्वों का विचरणा, घूमना, इनके ऊपर अंकुश नहीं रहना, तीन। माफिया गिरोह का पैदा होना और जुर्म करना, चार। उसके ऊपर आपका संरक्षण रहना, आपका उसके ऊपर लीपापोती करना, उसके ऊपर केमोफलोस करना, यह है कारण।

श्री कैलाश मेघवाल : यहां मेरी आपसे पूर्णतया असहमति है। माननीय, उच्छृंखलता क्या है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : इन सबको संरक्षण देना सिवाय आपके .. (व्यवधान) सरकार ने संरक्षण दे रखा है।

श्री कैलाश मेघवाल : .. और अपराध प्रकृति के जितने कारण माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बताये हैं उनसे मैं सहमत हूं लेकिन जो हमारे ऊपर आरोप आपने लगाये हैं वही आरोप आपके ऊपर भी लग सकते हैं, इसलिए इस आरोप में अपन नहीं जाएं। अपन कुछ अपनी बहस को उच्च स्तर पर रखें, राजनैतिक आरोप-प्रत्यारोप में नहीं ले जाएं, तो हम कानून व्यवस्था की ज्यादा सेवा कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भरत सिंह जी के केस में कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं ..(व्यवधान) इसमें आपने स्पेसिफिक पूछा है कि केस नम्बर 33/98 एफ.आई.आर. में वर्णित...

श्री परसराम मदेरणा : Not as aninvestigation agency, आप यह कह रहे हैं। वह तो पूछेंगे। एफ.आई.आर. का तो मैंने पढ़ा और एफ.आई.आर. भी मैंने इसलिए पढ़ी कि आपने उसका उल्लेख भी किया था।

श्री कैलाश मेघवाल : बिलकुल नहीं। जो तथ्य आये हैं सामने केवल वे रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर की रिपोर्ट से प्राइमाफेसी केस सत्य साबित हुआ है। अरुण वर्मा की भी जमानत हो गई है और यह केस सी.आई.डी (सी.बी.) में चालान का बनता है, ऐसा अभी तक के साक्ष्य से सामने आया है। चारों ही केस के बारे में, क्योंकि यहां पर चारों केस का अभी तक का निचोड़ मेरे पास है, मैं एक ही विश्वास दिला सकता हूं कि यह एक माननीय विधायक की पीड़ा नहीं है। अगर एक विधायक के साथ में हम यहां बैठकर ..

श्री परसराम मदेरणा : उनके खिलाफ तो 307 का केस हुआ है। वह आपने 307 में रजिस्टर नहीं किया होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, यह एक इंजरी रिपोर्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अरुण वर्मा की इंजरी रिपोर्ट है, नौ चोटें और इंसाइज बुंड है। उसकी एक एफ.आई.आर. है।' अब आप बताइये, इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए ? आखिर कोई विधायक हो गया, वह कानून से ऊपर है ? उसके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. है उसका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं करे ? ...

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, आपने ...(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उसके खिलाफ सबूत हैं उनको नहीं लें ? यह तो नहीं हो सकता है। मैं सदन के प्रांगण में कहना चाहता हूं कि चाहे सारा सदन भावावेश में कुछ भी कहने की स्थिति में हो लेकिन कानून स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। उस कानून से ऊपर कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है और जो विधायक और सांसद कानून के ऊपर अपने अधिकार को चाहेंगे तो इस शासन से नहीं पा सकते, वह अधिकार कतई नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कोई कुछ भी करे ... (व्यवधान) सैल्फ इडक्टेड इंजरी है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। एक पाइंट आफ आर्डर है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह इंसाइज बुंड है जो अरुण वर्मा के ऊपर आये हैं और उसकी एक एफ.आई.आर. हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं क्या इस एफ.आई.आर. पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए ? क्या इन्वेस्टिंग एजेंसी को नहीं लीड करना चाहिए ? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : क्या एफ.आई.आर... (व्यवधान) अब बोल रहे हैं। क्या यह इंजरी भरत सिंह जी ने की है? क्या माननीय सदस्य ने की है ? नहीं नहीं, आप ...

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, हम यहां पर इस सदन में किसी को बचाने का या किसी को फंसाने का काम करेंगे तो यह प्रांगण अपवित्र हो जाएगा। यह अपवित्रता कभी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान की पुलिस ... (व्यवधान) मैंने कहा ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक अर्ज करना चाहता हूं, आप एक स्पष्टीकरण दे दें। गृह मंत्रीजी, एक प्रश्न का स्पष्टीकरण दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, कोई अव्यवस्था हो तो लाठीचार्ज कई दफे बाजिब हो सकता है और समझ लीजिये कि गंगानगर में वाजिब हुआ, लेकिन एक प्रश्न है कि लाठीचार्ज व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर कभी नहीं किया जाता। भीड़ को बिखेरने के लिए

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चेंज या जो झपट में आ गया उसको लाठी मार देते हैं लेकिन अगर कोई एक गिर पड़ा है और जानता हो कि यह एम.एल.ए. है, उसके बाद में अगर धड़ाधड़ लाठी ठोकता है तो यह दुर्भावना के सिवाय क्या है और उस आफिसर के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही हुई, इसका जवाब दो आप।

श्री कैलाश मेघवाल : अगर यह तथ्य सही है तो उस अफसर के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। डिवीजनल कमिश्नर के सामने यह तथ्य आ जाएगा और उस रिपोर्ट में आ जाएगा कि दुर्भावनापूर्वक किसी पुलिस अफसर ने ऐसी कोई कार्यवाही और कोई अतिरेक किया है किसी विधायक के साथ तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसको नहीं बख्शा जाएगा। पर किसी भी अपराधी को, किसी भी गलत कार्य करने वाले को किसी तरह से बचाने की कोई मंशा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस –

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी के आदेश साढ़े तीन महीने में लागू नहीं हुए तो आपके आदेश तो एक साल में लागू नहीं होंगे, मुझे तो यही डर लग रहा है। 15 दिसम्बर को मुख्य मंत्रीजी ने कहा तो आप जो कह रहे हैं वह सरकार के गृह मंत्री के आदेश कब लागू होंगे ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय गृह मंत्रीजी, हमारी एफ.आई.आर. का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अरुण कुमार की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसको पढ़कर आपने तथ्यों को यहां मरोड़ा है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं नहीं मरोड़ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : और यहां पर बैठे-बैठे ट्रेजरी बैंच खुद जो एस.एच.ओ. बन गयी है। मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन से यह कहीं पर भी संकेत मिला है कि यह भरत सिंह जी ने मारी है ? इंफ्लिक्ट कैसे हुई है, यह इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : – आपने खुद ने मारी है। – इन्होंने और इनके साथियों ने मारा है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका रिकार्ड इस बात का सबूत है। मैंने केवल यह कहा है कि प्रांगण में कि आखिर ये चोटें आई हैं और एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, तो उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने किसी के नाम से संकेत नहीं किया है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, आपने एक एम.एल.ए. को कहा कि छोड़ा नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

जाएगा, एम.एल.ए. को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले आप इसकी इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन कराइये, आपको सत्यता सामने आ जायेगी कि ... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं न तो इन्वेस्टिगेशन आफिसर बनना चाहता हूं, न किसी को बनने दूंगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, चार एफ.आई.आर. हैं। प्रतिपक्ष के नेता, आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं, हमने जो आफिसर्स भेजे हैं, आप राजस्थान के सब आफिसर्स को जानते हैं, आप बता दीजिये। एस.पी. तक को तो हम भेज चुके हैं, आप डी.आई.जी. स्तर के किसी भी अफसर का नाम बता दीजिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम चारों इन्वेस्टिगेशन उस डी.आई.जी. को दे देंगे, वे इनको सुपरवाइज करेंगे। इनको किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इस बात को।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आप मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं तो आपका जो सीनियर एस.पी. गया था क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ...

श्री कैलाश मेघवाल : उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है लेकिन आपको उनमें विश्वास नहीं हो इसलिए मैं यह कह रहा हूं। देखिये, राजस्थान की पुलिस फोर्स ...

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ...

अरुण कुमार के चोटें आई हैं क्या यह चोट एम.एल.ए. ने मारी है ? क्या आपके पास इसका कोई सबूत है ?

श्री कैलाश मेघवाल : आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। पुलिस के अधिकारियों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो अधिकारी तफतीश के लिए लगा रखे हैं आपको उनकी ईमानदारी पर किसी भी तरह की आशंका हो तो आप उससे ऊपर के किसी भी अफसर का नाम हमको सुझा दीजिये, उनके नाम यह ट्रांसफर कर दी जाएगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम निष्पक्ष कार्यवाही चाहते हैं, निष्पक्ष तफतीश चाहते हैं। हम इस कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा नहीं बनना चाहते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसकी जांच में क्या भरतसिंह जी का नाम है ? इनके चोट पहुंचाने में भरत सिंह जी का नाम है क्या ? तो फिर किस बात की जांच हुई है ? (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, मैंने नहीं लिया है। मैंने कहा, तफतीश तफतीश होगी। (व्यवधान) मैंने यह कहा है कि तफतीश होगी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : भरत सिंह जी के खिलाफ ... (व्यवधान) सरकार भरत सिंह को मुजरिम बनाना चाह रही है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : जो चोट है... एफ.आई.आर. है तो तफतीश होगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां तो आप तफतीश कराइये ना।

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें भरत सिंह जी का नाम है क्या ? (व्यवधान) यह बताइये आप, उस एफ.आई.आर. में भरत सिंह जी का नाम है क्या ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप जांच कराइये ना, कौन मना कर रहा है ? आप तफतीश कराइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसको रोकता कौन है ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : सत्यता के साथ तफतीश कराइये आप। सरकार तथ्यों को छिपाना चाहती है। सरकार की बदनीयती है। (व्यवधान) सरकार भरतसिंह जी को मुजरिम बनाना चाहती है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में भी कहा, इस सदन को इन्वेस्टिंग आफिसर के अधिकार लेने का कोई अधिकार नहीं है देश के कानून के अन्तर्गत। हम यहां यह कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश दें। यहां पर जितनी बातें आई हैं उन बातों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन में मदद ली जाये, यह भी निर्देशित कर सकते हैं। यहां पर बड़े अधिकारी बैठे हैं, वे सारी सुन रहे हैं कि जितनी भी चर्चा आई है, इन्वेस्टिगेशन में कलैक्टिगं आफ एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें इस दृष्टि से भी वे अपने दिमाग को लगाए। हर दृष्टि से दिमाग लगाना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद एविडेंस को वे करने के बाद अगर अपराध बनता है तो चालान पेश करें और अपराध नहीं बनता है तो एफ.आर. पेश करें। ये दो ही बातें होनी हैं और यही होंगी। इसमें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई तरह की उपलब्धियां राजस्थान पुलिस ने आज प्राप्त की है। उन उपलब्धियों के बारे में... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : राज्यपाल के अभिभाषण में उपलब्धियां गिना देना।

एक माननीय सदस्य : कोई उपलब्धि नहीं है आपकी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 24 घंटे में 12 चोरियां हो रही हैं जयपुर में। +++ आनी चाहिए आपको, गृह मंत्रीजी। 24 घंटे में 12 चोरियां हो रही हैं जयपुर शहर में, यह है आपकी उपलब्धि। (व्यवधान) +++

श्री कैलाश मेघवाल : पुलिस की उत्कृष्ट उपलब्धियों के बारे में ... (व्यवधान) मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती बीना काक : कितने क्राइम बढ़े हैं, आंकड़े बता सकते हैं ? (व्यवधान) आपके आंकड़े बता सकते है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्री महोदय की उपलब्धि है कि .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया नियमों का ध्यान रखें, नियमों का, माननीय सदस्य। कृपया नियमों का ध्यान रखें आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री कृजेन्द्र सिंह सूपा : उपाध्यक्ष महोदय; उपलब्धियों के बारे में कह रहे हैं, इनका ही एम.पी. गंगाराम कोली प्रशासन के खिलाफ है ये उपलब्धियां बता रहे हैं, बयाना में दिन-दहाड़े डकैती डली, बहुत बड़ी डकैती डली। पुलिस प्रशासन के खिलाफ, इनके खिलाफ नारे लगा रहा था। इनका ही एस.पी. हड़ताल पर बैठा था और .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। अब आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) .. भरतसिंह जी, अब आप विराजिये।

श्री भरत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने आरोप लगाया है ..

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

(16.00)

श्री भरत सिंह : इन्होंने आरोप लगाया है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सदस्यता से त्यागपत्र। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है ...

श्री भरत सिंह : मुझे मेरी बात कहने दीजिये आप। इन्होंने आरोप लगाया है (व्यवधान)...आप मेरी बात...

श्रीमती बीना काक : इनकी बात तो सुन लें। आरोप लगाया है उन्होंने इनके ऊपर, जरा बात तो करने दें इनको एक मिनट। वे आरोप लगा गये कुछ भी...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, गृह मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप खण्डन कर दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने किसी पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री भरत सिंह : माननीय गृह मंत्रीजी, उत्तेजित होकर उन्होंने यह कहा...

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने किसी पर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं किया।

श्री भरत सिंह : मेरा आपसे एक निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ने खण्डन कर दिया, भरत सिंहजी। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, आप क्या कहना चाहते हैं फिर उसके बाद ?

श्री भरत सिंह : आपसे निवेदन कर

(श्री भरत सिंह)

रहा हूं, मैं जो कहना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका देंगे तभी तो कहूंगा। आप विराजमान होइये, मुझे बोलने दीजिये। मैंने धरना दिया है अकलेरा में और वहां लोग-बाग धरने पर बैठे हैं। मेरी धरने की मांग यह है...(व्यवधान) कि जो जांच आप सी.आई.डी. से कराते हैं या किसी भी संस्था से कराते हैं वह जांच अनिश्चित काल के लिए चलती रहती है और सालों तक नहीं होती, यह हमारा पुराना अनुभव है।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी होनी चाहिए।

श्री भरत सिंह : मैंने यह कहा है, मैं धरने पर बैठा हूं कि आपकी जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूं मुझे आप बंद करें अन्दर। मैं यह कह रहा हूं, मैं यह चाहता हूं कि जांच लम्बी नहीं चले। मैं चाहता हूं पांच दिन, दस दिन, पन्द्रह दिन में। मैं धरने पर उस समय तक बैठा हूं। जहां तक भरतसिंह आपका दोषी है तो... (व्यवधान) एक डाक्टर की रिपोर्ट मैंने क्यों पढ़ी? डाक्टर की रिपोर्ट ...

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, अब आप विराजें।

श्री भरत सिंह : सुनिये, उपाध्यक्ष महोदय। डाक्टर की रिपोर्ट मैंने सदन में पढ़ी थी कि डाक्टर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने सुन ली आपकी बात। सारे सदन ने सुन ली, सरकार ने सुन ली, अब आप विराजें, माननीय सदस्य। विराजें अब आप।

श्री भरत सिंह : इन गृह मंत्रीजी को मैं यह बात कह देता हूं कि अगर मैं दोषी हूं तो बंद करिये मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वे कह रहे हैं।

श्री भरत सिंह : आज तो ताजा-ताजा है, आज राजस्थान के अन्दर जो मुलजिम बंद होने चाहिए वे बंद नहीं होते और मैं अपने आप को इस बात के लिए पेश कर रहा हूं कि अगर मेरे खिलाफ जांच...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री भरत सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा।

श्री भरत सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह बात अंकित नहीं हो रही, माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ? आप विराजें, कृपया विराजें। अब आप बैठ जाएं माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठें। सदन में विराजें, माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो बताएं साहब, इनवेस्टीगेशन कितने दिनों में खतम हो जाएगी ? चालान कितने दिनों में पेश हो जाएगा ? यह बात तो बताइये, गृह मंत्रीजी कि आप कितने दिनों में इस इन्वेस्टीगेशन को खतम करवा देंगे, कब तक इनका चालान हो जाएगा ?

श्री कैलाश मेघवाल : शीघ्रतिशीघ्र।

सदन की सदस्यता से त्यागपत्र

श्री घासीराम यादव, सदस्य का सदन की सदस्यता से त्याग पत्र

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दसवीं राजस्थान विधान सभा के मुण्डावर (जिला अलवर) से निर्वाचित सदस्य श्री घासीराम यादव ने अलवर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा सदस्य निर्वाचित हो जाने के कारण शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 1998 को राजस्थान विधान सभा के सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है। उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें सदन की अनुमति से पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट – 15 देखें।)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1996-97

श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्य मंत्री एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1996-97

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी, कृषि राज्य मंत्री एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1995-96

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति 1997-98 का 102 वां, 103 वां, 104 वां, 105वां, 106 वां, 107 वां एवं 111 वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, जन लेखा समिति, समिति के सात प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं : –

(1) वर्ष 1984-85 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट सहकारिता विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 102वां प्रतिवेदन,

(2) वर्ष 1984-85 से वर्ष 1988-89 तक के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) में समाविष्ट राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 103वां प्रतिवेदन,

(3) वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट यातायात विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 104वां प्रतिवेदन,

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट राजस्व विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 का अनुच्छेद 3.9 का उप अनुच्छेद 3.9.5 वर्ष 1987-88 का अनुच्छेद संख्या 3.4, 3.8 से संबंधित मामलों पर समिति का 105वां प्रतिवेदन,

(5) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित वर्ष 1988-89 के पैरा 2.5, 4.5, 4.6 तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 के पैरा संख्या 3.4 के मामलों पर समिति का 106वां प्रतिवेदन,

(6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट श्रम एवं नियोजन (कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षणालय) विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 के अनुच्छेद संख्या 3.5 से संबंधित मामलों पर समिति का 107वां प्रतिवेदन एवं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(7) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट यातायात विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 111वां प्रतिवेदन।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 1997-98 का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह शक्तावत, सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति 1997-98 का चतुर्थ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ, सभापति, याचिका समिति, समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापति करेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री महावीर भगोरा, सदस्य विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

ग्राम पंचायत पड़ावली के सबसे बड़े ग्राम अम्बावा तक सम्पर्क सड़क बनाना

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) ग्राम पंचायत पड़ावली के सबसे बड़े ग्राम अम्बावा तक सम्पर्क सड़क बनाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं,

पड़ावली नदी पर बांध निर्माण करा कर किसानों की जमीन को सिंचित करने बाबत

(2) पड़ावली नदी पर बांध निर्माण करा कर किसानों की जमीन को सिंचित करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति का 27वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के वेश्म में दिनांक 16 मार्च, 1998 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे हुई। समिति ने अपने 26वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 17 और 18 मार्च, 1998 को सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार कर निर्णय लिया कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए : -

मंगलवार, 17 मार्च, 1998 (1) राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1998 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

बुधवार, 18 मार्च, 1998 (2) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 97-98 (द्वितीय संकलन) पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

(3) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अमेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : बिलकुल नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की आपने सिर्फ एक 18 तारीख रखी है, किसी वजह से सदन के अन्दर उस पर चर्चा नहीं हो सकी। यह प्रतिवेदन जो आप लेकर यहां पर आये हैं, यह मैं समझता हूं कि आप प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को थ्रोटल करना चाहते हैं। गवर्नर के एड्रेस पर यहां पर आप चर्चा कराना नहीं चाहते इसलिए आपका यह प्रतिवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय कभी भी जब इस प्रकार के मुद्दे आये हैं तो यह हमेशा प्रक्रिया रही है कि सदन में पूरी चर्चा का अवसर मिले। माननीय महामहिम के अभिभाषण पर चार रोज का समय रखा गया था और वह हम समझ कर चले थे कि चार रोज में अपनी बात कहेंगे लेकिन अब जो संशोधित प्रतिवेदन आ रहा है उसके आधार पर हमें आशंका है और आशंका नहीं, वह सही भी है कि माननीय गवर्नर साहब के भाषण पर कोई भी समुचित चर्चा नहीं हो पाएगी और जो बातें जनता की तरफ से राज्य के हित में हम यहां रखना चाहते हैं वे नहीं रख पाएंगे इसलिए निवेदन करना चाहूंगा सरकार से आपके माध्यम से कि इसके लिए समुचित समय रखा जाएं ताकि सदन के माननीय सदस्य अपनी बात रख पाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से हम यह जो प्रतिवेदन है उससे सहमति व्यक्त नहीं कर सकते, यह हमारी मजबूरी है, माननीय उपाध्यक्षजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो प्रतिवेदन है साधारणतया कभी भी, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता और सभी दलों के नेता उसमें होते हैं और सबकी राय से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत होता है।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर जो यह चर्चा हो रही थी कि मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में नहीं जा सका, वे गये थे। आपने वीटो एक्सरसाइज किया है। क्योंकि आपके ज्यादा सदस्य हैं इसलिए आपने यह —(व्यवधान) —

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : नहीं, साहब, वहां पर माननीय कमला जी भी थीं, माननीय खेतसिंह जी भी थे, माननीय चन्दनमलजी भी थे, सब थे वहां पर।

श्री परसराम मदेरणा : इस पर आपको विस्तृत चर्चा करानी चाहिए। अगर आप चर्चा नहीं कराते हैं तो हमारी सहमति नहीं है इस प्रस्ताव पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय की राय से तीन बजे का समय तय किया गया। पहले एक बजे होने वाली थी फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय की राय से तीन बजे का समय तय किया गया। तीन बजे मैं स्वयं प्रतिपक्ष के नेता महोदय को कहने के लिए भी आया और उन्हीं को कहना था कि हमारी तरफ से खेतसिंह जी, चन्दनमलजी ये सब लोग वहां पर हैं और वे जो तय कर देंगे वही ठीक है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस प्रतिवेदन पर असहमति प्रकट करने की न तो यहां कभी कोई परम्परा रही है और न यह उचित ही है। जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का सवाल है, निश्चित रूप से पहले जो प्रतिवेदन था उसमें चार दिन का समय रखा गया था और यह अपेक्षा की गई थी कि सभी माननीय सदस्य उस पर अपने व्यापक विचार रखेंगे, जो भी सरकारी कमियां या प्रदेश की समस्याएं हैं उनको निश्चित रूप से रखेंगे लेकिन मुझे अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस समय का हमने सदुपयोग नहीं किया। सारी प्रक्रियाओं को मैं अभी कहना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता कि यह सदन साक्षी है कि पूरा समय था उसका हमने ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया। अब सबकी सहमति से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से और गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य से, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि नयी परम्परा न बनाकर इस पर अपनी सहमति दें।

श्री शिवनाथ सिंह : नयी परम्परा आप नहीं बनाएं। एक दिन की यह नयी परम्परा आप डाल रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। इस विधान सभा के 46 वर्षों के इतिहास में कभी कोई अवसर ऐसा आया है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अभी तक तो इतने दिनों में 5 मिनट चर्चा हुई है? कभी ऐसा हुआ है क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पिछली बार भी आपने चर्चा नहीं की।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं-नहीं, ऐसा कौन-सा पृथ्वी प्रलय हो रहा है ? 12 महीने की हम तनख्वाह लेते हैं...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : पिछली बार भी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने पर्चियां फाड़कर फेंक दीं, आप चले गये। कभी ऐसा हुआ है क्या ? अब कभी आप चर्चा नहीं करना चाहें तो बताइये कैसे मजबूर कर सकते हैं कि आप चर्चा करें ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप बैठिये कृपया। 60 दिन कम से कम बैठक होनी चाहिए, नियमों में प्रावधान है। आप कितने दिन तक सभा को चलाना चाहते हैं ? बजट सत्र तो ठीक है अभी ये ले लिया, तीन-चार दिन में बिल्ली पर हाथ फेर कर फिर हमको रवाना कर देंगे, जितने में चुनाव आ जाएंगे। तो ये क्या बात हुई, इतना लाइटली लेते हो सदन को ? अध्यक्ष के पास और सत्ता पक्ष के पास सर्व अधिकार है उनका आप अगर उपयोग नहीं कर सकते और सदन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो यह दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप रक्षा कीजिये माननीय सदस्यों के अधिकारों की।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय और घनश्याम जी ने जो हमारा नाम लिया ...

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमला जी से पूछना चाहती हूं कि आप वहां थीं कि नहीं? आपने सहमति व्यक्त की थी कि नहीं ? की थी न, तो फिर बात ही क्या है?

श्रीमती कमला : आप मुझे क्यों पूछ रही है ? मैं अपने-आप ही कहूंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछ रही हूं आपसे, मैं पूछने की हकदार हूं। मैं पूछने का अधिकार रखती हूं इसलिए पूछ रही हूं।

श्रीमती कमला : आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे कहना होगा तो मैं कहूंगी, नहीं कहना होगा तो नहीं कहूंगी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : और एक बात आपको भी सोचनी चाहिए, ठीक है कि हमने तो बहुत दिनों तक सत्ता भोगी लेकिन आप हैं कोई तलवार भिड़ा करके और ...(व्यवधान)...चर्चा नहीं करके...(व्यवधान)...

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय वहां विराजमान थे, सारे सदस्यगण बैठे थे। वहां पर चन्दनमलजी ने और हमने यह प्रस्ताव रखा था कि आप तीन दिन की छुट्टी कर लीजिए एक ओथटेकिंग की आपकी। फिर मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि दो दिन हमारी एक्जीक्यूटिव की मीटिंग है। तो तीन दिन की आप छुट्टी करके 22 को फिर शुरू कर दीजिये। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आगे तो फिर नहीं चल पाएगा। तो हमने तो सुझाव दे दिया था कि आप तीन दिन का

(श्रीमती कमला)

ब्रेक करके फिर चालू कर लीजिये। यह आप कैसे कह रहे हैं कि हमने कोई सुझाव नहीं दिया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, वहां पर क्या-क्या चर्चा हुई मैं समझता हूं कि वह विषय यहां नहीं है।

श्रीमती कमला : नहीं, यह चर्चा हुई थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके और चन्दनमलजी के बीच में क्या-क्या चर्चा हुई थी....

श्रीमती कमला : मेरे और चन्दनमलजी के बीच में नहीं, हमारे और मुख्य मंत्री जी के बीच में और अध्यक्ष जी के और हमारे बीच में और आपके सामने।

श्री रामनारायण चौधरी : मीटिंग में हुई है।

श्रीमती कमला : हां, मीटिंग में हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी : तीन दिन की छुट्टी करने के संबंध में चर्चा हुई थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले मुख्य मंत्री जी और आपके बीच में भी चर्चा हुई थी। वहां आपकी सहमति से ही वह सारा कार्यक्रम बना है इसलिए इसको अपनी सहमति प्रदान करें। फिर बाद में कल-परसों अपन बैठने वाले हैं। इसके बावजूद भी यह कोई वह अन्तिम नहीं होता है...

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं बना है।

श्रीमती कमला : हमने कहा कि आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है बाकी हम तो यह कह रहे हैं कि तीन दिन की छुट्टी करके फिर चलाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कल-परसों जब हम बैठेंगे तो मुख्य मंत्री महोदय भी वहां होंगे, आप भी होंगे, दुबारा चर्चा करके कोई भी संशोधन वापस लाया जा सकता है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष को मजबूर नहीं किया जाए। जो काम प्रतिपक्ष नहीं करना चाहता है वह काम करने के लिए हमको बाध्य नहीं किया जाए। आज तक कभी भी इस बात पर विरोध नहीं हुआ है लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रतिपक्ष को वह स्टैप भी लेना पड़ सकता है जो संसदीय परम्पराओं के विपरीत होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये और ये जो इस प्रकार से गला घोटकर सरकार अपना बचाव करना चाहती है इस तरह मत करिये वरना प्रतिपक्ष को वह स्टैप लेना पड़ सकता है जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आप हमको बाध्य मत कीजिये...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

(श्री रामनारायण चौधरी)

पूरी बहस करवाइये। यह हमारा अधिकार है बोलने का और राज्य सरकार को सुनने का और उत्तर देने का। हमारे बोलने के अधिकार और हमारी शिकायतों को रखने का मौका राज्यपाल का अभिभाषण एक सुअवसर होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज भी सारी रात बैठ सकते हैं आपकी तैयारी है तो।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी तक आपने पांच मिनट भी चर्चा नहीं करवाई है। आप इस शासन के मालिक हैं और यह पूरा सदन आपके अधीन है, आप हमारी रक्षा कीजिये। इसको पुनर्विचार के लिए भिजवाइये और दुबारा चर्चा करके बाद में कल इसको पेश करवाइये। कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर हमारी राय है, पुनर्विचार के लिए वापस ले लें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह पुनर्विचार के लिए वापस कार्य सलाहकार समिति के पास रखी जाए और पुनर्विचार करके संशोधन कर पेश करवाई जाए।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने जो प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य सचेतक जी से एक चीज ही पूछना चाहता हूं कि आपने, आपकी सरकार ने और माननीय भाभड़ा साहब ने यहां पर नियम और प्रक्रिया जो बनाई है उसमें 60 दिन का कम से कम प्रावधान किया गया है। इसी एक बात का जवाब दे दीजिये कि क्या आपने पिछले चार वर्षों में कभी भी 60 दिन इस सदन को चलाया है? आप नियमों और परम्पराओं की तो +++ आप क्यों नहीं एक्सटेंड करते हैं हाउस को ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि 60 दिन का प्रावधान है, यह प्रक्रिया बहुत समय से बनी हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य सचेतक महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी आपसे बड़े हैं, आपसे वरिष्ठ हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बने हुए हैं और उनका पालन जब माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई अध्यक्ष थे या जब आप सरकार में थे तब नहीं किया और अभी हम करना चाहते हैं तो सदन का उपयोग नहीं करते। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अपना ज्ञान सुधार लीजिये, 60 दिन का प्रावधान भाभड़ा जी ने किया है, तीन साल पहले चैंज हुए हैं नियम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले और भी ज्यादा था। सदन चलाएं लेकिन आपसी सहमति से ही चल सकता है। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, आप 60 दिन चलाएं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : ...(व्यवधान)... चार दिन लगातार बहस होती थी राज्यपाल के अभिभाषण पर। (व्यवधान) इतिहास में ऐसा कभी नहीं मिलेगा, सन् 1952 से लेकर आज दिन तक ऐसा मौका कभी नहीं आया कि पांच मिनट में चर्चा करवाई हो। यह पहला अवसर है, यह जाता-जाता अधिवेशन है कि पांच मिनट बहस नहीं हुई अभी तक और आप इसको हश- अप करना चाहते हैं भागना चाहते हैं। क्या जल्दी हो रही है, चतुर्वेदी साहब ? आप चार दिन बीच में पोस्टपोन कर दीजिये और वापस बहस करवा दीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या फर्क पड़ता है, दो दिन और बढ़ाया जाए इसको।

श्रीमती कमला : मुख्य सचेतक महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से आप चाहे पूछ आइये, यह मेरा सुझावा आया था। उसको उन्होंने...

श्री रतनलाल ताम्बी : दिल्ली जाने का तो जनता ने लाइसेंस ही नहीं दिया आपको, क्यों जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं आपसे पहले खड़े होकर, कृपया सुनें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस की मैरिट्स में तो जाना नहीं चाहता लेकिन कई बार ऐसे मौके हुए हैं कि जब चाहे-अनचाहे योजनापूर्वक बिना योजनापूर्वक बहस पूरे चार दिन नहीं हुई। ऐसे कई बार मौके आये हैं। मैं तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति की जो बैठक आपके वेश्म में हुई थी उस समय अगर यह बात आ जाती तो निश्चित रूप से जिस नाते से कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आया है वह नहीं आता। किन्तु एक बार आ गया है और पुरानी सारी परम्पराओं में इस प्रकार की स्थिति है कि इसको हां या ना से नहीं करवाकर हम एकमत से पास कर लेते हैं। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि चूंकि कार्य सलाहकार समिति में बैठकर एक मत से निर्णय हो गया है इसलिए इसको इसी प्रकार पास करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रशस्ति पुस्तिका यहां पर राज्यपाल महोदय से पढ़ायी गयी सरकार द्वारा उसके बारे में हमारे विचार और जनता की, किसानों की जो तकलीफें हैं उसको यह सुनना नहीं चाहते। इस तरह गला घोटकर असैम्बली बंद करना चाहते हैं और फिर दुहाई देते हैं कि इस प्रकार का काम कभी

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

नहीं हुआ। असैम्बली 8 और 7 दिन के लिए कभी ऐसे चलाकर बंद नहीं कर दी जाती।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए दो दिन बढ़ाये जाएं और हमारे को जनता की तकलीफों को बताने का मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रदान करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री शिवनाथ सिंह : डिवीजन।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद श्री अर्जुन दास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को....

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अर्जुनदास जी, अब आप यह बताइये कि 50 साल के कुंवारे पति को 19 पत्नियों में से एक बच्चा हो रहा है, उसका क्या होगा ?

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : आगे-आगे देखिये, होता है क्या।

श्री अर्जुनदास मदान : इसका तो प्रत्युत्तर, माननीय सदस्य, मेरा इतना ही है कि जिसका मुझे याद था उसका जवाब मैंने दे दिया, जिसका आपको याद है उसका जवाब आप दे देना।

उपाध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को आरदणीय महामहिम ने अपना भाषण यहां प्रस्तुत किया और 10 तारीख से मैंने बोलना प्रारम्भ किया। और आज 16 तारीख है, आप इससे ही कल्पना कर लीजिये कि मैं कितना बोला हूं कि शायद मेरा नाम गिनीज बुक में जाना चाहिए। शायद आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो 6 दिन तक लगातार महामहिम के भाषण पर बोला हो। मैंने तो चर्चा की थी। (व्यवधान) नहीं, रामस्वरूप जी, आपसे मेरी बात तो हो गयी थी, अब खतम करिये उसको। आपके ऊपर मेरी बात हो गयी थी और मैंने जो कुछ आपसे निवेदन किया था वह आपने भी सुन लिया और सदन ने भी सुन लिया।

मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय, कि दो चीजें हैं जीवन में – एक अभिमान है और एक अहंकार है। अभिमान तो समाज में बाहर की देन है। मुझे मेरी ताकत का अभिमान हो सकता है, मेरे अच्छे नेता होने का भी अभिमान हो सकता है, मेरी पूंजी का, मेरे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, मेरे पद का अभिमान हो सकता है। लेकिन

(श्री अर्जुनदास मदान)

अहंकार एक भीतर की चीज है जो आदमी के हृदय में अपने आप अंकुरित होता है। वह बाहर से नहीं आता है, मान्यवर। जब आदमी का अहंकार बढ़ जाता है तो निश्चित मानिये वह कभी न कभी विधाता का नियम है उसे तोड़ता है। आज की इस सफलता के ऊपर कौन कहता है कि आप नहीं जीते ? आज हम यह कहें कि आप नहीं जीते हैं तो मेरे कहने से क्या होगा ? अगर मैं सूर्य के ऊपर थोड़ी देर के लिए कोई आवरण बादलों का लाना भी चाहूंगा तो क्या उससे रोशनी उसकी छुप जाएगी ? कभी नहीं, मान्यवर। आप जीते हैं तो जीते हैं, लेकिन जितना आप जीते और जितना अभिमान, जितना अहंकार आपने दिखाया वह निश्चित रूप से दिखाने के काबिल नहीं था। मैंने तो एक छोटी-सी बात की थी कि इस राजस्थान की सरकार से आप त्याग पत्र मांगते

(16.25)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

हैं, आपका अधिकार है लेकिन क्या आप उड़ीसा से नहीं मांग सकते थे ? क्या आप हिमाचल से नहीं मांग सकते थे वीरभद्र जी से ? क्या आप उसके बाद एम.पी. से, वहां पर दिग्विजयसिंह जी से नहीं मांग सकते थे? वहां भी हारी हैं सरकारें। ये चुनाव हैं, मान्यवर, जनता का निर्णय है, उसे शिरोधार्य करना ही पड़ता है। अंहकार के बारे में एक शायर ने एक बहुत अच्छी रुबाई लिखी है, वह मैंने परसों भी पढ़ी थी और आज भी सदन के प्रांगण पर उसे जरूर सुनाना चाहूंगा—

"कह रहा है यह जमी से आसमां ॥
यह शमा कुछ भी नहीं,
एक गर्दिश में मिटा दूंगा ॥
जहां कुछ भी नहीं।
जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे ॥
झाड़ उनकी कब्र पर है और निशां कुछ भी नहीं।
जिनके घौंसों से जमीं और आसमां थे कांपते,
चुप पड़े हैं कब्र में, और हूं- हां कुछ भी नहीं।"

सभापति जी, एक नदी और समुद्र का एक्जाम्पल मैंने दिया था। मैंने आपसे निवेदन किया था कि नदी में एक बहुत बड़ा गुण होता है कि जब थोड़ा बहुत पानी उसको मिल जाता है कहीं से, जब उसको नाले का पानी, बरसात का पानी मिल जाता है तो अपने किनारों से बांध को लांघकर वह इधर-उधर बहना प्रारम्भ कर देती है। लेकिन समुद्र की एक विशेषता बड़ी है। सभापति जी, समुद्र की यह विशेषता है कि न जाने कितनी नदियां उसमें समाहित होती हैं लेकिन कभी भी वह अपनी मर्यादा खण्डित नहीं करता। उसमें ज्वार तभी आता है, तभी वह उफान खाता है जब पूर्णिमा की रात को पूरे चन्द्रमा को देखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक क्षितिज पर

(श्री अर्जुनदास मदान)

जब 19 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी पूर्णिमा का चांद बनकर आपके सामने आएंगे, मैं देखूंगा (व्यवधान) ठीक है, अगर आप यह कहना चाहते हैं, रामस्वरूप जी, मेरा निवेदन सुनें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और भी सुन लीजियेगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका भी जवाब दे दीजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं थोड़ा-सा हिन्दुस्तान के इतिहास की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मदान साहब, 15 दिन के बाद अमावस्या आती है।

श्री अर्जुनदास मदान : कोई बात नहीं, वह अमावस्या अभी तो आपके यहां है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले 13 दिन में ही आयी थी, अब के 9 दिन में ही आ जाएगी।

श्री अर्जुनदास मदान : हमारी तो अब अमावस्या टल गयी। राजस्थान की बात आप छोड़ दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह आपके खाते में आती है।

श्री अर्जुनदास मदान : हमारे देश के ऊपर देखिये। माननीय सदस्य, थोड़ी देर के लिए आप इस हिन्दुस्तान के चित्र को अपने ध्यान में रख लीजिये। जम्मू से चलें और चेन्नई तक चले जाएं, कटक से चलें और द्वारिका पर सरक जाएं, आपको कहीं भी कोई ऐसा प्रांत दिखता है जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की ध्वज पताका नहीं फहरा रही हो ? आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक गुजरात प्रांत है जहां पूज्य बापू ने जन्म लिया था। पूज्य बापू ने पोरबंदर में जन्मे, आज उस गुजरात की सत्ता के ऊपर क्या इनका अधिकार है ? बापू का नाम लेने वाले लोगों, बापू ने तो जाते-जाते न जाने क्या कहा था। बापू ने तो कहा था कि इस कांग्रेस को देश की आजादी के बाद तोड़ दो क्योंकि ...

श्री रामस्वरूप मीणा : + + +

श्री अर्जुनदास मदान : मैं नहीं कह रहा हूं, जो पूज्य बापू ने कहा था वह कह रहा हूं। उन्होंने यह कहा था कि ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको बापू का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टोका-टाकी नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : + + +

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : सभापति महोदय, इन्होंने कहना माना है, कांग्रेस तोड़ दी। वह कांग्रेस ही नहीं है। आयी हो गयी, गयी हो गयी, सब गयी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(172)

श्री रामस्वरूप मीणा : बापू का नाम ले दिया, क्या जानते हो बापू के बारे में ?

श्री अर्जुनदास मदान : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज गुजरात की स्थिति इनके सामने है। सभापति जी, गुजरात का थोड़ा-सा चित्रण मैंने दे दिया। आज सत्ता भाजपा के हाथ में है, सबसे अधिक सदस्य हमारे जीते हैं। पूज्य बापू की धरती में इनकी क्या दशा हुई इसका अनुमान वे स्वयं लगा सकते हैं।

मैं गंगा और यमुना की नदियों की ओर इनका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वह प्रदेश जिसको आज उत्तर प्रदेश के नाम से सम्बोधित किया जाता है। सभापति जी, यह वह प्रांत है जहां पर नेहरू जी ने जन्म लिया, जहां पर सम्पूर्णानन्द जी जन्मे, जहां न जाने कितने जन्मे। जहां शहीदों ने इस धरती मां की पूजा करने के लिए सदैव-सदैव के लिए प्राण न्यौछावर कर दिये और देश आजाद हुआ। लेकिन आज उन 85 सीटों में उनकी दशा क्या है ? एक भी सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश ने इस देश को 6 प्रधान मंत्री दिये और उन 6 प्रधान मंत्रियों में 4 प्रधान मंत्री इनके लेकिन आज 85 लोगों में से एक भी आदमी नहीं ? (व्यवधान) मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में 6 से 7 वां आप गिनवा देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो आप दे देना। जब मैं बोलता हूं तो मैं पढ़कर आता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। उत्तर प्रदेश ने 6 प्रधान मंत्री दिये हैं, 4 उसमें से आपके हैं। दो मैं कह रहा हूं वी.पी.सिंह जी और चरणसिंह को छोड़ दीजिये। बाकी आपके चार हैं। मैं गिनवा दूं ? आपके राजीव गांधी, आपके लाल बहादुर जी शास्त्री, आपके नेहरू जी, आपकी इन्दिरा जी, ये चार आपके हुए। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, महोदया, कि 6-6 प्रधान मंत्री लेकिन उसके उपरान्त भी आज इस प्रांत में उनकी क्या दशा हुई ?

गुजरात से सरक कर, थोड़ा-सा यू.पी. का चित्रण देकर बिहार की धरती की ओर आ जाता हूं जहां पर चाणक्य ने जन्म लिया, जहां पर बाणभट्ट जन्मे, जहां पर राजेन्द्र बाबू ने जन्म लिया, जहां पर जय प्रकाश जी जैसे नेता पैदा हुए। आज वहां की धरती भी इनके पांव से खिसक गयी, महोदया। दूसरी बात तो छोड़ दीजिये, सोनिया गांधी नाम का प्रचार लेकर आज अध्यक्ष बन गयीं। अगस्त में तो सदस्या बनीं इस पार्टी की और 6 महीने में ही अध्यक्ष बन गयीं। गांधी जी तो कह गये थे कि कोई भी विदेशी चीज नहीं अपनाना लेकिन इन्होंने तो सोनिया गांधी को अपना लिया। महोदया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज देश के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में....

श्री रामस्वरूप मीणा : सफाया कर दिया सोनिया गांधी ने आपका।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं देश के इतिहास की बात नहीं करता, सभापति जी, मैं विश्व के इतिहास की बात करता हूं।

कोई ऐसा सदस्य बता दीजिए जो अगस्त, 1997 में तो सदस्य बना हो किसी पार्टी का और मार्च में उस पार्टी का अध्यक्ष बन गया हो। एक भी बता दीजिए। (व्यवधान)... हमारी पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जीवित नहीं रहती। हमारी पार्टी किसी परिवार के ऊपर जीवित नहीं रहती, हम अगर जीते हैं तो अपने स्वाभिमान पर। सभापति महोदया, सूर्य तो आपने देखा होगा, उसको आभासित होते हुए देखा होगा, उसको प्रकाशित होते हुए देखा होगा, उसको प्रज्ज्वलित होते हुए देखा होगा। क्या कभी सूर्य किसी के घर के दीपों को बुझाकर। प्रज्ज्वलित होता है ? वह अपने तेज से प्रज्ज्वलित होता है। छोटे-मोटे दीये जले या नहीं जलें, किसी टलरी में टिमटिमाएं या नहीं टिमटिमाएं लेकिन सूर्य के प्रकाश पर वे प्रभाव नहीं डालते। इसी प्रकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम किसी की कृपा पर जिंदा नहीं हैं। लोगों की आंखों के तेवर देखकर अपनी जिंदगी के फैसले भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जो कुछ करते हैं अपने कार्यक्रम के ऊपर करते हैं। ठीक है, चुनाव में हार-जीत होती रहती है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : राष्ट्रीय मुद्दों से मंदिर का मसला हटा दिया, धारा 370 को हटा दिया और समान आचार संहिता का मुद्दा इन्होंने वापस ले लिया केवल कुर्सी के लिये। केवल कुर्सी के लिये सारे के सारे राष्ट्रीय मुद्दे आपने दफन कर दिये।

श्री सभापति : आप विराजें।

एक माननीय सदस्य : आप तो खुश होओ, आपके ? आपको तो खुश होना चाहिये।

श्री अर्जुनदास मदान : देखिए, सुनने का मादा रखिये, हम भी तो सुनते हैं। अगर कोई चीज अटपटी लगती है तो सुनो, यह प्रजातंत्र है इसमें कोई वो बात नहीं है। मैं तथ्य की बात ही कह रहा हूं। जो आप चाहें वही मैं बोलूं, यह जरूरी नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आप जब यह कह रहे थे कि राजस्थन की सरकार त्याग पत्र दें, क्यों दे राजस्थान की सरकार त्याग पत्र ? क्या एम.पी. की सरकार, उड़ीसा की सरकार त्याग पत्र नहीं दे सकती? आपको राजस्थान ही दिखता है ? सभापति जी, मैं थोड़ा-सा चित्रण करना चाहूंगा। आज क्या स्थिति है ? (व्यवधान) महोदया, कुल मिलाकर 1984 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो सदस्य थे। 1996 में हमारे 161 हुए, और अब 1998 में 4 रिजल्ट आने अभी शेष हैं, मैं घोषणा तो नहीं करता लेकिन मैं विश्वस्त हूं कि ऊधमपुर की सीट और पटना की सीट

(श्री अर्जुनदास मदान)

भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। वह मेरी सोच है, ये दो सीटें जरूर, जाएंगी, तो 179 हम आज हैं और 181 हम हो जाएंगे। आप तो जितने पहले थे वापस वहीं के वहीं है। ढाणी के बैल घूमे तो दिन भर और रात को फिर खूंटे पर। अगर उससे पूछा जाए कि, ढाणी के बैल, तूने आज दिन भर से कितना सफर तय किया तो बेचरा यह बोलेगा कि घूमा तो बहुत हूं, हूं तो खूटे पर ही। राजीव गांधी के क्षेत्र अमेठी में, रायबरेली में आपके पक्के गढ़ वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंध डाली और आपके किलों को धराशायी कर दिया। उसके बावजूद आप यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ...

श्री रामस्वरूप मीणा : बाली में क्या हुआ ? बाली में हार गये।

श्री जुबेर खान : अगर हिन्दुस्तान में किसी मुख्य मंत्री के क्षेत्र में उसकी पार्टी पिछड़ी है तो राजस्थान है। हिन्दुस्तान में किसी मुख्य मंत्री के यहां उसका उम्मीदवार नहीं पिछड़ा लेकिन राजस्थान में पिछड़ा है।

श्री अर्जुनदास मदान : ऐसा है, रामस्वरूप जी, मैं चंबल से आता हूं, (व्यवधान) +++ सभापति जी, मैं छोटा-सा चित्रण रखना चाहूंगा, कांग्रेस का राजस्थान में देखिये, आंकड़े की बात है, राजस्थान की बात कर रहा हूं। यह गणित की बात है, कुछ लोगों के तो भ्रेस आई थी। उनको तो गणित समझ में आएगी नहीं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस को 1991 में 43.97 प्रतिशत वोट आये थे और भारतीय जनता पार्टी 40.87 प्रतिशत वोट आये थे। 1996 में कांग्रेस का यह प्रतिशत घटकर 40.51 रह गया और हमारा बढ़कर 42.36 प्रतिशत हो गया। अब ये 44 प्रतिशत पर पहुंच गये और हम 41.63 प्रतिशत पर पहुंचे। इस बार घटा, बिलकुल घटा। इस बार सीटें भी घटीं। हम कहां कहते हैं कि नहीं घटीं ? मान्यवर महोदया, मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि घटा। मैं यह थोड़े ही कह रहा हूं कि नहीं घटा लेकिन आप आगे तो सुन लीजिए। इस प्रांत में कुल 78,960,72 वोट तो मिले कांग्रेस को और बी.जे.पी. को मिले 73,52,213 वोट और कुल मिलाकर अंतर रहा 4,91,859 मतों का। इसका मतलब यह है कि अगर हम लगभग 2,26,000 वोट भी और ले लेते तो आज इतिहास का चित्रण कुछ दूसरा होता।

श्री राजेन्द्र पारीक : गृह मंत्री जी को कहा होता तो वो भी करा देते।

श्री अर्जुनदास मदान : पारीक साहब लिये हैं। फिर उसके बावजूद, माननीय महोदया, हमारे तो एक भी व्यक्ति की

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अर्जुनदास मदान)

जमानत जब्त नहीं हुई, ये तो जालौर में भी गंवा बैठे, झुन्झुनूं में भी गंवा बैठे। बोलो-बोलो, नहीं गंवाई ?

श्री रामस्वरूप मीणा : अब विधान सभा के चुनावों में हो जाएगी। विधान सभा के चुनावों में हो जाएगी जमानत जब्त। सारे मंत्रियों की जमानत जब्त होगी विधान सभा चुनावों में।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं ये सारे आंकड़े सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपको मालूम हो जाए।

सभापति जी, आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दोषारोपण किया जाता है कि हम साम्प्रदायिक हैं, हम हिन्दू और मुसलमान के बीच में दुराव पैदा करते हैं। मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं न तो कोई बड़ा नेता हूं भारतीय जनता पार्टी का, न संगठन में मेरा कोई पद है, लेकिन जो कुछ भी अपने शासनकाल से लेकर आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी या इसकी विचारधारा के बारे में पढ़ा है, हमारी सदस्यता की बुक को उठाकर देख लीजिए, जब हम किसी व्यक्ति विशेष को सदस्य बनाते हैं तो पहले एक शपथ लेते हैं कि मैं इस देश में किसी जाति या धर्म के नाम पर (व्यवधान) देखिए, मेरा निवेदन है कि सुन सके तो अच्छा है। दिल तो बड़ा करना पड़ेगा, नहीं हो तो आप पढ़ लेना। आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बुक पढ़ लेना, भगवान के नाम पर पढ़ लेना क्योंकि आपने पढ़ी नहीं। आपने तो एक ही किताब पढ़ी है। हम भी कहते हैं कि हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है। हमारा किसी मुसलमान से दुराव नहीं है। सभापति महोदया, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिन्दू और मुसलमान के बीच में कोई दुराव नहीं करती। अगर कोई रसखान बनकर आए और यह कहे कि –

"मानुष हों तो वही रसखान
बसूं बृज गोकुल गांव के ग्वालन"

तो क्या भारतीय जनता पार्टी उससे दुराव करेगी ? कोई रहीम बने, कोई रहमान बने। पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ने की हिम्मत रखने वाला कोई आदमी था तो मुसलमान बंधु था हबीब भाई। हमारा किसी मुसलमान से दुराव नहीं है। हमारा उस मुसलमान से दुराव था, आज भी है जो हाकी में यदि पाकिस्तान जीत जाए तो पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटे। ऐसे मुसलमान से भारतीय जनता पार्टी का कल भी दुराव था, आज भी है और परसों भी रहेगा।

महोदया, देश में सबसे पहले जब आजादी की बात आयी थी, मैं जिन्ना जी की बात नहीं करता, आप अबुल कलाम आजाद को देश का प्रधानमंत्री बना देते अगर आप साम्प्रदायिक नहीं थे तो। क्या वे नहीं बन सकते थे देश के प्रधानमंत्री ? जिन्ना जी

(श्री अर्जुनदास मदान)

के बारे में तो मैं माम सकता हूं कि थोडा-सा दुराव था, उनके मन में हिन्दू और मुसलमान की भावना थी। लेकिन अबुल कलाम आजाद जैसे आदमी को अगर इन लोगों ने साम्प्रदायिकता की भावना से दूर हटकर ... (व्यवधान) यदि प्राइम मनिस्टिर बनाया होता, सभापति जी, तो मैं केवल मात्र आपसे निवेदन करता हूं आज विश्व के इतिहास में न तो आपको पाकिस्तान दिखता और न बांग्लादेश दिखता ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मदान साहब, आप सुन लीजिए जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति किसने बनाया था ? फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति किसने बनाया था ? बात करते हो। सिकन्दर बख्त की दुर्गति कर दी आपने । (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : मैंने केवल राय दी थी कि दर्पण में आप अपने मुखारबिन्दु को देख लें आपकी शक्ल कैसी है यह आपको दिख जाए। इसलिए मैंने थोड़ी-सी बात कही थी। अटपटी लगी हो तो अपने पास रख लेना, उसके लिये मैं कोई क्षमा नहीं चाहता।

महोदया अब मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रदेश की अनेक समस्याएं हैं। बहुत समस्याएं हैं इस प्रदेश की। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया तो नीतिगत आधार किया है। सड़क नीति, शिक्षा की नीति। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे यहां इतनी सड़कें नहीं बनी जितनी किसी मेरे पड़ौस के कांग्रेसी सदस्य के यहां बन गई। सड़क नीति है, ट्रांसफर की नीति है, स्कूलों के खोलने की नीति है। नीतिगत आधार पर किया ...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने सारे विकास का राजनीतिकरण कर दिया। जो दो कांग्रेस राज में सड़कें बनी थी उनमें सब जगह खड्डे ही खड्डे पड़े हैं, एक खड्डा नहीं भर रहे हैं आप की। आपने सत्यानाश करके रख दिया । खड्डे पड़े हैं दो-दो फुट के। (व्यवधान) यह गृह मंत्री जी हैं, कैसे निकलते हैं, इनकी हालत देख लो, झूले खाते हुए निकलते हैं ये लोग ... (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : वह तो मुंझे दिख रहा है। महोदया, सत्य सदैव कड़वा होता है और उसको सहने के लिये बहुत ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : डामर कहा गया, ललितजी से पूछ लो। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : श्रीमान् जी, मुझे तो यह दिया रहा है कि सड़कों पर खड्डों से ज्यादा आपके दिल में खड्डे हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में टोकाटोकी न करें। माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) आपस में टोकाटोकी, बातचीत न करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ताम्बीजी के तो शिवजीरामजी ने खड्डे पटक रखें हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : सभापति, आज प्रदेश की सबसे बड़ी बढ़ती हुई आबादी है। इस सारे संसार में अगर कहीं, जनसंख्या बढ़ती है तो सबसे पहले बांग्लादेश में और दूसरे कहीं (व्यवधान)..

श्री सभापति : अब आगे बढ़ने तो दो।

श्री अर्जुनदास मदान : बढ़ती है तो मेरे हिन्दुस्तान में है और हिन्दुस्तान में भी यदि कहीं बढ़ती है (व्यवधान) मान्यवर, आप बोलेंगे तो मैं बिलकुल ही नहीं बोलूंगा। फिर आप ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं जो कुछ बोल रहा हूं. वह (व्यवधान) मैं नहीं बोलना चाहता पर आप उनसे तो कह दें। (व्यवधान) मैं निवेदन की भाषा में बोल रहा हूं। मैंने कभी उनकी बात में व्यवधान नहीं डाला।

श्री सभापति : आप भी आसन को सम्बोधित करें।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं आपसे निवेदन करता हूं, सभापतिजी, इस मदान ने किसी की बात में आज तक कोई व्यवधान नहीं डाला । लेकिन आज सच्ची बात सुनकर पता नहीं क्यों कड़वाहट इनके मन में आ रही है।

आज हमारी पार्टी में जब बातें होती हैं, हम लोग स्वयं कहते हैं कि आज हमारे विधान सभा के क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा, नीति आ जाती है। ट्रांसफर की बात करो तो नीति, सड़क की बात करो नीति, स्कूल खोलना हो तो नीति, कोई विद्यालय खोलना हो तो नीति। हमने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच में कोई भेदभाव की दीवार खड़ी नहीं की। हमने जो कुछ भी किया, एक तो नीतिगत आधार पर किया और एक शासकीय व्यय को कम किया। आप तो शासकीय व्यय क्या है, मुझे बताइयेगा। मितव्ययता की है। शासकीय व्यय सुव्यवस्था की क्या प्रणव मुखर्जी ने भी बढ़ाई की नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसकी बढ़ाई नहीं की ? क्या आपके जितने और भी सभापति हुए हैं उन लोगों ने इसकी प्रशंसा नहीं की? मनमोहन सिंह जी ने इसकी प्रशंसा नहीं की ? इसके बाद भी जो आपके सदस्य थे, महोदया, योजना आयोग ने आज अगर प्रशंसा की है किसी प्रान्त में आर्थिक मितव्ययता की और आर्थिक आधार पर प्रदेश को आगे ले जाने की तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित होने वाले मेरे राजस्थान की है। (व्यवधान) महोदया, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं। हम धोखा देना नहीं जानते। आपने तो 4-4 प्रधानमंत्रियों को धोखा दिया, चन्द्रशेखर जी को धोखा दिया, आपने देवेगौड़ा जी को धोखा दिया, आपने गुजरालजी को धोखा दिया। परन्तु दुर्भाग्य हैं, मान्यवर (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को धोखा किसने दिया, बोलो ? .. (व्यवधानन)

श्री जुबेर खान : हम तो खाली प्रधानमंत्रियों को धोखा देते हैं, आप तो भगवान राम को धोख दे रहे हो।

श्री अर्जुनदास मदान : कारण क्या है, महोदया ? निवेदन केवल मात्र इतना है कि ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते। ये वह मछली है कि जिसे पानी से बाहर निकालो तो छटपटाने लगती है। इसको तो सत्ता का पानी चाहिये और वह इसे मिलेगा नहीं तो यह मछली छटपटाने लगेगी। मैंने चार-चार प्रधानमंत्री बताये आपको। आप पता कर लीजिएगा कि आपने धोखा नहीं दिया हो। इससे बड़ा धोखा तो परसों आपने केसरीजी को दे दिया। सभापति जी ..(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या केसरी जी पर बोल रहे हैं ? आप आपके नेता पर बोलो । (व्यवधान) जयललिता पर बोलो। जयललिता पर बोलना है, बोलो । आप ममता बनर्जी पर बोलो, जयललिता पर बोलो जो + + + लक्ष्मीपार्वती पर बोलो (व्यवधान) माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की गरिमा रहनी चाहिये सदन में । (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : लालू यादव का क्या हुआ, लालू यादव का ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है । (व्यवधान) ये अभिभाषण पर बोलेंगे, इस मंच का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप सीताराम केसरी पर बोलो । (व्यवधान)

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : आप विराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जयललिता पर बोलेंगे, जयललिता पर बोलेंगे।

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए। हो गयी बात आपकी । (व्यवधान) हो गयी बात ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) इस सदन की कुछ गरिमा है। (व्यवधान) सदन की गरिमा रखिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय सभापति महोदया, यह बार-बार व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप भी बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ये अपने विचार व्यक्त करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जब अपना जवाब दें तब उन बातों का जवाब दे दें, बीच में व्यवधान क्यों डालते हैं ? (व्यवधान) अपना जब नम्बर आए तब स्थिति सदन में रख दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बारी आने पर बोंले, अभी विराजें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : इनका जब नम्बर आए तब जवाब दे दें, उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय सभापतिजी, अब मैं आपने निवेदन कर दूं, आज हम पचासवीं वर्ष गांठ मना रहे हैं। इन पचास वर्षों में लगभग 40 साल सत्ता तो कांग्रेस से हाथ में रही इस प्रान्त की और 10 साल के हम हैं। 1977-80 ले लें और अभी 1990 से लेकर ये 97-98 लें। चालीस साल तक आपने सत्ता भोगी तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी या इसके आनुषंगिक संगठनों ने भोगी। लेकिन एक निवेदन करता हूं महोदया, कि क्या ये आंकड़े नहीं बताते कि एक से लेकर सात पंचवर्षीय योजनाओं के निधारणकर्ता आप थे, वे आपके शासनकाल में बनी ? एक से लेकर सात पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान के समूचे प्रान्त में जितना इन्होंने खर्च कराया वह है 7819 करोड़, सात पंजे 35 सालों में और केवल मात्र आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 11500 करोड़ रुपये की योजना लागू हुई और 12000 करोड़ रुपये हमने खर्च किये। (व्यवधान)

ये तो आंकड़े हैं, महोदया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। यह जो कुछ है यह आंकड़ों के आधार पर मैं निवेदन करता हूं। क्या सात पंचवर्षीय योजना के विकास के लिये ज्यादा नहीं ला सकते थे ? आंकड़ों में यदि आप देख लें, आपने ग्रामीण अंचल में कितना खर्च किया ? कुल मिलाकर छह प्रतिशत और भारतीय जनता पार्टी ने 62 प्रतिशत खर्च किया ।

श्री रतनलाल ताम्बी : फिर वोट कहां गये ?

श्री अर्जुनदास मदान : वोट छोड़िये, वोट अगली बार आपको भी नहीं पड़ेंगे। आपको मैं बता दूंगा। आप तो अगली बार मुझे नहीं मिलेंगे इस विधान सभा में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज तो कांग्रेस के विरोध में जीतकर आये हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : आठवीं पंचवर्षीय योजना में मैंने निवेदन किया, अब नवीं पंचवर्षीय योजना में, जो हमने भेजा है (व्यवधान) देखो, दिल बड़ा रखो, भगवान के नाम पर दिल बड़ा रखो। साहब, ऐसी भी क्या बात है ? मैं तो जो कुछ बोल रहा हूं आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं। अगर ये आंकड़े झूठे हों तो मुझे आप धिक्कार देना। इससे बड़े शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं ?

अब नवीं योजना हमारी 27650 करोड़ रुपये की है। यह अगर पास हो जाएगी तो

(श्री अर्जुनदास मदान)

इस प्रदेश को हम कहां ने जाना चाहते हैं, सभापतिजी, आप आकलन लगा लें। आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले हम 15 राज्यों में भी नहीं आते थे लेकिन इस आठवीं पंचवर्षीय योजना लागू करने के बाद हमारा पांचवें नम्बर पर स्थान आ गया। समूचे देश की बात कर रहा हूं।

नियोजन को लीजिए, प्रति व्यक्ति नियोजन जो आपके टाइम पर 2101 रुपये प्रति व्यक्ति था यह आज राजस्थान में आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2613 रुपये हो गया। इस तरह से वित्तीय अनुशासन और मितव्ययता के आधार पर जो भी प्रशंसा की है, मैंने पहले भी नाम बताये हैं, अब मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक, प्रणव मुखर्जी, मनमोहनसिंह, मधु दण्डवते, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सभी के आंकड़े सभापतिजी, यदि मेरे प्रतिपक्ष के लोग थोड़ा-सा देख लें तो इस प्रदेश ने आर्थिक आधार के ढांचे को कहां खड़ा किया है, उसका पूरा पूरा चित्रण इसमें मिल जाएगा।

आज उत्पादन के छह पारितोषिक इस प्रान्त को मिले, पिछले चार वर्षों में उपज के विभिन्न क्षेत्रों में छह राष्ट्रीय पुरस्कार अगर किसी प्रान्त को मिले हैं तो वह हमारा प्रान्त है किसी और प्रान्त को इतने नहीं मिले। छह राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाला इन सात वर्षों में से पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का यह राजस्थान है।

बिजली की बात की गयी। महोदया, मैं समझता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे कि आदमी का आचरण परिस्थितियों के ऊपर निर्धारित होता है। ये बोलते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि भैया मत बोलो। ये नहीं बोले तो क्या मैं बोलूंगा ? परिस्थितियां ऐसी होती है तो मुझे निवेदन करना पड़ता है।

मैं आज कोटा शहर में घूमता हूं तो मेरी पत्नी मेरे स्कूटर के ऊपर बैठ जाती है और अगर वह मेरे कंधे पर हाथ रख ले और उसने पल्लू ले रखा है नहीं ले रखा, मेरे को कोई चिन्ता नहीं होती। लेकिन वही मेरी पत्नी जब मेरे गांव की तलहटी में मेरे साथ जाती है तो अपने आप 50 कदम पीछे हो जाती है, घूंघट ले लेती है। मेरे घर में आज भी घूंघट की प्रथा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कोटा शहर में और गांव की तलहटी में हमारे पत्नी-पति में या बीवी के रिश्ते में कोई फर्क आ गया ? वह कोटा शहर में भी पत्नी है, गांव में भी पत्नी है। लेकिन वातावरण कोटा शहर का यह अलाउ करता है कि पल्लू ले रखा है तो कोई बात नहीं लेकिन गांव का वातावरण यह अनुमति नहीं देता है इसलिए मुझे आचरण वैसा करना पड़ता है।

बिजली के क्षेत्र में आज हमारे ऊपर दोषारोपण लगाया जाता है कि साहब आपने क्या किया। मानता हूं कि बिजली बढ़ी, अगर बिजली बढ़ी है और उसके कारण हमको दण्ड का भागी बनना पड़ा हो तो दिग्विजयसिंह जी ने तो पांच हार्स पावर के ऊपर पूरी बिजली मुफ्त कर दी थी, वे काहे

(श्री अर्जुनदास मदान)

को हार गये ? (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए। आप बोल लेना, आप बड़ी खुशी से बोल लेना, जितना मन चाहे बोल लेना। और क्या कहूं, अगर बुरा लगे तो मेरी बात पर बाहर जाकर + + +

सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था बिजली की बात है आज जितने करोड़ों रुपयो का कर्ज है.... (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है ?

स्वीकृत

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अर्जुनदास मदान : महोदया, अब मैं आंकड़ों से बताता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो बताया जाए कि किसके लिये कितना समय बढ़ाया गया। यह तो मुकर्रर हो कि कितना-कितना वक्त है। यह क्या कर रहे हैं आप ?

श्री सभापति : मुकर्रर किया हुआ है।

श्री अर्जुनदास मदान : देखिएगा, 1984 से 90 के बीच में, सभापति महोदया, आप भी कृपया मेरी बात को सुनें, मैं आदर के साथ कह रहा हूं।

श्री सभापति : अगर आप टोकाटोकी कम करेंगे तो नम्बर जल्दी जाएगा।

श्री अर्जुनदास मदान : 1984 और 90 के बीच में बिजली के क्षेत्र में, राजस्थान सरकार में जो बिजली पैदा होती थी उसमें तीन हजार मिलियन यूनिट की बढोतरी की है इन लोगों ने लेकिन 1991 से 97 तक हमने 6,000 मिलियन यूनिट की बढोतरी की है। कृषि विद्युत क्षेत्र में इनके टाइम पर 2072 मिलियन यूनिट कृषि के ऊपर दिया जाता था, वह बढ़ाकर हमने 4964 मिलियन यूनिट कर दी है। 27 प्रतिशत कृषि के ऊपर उपभोग होता था, ये 1989-90 के फिगर दे रहा हूं, जब ये सत्ता में थे और हमारे टाइम पर वह 35 प्रतिशत हो गया। प्रति उपभोक्ता बिजली की खपत 175 यूनिट होती थी, वह बढ़कर 275 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गयी। आखिर आंकड़ें क्या बोलते हैं ? क्या इस क्षेत्र में हमने कोई प्रगति नहीं की? आज थोड़े से लोग यह कहते हैं कि साहब, आपने बिजली के दाम बढ़ा दिये। मैं इन आंकड़ों के बीच में थोड़ा-सा दर्पण दिखाना चाहता हूं मेरे महानुभावो को कि वे देख लें कि मैं जिन स्टेट्स के आंकड़ें दे रहा हूं, वहां पर बिजली

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

182

(श्री अर्जुनदास मदान)

की कीमत क्या ली जाती है और इस प्रदेश में क्या ली जाती है। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मदान साहब, कम लगती है तो और बढ़ा दो।

श्री अर्जुनदास मदान : ऐसा है, आप तो मुझे बढ़ा दो, ठीक है। देखिये, मध्य प्रदेश में जहां पर इनकी हकूमत है, 92 पैसे प्रति यूनिट है, उड़ीसा में 85 पैसे प्रति यूनिट है, हिमालय प्रदेश में जहां पर माननीय, हाइडल इलैक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है, सबसे सस्ती पड़ती है, वहां पर 65 पैसे प्रति यूनिट है, आसाम में 1.10 रुपये प्रति यूनिट है। पश्चिमी बंगाल और केरल, जहां पर मजदूरों और किसानों के नारे लगाये जाते हैं, उन प्रान्तों में 91 पैसे और 60 पैसा प्रति यूनिट और राजस्थान में केवल मात्र 50 पैसे प्रति यूनिट । मैंने आपके सामने दस प्रान्तों के आंकड़े बोले अगर इसमें कोई गलती हो तो आप मुझे बता दें। आंकड़े ले लीजिये आप, मिनिट्स बुक नोट हो रही है। मैं तो केवल यह बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में क्या स्थिति है और दूसरे प्रान्तों में क्या स्थिति है।

महोदया, इसी तरह से उत्पादन के ऊपर मैं निवेदन करूं। इनके टाइम पर 1990-91 में प्रति यूनिट जब बिजली का उत्पादन प्रान्त करता था तो खर्चा आता था एक रुपया बारह पैसे और 1996-97 में यह प्रति यूनिट खर्च, उत्पादन मूल्य कह रहा हूं मैं, दो रुपये बत्तीस पैसे आ रहा है। अब 2 रुपये 32 पैसे में बिजली लेकर आप 50 पैसे में किसानों को दें ? यह मैं आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूं ताकि तुलनात्मक अध्ययन कर लें मेरे विपक्षी सदस्य और यह देख लें कि इन परिस्थितियों में राजस्थान के पास कहीं न कहीं से इस विद्युत बोर्ड को पैसा लेने के अलावा चारा क्या बचता है। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 13 विभिन्न राज्य हैं वहं पर 200 पैसा, यानि 2 रुपये से लेकर 3 रुपये 24 पैसे तक उपभोक्ताओं से बिजली का चार्ज लिया जाता है और राजस्थान में पोने दो रुपये हैं। पश्चिमी बंगाल में 3 रुपये 07 पैसे हैं, केरल में 2 रुपये 86 पैसे, आन्ध्र प्रदेश में 2 रुपये 65 पैसे, तमिलनाडु में ढाई रुपये, आसाम में 2 रुपये 30 पैसे, मध्य प्रदेश में 2 रुपये 10 पैसे और राजस्थान में 1 रुपये 75 पैसे सभापति महोदया, आखिर पैसा तो पैसे की जगह की काम आएगा। किसी की हथेली पर या किसी भी पीठ पर हाथ रखने से पैसों का उपार्जन नहीं होता, उसके लिए कुछ योजना बनानी पड़ती है। जब उत्पादन मूल्य बढ़ता चला जाएगा और आप कीमतें कम वसूल करोगे तो पैसा की पूर्ति कहां से होगी ? एक तरफ हमारी सरकार यह कहती है कि जितनी भी छः यू.पी.सी. हैं, ये सारी की सारी लाभ में जानी चाहिये। लाभ तो हम नहीं कमा सकते लेकिन यदि उसमें पैसा नहीं बढ़ाए तो आप ही बताइयेगा। मैं इन से भी निवेदन करूंगा कि अगर इसका हल कोई दूसरा है तो हमारी सरकार को सुझा दें। विद्युत मंत्रीजी निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं।

(श्री अर्जुनदास मदान)

माननीया, मैं सारे आंकड़े तो नहीं देना चाहूंगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है। मैं जानता हूं समय कम है, पहले भी एक बात आ चुकी है कि, साहब हमको बोलने का समय दिया जाए। मैं अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहूंगा।

प्रति व्यक्ति चिकित्सा के ऊपर 1990 से लेकर 1991 तक इन लोगों ने 51 रुपये 42 पैसे साल में खर्च किये। प्रति व्यक्ति 51 रुपये 42 पैसे चिकित्सा के ऊपर खर्च करती थी राजस्थान की कांग्रेस सरकार। मैं उधर के सात साल दिखा रहा हूं आपको और इधर भी 1991 से 98 तक सात साल का चित्रण दे रहा हूं कि यह 57 रुपये 42 पैसे से बढ़कर हमारा आंकड़ा हो गया 157 रुपये 59 पैसे प्रति व्यक्ति। यानि 100 रुपये एक आदमी के ऊपर चिकित्सा के क्षेत्र में हमने ज्यादा खर्च किये हैं। मैं अजमेर की बात नहीं करता जहां पर मातृ शिशु चिकित्सालय बन रहा है, मैं आज यहां जयपुर के हास्पिटल की बात नहीं करता, जहां पर विभिन्न इकाइयों का विस्तार एवं विकास हो रहा है। शय्याओं की बात नहीं करता। मैं तो केवल मात्र इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि आंकड़ों के आधार पर ही कि हम कहां थे इन लोगों ने उसके ऊपर कितना खर्च किया।

महोदया, इसी तरह से मैं अब प्राथमिक विद्यालयों का आंकड़ा भी देना चाहूंगा 1985 से 90 में इन्होंने कुल मिलाकर पांच सालों में 1900 प्राथमिक विद्यालय खोले और हमने 5912 खोले। प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत इन्होंने किये 1591 और हमने किये 2627। माध्यमिक से उच्च माध्यमिक क्षेत्र में इन्होंने 672 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया और हमने किया 1013 को शिक्षा के क्षेत्र में। महोदया, निवेदन कर दूं कि इन्होंने 1985 से लेकर 270.88 करोड़ रुपये खर्च किये और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1990 से लेकर 1997 तक 1040.46 करोड़ रुपये खर्च किये। यह तब है जबकि हमने पुस्तकों की भी एक रूपरेखा बनायी, ये भी बना सकते थे। आज पहली से लेकर पांचवीं तक बच्चों को शिक्षा मुफ्त, किताबें मुफ्त दी जाती है। बच्चियों को एक से लेकर आठवीं तक की शिक्षा मुफ्त दी जाती है, पुस्तकों का प्रबन्ध किया जाता है। 1994 से लेकर आज तक दो करोड़ विद्यार्थियों को 53 करोड़ रुपये की पुस्तकें भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने बांटी है। मैं केवल मात्र यह निवेदन कर रहा हूं कि किस प्रकार की स्थिति इन लोगों के शासनकाल में थी और कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनहित में खर्च किया गया। देखिये, मान्यवर, न जाने कितनी चीजें होती हैं– जातीय समीकरण होते हैं, आदमी की खु की प्रतिष्ठा भी होती है, हम जीतते रहे दस साल तक और आज एक बार जीते तो ऐसा मत सोचिये कि दिन फिर आपके नहीं आने वाले। आपके भी आने वाले हैं। थोड़े दिनों

(184)

(श्री अर्जुनदास मदान)

बाद। मैंने पहले ही निवेदन किया कि दस महीने बाद आपके वे पहलवान फिर वापस उतरेंगे, हम भी वापस उतरेंगे, देखेंगे कि किसमें दम है। देख लेना जोर कितना बाजुए चुनाव वाले में है। मैं कातिल की बात नहीं कर रहा हूं। अब, माननीय, यह मैंने आपको केवल मात्र छोटे-से आंकड़ों के आधार पर निवेदन करना चाहा।

महिला विकास के क्षेत्र में भी, महिला और बाल विकास के उनके 9 जिलों में कार्य चल रहे थे। केवल मात्र नौ जिलों में। आज हमने समूचे प्रान्त को उसके पूरे आवरण में ले लिया है। आज कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां बाल विकास और महिला विकास का कोई न कोई क्रियाकलाप चालू नहीं हो।

इसी तरह से राज्य में पूंजी-उद्योग के ऊपर भी, उद्योगों के आधार पर भी यदि मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूं तो, सभापति महोदया, आप देखिएगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिलाओं की बात कर रहे हो, बलात्कार की घटना कितनी हुई राजस्थान में ?

श्री अर्जुनदास मदान : देखिये वह तो ठीक है, आप बताइये, क्या बलात्कार पहले नहीं होते थे ? क्या आपके शासन में खतम हो जाएंगे ? यह तो आदमी की फितरत है भाई। यह तो आदमी की फितरत है, ऐसा मत सोचिएगा। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बात मत कहो, नैना साहनी को याद करो, आपके कांग्रेसियों ने भट्टी में फूंक दिया। आप औरतों की इज्जत करना नहीं जानते, आपको मालूम नहीं। आपके कार्यकाल में ऐसा-ऐसा सामना किया + + + आनी चाहिये आपको।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यूनिवर्सिटी में काण्ड हुआ, शानिली काण्ड हुआ, जगह-जगह बलात्कार के काण्ड हुए, आपने कुछ भी नहीं किया। महिलाओं की बेइज्जती हुई, राजस्थान में जगह-जगह महिलाओं के खिलाफ जुल्म हुआ । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो किया अपराधियों ने ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बलात्कार हुआ, आप मूक-दृष्टा बने रहे। आपके शासन में यह सब हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नैना साहनी को तो कांग्रेसियों ने फूंका। (व्यवधान) हमें नहीं मालूम, हम किसी की सिफारिश नहीं करते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिलाओं का जितना अनादर भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ उतना कभी भी नहीं हुआ। आपका कोई रिकार्ड नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको कोई

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अच्छा नहीं कहते लेकिन नैना साहनी को तो कांग्रेस वालों ने ही काटा । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप शासन में रहे हैं। आपने महिलाओं के साथ इतना जघन्य अपराध करवाया और देखते रहे, मूक-दर्शक बने रहे, कुछ भी नहीं हुआ शासन में (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अपराधियों की कोई कौम नहीं होती, कोई जात नहीं होती लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अपने अन्दर झांको।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आपका नम्बर आएं तब बोल लेना आप। बीच-बीच में + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो खुद महिला है, आपको तो सहानुभूति होनी चाहिये। महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखते आप।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : बीच-बीच में + + +

(17.00)

श्री अर्जुनदास मदान : मैं अब उद्योगों के बारे में थोड़ा-सा चित्रण प्रस्तुत करूंगा और निवेदन करूंगा। मेरी कुछ पीड़ा भी है। चाहे आप लघु उद्योग ले लें, चाहे मध्यम उद्योग ले लें, चाहे आप लार्ज स्केल के उद्योग ले लें, किसी भी क्षेत्र में ले लें, मैं छोटा सा आंकड़ा दे देना चाहता हूं। लघु-उद्योग में 1985 से लेकर 1990 तक जहां 329 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं वहीं हमने 738 करोड़ खर्च किये हैं, 1990 से 1995 के बीच में जहां मृत उद्योगों पर आपने 1837 करोड़ रुपये खर्च किये वहीं हमने 8894 करोड़ रुपये खर्च किये। आज देश में दो-तीन प्रान्त हमसे आगे हैं, आज महाराष्ट्र आगे है, गुजरात आगे है और निश्चित रूप से हम उस दौड़ में चल रहे हैं। आज औद्योगिक क्षेत्र में चाहे हमारे उद्योग बढ़ रहे हों, मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, उद्योग मंत्री महोदय यहां पर बैठे नहीं हैं लेकिन आज नियमों में निश्चित रूप से संशोधन करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि राजस्थान का यह सदन उन नियमों में परिवर्तन हीं कर सकता है लेकिन अपनी अभिशंसा केन्द्र सरकार के पास जरूर भेज दे। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम नये बच्चे को जन्म देने की बात तो सोचते हैं लेकिन एक पला-पौसा बच्चा मर जाता है। उसकी चिंता यदि हम नहीं करेंगे, मैं यह अपनी सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तो कौन करेगा ? जिस क्षेत्र में मैं आता हूं वह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन आज मुझे दुःख है। कानून में इतनी ताकत होनी चाहिये कि अगर किसी मजदूर के पैसे कोई पूंजीपति लेकर चला जाता है तो वह वसूल हो, महोदया, किसी पूंजीपति को चिंता नहीं होगी इन उद्योगों के बारे में। मैं बहुत स्पष्ट

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अर्जुनदास मदान)

निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप मफतलाल को ले लें, पोद्दार को ले लें, सिंघानिया को ले लें, डी.सी.एम. को ले लें, जयपुरिया को ले लें, मोदी को ले लें, किसी उद्योगपति को ले लें, किसी ने भी 100 रुपये में से एक रुपया भी अपनी जेब का नहीं लगा रखा है। आज बहुत-से सेठ तो ऐसे हैं जैसे थापर तो आठ-नौ पैसे में धन्धा करता है, यानि उसके एक लाख रुपये का नुकसान हो जाता है तो उसकी जेब से 80 रुपये भी नहीं जाते। सभापति महोदया, क्यों चिंता करेगा वह मजदूर की ? आज वेतन चला जाए, फैक्ट्रियां चलती-चलती बंद हो जाएं, मजदूरों के पैसे नहीं मिलें लेकिन वह आदमी पी.एफ. के पैसे भी खा जाए, एल.आई.सी. के पैसे भी खा जाए, ग्रेच्युटी भी नहीं दे और कोआपरेटिव सोसाइटी के पैसे भी खा जाए। यह आज से नहीं है। औद्योगिक नगर कोटा में मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरे टाइम में तो हुई है जे.के. में लेकिन उससे पहले कोटा में गोपाल मिल भी बंद हुई, तीन-चार हजार लोगों की पहले जे.के. में भी छंटनी हुई। और भी उद्योग बंद हुए, बिलार्ड बंद हुआ, ओ.पी.सी. बंद हुई। लेकिन आज जो यह स्थिति आती चली जा रही है, यदि उनकी चिंता हमने नहीं की तो एक बहुत भयंकर स्थिति आएंगी, क्योंकि पूंजीपति चिंता नहीं करता। यदि मजदूर की चिंता सदन में बैठे हुए लोगों ने नहीं की तो मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि किसी दिन मजदूर बहुत आन्दोलित हो उठेगा और देश का इतिहास शायद एक नयी करवट ले ले। मैं मजदूरों का पक्षधर केवल मात्र इसलिए हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता आया हूं, महोदया, वहां 25 हजार मजदूर और उनके 24 हजार वोट आज दाने-दाने के लिए मोहताज हैं। गलतियां किसी की भी रही होंगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता लेकिन क्या आज एक पूंजीपति को इतना अधिकार मिल सकता है कि वह लोगों के पी.एफ. न लौटाएं, ग्रेच्युटी के पैसे न लौटाएं, कोआपरेटिव के पैसे न लौटाएं और हम मूकदर्शन होकर देखते रहें? निश्चित रूप से मन में पीड़ा होती है, वेदना होती है, कुंठा होती है और मन में इस प्रकार की ग्रंथिया बनती हैं कि आखिर इस देश में औद्योगीकरण के नाम पर यह कैसी स्थिति होती चली जा रही है।

मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, महोदया, अंत में यही कहना चाहता हूं कि भगवान के नाम पर आप हम से मत लड़ो। लड़ना है तो हम दोनों मिलकर लड़ें। मैं आज आह्वान कर रहा हूं इस सदन। मैं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस प्रदेश की उन्नति के लिए लड़ें। इस प्रदेश की बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, औषधालयों की समस्या है, विद्यालयों की समस्या है, बढ़ती हुई आबादी की विकट समस्या है, और न जाने कितनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के आधार पर हम एक-दूसरे से नोकझोंक करते हैं। मैं तो

(श्री अर्जुनदास मदान)

निवेदन करता हूं इस सदन में कि, मेरे बंधुओं, आओ और अगर कोई चीज ऐसी है जिससे प्रांत का उद्धार होता हो, प्रांत का कल्याण होता हो तो हम मिल कर लड़ें और इस प्रदेश को ऐसा बना दें कि इस प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक हिन्दु का प्रत्येक दिन दीवाली बने और प्रत्येक मुसलमान का प्रत्येक दिन ईद।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री रामस्वरूप मीणा : + + +

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : प्रस्ताव के बाद में समर्थन होता है उसके बाद चर्चा में आते हैं सब।

सभापति महोदया, बधाई देता हूं...

श्री रामस्वरूप मीणा : जनता को।

श्री टीकमचन्द कान्त : जनता को और भाजपा को भी कि 19 तारीख को माननीय अटलजी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। और बधाई देता हूं मैं, रामस्वरूपजी, आपको और कांग्रेस को भी कि सोनिया भाभी अध्यक्ष बन गयी हैं कांग्रेस की।

सभापति महोदया, मैं मानता हूं कि 1885 के अन्दर जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब ए.ओ. ह्यूब उसके अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। – (व्यवधान)– हां, उन्होंने बनायी थी, 1886 के अन्दर वे अध्यक्ष बने थे। हिन्दुस्तान गुलाम था और अगर कोई प्राण भी इनमें फूंक रहा था वह भी अंग्रेज ही था, अगर कोई संस्था बना रहा था तो वह भी अंग्रेज ही था, अगर कोई स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना सिखाता था तो वह भी अंग्रेज ही था इसलिए स्वभावतः अंग्रेजी काल के विरुद्ध जब तक महात्मा गांधी इस संघर्ष में नहीं उतरे तब तक पांच विदेशी, यानि पांच बितानी, पांच अंग्रेज इस कांग्रेस के अध्यक्ष बने।

श्री रामस्वरूप मीणा : आडवाणीजी कहां से आये थे, यह तो बता दो मुझे। हम तो बन गये पांच, ये आडवाणीजी कहां से आये ?

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं अभी इस बात का जवाब दे दूंगा। – (व्यवधान) – महात्मा गांधी के आने के बाद में जब स्वतंत्रता की लड़ाई की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ली, तब भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान खड़ा हुआ इस देश में, नहीं तो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा नहीं जा सकता था। जब तक अंग्रेज उसके अध्यक्ष थे तब तक कांग्रेस उस महामहिम राजा से, किंग से, क्वीन से हाथाजोड़ी कर के यह मांग करती थी कि इस भारत देश की यह प्रजा जो आपके अधीन है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि इस देश को अब हम लोगों को चाहिये कृपा कर के दे दें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

इस कल और परसों की घटना से इस कांग्रेस के अन्दर का लोकतंत्र, लोकतंत्र की शिक्षा देने वाले ये लोग, यह पार्टी, उसका आंतरिक लोकतंत्र ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदया, पाइंप ऑफ आर्डर। जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, कृपया विषयान्तर होकर बात नहीं कहें। आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तक अपने आपको सीमित रखें, अच्छा होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो ऐतिहासिक तथ्य हैं, इस सदन में ऐतिहासिक तथ्य उठते रहे हैं और उन पर चर्चा होती रही है, बल्कि आरोप-प्रत्यारोप भी जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, अभी-अभी हम वहां पर लॉ एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे उसमें इस प्रकार के नामों की चर्चाएं की गयीं जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। तो यह सदन इस मामले में बड़ा उदार है और ऐतिहासिक तथ्य जो हैं वे आएंगे। (व्यवधान)...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कोई गलत बात हो तो गलत बात को परम्परा नहीं मान सकते। अगर गलती हो गयी हो या किसी ने गलती कर दी हो तो वह आगे के लिए परम्परा नहीं बनती है। परम्परा वही बनेगी जो सही है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह गलत परम्परा पड़ जाएगी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि फिर जब हम बोलेंगे तो अटलजी के कई व्यक्तिगत गुण-अवगुणों के ऊपर भी बालेंगे और आप सुन नहीं पाएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकमचन्द कान्त : आरोप नहीं लगाऊंगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : टीकम चन्दजी, उस वक्त आप सुन नहीं। पाएंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उनमें क्या व्यक्तिगत गुण और अवगुण हैं जो 19 तारीख को शपथ ले रहे हैं, वह हम भी जानते हैं।

श्री सभापति : विराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक नेता तो छोड़ कर चले गये आपको।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : वह तो मालूम पड़ जाएगा आपको।

श्री टीकमचन्द कान्त : शैलेन्द्रजी, आप तो मर्यादाहीन बोलते हैं, आपसे मर्यादा में रह कर बात करें...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : लेकिन यह गलत परम्परा डाल रहे हो, जो हाउस में नहीं हैं उनके बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

आपसे भी यह अपेक्षा नहीं थी। आप विद्वान हैं लेकिन आज विवेकहीन सिद्ध हुए। जो सदन में नहीं हैं, जो किसी अन्य पार्टी के अध्यक्ष या अध्यक्षा हैं उनके बारे में इस प्रकार से गवर्नर एड्रेस में गलत परम्पराएं अगर आप डालने लग गये और उसी चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, यह बहुत गलत परम्परा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदया, हम एक शब्द भी नहीं बोलने देंगे। हमारी सोनिया गांधीजी के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे। आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए व्यक्तिगत रूप से उनके गुणों, अवगुणों और उनके चरित्र के बारे में यहां पर बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अपनी बात कीजिये। (व्यवधान) हम सोनिया गांधी के बारे में एक शब्द नही सुनेंगे। (व्यवधान) यह अभिभाषण का मुद्दा नहीं है, अभिभाषण में छपा हुआ नहीं है। हमारी पार्टी की नेता सोनिया गांधी के बारे में एक शब्द भी बोले आप तो यह सदन की मर्यादा भंग करेगें। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजें, विराजें। आप तो विराजें। अपनी बात कह दी, विराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं आपको चेतावनी देता हूं। आप एक शब्द भी कृपया नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, यह अगर कांग्रेस का स्वरूप है, आपको चेतावनी देता हूं और यह _(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वे माननीय सदस्य, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं - (व्यवधान).......

श्री टीकमचन्द कान्त : हां, तो क्या कर लोगे ? (व्यवधान).......

श्री रामनारायण चौधरी : उनके बारे में बहस करना और अभिभाषण - (व्यवधान)

श्री सभापति : उनके बारे में न तो कोई आरोप हुआ है और न कोई बात हुई है। यह तो एक बात कही जा रही है, कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं हुआ है। (व्यवधान) और आरोप सुनना होता तो आप पहले ही एक बार और सुन लेते जो ये कह रहे थे अभी। अभी आडवाणीजी का नाम ले रहे थे कि कहां से आये। आप सुनते तो सही। जब वे बोलते हैं तब भी यही बात होती। उन्हें भी समझाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : हां, तो क्या बोलने नहीं दोगे ? (व्यवधान) जब, कांग्रेस का स्वरूप निखर कर बाहर आ रहा हो –

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्होंने कहा था ब्रितानिया ...(व्यवधान)... सोनिया जी विदेशी महिला हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये आप। मैंने माननीय सदस्य का जवाब दिया है, विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये कहें तो पुण्य और हम कहें तो पाप।

श्री सभापति : आप तो बैठिये। हर बार बीच में उठ जाते हैं। माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक नाम आएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय कान्त जी, सुनें। माननीय कान्त जी, देखिये ... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : ऐतिहासिक नाम आएंगे, महात्मा गांधी का नाम आएगा, जवाहर लाल नेहरू का नाम आएगा, इन्दिरा गांधी का नाम आएगा। (व्यवधान) क्या बात करते है, कैसे नाम नहीं आएगा ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री टीकमचन्द कान्त : कोई उन पर आरोप लगा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें। आपकी जब भी बारी आएगी तब जवाब दे दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : इस देश की संस्कृति पर आघात कहां हो रहा है ... (व्यवधान) यह बात अभी सदन में भी करें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी कमाई कुछ नहीं है उसके अंदर। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें और आपकी बारी जब भी आए तो आप जवाब दे दीजिएगा, इसमें क्या बात है।

श्री टीकमचन्द कान्त : हम बधाई देते हैं। हम सोनिया गांधी की प्रशंसा करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्यों करते हो प्रशंसा ? देखिये, यह उनके घर का मामला है।

श्री टीकमचन्द कान्त : और जब कहते हैं कि नेहरू की नीतियों के कारण ऐसा हुआ, गांधी की नीतियों के कारण ऐसा हुआ है ... (व्यवधान)

श्री सभापति : वे बहुत उदार लोग हैं, वे जैसा करते हैं करने दीजिये, आप क्यों प्रशंसा करते हैं ? वे बहुत उदार हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप बीमार हो जाओगे अटल जी करते-करते, 13 दिन नहीं हुए हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इस देश के स्वतंन्त्रता आन्दोलन के साथ जुड़ी हुई

(श्री टीकमचन्द कान्त)

है। कांग्रेस इस देश के अंदर बहुत लम्बे समय तक शासन करने वाली पार्टी रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस ने आपकी हैसियत बनायी है। आप बोल रहे हो, इस लायक बना दिया है आपको। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : उसका जवाब मैं दे दूंगा। कांग्रेस की नीतियों के कारण यह देश विकासगामी भी हुआ और देश प्रतिगामी भी हुआ है। इसी कारण से कांग्रेस और कांग्रेस का संचालन और नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम स्वाभाविकतः आएगा। अब वे कहीं पर अध्यक्ष हैं तो भी आएगा, मंत्री हैं तो भी आएगा। स्वाभाविक है यह बात। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिगामी शक्तियां हावी हो रही हैं अब। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : ये बुजुर्ग हैं, मैं तो इनका बड़ा सम्मान करता हूं। यह बात इनको नहीं बोलनी चाहिये थी। (व्यवधान) वे झूठी भ्रांति लेकर बैठे हैं। (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था, कांग्रेस पार्टी कोई इनके घर की पार्टी नहीं है, इनकी पूंजी नहीं है अकेलों की। इस देश में अंदर इस लोकतंत्र के अंदर वोट मांगने वाली पार्टी है।

श्री रामनारायण चौधरी : देश की पूंजी है कांग्रेस। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : और इसलिए मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के कृत्यों से इस देश की जहां नाक कटती हो, जहां इसके स्वाभिमान पर चोट आती हो, इसका गौरव जहां गौण हो जाता हो, उस पर हमें चर्चा करने का अधिकार है। सभापति महोदया, इस देश के अंदर सारी माताएं बांझ हो गयी थीं, ऐसी कोई भारत मां की बेटी नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : तेरह दिन होने दो उसके बाद + + +

श्री टीकमचन्द कान्त : राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष विदेशी को लाकर बनाना पड़े। दुनिया कोई कहे या नहीं कहे, शर्म के मारे कोई कहे या नही कहे, यह प्रश्न है हिन्दुस्तान के लोगों के लिये, राजस्थान के लोगों के लिये, जनता के लिये। इस देश के अंदर विदेशी लोगों को लाकर इस देश की बागडोर संभालने की तैयारी अगर हो जाए तो यह देश जितने वर्षों तक स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा है .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आडवाणी जी विदेशी नहीं हैं क्या ? आडवाणी जी विदेशी नहीं हैं क्या ? (व्यवधान) आडवाणी जी कहां से आये ? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : वह (व्यवधान) व्यर्थ चला जाएंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आडवाणी जी कहां से आये ? और सोनिया गांधी ने राजस्थान में आपका किस मुंह से बोल रहे हो आप ? 25 में से 5, उस सोनिया गांधी की बात कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक भारतीय नारी की गरिमा रखिये। एक भारतीय नारी की इज्जत करना सीखिये। (व्यवधान) एक भारतीय नारी की मर्यादा कीजिये। वह भारतीय नारी है। (व्यवधान) आपके आडवाणी जी ने भी माफी मांगी थी। (व्यवधान) आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिये। यह शोभायमान नहीं देता आपको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) बाद में आपने बी.जे.पी. का प्रधान मंत्री बना दिया। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्योंकि आपकी पांच सीटें आ गयी इसलिए आप तिलमिला रहे हो, आप छटपटा रहे हो। आपको यह शोभा नहीं देता है। सोनिया गांधी भारतीय नारी हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इस सदन में बैठे हुए लोग ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करने वालों को भारतीय नारी की इज्जत सर्वोपरि रखनी चाहिये। आप इस तरह भारतीय नारी, जो कि अपने पति की मृत्यु के बाद... (व्यवधान) उस भारतीय नारी के विधवा का दारुण (व्यवधान) + + + उसके प्रति असम्मान जता रहे हैं, यह बात है। आपको + + + आनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : 1947 से पहले तो... (व्यवधान) चाहे पंजाब था, चाहे सिंध था वह हिन्दुस्तान का एक भाग था। (व्यवधान) उस समय हिन्दुस्तान वहां तक फैला था। आप सन् 1947 से पहले वाले हिन्दुस्तान की कल्पना करो। अब वे कहते हैं आडवाणी जी कहां से आये थे। 1947 के पहले तो सिंध हिन्दुस्तान में था। गुजराल साहब लाहौर से आये, मैं भी पंजाब से आया हूं तो क्या आज मैं विदेशी हो गया?

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, विदेशी हो गये। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : विदेशी हो गये तो आप लोगों को + + + है। + + + है आपको अगर आप लोग यह कहते हो तो। अगर मैं विदेशी हूं तो आप लोगों को + + + है, 100 बार + + + है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। आप हर बार खड़े हो जाते हैं, विराजिये आप। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अर्जुनदास मदान : अफसोस की बात है, जोशी जी।

श्री सभापति : मैं कह रही हूं आप विराजिये। हर बार आप खड़े हो जाते हैं, क्या मतलब है ? विराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, मैं विराजूंगा, लेकिन यदि नारी सम्मान के खिलाफ कहेंगे तो मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये आप।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय, एक निवेदन करूं, आज कांग्रेस में कम से कम छह लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में आकर यहां आपके बीच में बैठे हैं, क्या वे भी + + +(व्यवधान) राधेश्याम जी से कहो, थिंद साहब से कहो, सरदार जी से कहो, धौलपुर के सरदार से कहो। देश की आजादी के पहले और बाद में जो लोग आये, सात लोग आपके यहां ऐसे हैं कांग्रेस में। सात लोग ऐसे हैं जो देश के बंटवारे के बाद में आपके सदस्य हैं और आप कहते हो कि वे विदेशी हैं। + + + आनी चाहिये आपको। (व्यवधान) लगता है आपमें कितनी बुद्धि है। एम.एल.ए. जरूर बन गये हो। आज गुजराल साहब के लिये कह दो कि वे विदेशी हैं ? (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदया, पाइंट आफ आर्डर।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अभिभाषण से हटकर चर्चा क्यों कर रहे हो ? क्या कुछ + + + कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो हार गये उसकी + + + कर रहे हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदया, पाइंट आफ आर्डर।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी लिखवा देते तो अच्छा रहता। वह भी लिखवा देते राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में। (व्यवधान)......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। रामस्वरूप जी, विराजिये। हर बार खड़े हो जाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते, विराजें आप। (व्यवधान) वे मेरी आज्ञा से खड़े हैं, आसन की आज्ञा से खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदया, पाइंट आफ आर्डर। अभी माननीय आडवाणी जी के लिये शब्द का प्रयोग किया था कि वे पाकिस्तान से आये हैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप पाइंट आफ आर्डर नियमों के अन्तर्गत उठा रहे हो ?

श्री नरपतसिंह राजवी : आप इतनी देर से किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे थे ? आसन की तो आप मानते नहीं हो। आप

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(१९७)

(श्री नरपतसिंह राजवी)

जैसे बुजुर्गों से तो कम से कम यह उम्मीद नहीं थी कि आप बीच-बीच में इस प्रकार से बोलते हो। आप बोलते हो और हम कभी (व्यवधान) माननीय आडवाणी जी को पाकिस्तान से आया हुआ बताएं कौन-से नियम दे-देकर बता दिया ? यह एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस नियम से बता दिया। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : मैं बिलकुल मानता हूं।

माननीय सदस्य : सोनिया इस देश की बेटी हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उनके परिवार की थीं .. (व्यवधान) उन्होंने इस देश के लिये कुर्बानी दी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एक्सपंज करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदया, यह एक्सपंज कराइये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : राजवी साहब, यह बता दीजिये क्या सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं हैं ?

श्री नरपतसिंह राजवी : नागरिक हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : तो फिर आप कैसे कहते हो कि वे विदेशी हैं ?

श्री नरपतसिंह राजवी : अगर ये कहें कि भारतीय नागरिक नहीं हैं तो मैं उठाऊंगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सोनिया गांधी के परिवार की तीन पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : तो फिर अपने लोगों को रोक दीजिये। (व्यवधान) उसके बाद में इनका कहिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप सोनिया गांधी जी के परिवार की क्या बराबरी करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : अगर आप सोनिया गांधी जी को .. (व्यवधान)

श्री सभापति : आप भी विराजिये। एक बार विराजें। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : कहीं भी भारत के नागरिक नहीं होने के बारे में कहा हो .. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें आप। आसन पैरों पर है, आप विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। कुछ भी अंकित नहीं हो। विराजें आप। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : xxx

श्री सभापति : बार-बार आप टोका-टाकी करते हैं। आपको एक बार कह

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति जारी)

दिया, जब आपकी बारी आएं तो फिर सारी चीजों का जवाब दे देना। वे बोलते हैं तो बोलने दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : xxx

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह कोई गाली है क्या ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदया, सोनिया गांधी के बारे में कोई अपशब्द नहीं सुनेंगे हम। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : बार-बार ये बयान कर रहे हैं कि सोनिया गांधी विदेशी हैं जबकि बी.जे.पी. के अध्यक्ष ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नारी का सम्मान करना ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अपनी हार से तिलमिलाकर ...(व्यवधान) हम कुछ भी नहीं सुनेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : बार-बार सोनियाजी का नाम ले रहे हैं ये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : इस बात के लिए बी.जे.पी. को क्षमा मांगनी पड़ेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हार के कारण से डर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सोनियाजी का भय बैठा हुआ है, सोनिया का डर बैठा हुआ है क्योंकि उन्होंने राजस्थान का भट्टा बैठा दिया, कहीं देश का भट्टा नहीं बैठा दें।

श्री सभापति : आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पर, नाराज क्यों होते हो फिर ? बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : ये विदेशी कह रहे हैं इस बात पर नाराज हो रहे हैं।

श्री सभापति : बैठिये आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप इनको डिफेण्ड क्यों कर रही हैं ? आप सभापति के आसन पर बैठी हुई हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सोनियाजी इस देश की नागरिक है और ये बार-बार यह कह रहे हैं कि सोनियाजी विदेशी नागरिक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की क्षमा मांगी है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ..... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। मुझे मेरी बात कहने दें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, यह धन्यवाद का समर्थन हो रहा है। आपके पास में अपने स्टेट के लिए कहने को कुछ बात नहीं है क्या जो आप ये + + + बातें बोल रहे हैं ?

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(195)

श्री सभापति : आप तो विराजे रहिये।

श्रीमती कमला : आपके नेता खुद कह चुके हैं। हां, हमारी गलती है अब क्या नयी बात उठा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : आपकी सीख मैं ले रहा हूं। कहीं दिक्कत नहीं है, आपकी सीख ले रहा हूं।

श्रीमती कमला : ..... और ये कह रही हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी हार गयी.....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपने पूरी बात नहीं सुनी है इसलिए आप अधूरी बात कह रही हैं। मैंने क्या कहा है, वह आपको मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह राजस्थान का.....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप जो हारे हैं वह आप जनता को कष्ट देकर हारे हैं। (व्यवधान) इसलिए आप हारे हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय सभापति महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे देश में जो बहुएं बाहर से आती हैं, बी.जे.पी. की बहुएं क्या घर में रहती हैं, आप बताओ ? (व्यवधान) ये बार- बार कहते हैं कि यह विदेशी महिला है, यह बात इनको कहने का राइट नहीं है। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : शैलेन्द्रजी कह रहे हैं कि सोनियाजी इस देश की बहू हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय नारी श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में एक भी शब्द हम नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : शैलेन्द्रजी, बहू तो गृह लक्ष्मी होती है। ये इन्दिराजी के परिवार में ऐसी गृह लक्ष्मी आयी हैं कि न तो इन्दिराजी रहीं और न राजीव जी रहे। .....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : .....(व्यवधान) हर स्वाभिमानी इसको देश का काला कलंक कहेगा। यह तीसरी गुलामी अगर इस देश की प्रारम्भ होती है तो इस कांग्रेस का.....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपके पास सिवाय इन + + + बातों को बोलने के और कोई बात ही नहीं रह गयी है। इस तरह की + + + कर रहे हैं, वे ऐसी आयी हैं और वैसी आयी हैं।

श्री सभापति : विराजो, माननीय सदस्या।...... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारे पास एक परिवार तो है जिसकी तीन पीढ़ियों ने कुर्बानी दी, आपके पास एक भी परिवार है क्या जिसने कुर्बानी दी हो ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इनको रोकिये आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदया,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

ये इस तरह से बोलेंगे तो हम इनको बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह कोई तरीका है बोलने का, कि ऐसी आयी है कि इन्दिराजी नहीं रहीं, राजीवजी नहीं रहे ? आपने इस देश को, प्रदेश को बरबाद करके रख दिया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सोनिया गांधी के बारे में हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। वे स्वदेशी महिला हैं उनके परिवार की तीन पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है। (व्यवधान) एक ही परिवार के तीन लोगों ने कुर्बानी दी है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय कमलाजी ने गलत कहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बी.जे.पी. के पास तो एक भी ऐसा परिवार नहीं जिसके एक + + + ने भी कोई कुर्बानी दी हो। हमारे पास सोनिया गांधी का परिवार है जिसकी तीन पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है इस देश के लिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपके नेता अंग्रेजों से माफी मांगने वाले और आपके आर.एस.एस. वाले अंग्रेजों के गुलाम बने और आप वकालत करते हो उन नेताओं की, आपको + + + आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सोनिया गांधी इस राष्ट्र का सम्मान हैं, नारी का सम्मान हैं, भारत का सम्मान हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : पूरी एक्सपंच करिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : माफी मांगी है आपके नेताओं ने। जेल से बचने के लिये अंग्रेजों से माफी मांगी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस देश को आजादी दिलाने वाले परिवार की महिला हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : अटल बिहारीजी ने कैसे गवाही दी थी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वह काला दिवस है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : + + + जो गांधीजी की चर्चा कर रहे हैं। + + + देश जो आजाद कराने वालों को मारा। ...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी पार्टी का समय आ रहा है। आपकी बारी आए तब बोलना, विराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : भारतीय नागरिक श्रीमान एल.के. आडवाणी ...(व्यवधान) वे यहां बैठकर + + + करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : + + + शब्द को एक्सपंज किया जाए।

श्री किशन गोपाल कोगटा : + + + शब्द को एक्सपंज किया जाए।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(198)

श्री सभापति : यह नोट नहीं किया जाए।

श्री टीकमचन्द कान्त : एक्सपंज कर दिया।

श्रीमती कमला : हमने बहुत कहा कि यह +++ शब्द गलत है। एक्सपंज नहीं किया उन्होंने। हम बोले तो एक्सपंज करो।

श्री सभापति : नोट नहीं किया जाए, बिलकुल नोट नहीं किया जाए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनसे माफी मंगवायी जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : वह काला दिवस होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : असंसदीय भाषा नोट नहीं होगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक परिवार के तीन लोगों ने ही कुर्बानी दी है इसलिए हम कुछ भी नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति : बहुत देर हो गयी आपको बोलते-बोलते, विराजें आप। आपकी बारी आएगी तब बोलना।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने बिलकुल ठीक कहा है। (व्यवधान)... हम आपसे यही निवदेन करना चाहते हैं कि सोनिया गांधी को विदेशी बताया है उसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं, लोकतन्त्र के उन हामी, कांग्रेस के उन वरिष्ठ लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में जितनी भी...(व्यवधान) अनर्गल बातें कही गयी हैं ...

श्री सभापति : असंसदीय भाषा का प्रयोग कोई भी माननीय सदस्य करेंगे तो यहां से एक्सपंज होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो करवाइये आप उनकी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदया, आपको भारतीय नारी की गरिमा रखनी चाहिए।

श्री सभापति : आप विराज जाइये, आप बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं। आपको एक बार कह दिया कि आपकी पार्टी का समय आ रहा है, आपकी बारी आ रही है, आप सारा जवाब दे दीजिये, आपके पास जवाब है।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम यहां पर +++ बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। यह सर्वोच्च सदन है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारा टाइम आ रहा है वह तो हमें भी मालूम है। आप लोग जा रहे हैं यह भी मालूम है।

श्री सभापति : आप तो वरिष्ठ सदस्य

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

हैं आपको तो इनको कन्ट्रोल में रखना चाहिए, आप स्वयं बोल रहे हैं बार-बार।

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों का खयाल रख कर ही बोलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : मैंने कोई व्यक्तिगत उन पर आरोप नहीं लगाया। मैंने तो कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि विदेशियों को बाहर भेजने वाली कांग्रेस इन विदेशियों को....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + कभी उस शासन को रोक पाओ ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : वे भारतीय नारी हैं। एक भारतीय हिन्दू नारी के बारे में....

श्री टीकमचन्द कान्त : मान्यता से विदेशी मूलता खतम नहीं होती।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : भाटी साहब, रोकिये इनको। ये प्रोवोक हमको कर रहे हैं, इस गवर्नर एड्रैस में, स्पीच में। यह लेवल है गवर्नर एड्रेस में स्पीच का आपका।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सोनियाजी के अलावा कुछ आता है आपको ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात पर आइये। आप अभिभाषण पर ही बोलिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : + + + ...(व्यवधान).... शर्म आनी चाहिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय नारी के बारे में अमर्यादित आचरण और अमर्यादित अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए इस सदन में।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अंग्रेजों के सामने सिर झुका दिया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मदर टेरेसा....(व्यवधान)....

श्री टीकमचन्द कान्त : गली-गली घूमकर इस भारतीयता को बचाएंगे। विदेशी मूल के लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : + + +

श्रीमती कमला : जिसे आप विदेशी महिला कह रहे हैं उसके परिवार की तीन-तीन पीढ़ियों ने देश के लिये बलिदान किया है और जिसे आप सिर पर बैठा रहे हैं + + + (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदया, इनको थोड़ी लाज तो आए, थोड़ी शर्म तो आए.(व्यवधान)..

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक बार रोम राज्य कहा तो पांच सीटें आयीं और दुबारा कहोगे तो जीरो सीट आएगी।

श्री टीकमचन्द कान्त : कई वर्षों के बाद में आन्तरिक चुनाव हुए कांग्रेस के, सीताराम केसरी बैठे अध्यक्ष बनकर (व्यवधान).. और तब एक ही झटके में उठा करके उस + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : अब आपको चिन्ता क्यों हो रही है ? बैठ जाइये, आप अपनी बात कहिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : उस बियासी वर्ष के वृद्ध को...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : और अटलबिहारीजी के विदेशों में जो सम्बन्ध हैं उनके बारे में क्या कहना है ? हां, जो सम्बन्ध हैं वे हम बताएंगे। वे बैचलरहुड के सम्बन्ध हैं। जिस प्रकार के ...(व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष बनाया है उनको। (व्यवधान).

श्री सभापति : झगड़ा मत करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसमें झगड़े की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : नारी का तो सम्मान होना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : झगड़ा मत करो ...(व्यवधान) इटली को हिन्दुस्तान में मिला लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्रीमती कमला : देश की जनता ने सोनियाजी को नेता माना है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : + + + और कोई प्रधानमंत्री बनाने लायक मिला नहीं आपको ?

श्री नन्दलाल मीणा : सोनियाजी के अलावा आपको भी कोई नहीं मिला।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मदर टेरेसा हैं, जिनको भारत रत्न दिया है, वे कहां जाइ-जन्मी हैं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हिन्दुस्तान की महान नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं। इस देश की बहू हैं, उनके परिवार ने कुर्बानी दी है। (व्यवधान) और आप बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जिसने इस देश की नागरिकता ले ली। आडवाणीजी बाहर के हैं नागरिकता ले ली, इस देश के हो गये। आज ये क्या बात कह रहे हो समझदार होकर ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : ...और वह मायके जाएगी, आप देखते रह जाओगे। विदेशी, विदेशी ही रहेगी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : रामस्वरूप जी, आप क्या बोलते हो ? + + + (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सोनिया गांधी आयीं, आप साफ हो गये राजस्थान में और उसकी तकलीफ आप इतनी बड़ी महसूस कर रहे हो। थोड़ा तो धैर्य रखो, थोड़ी तो हिम्मत रखो। थोड़ा साहस जुटाओ हिम्मत से, बौखला क्यों गये हो ? सोनिया, सोनिया, सोनिया, हौवा चढ़ा रखा है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री टीकमचन्द कान्त : सोनिया नहीं, विदेश आपका मुझे दिख रहा है। विदेशी तक जम रहे हैं, इसकी बौखलाहट है। विदेशी पांव जम रहे हैं, हमें यह लड़ाई लड़नी है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ये भय से हो जाएंगे + + +

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आ गये हो, आप सोनिया की गुड बुक में आ रहे हो। लक्ष्मण सिंह जी, सोनिया की गुड बुक में आ गये हो आप। आप चिन्ता ही मत करो, आपकी उन्नति हो जाएगी सोनिया की गुड बुक में आ गये हैं अब।

श्रीमती कमला : हमको खुशी है कि आप सोनिया का नाम जपे जा रहे हो। दो महीने चुनाव में भी जपा और अब और जपो। आपके पास अब कोई नाम ही नहीं है लेने को, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलते जाओ। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भाषण तो छोड़ दिया और सोनिया-सोनिया करने लग गये।

(17.30)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, सोनिया गांधी का प्रकरण समाप्त नहीं होगा...(व्यवधान) लेकिन यह प्रकरण देश से समाप्त नहीं होगा...

श्री रामनारायण चौधरी : सोनिया गांधी नहीं यह दूसरी इन्दिरा गांधी है। "सोनिया गांधी आगे बढ़ो देश तुम्हारे साथ है"।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया विराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें एक मिनट। एक मिनट विराजें। जब आसन पैरों पर हो पाइंट आफ आर्डर नहीं होता। आसन पैरों पर है, आप विराजें। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं, जो कोई माननीय वरिष्ठ नेता इस सदन का सदस्य न हो उसका नाम न लिया जाए।

श्री टीकमचन्द कान्त : ...(व्यवधान) कृपया आप अब व्यवधान न डालें। आप व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर आ गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के लिये तो धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं मेरी पार्टी के उप नेता को अर्ज करना चाहता हूं। हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी 8 तारीख को और काफी हममें से थे मैं भी उसमें एक था, जिन्होंने कहा कि बीजेपी. की राजस्थान में जो पराजय हुई है उस मुद्दे को पुरजोर शब्दों में उठाना चाहिये...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

202

श्री उपाध्यक्ष : यह पार्टी की बात यहां सदन में ला रहे हैं आप, माननीय सदस्य। यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह आपकी पार्टी का, आपका, आपके उप नेता का मामला है इसलिये सदन का मामला नहीं है। मैं इस पाइंट आफ आर्डर को रिजैक्ट करता हूं, रिजैक्ट।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं आ रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता महोदय ने कहा था कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को शालीनता बरतनी चाहिये। अब मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको निवेदन कर दिया, इसको रिजैक्ट कर दिया। अब इस पर कहने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेहरबानी करके..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे विवश होकर यह कहना पड़ेगा कि अंकित न हो, इसलिए आप विराज जाएं। कृपया विराजें, भाटी साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं अर्ज कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा। अंकित होने काबिल नहीं होगा तो उसको हटा दूंगा, देख लूंगा। कृपया अब आप विराजें। व्यवस्था हो चुकी।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी के लोगों से भी थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। यह बात सत्य है कि इस बार वोटों का प्रतिशत बढ़ा है लेकिन पिछली बार आपको जो वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जो वोट मिले थे, उन वोटों में कमी नहीं आयी, उसकी संख्या में कमी नहीं आयी....

श्री रामनारायण चौधरी : क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा है इसको गंभीरता से लीजिये आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : वोट गिरने का प्रतिशत बढ़ा है और वह बढ़ा हुआ प्रतिशत बेशक कांग्रेस ले गयी। बढ़ा हुआ प्रतिशत कांग्रेस ले गयी। अगर यह प्रतिशत नहीं बढ़ता तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बिलकुल यह विश्वास दिलवाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 18 नहीं 20 सीटें लेती।

श्री रामनारायण चौधरी : वोट क्यों पड़ने दिये ? रोक देते।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, 1996 के अन्दर इसी लोक सभा के चुनावों में हमने 54 लाख 94 हजार 459 वोट प्राप्त किये थे। एक बार आप समझे इस चीज को। आप जो कह रहे हैं,

---

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

अगर पिछली बार से वोट हमको कम मिले होते तो हम यह मानते कि हमारा जनाधार घट गया है___

श्रीमती कमला : तसल्ली के लिये खयाल अच्छा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : लेकिन इस बार वोट मिले हैं 73 लाख 52 हजार 213, यानि करीबन-करीबन नौ, दस लाख वोट हमें ज्यादा मिले हैं।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : रिजल्ट क्या रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे लगता है सदन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर गंभीर नहीं है। कृपया आप बैठे-बैठे न बोलें।

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत गंभीर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य, आसन जब पैरों पर है उसका ध्यान रखें आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : हो सकता है कांग्रेस ने जगह-जगह घूम-घूम कर माफी मांगी हो कि हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमारे भ्रष्टाचारों को क्षमा करो, हमारे द्वारा किये हुए कुकृत्यों को समाप्त करो, हम इस बार पूर्णतः मिट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, दया करके हमको एक बार कहीं जीने का मौका दो। शायद राजस्थान के अन्दर उन्होंने बहुत जबर्दस्त मांग की। माफी के आधार पर इस प्लेटफार्म पर खड़े होकर इन्होंने वोट लेने की कोशिश की। वोट इनको मिले लेकिन हमें भी 9 लाख वोट पिछली बार से ज्यादा मिले हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान अंकित न हो। व्यवधान अंकित नहीं होगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा किया हुआ विकास राजस्थान जहां ग्याहरवें नम्बर पर बैठा हुआ था पन्द्रह बड़े राज्यों की कतार के अन्दर, आज राजस्थान छठे नम्बर पर आया हुआ है। विकास के मामले में पांचवें नम्बर पर। उन बढ़े हुए नौ लाख वोटों ने यह प्रमाणित किया है कि तुम्हारे किये___

श्री राजेन्द्र चौधरी : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : गये विकास को हम सर्टिफाई करते हैं। विकास जो किया है उसको हम स्वीकार करते हैं। राजस्थान की जनता ने इतने बड़े वोट देकर हमें___(व्यवधान)___

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया आसन की तरफ देख कर बोले, आसन की तरफ। माननीय टीकम चन्दजी, मैंने क्या कहा अभी, सुना आपने ? आप आसन की तरफ देखकर ही बोले।

श्री टीकमचन्द कान्त : आसन की तरफ देखकर ही बोल रहा हूं। मैंने कहा, ज्यादा

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

आंख नहीं मिलनी चाहिये, इसीलिये घुमाता रहता था।

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस अभी जो बातें कर रही थी केन्द्र के अन्दर सरकार बनाने की। उस संयुक्त मोर्चा से समर्थन वापस लिया जो संयुक्त मोर्चा अपनी सीटें बचाकर एकदम कम हो गया। जिस समय गये थे, 1996 में वे उस समय लोक सभा में थे उनके पास में वोट 28.8 प्रतिशत और कांग्रेस जब जीत कर आयी है तो वही 140 के 140 और वोट उसको मिले हैं 25.4 प्रतिशत। 3.4 प्रतिशत का घाटा कांग्रेस को हुआ है, यह समझ लें।

श्रीमती कमला : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : हमारा तो 36 से ऊपर चला गया आंकड़ा और आपके अगर अकेली भाजपा हो तो 25 पर आपकी बराबरी कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच-बीच में व्यवधान न हो। मैंने आपसे निवेदन किया, आप आसन की तरफ देखें।

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : यह तो करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टी हैं, आलोचना तो होगी, करेंगे। यह तो होगा। इससे नकारा थोड़े ही जा सकता है। यह भी क्या सिद्धान्तहीनता, कितनी नीतिविहीन बातें, कि आज वे ही वापस कह रहे हैं कि हम तो केन्द्र में सरकार बनाएंगे। यह तो अच्छा हुआ कि तेलुगुदेशम् पार्टी ने कह दिया कि हमारा दुश्मन नम्बर एक जो है, वह कांग्रेस है इसलिये हम इसके साथ नहीं आएंगे। बाकी तो ये पांव पटक रहे थे, कितनी जल्दी हाथों के अन्दर सत्ता लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री किशन गोपाल कोगटा : xxx

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : xxx

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : xxx

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री शैलेन्द्र जोशी : xxx

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री नाथूसिंह गुर्जर : xxx

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, कलकत्ते में तृणमूल कांग्रेस से भी पूछने गये थे। अब तो....

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : उसी तृणमूल कांग्रेस के लिये हमको कह रहे थे कि आपके साथ आ रही है। उससे पूछने क्यों गये थे ? उसने नकार दिया।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री टीकमचन्द कान्त : कमलनाथ जी ने यह कहा था कि जयललिता जी के और हमारे पुराने सम्बन्ध रह चुके हैं। हम अब भी रखना चाहते थे और अभी जो व्यवधान यह पड़ा है, शायद हम प्रयत्न करें तो हमारे साथ आ जाएं। उस समय जयललिता थी, अब वापस प्रहार कर रहे हैं आपके साथ नहीं मिल रही है तो।

श्रीमती कमला : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश को कांग्रेस ने जो देन दी है और नहीं तो विदेशी कंपनियों के हाथों में तो देश को बेच ही दिया है। डंकल प्रस्ताव और गैट समझौते से यह जो पेटेंट आ रहा उससे किसानों की क्या हालत होगी, आप नहीं जानते क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : समझौता आपने किया था ना।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : इंडिया की हल्दी, मिर्च, आंवला, बासमती पर भी पेटेंट ?

श्रीमती कमला : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों के कारण अभी कुछ दिनों पहले की बात है कुछ हजार फूल गुलाब के जो गये हुए थे—

श्री शैलेन्द्र जोशी : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : उनको रोक दिया गया। क्योंकि ये दूसरी कम्पनी के हैं और (व्यवधान) इनका पेटेंट किसी दूसरी कम्पनी का है। अमेरिका की राइसटेल कंपनी इस देश के बासमती चावल का पेटेंट करवा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : x x x

श्री शैलेन्द्र जोशी : x x x

श्री टीकमचन्द कान्त : अब मैं राजस्थान पर आ रहा हूं –

श्री राजेन्द्र पारीक : x x x

श्रीमती कमला : x x x

श्री राजेन्द्र पारीक : x x x

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ सदस्य, रामनारायण जी का जवाब दे दूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : x x x

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : x x x

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वर्ग का जिस प्रकार का उन्होंने कथन कहा है, यह मेरे और मेरे वर्ग का, मेरी अनुसूचित जाति—

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : +++ मैं बात कुछ और कह रहा हूं +++ कुछ और कह रहे हो।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलेपित की गयी।

श्रीमती कमला : xxx

श्री शैलेन्द्र जोशी : xxx

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे अनुसूचित जाति, जनजाति और सारे कमजोर वर्ग का अपमान समझता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री ओमप्रकाश शर्मा : xxx

श्री रामप्रताप कासनियां : xxx

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने हमको बोलना सिखाया यह आप पर भी लागू होता है, मेरे सारे विद्वान लोगों पर भी लागू होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा स्वाभिमान नहीं है। हम अपने आप में समाज के अंग नहीं हैं, कांग्रेस ने सिखाया। उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के आंदोलन को उठाकर देख लीजिए, डाक्टर अम्बेडकर यदि इस बात को नहीं उठाते, दलितों की बात का प्रतिनिधित्व डाक्टर अम्बेडकर नहीं करते गोलमेजों के अंदर जाकर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते.....

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र जी, मैं आपको नाम से पुकारता हूं। माननीय सदस्य, यदि बार-बार उठेंगे तो मुझे विवश होकर आपको सदन से बाहर करने के लिए आदेश देना पड़ेगा। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया बार-बार न उठें आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें डाक्टर अम्बेडकर का नाम अच्छा नहीं लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। हो गया व्यवधान।

श्री टीकमचन्द कान्त : क्योंकि ये तो चाहते थे कि कांग्रेस की गुलामी करे यह अनुसूचित जाति वर्ग/मानसिक गुलाम बनाकर रखा था। डाक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी।

श्री राजेन्द्र पारीक : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। हां, बोले।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीया सभापति जी विराजमान थीं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह व्यवस्था मैंने दे दी थी, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका दिया, इन्होंने बजाय भाजपा की उपलब्धियां गिनाने के जिस तरह से सदन में कांग्रेस की जो इतनी बड़ी संस्था है उसके बड़े लोगों के बारे में अपमानजनक बातें कहीं, सारा का सारा नतीजा उसी का कारण है।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था मैंने दे दी थी, माननीय सदस्य। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : यही तो वजह है कि बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं, वरना हम तो शांतिपूर्वक बैठकर बातें सुन रहे थे। व्यवस्था नहीं आप उनको ताड़ना दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। मुझे क्या करना चाहिये यह तो मैं सोचूंगा। आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस अपने दिमाग में से निकाल ले। मैं इस सदन से अनुसूचित जाति, जनजाति, दलितों को यह संदेश देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमें अभी तक भरमाये रखा है, कांग्रेस ने तुम्हें मानसिक गुलाम बनाये रखा है, तुम्हारे वोटों की खरीददार बनी। अगर तुम्हारी आज जो स्थिति है इस आरक्षण से लगाकर के आपकी ओर संविधान में जो ध्यान दिया गया है इस सबको अगर कोई कारण है तो डाक्टर अम्बेडकर हैं।

श्रीमती कमला : आपने दिया आरक्षण, कब दिया आरक्षण ? (व्यवधान) कब से अम्बेडकर आपके प्यारे हो गये ? गांधीजी इसके लिये संवाद किया, संघर्ष किया।

श्री टीकमचन्द कान्त : डाक्टर अम्बेडकर ने गांधीजी से भी...(व्यवधान) उनसे पूछो सैंट्रल हॉल में कितने दिनों तक आपने डाक्टर अम्बेडकर की तस्वीर नहीं लगाने दी।

श्री शंकरलाल अहारी : ...बात करने वाले...(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : ये तो डाक्टर अम्बेडकर से नफरत करते हैं।

श्रीमती कमला : कौन कहके गया है कि लगाने नहीं दी ?

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, हम आज जो कुछ भी हैं, ऐसे तो हम हिन्दू समाज का अंग हैं, हिन्दू समाज को बहुत पहले चेतना चाहिए था लेकिन मैं डाक्टर अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कृत्यों से सम्पूर्ण हिन्दू समाज को एक बनाए रखा और हिन्दू समाज के दलित अंग को भी आगे लाकर के आज की स्थिति में खड़ा किया। इसके लिए कांग्रेस को मैं कोई धन्यवाद नहीं दे सकता, वह डाक्टर अम्बेडकर का कृत्य है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री टीकमचन्द कान्त : हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दलितों को यह भी मालूम है कि पंचायतीराज के अंदर आरक्षण की बात करेंगे। मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान के अंदर पंचायतीराज के अंदर रिजर्वेशन देने वाला, उनको राजनीतिक स्थान और भागीदारी देने वाला अगर कोई प्रदेश है तो उस कानून को बनाने वाला पहला प्रदेश राजस्थान है और उसकी सरकार भाजपा की है। उसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को यहां यह आरक्षण देना प्रारम्भ किया है।

श्रीमती कमला : संविधान संशोधन कांग्रेस ने किया और संविधान की मजबूरी के कारण आपको वह एक्ट बनाना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया कमलाजी, आप काफी वरिष्ठ सदस्या हैं, आप बार-बार उठकर बोलती हैं और आसन की अवहेलना करती हैं बार-बार। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नियमों का पालन करें।

श्रीमती कमला : गलत बयानी करते हैं, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं तो कैसे सहन करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं देख रहा हूं, आप विराज जाएं। यह व्यवस्था मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। माननीय सदस्य, आप विराज जाएं।

श्री भगराज चौधरी : हम कैसे टालरेट करेंगे ? संविधान संशोधन करने में भाजपा ने बिल को गिराया था और उसी कारण से बिल गिरा था। सब तीन साल तक आपने उस कानून को लागू नहीं होने दिया क्योंकि संविधान संशोधन आपने पास नहीं होने दिया। आप ही की पार्टी ने राज्य सभा में उस बिल को गिराया था। इस बात का आपको खयाल करना चाहिए। बार-बार एक असत्य कहने से सत्य नहीं हो जाता है। राज्य सभा में संविधान का संशोधन आया था, आपकी पार्टी ने उसे गिराया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। यह व्यवस्था आसन करेगा, आप विराज जाएं।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने किस प्रकार से शिक्षा के लिए बजट समर्पित किया, जिस प्रकार से चिकित्सा के लिए बजट समर्पित किया, जिस प्रकार से पानी को बजट समर्पित किया, जिस प्रकार से अब दलितों के लिए बजट समर्पित किया, समाज कल्याण के द्वारा, समाज के कल्याण हेतु बजट समर्पित किया इसके कारण राजस्थान की भौतिक प्रगति भी आज दृष्टिगोचर होती है। यह बात सत्य भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, काश हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने नीति नहीं बनाई होती और जितनी सीटें हम बैठकर जीते हुए थे, ये सारी की सारी शर्तें उन्होंने हमारे वहां डाल दी होतीं तो इनका रिजल्ट यह नहीं आता। लेकिन उस नीति को इन्होंने बदनाम किया, इन्होंने यह नहीं सराहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस राजस्थान का समग्र विकास करना चाहती है, इस राजस्थान का सम्पूर्ण विकास करना चाहती है, वह कोई भेदभाव नहीं करती। राजस्थान की यह सरकार इसी आधार पर इस बार जब विधान सभा चुनावों के अंदर जाएगी तो वह आपसे अधिक मत प्राप्त करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

उपाध्यक्ष महोदय, सैटेलाइट सर्वे से साबित हो गया है कि हिन्दुस्तान के अंदर मात्र दो ही राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर वन

(श्री टीकमचन्द कान्त)

आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है। राजस्थान के अन्दर 464 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है।

श्री अमराराम (धोद) : वह आपके छुपने के लिए बढ़ा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : अन्य ऐसा कहीं नहीं हुआ, सिवाय कर्नाटक के। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसके माध्यम से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान हरा-भरा हो उसके लिए अनेक योजनाएं लीं। बाहर से, विदेश से भी हमको सहायता मिली। इसके अंदर कार्यान्वयन किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि 1976 में जो वन राज्य सूची में थे, वे समवर्ती सूची में चले गए। लेकिन 1980 के अंदर वन संरक्षण कानून लाया गया और जिस प्रकार का प्रतिबन्ध राज्यों पर प्रारम्भ हुआ –

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की बैठक का समय श्री टीकमचन्द कान्त के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय श्री टीकमचन्द कान्त के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, उसके कारण आदिवासी जो वनों में रहता था और रहता है वह जहां खेती करता है उसको अतिक्रमण मान लिया गया और हजारों मुकदमे उस पर हो गए। उसका पट्टा उसको नहीं मिला, वह आदिवासी कहां जाए? यह दया किसी को नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वे सारे के सारे मुकदमे-मामले, सारे के सारे प्रकरण केन्द्र सरकार को भेज कर मांग की कि इसके अंदर परिवर्तन किया जाए, सारी की सारी जमीन उनको दी जाए और उन्हें पट्टे दे दिए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के कुछ नियमों और कानूनों के कारण से भी हमको बाधाएं आई हैं। आदिवासी क्षेत्रों का कल्याण करने के लिए हमें कहीं अस्पताल नहीं बनाने दिए, कहीं सड़कें नहीं बनाने दीं, कहीं तार खींचने नहीं दिए, यह स्थिति आई। अभी का किस्सा, यहां तक कि खनन पट्टे 1980 से पूर्व दिए गए थे, उनकी संख्या 2144 के लगभग रही होगी और कानून अब लागू होता है। खनन कार्य से इस प्रांत को मिलने वाली रायल्टी और रोजगार सब काम ठप्प हो गया, सारा खनन कार्य बंद हो गया, खाने बंद हो गई। यह सरकार पूर्णतया पैरवी करके, लगातार उनसे सम्पर्क करके भी अभी तक मात्र 50

(श्री टीकमचन्द कान्त)

प्रतिशत खनन पट्टे वापस ला पाई है और खनन कार्य को प्रारम्भ करवा पाई है। सीमेण्ट के जो संयंत्र लग रहे हैं, औद्योगिक विकास इसका कारण है।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के कुछ नियमों के कारण ...(व्यवधान)... उम्मीद करता हूं कि यह नई केन्द्र सरकार राजस्थान के हितों की तरफ विशेष ध्यान देगी और ये सारे अटके हुए मामले निपटाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, पानी राज्य की कानून और व्यवस्था आदि की चर्चा आज काफी हो गई, अब मैं सदन के मूड को देखते हुए राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन में आकर अभिभाषण दिया है, धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हमने अमेंडमेंट दिए हैं इसलिए उनको मूव करने की इजाजत दी जाए। बोलने के लिए समय आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव तो मूव हो जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर), विभाजन संख्या 193 एवं श्री शिवनाथ सिंह, विभाजन संख्या 171, सदस्य विधान सभा, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : संशोधन तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इस पर बोलने का समय देंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : कल देंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : फिर कल ही मूव कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मूव तो कर दें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में निम्न शब्द जोड़े जाएं –

"किन्तु यह सभा प्रदेश में सरकार द्वारा जनता को पेयजल, बिजली व सड़कें पर्याप्त रूप से उपलब्ध न कराने पर दुःख भी प्रकट करती है।"

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं नीचे लिखे अनुसार अपना संशोधन पेश करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में निम्न शब्द जोड़े जाएं–

"किन्तु खेद है कि राज्य सरकार की विफलता को छुपाने के लिए सारा दोष केन्द्र सरकार पर डाला गया है।"

इस पर बोलने के लिए मुझे कल समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 17 मार्च, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.02 बजे मंगलवार ; 17 मार्च, 1998 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 50 का विवरण)

परिशिष्ट-(अ)

क्र.सं.	नाम माह	नाम थोक विक्रेता				
		प्रकाश आयल कं. दौसा	लल्लू प्रसाद जैन दौसा	मीणा ट्रेडिंग कं. लालसोट	उदयलाल महावीर प्रसाद जैन लालसोट	महेशचन्द एंड संस बांदीकुई
1	2	3	4	5	6	7
1.	फरवरी, 97	264	60	264	60	254
2.	मार्च, 97	264	60	264	60	264
3.	अप्रैल, 97	252	60	252	72	264
4.	मई, 97	252	60	252	72	262
5.	जून, 97	252	84	252	72	252
6.	जुलाई, 97	252	72	252	72	252
7.	अगस्त, 97	252	84	252	72	254
8.	सितम्बर, 97	252	72	252	72	254
9.	अक्टूबर, 97	252	72	252	72	252
10.	नवम्बर, 97	276	72	276	72	276
11.	दिसम्बर, 97	252	60	264	60	276
12.	जनवरी, 98	252	84	252	60	240

परिशिष्ट-(ब)

किस किस थोक विक्रेता के पास किस किस तहसील का थोक विक्रेता एवं स्टोरेज लाइसेंस है।

क्र.सं.	नाम थोक विक्रेता	नाम तहसील जहां का थोक विक्रेता है।	स्टोरेज लाइसेंस किस तहसील का है।
1	2	3	4
1.	मै. प्रकाश आयल कं. दौसा	दौसा	दौसा

1	2	3	4
2.	मै. मीणा ट्रेडिंग कं., लालसोट (आई.ओ.सी.)	लालसोट	लालसोट
3.	मै. महेश चन्द एण्ड संस, बांदीकुई (आई.ओ.सी.)	बसवा	बसवा
4.	मै. लल्लुप्रसाद जैन, दौसा (एच.पी.सी.)	दौसा	दौसा
5.	मै. उदयलाल महावीर प्रसाद जैन लालसोट (एच.पी.सी.)	लालसोट	लालसोट

क्र.सं.	नाम माह	नाम थोक विक्रेता			
		प्रकाश ऑयल कं. दौसा	महेश चन्द एण्ड सन्स बांदीकुई	लल्लू प्रसाद जैन दौसा	योग
1	2	3	4	5	6
1.	फरवरी, 97	96	108	–	204
2.	मार्च, 97	84	108	–	192
3.	अप्रेल, 97	84	108	–	192
4.	मई, 97	84	108	–	192
5.	जून, 97	84	108	–	192
6.	जुलाई, 97	84	108	–	192
7.	अगस्त, 97	84	108	–	192
8.	सितम्बर, 97	84	108	–	192
9.	अक्टूबर, 97	84	108	–	192
10.	नवम्बर, 97	96	108	–	204
11.	दिसम्बर, 97	84	120	–	204
12.	जनवरी, 98	84	96	6	186

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

नावां (नागौर) क्षेत्र के नमक उत्पादकों की समस्याएं

51. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के नावां क्षेत्र के नमक उत्पादकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिये विभाग से समय-समय पर मांग की है ? यदि हां, तो 1 अप्रेल, 1996 से लेकर अब तक कौन-कौन सी समस्याओं के लिये कब-कब मांग की गई ?

(2) उक्त समस्याओं के समाधान के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की तथा की गई कार्यवाही का क्या-क्या परिणाम रहा ?

(3) अब क्या-क्या समस्याएं शेष हैं और उसका निराकरण कब तक, किस प्रकार से किया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। नावां नमक उत्पादक संघ ने विभाग से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु निम्न प्रकार से ज्ञापन प्रस्तुत किया : –

क्र.सं.	ज्ञापन दिनांक	संघ का नाम	समस्याएं
1.	10.6.97	नावां नमक उत्पादक संघ, नावां	लवण क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु यथा-सड़क निर्माण, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, मुख्य सड़कों का विद्युतीकरण, प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं नमक लदान हेतु प्लेटफार्म का निर्माण।
2.	27.6.97	नावां नमक उत्पादक संघ, नावां	1. उपरोक्त वर्णित आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु।
3.	25.11.97		2. अनुदान वास्तविक लागत पर दिये जाने बाबत।

(उद्योग मंत्री)

क्र.सं.	ज्ञापन दिनांक	संघ का नाम	समस्याएं
4.	3.12.97	नावां नमक उत्पादक संघ, नावां	3. लवण भूमि की क्यारी कन्डेन्सरों को मशीनरी का हिस्सा माने जाने की बाबत।
5.	5.12.97		
6.	16.12.97		4. लवण क्षेत्र की लीज प्रथा को समाप्त किया जाना।
7.	24.12.97		
8.	6.1.98		5. छोटे उद्योग लगाये जाने हेतु एक बीघा जमीन तक रूपान्तरण की अनिवार्यता समाप्ति हेतु।
			6. बंद पड़ी नमक इकाइयों को अन्य इकाई से ब्राइन लाने पर कृषि की तरह छूट।
			7. विभिन्न राजकीय विभागों से होने वाली समस्याओं के निराकरण बाबत।
			8. ऋण चुकता करने के बाद भी राज. वित्त निगम द्वारा लीजडीड नहीं लौटाये जाने बाबत।
			9. नगरपालिका द्वारा आयोडीन पर ली जा रही चुंगी से मुक्ति।
			10. नमक उद्योगों से नावां नगरपालिका को चुंगी के रूप में हो रही आय को नमक उद्योग के विकास हेतु खर्च करने बाबत।

(उद्योग मंत्री)

क्र. सं	ज्ञापन दिनांक	संघ का नाम	समस्याएं
			11. सरकारी भूमि से ट्यूबवैल व रिजर्व वाटर व पानी भण्डारण हेतु राजकीय भूमि का आवंटन।
			12. नावां में यातायात सुविधा (रेल व बस) के विकास हेतु।
			13. राजकीय लवण भूमि पर अतिक्रमियों के प्रकरणों में हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

(2) नावां नमक उत्पादक संघ से प्राप्त विभिन्न ज्ञापनों में अंकित मुख्य समस्याओं के संबंध में निम्न कार्यवाही की गई : –

क्र.सं.	मुख्य समस्या	की गई कार्यवाही
1.	आधारभूत सुविधाएं यथा- सड़क निर्माण, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, विद्युतीकरण प्राथमिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना व नमक लदान हेतु प्लेटफार्म की व्यवस्था संबंधी समस्या।	नागौर जिले के लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर, नागौर की अध्यक्षता में आयुक्त उद्योग के आदेश दि. 6.5.97 द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में नमक उत्पादन संघों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 9.6.97 को जिला कलक्टर नागौर से प्राप्त दस्तावेजों में से राजास से जाब्दीनगर लवण क्षेत्र 6 किमी. लंबी सड़क निर्माण योजना पर 33.70 लाख रुपये व्यय करने की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 97-98 में ही जारी कर दी गई है। राज्य सरकार नवीं पंच वर्षीय योजना में राज्य के समस्त लवण क्षेत्रों में समुचित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का मानस रखती है। नागौर जिले के नावां नमक क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष 98-99 में राजास से जाब्दीनगर पर वित्त व्यवस्था, जाब्दीनगर लवण क्षेत्र पेयजल योजना, जाब्दीनगर से नावां सड़क निर्माण योजना, जाब्दीनगर से नावां सड़क पर विद्युतीकरण, नावां से मोहनपुरा सड़क निर्माण एवं

216

(उद्योग मंत्री)

क्र. सं.	मुख्य समस्या	की गई कार्यवाही
		जाब्दीनगर से गुढ़ा साल्ट सड़क निर्माण परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। नावां नमक क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, नागौर को प्रत्येक माह में एक दिवस का कैम्प नावां में आयोजित करने के निर्देश दि. 19.1.98 को जारी कर दिये गये हैं। नमक लदान की प्लेटफार्म की व्यवस्था के लिये संबंधित रेल मंडल से वांछित कार्यवाही के प्रयास किये जा रहे हैं। खाकड़की से नावां सड़क को सांभर साल्ट लि. की भूमि से निकलाने की सहमति हेतु विभाग के पत्र दि. 13.1.98 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, सांभर साल्ट्स को अनुरोध किया गया है तथा सहमति प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी हैं।
2.	वास्तविक लागत पर अनुदान दिये जाने हेतु।	जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक दि. 24.12.97 में इस बाबत निर्णय लिया जाकर राजस्थान वित्त निगम को कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये हैं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।
3.	लवण भूमि की क्यारी कन्डेन्सर को मशीनरी का हिस्सा माने जाने हेतु।	जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक दि. 24.12.97 में विचार-विमर्श उपरांत संघ को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लवण भूमि को मशीनरी मद में शामिल नहीं किया जा सकता है।
4.	लवण क्षेत्र की लीज प्रथा को समाप्त किये जाने हेतु।	संघ द्वारा कृषि से अकृषि रुपान्तरण नियम, 1961 के अंतर्गत रूपान्तरित एवं आबंटित भूमि के लीजधारकों से नये नियम (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन के लिये समपरिवर्तन नियम 1992) के अंतर्गत एक मुश्त राशि लेकर लीज प्रथा समाप्त किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है। किन्तु लवण उद्यमियों द्वारा प्रतिवर्ष भू-राजस्व एवं विकास शुल्क जमा कराने हेतु लवण निरीक्षक के चालान पास करने की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित लवण नियम 1996 में इकाइयों से एकमुश्त राशि जमा कराने का प्रावधान किया गया है।

(उद्योग मंत्री)

क्र. सं.	मुख्य समस्या	की गई कार्यवाही
5.	बंद पड़ी नमक इकाइयों को अन्य इकाइयों से ब्राइन लाने पर छूट एवं राजकीय भूमि से भूमि का आबंटन करना।	प्रथम दृष्टया संघ की इस मांग को विचार योग्य नहीं पाया गया है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाकर रिपोर्ट्स तैयार करवाई जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता होने पर ही पुनर्विचार किया जायेगा।
6.	ऋण चुकता करने के बाद भी राजस्थान वित्त निगम द्वारा लीजडीड नहीं लौटाने बाबत।	जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24.12.97 में जिला कलक्टर ने इस बाबत वित्त निगम के अधिकारियों को वांछित निर्देश प्रदान कर दिये हैं।
7.	नगरपालिका द्वारा आयोडीन नमक पर ली जा रही चुंगी बाबत।	जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक दि. 24.12.97 में नगरपालिका से विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नमक उत्पादक संघ की इस मांग पर पृथक से स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर निर्णय लिया जाना है जिसके लिए स्वायत्त शासन विभाग को अनुरोध किया जा रहा है।
8.	नमक उद्योगों से चुंगी के रूप में प्राप्त आय नगरपालिका द्वारा नमक उद्योगों के विकास हेतु खर्च करना।	दि. 24.12.97 की जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक में नगरपालिका नावां ने यह आश्वासन दिया कि नमक उद्योगों से प्राप्त चुंगी आय में से इस क्षेत्र में बिजली, पानी व सड़क मरम्मत पर अनुपातिक राशि व्यय की जायेगी।

218

(3) संघ द्वारा वर्तमान समस्याओं में से निम्न समस्याओं पर कार्यवाही शेष है, जिसका विवरण निम्न है : –

क्र.सं.	शेष समस्या	निराकरण की स्थिति
1.	राजकीय लवण भूमि पर अतिक्रमियों के प्रकरणों में हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	इस हेतु प्रस्ताव उद्योग विभाग द्वारा तैयार कर राजस्व विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं जहां पर परीक्षण पश्चात् विधि विभाग की सहमति से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जा सकेंगे।
2.	कृषि भूमि को लवण निर्माण हेतु अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु लंबित प्रकरणों का जिला कलक्टर स्तर पर त्वरित निस्तारण।	राजस्व विभाग से वांछित मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त जिला कलक्टर द्वारा लंबित रूपान्तरण के प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित किये जा रहे हैं।
3.	शहरी क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण हेतु प्रकरण नगरपालिका द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के उपरान्त 90 दिन में स्वतः ही रूपान्तरित समझे जाने बाबत।	जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक में राज्य सरकार को इस बाबत कार्यवाही करने हेतु लिखने का निर्णय लिया गया है।
4.	राजस्थान वित्त निगम का कार्यालय व खाता स्टेट बैंक, नावां में खोले जाने बाबत।	जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक दि. 24.12.97 में चर्चा उपरान्त प्रकरण पर निर्णय वित्त निगम मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।

ग्राम पंचायतों को भू-आवंटन अधिकार

52. **श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि में रिहायशी पट्टे देने के अधिकार दिये जा चुके हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिले के सिंचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को अभी तक प्रशासन द्वारा सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा नियोजित चक आबादी भूमि के नक्शे व प्लाट्स का मौके पर कब्जा व निशानदेही नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्व (उपनिवेशन) विभाग से संबंधित होने के कारण वहां से सूचना मंगाई जा रही है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि का चुकारा

53. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय योजनाओं की क्रियान्विति हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की एवज में क्षतिपूर्ति किये जाने के संबंध में कोई नियम निर्मित किए हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1997 तक किन-किन नियमों के तहत कितनी भूमि, कहां-कहां की अवाप्त की गयी तथा कितनी-कितनी राशि का चुकारा किन-किन को किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। आवासीय योजनाओं के लिए भूमि की अवाप्ति केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के तहत की जाती है। अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी धारा-4 की अधिसूचना के प्रकाशन तिथि की बाजारी दर से भूमि का अवार्ड घोषित कर मुआवजा का भुगतान करते हैं। जो हितधारी नकद मुआवजा नहीं चाहते वे राज्य सरकार की नीति के तहत अवाप्त भूमि के बदले 12% विकसित आवासीय भूखण्ड प्राप्त कर सकते हैं।

(2) 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1997 तक निम्न योजनाओं में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अवाप्त की गई। जिन-जिन को राशि का चुकारा किया गया उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	नाम योजना	बीघा-बिस्वा
वर्ष 1994		
1.	सांगानेर योजना-4	318-01
2.	सांगानेर योजना-4	185-18
3.	सांगानेर योजना-5	2060-18
4.	कुड़ी भगतासनी, जोधपुर	79-09
5.	कुड़ी भगतासनी, जोधपुर	400-11
वर्ष 1995		
6.	ग्राम सैंती, चित्तौड़गढ़ (द्वितीय)	195-06
7.	गढ़ी थोरियान, ब्यावर	391.11-15
8.	सांगानेर योजना छूटे हुये खसरा नम्बर	112.04
वर्ष 1996		
9.	जगतपुरा, रेल्वे लाइन के पास	1750-04
10.	अलवर नम्बर 1 एवं कीटोड़ा	253-02
11.	सांगानेर योजना छूटे हुये खसरा नम्बर	13-17

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजाखेड़ा की जनता के लिए परिवहन व्यवस्था

54. **श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि राजाखेड़ा आगार मार्ग पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अवैध बसों व जीपों के संचालन से अपनी सेवाएं पिछले वर्ष से बंद करने के कारण क्षेत्र की जनता को परिवहन की अत्यधिक असुविधा है ? यदि हां, तो राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से सरकार क्या योजना रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर बिना परमिट बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के चालन में गतिशीलता प्रदान करने के संबंध में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजाखेड़ा से आगरा एक अन्तरराज्यीय मार्ग है। जिसका 32 किलोमीटर भाग उत्तर प्रदेश क्षेत्र का एवं 7

(राज्य मंत्री, यातायात)

किलोमीटर भाग राजस्थान क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में इस मार्ग पर दो एकल परिचक्र संचालिकत किये जा रहे हैं तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के स्थानीय अधिकारियों की सहमति से वर्तमान में राजाखेड़ा से आगरा के बीच दैनिक चौदह एकल परिचक्रों का संचालन किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। यदि बिना परमिट के बसें चलती पाई जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को आठ अनुज्ञापत्र 16 एकल परिचक्र संचालित करने के लिए जारी हैं, इसके अलावा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दैनिक 8 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं, निगम की वाहनों पर वर्तमान में औसतन 54 प्रतिशत ही यात्री भार उपलब्ध हो रहा है।

विभाग को पोस्त-डोडा व शराब विक्रय से आय

55. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) आबकारी विभाग को वर्ष 1986-87 व 1996-97 में शराब व **पोस्त-डोडा आदि से पृथक-पृथक वर्षों में कुल कितनी आमदनी हुई ?**

(2) इतनी ज्यादा आय बढ़ने का क्या कारण है ?

(3) क्या शराबबन्दी के बारे में भी सरकार निर्णय लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) आबकारी विभाग को शराब व पोस्त-डोडा आदि से कुल आमदनी निम्नानुसार हुई : –

क्र.सं.	वर्ष	कुल आमदनी (राशि करोड़ रु. में)
1.	1986-87	100.65
2.	1996-97	784.56

(2) विभाग द्वारा शराब व पोस्त-डोडा व्यवसाय का संचालन ठेका पद्धति द्वारा किया जाता है। विभाग की आमदनी का मुख्य स्रोत ठेकों में प्राप्त एकाकी विशेषाधिकार राशि होती है। सामान्य मूल्य वृद्धि के कारण शराब व पोस्त-डोडा की कीमतों में वृद्धि के कारण अनुज्ञाधारियों द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली लगाई जाती है। परिणामस्वरूप आय में वृद्धि होती रही है। साथ ही विभाग के द्वारा प्रभावशाली निरोधात्मक कार्यवाही से अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अन्य राज्यों से मदिरा की अवैध अवाप्ति पर रोक लगाने से अधिकृत शराब के उठाव में वृद्धि के फलस्वरूप भी

(आबकारी मंत्री)

आय में सामान्य वृद्धि होती है। आमदनी में गत 10 वर्षों के दौरान हुई वृद्धि को असामान्य नहीं कहा जा सकता। आय में वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण कारण मुद्रास्फीति भी है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में शराबबन्दी करने पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत अधिक राजस्व हानि होने की सम्भावना है।

कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय

56. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने 250 की जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने गत तीन वर्षों में कहां-कहां प्राथमिक विद्यालय खोले हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के पास कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के 250 की आबादी वाले कुछ ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्थानीय लोगों अथवा जनप्रतिनिधियों की मांग आई हुई है? यदि हां, तो सरकार वहां प्राथमिक विद्यालय कब तक खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1995-96 में ऐसे विद्यालयविहीन राजस्व ग्राम जिनकी जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना में 250 से अधिक थी उनमें प्राथमिक विद्यालय खोले गये। वर्ष 1996-97 से विद्यालय विहीन ग्राम ढाणी, मजरे जिनकी जनसंख्या 300 से अधिक है एवं 3 किमी क्षेत्र में अन्य शिक्षण सुविधा न हो ऐसे ग्राम, ढाणी मजरे में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

गत तीन वर्षों में खोले गये प्राथमिक विद्यालय का विवरण निम्नानुसार है: –

वर्ष	
1995-96	1110
1996-97	435
1997-98	433

(2) पंचायत समिति, कुम्हेर में ऐसा कोई राजस्व गांव नहीं है जिसकी आबादी 250 की हो और उसमें विद्यालय नहीं हो। ग्राम तालफरा के निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है परन्तु इस गांव में माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कक्षाएं चल रही हैं तथा इस गांव में एक कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय भी

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

है। अतः इस ग्राम में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

पाली जिले के मजरो व ढाणियों में जी.एल. आर. का निर्माण

57. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994 से वर्ष 1998 में (अब तक) कई मजरों एवं ढाणियों में जी.एल. आर. निर्माण करवाये गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने जी.एल.आर. कितनी-कितनी क्षमता व कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से मजरों/गांवों/ढाणियों में बनवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त जी. एल. आर. के निर्माण के बाद कौन-कौन से जी.एल.आर पाइप लाइन से जोड़ दिये गये है ? क्या वास्तव में उन जी. एल. आर. से पानी उक्त ढाणियों एवं मजरों में पहुंच रहा है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष बचे जी. एल. आर. पाइप लाइन से कब तक जोड़ दिये जायेंगे व देरी के क्या-क्या कारण रहे ? क्या सरकार उन कारणों की जांच पड़ताल करवाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि विभागीय उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से रिजीड पी. वी. सी. पाइप के सप्लायर्स ने घटिया पाइप सप्लाई किये, समय पर पाइप सप्लाई नहीं किये एवं उनकी सांठ-गांठ के कारण राज्य की ग्रामीण जनता को पानी देरी से प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को चिह्नित करके उन्हें दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र में संदर्भित अवधि में निर्मित 35 भूतल जलाशयों की वांछित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) निर्मित जलाशयों में से 28 को पाइप लाइनों से जोड़ा जा चुका है, 22 स्थानों पर जलाशयों के माध्यम से तथा दो स्थानों पर पाइप लाइन पर सीधे ही नल लगाकर जलापूर्ति की जा रही है। शेष 4 जलाशयों की पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। विवरण प्रपत्र "अ" पर उपलब्ध है।

(3) शेष रहे 7 जलाशयों को आगामी 2-3 माह में जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हें जोड़े जाने में देरी पाइपों की उपलब्धता में देरी के कारण हुई।

(4) जी नहीं। मापदण्डों के अनुरूप पाली विधान सभा क्षेत्र में आपूर्ति नहीं किये गये पाइपों के संबंध में जांच की जाकर जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी एवं दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

224

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1994 से 1998 तक पाली विधान सभा क्षेत्र में निर्मित जी.एल.आर. का विवरण

क्र.सं.	गांव/ढाणी/मजरा का नाम	क्षमता (हजार लीटर)	बजट का प्रावधान	जलाशय की पाइप लाइन से जोड़ने की स्थिति	जलाशय से पेयजल आपूर्ति की स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	राईकों की ढाणी, सांगा	20	50,551/-	जोड़ दिया गया	आपूर्ति चालू	
2.	भीलों की ढाणी, कुलधाना	20	50,551/-	" " "	" "	
3.	छोटी ढाणी, सोनाई लाखां	20	50551/-	" " "	" "	
4.	रामपुरा की ढाणी, रामपुरा	35	77,692/-	" " "	" "	
5.	भाटों की ढाणी, कलाली	20	67,969/-	" " "	" "	
6.	खॉगडिया नाडा, डूंगरपुर	20	62,914/-	" " "	" "	
7.	नई आबादी, बिन्बा	20	67,872/-	" " "	" "	
8.	राईकों की ढाणी, आटन	20	67,217/-	" " "	" "	
9.	बेलदारों की ढाणी, सिणगारी	20	67,669/-	" " "	" "	

225

1	2	3	4	5	6	7
10.	भीलों का ढाणी, राणा	35	84,288/-	जोड़ दिया गया	आपूर्ति चालू	
11.	बिठू	60	27,921/-	" " "	" "	
12.	गढ़वाडा	100	96,800/-	" " "	" "	
13.	सारी की ढाणी, माण्डावास	20	49,921/-	" " "	" "	
14.	चोटिला	50	80,921/-	" " "	" "	
15.	साजी	20	49,421/-	" " "	" "	
16.	अणियारा नाडा, माण्डावास	25	79,000/-	" " "	" "	
17.	बिश्नोईयों की ढाणी, पाली	20	71,000/-	" " "	" "	
18.	राईकों की ढाणी, मोरिया	20	90,551/-	" " "	" "	

1	2	3	4	5	6	7
19.	धूला की ढाणी, सोवानिया	15	60,999/-	जोड़ दिया गया	आपूर्ति चालू	
20.	चावडो की ढाणी, रूपावास	10	33,355/-	" " "	" "	
21.	भालेलाव	20	55,112/-	" " "	" "	
22.	मूलियावास	50	107,600/-	" " "	" "	
23.	भाटों की ढाणी, दीवान्दी	20	68,694/-	" " "	आपूर्ति चालू नहीं	धोलेरिया स्रोत से तथा रोहट-पाती-दीवान के फिल्टर प्लांट से कम उत्पादन होने के कारण रोहट-पाती-दीवान योजना के उत्पादन 10 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ाने की योजना की स्वीकृति हो चुकी है, कार्य

1	2	3	4	5	6	7
						प्रगति पर है, 4/98 तक पूर्ण होने पर एक माह पश्चात् पहुंचा दिया जाना सम्भावित है।
24.	विश्नाईयों की ढाणी, मांडावास	25	68,000/-	जोड़ दिया गया	आपूर्ति चालू (पीएसपी)	
25.	विश्नोईयों की ढाणी, 1 नम्बली	20	70,424/-	" " "	" " (पीएसपी)	
26.	धुम्बला की ढाणी, निम्बली-पटेलान	15	69,000/-	" "	आपूर्ति चालू नहीं	धोलेरिया स्त्रोत से कम उत्पादन तथा भूरियासनी फिल्टर प्लांट पूर्ण क्षमता पर चलाने का कार्य प्रगति पर है। रोहट-पाती-दीवान का फिल्टर प्लांट से कम उत्पादन आग्मेंटेशन कार्य प्रगति पर है।

227

1	2	3	4	5	6	7
27.	विश्नोईयों की ढाणी, कलाली	15	69,521/-	जोड़ दिया गया	आपूर्ति चालू नहीं है	
28.	कालादन्त की ढाणी, सोवानिया	10	60,000/-	" " "	" " "	
29.	गिरधारी की ढाणी, धोलेरिया	25	79,521/-	नहीं जोड़ा गया	आपूर्ति चालू नहीं है	
30.	डण्डवाडा बागडिया	15	69,000/-	" " "	" " "	
31.	विश्नोईयों की ढाणी, खाण्डी	15	69,521/-	" " "	" " "	
32.	विश्नोईयों की ढाणी, निम्बली	20	75,000/-	" " "	" " "	
33.	बिठू की ढाणी, बिठू	10	63,101/-	" " "	" " "	
34.	खुण्डावास	50	104,305/-	" " "	" " "	
35.	भाटों की ढाणी, अरटिया	16	59,000/-	" " "	" " "	

बारां-अकलेरा-छबड़ा के मध्य निगम की संचालित बसें

58. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का आवगमन बारां से अकलेरा एवं बारां से छबड़ा के मध्य होता है ? यदि हां, तो कितनी बसों का ? समय सारिणी की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सालपुरा रेलवे स्टेशन से छीपाबड़ौद, हरनावदा शाहजी एवं अकलेरा के लिए पर्याप्त बसें रेल समयानुसार उपलब्ध रहती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में बारां से अकलेरा के मध्य 13 बस सेवाएं तथा बारां से छबड़ा के मध्य 4 बस सेवाएं संचालित हैं। इन बस सेवाओं की मार्गवार समय सारणी सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट -1)

(2) जी हां। सालपुरा रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली प्रायः सभी रेलगाड़ियों के यात्रियों को रेलवे स्टेशन से छीपाबड़ौद, हरनावदा ले जाने के लिए रेल समयानुसार पर्याप्त बसें उपलब्ध रहती हैं। रात्रि 00.45 बजे आने वाली 125 डाउन कोटा-भोपाल फास्ट पेसेंजर एवं रात्रि को ही 02.54 बजे आने वाली 1251 अप भोपाल-कोटा फास्ट पेसेंजर के यात्रियों के लिए बसें उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन गाड़ियों से बसों को पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलता।

परिशिष्ट -1

बारां से अकलेरा एवं बारां से छबड़ा के मध्य संचालित बस सेवाओं की समय सारणी

क्र.सं.	मार्ग	बारां से प्रस्थान समय
1.	बारां-छबड़ा-भोपाल	0600
2.	बारां-अकलेरा	0630
3.	बारां-छबड़ा-भोपाल	0800
4.	बारां-अकलेरा	0830
5.	बारां-अकलेरा	0930
6.	बारां-अकलेरा	1330
7.	बारां-अकलेरा	1530
8.	बारां-अकलेरा	1800

अकलेरा-से बारां एवं छबड़ा से बारां के मध्य संचालित बस सेवाओं की समय सारणी

1.	अकलेरा-बारां	0630
2.	अकलेरा-बारां	0730
3.	अकलेरा-बारां	0830
4.	अकलेरा-बारां	0900
5.	अकलेरा-बारां	1230
6.	अकलेरा-बारां	1430
7.	छबड़ा-बारां	1430 (भोपाल से)

230

8.	अकलेरा-बारां	1530
9.	छबड़ा-बारां	1630 (भोपाल से)

ग्राम जडीबा (जिला चूरू) हाथ करघों को देय सुविधाएं

59. **श्री किशनाराम नाई** (श्रीडूंगरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला चूरू की सुजानगढ़ तहसील के ग्राम जडीबा में हाथ करघों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं व कौन-कौनसी सुविधाएं और देने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. करघाघर योजना में 7 बुनकरों को 35,000 रु. की अनुदान सहायता सुलभ करवाई गई है।

2. राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन, जयपुर द्वारा बुनकरों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता रहा है एवं ग्राम जडीबा के बुनकरों द्वारा एकर्लिक तथा कैरमिलॉन, शॉल, खेस आदि का उत्पादन पूर्व वर्षो में किया गया है।

3. निगम द्वारा करघों के आधुनिकीकरण के तहत 15 बुनकरों को उन्नत किस्म हाथकरघे उपलब्ध करवा गये है। वर्ष 1996 में जडीबा के बनुकरों से उनके द्वारा उत्पादित वस्त्रों का क्रय भी नियम द्वारा प्रारम्भ किया गया है। अब तक 2.00 लाख रुपये के मूल्य के वस्त्रों के क्रय निगम द्वारा अपनी आवश्यकता को देखते हुए अपने स्तर पर विक्रय करने के लिए किया जा चुका है।

4. जनवरी, 98 से जडीबा के बुनकरों को सूत उपलब्ध कराने के लिए एक उप-आगार भी प्रारम्भ किया है। जिसके द्वारा निगम समय-समय पर स्थानीय बुनकरों के उत्पादन क्रय करने एवं स्थानीय उपभोक्ताओं को विक्रय करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस योजना में अब तक बुनकरों से एक लाख रुपये के वस्त्र क्रय किये जा चुके हैं एवं इस प्रक्रिया को नियमित रूप से लागू किया जा रहा है।

5. निगम द्वारा राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से स्वरोजगार के इच्छुक बुनकरों को 20 से 25 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध करवाये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि उनको नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध हो सके। इस ऋण से उत्पादित माल का क्रय निगम द्वारा किया जायेगा। इस योजना के तहत अब तक 40 बुनकरों के आवेदन-पत्र निगम को प्राप्त हो चुके हैं।

6. विकास आयुक्त, हाथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट पैकेज योजना के तहत भी एक योजना जिसकी लागत 46 लाख रुपये है, का परीक्षण कर

(उद्योग मंत्री)

भारत सरकार को भिजवाया जा रहा है। इस योजना के तहत सिन्थेटिक वूलन शॉल के उत्पादन के लिए 100 बुनकर परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

7. राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर द्वारा भारत सरकार की प्रोजेक्ट पैकेज योजना अन्तर्गत चूरू एवं बीकानेर जिले के बुनकरों को हाथकरघों के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में 750 बुनकर परिवारों हेतु 44.25 लाख रुपये की लागत वाली परियोजना स्वीकृत करवाई गई है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना क्रियान्वयन हेतु रुपये 13.50 लाख संघ को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। चूरू जिले में पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम माह मार्च, 1998 में प्रारम्भ किया जा रहा है। परियोजना अन्तर्गत हाथकरघा पर एक्रेलिक शॉल लेई का उत्पादन करवाया जाना है।

8. जडीबा क्षेत्र के बुनकरों के लिए रीको द्वारा भी एक सर्वे कर कलस्टर बनाया जा रहा है। जिसमें सभी बुनकरों को बसाया जाकर स्वरोजगार के साधन मुहैया करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

खैरवाड़ा के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

60. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो अध्यापक होने चाहिये ? यदि हां, तो पंचायत समिति खैरवाड़ा में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय है जहां पर एक ही अध्यापक कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विद्यालयों एवं छात्रों के अनुपात में अध्यापकों के पद सृजित नहीं है ? यदि नहीं, तो उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय है तथा उनमें अध्यापकों, छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची संलग्न है।

(2) यह सही है कि पंचायत समिति, खैरवाड़ा में छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों के पद सृजित नहीं हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

प्र.सं.	केन्द्र का नाम	प्राथमिक विद्यालय का नाम		छात्र संख्या
1	2	3		4
1.	कल्याणपुरा	प्रा.वि.	करेव	82
2.	"	"	कानपुर	61
3.	"	"	महाड़ा	103
4.	"	"	गुड़ा	56
5.	"	"	ओडा	57
6.	मूधर	"	परेडा "ब"	77

1	2	3	4
7.	भूधर	प्रा. वि. चोखड़ा बावसी	78
8.	भूथर	" निचला मगरा	129
9.	"	" धालिया	103
10.	जवास	" लाल	69
11.	"	" दामा तलाब	82
12.	"	" सागवाड़ा	104
13.	"	" कांकड़	62
14.	"	" नला पीपला	82
15.	"	" फटाला सामरेट	76
16.	"	" डबन	50
17.	कनबई	" लक्ष्मणपुरा	62
18.	"	" खड़गाया	80
19.	"	प्राथमिक विद्यालय मालिफला	80
20.	जुवारवा	प्राथमिक विद्यालय बोलासांटी	131
21.	"	" बुदरा	109
22.	"	" चिकली	59
23.	"	" बलिचा(ख)	77
24.	बावलवाड़ा	" काकरबरा	33
25.	"	" कातर	112
26.	"	" गराजा	41
27.	"	" उयावाड़ा	34
28.	"	" पाडलिया	55
29.	"	" महुडिया	40
30.	"	" राछा	30
31.	"	" रागावास	83
32.	उपला थूरिया	" सरेड़ी	75 सेवानिवृत्ति
33.	"	" खेरा	63 ""
34.	आडीवली	" भीलवाड़ा	27

1	2	3	4
35.	नयागांव	प्राथमिक विद्यालय इटवा	59 पदोन्नति
36.	गोहावाड़ा	" काटवी	127
37.	मगरा	" मगरा	97
38.	"	तिलड़ी प्राथमिक विद्यालय	77
39.	गोहावाड़ा	समलाई पानवा प्रावि.	33
40.	"	कटारा खेतरा प्रा. वि.	82
41.	"	ववाई प्राथमिक विद्यालय	57
42.	"	उमरा प्राथमिक विद्यालय	63

क्र.सं. प्रा.वि. का नाम	कार्यरत अध्यापकों की संख्या	छात्रों की संख्या	अनुपात से कम/अधिक अध्यापक संख्या
1 2	3	4	5
1. प्रावि. बरना	3	204	2
2. " माण्डावघोड़ी	3	150	1
3. " मुण्डावाडा	4	219	2
4. " उपेला माण्डवा	2	157	2
5. " उपला फला	5	262	2
6. " सीमावत	2	140	1
7. " नाल	3	147	1
8. " कालया बावसी	2	104	1
9. " बीलख	5	253	1
10. " सामदर	2	103	1
11. " ओडवास	4	259	2
12. " करजी	2	135	1
13. " कजोल	4	206	1
14. " कटैव	1	82	1
15. " महवाड़ा	2	107	1
16. " नीचली कटैव	2	146	1

234

1	2	3	4	5
17.	प्रा. वि. अमरपुरा	2	114	1
18.	" पहाड़ा	1	103	1
19.	" गुडा	1	56	1
20.	" घोलपुरा	2	152	2
21.	" दैवर	2	181	2
22.	" गमीनपुरा	2	166	2
23.	" ढेलाना	5	356	4
24.	" सोडा	1	57	1
25.	" अन्जलाइयां	2	100	1
26.	" खुझानेरी	4	210	1
27.	" बिलखाई	2	115	1
28.	" खोलावाड़ा	4	230	1
29.	" परेडा अ	4	235	1
30.	" परेडा ब	1	77	1
31.	" पोकडा बावसी	1	78	1
32.	" निचला मगरा	1	129	2
33.	" पालिया	1	103	2
34.	" जवास	5	229	1
35.	" जूथरी	5	211	1
36.	" सीमतेड	3	175	1
37.	" मणिभोर	2	118	2
38.	" माल	1	79	1
39.	" धामातलाब	1	82	1
40.	" सागवाड़ा	1	104	2
41.	" काकड़	1	62	1
42.	प्रा. वि. नला पीपला	1	82	1
43.	" फल्याला समरेट	1	76	1
44.	" डबन	1	50	1

1	2	3	4	5
45.	प्रा. वि. कनबई	5	251	1
46.	" अनेला	2	117	1
47.	" भाटडिया	2	105	1
48.	" मालीफलाब	2	73	1
49.	" लक्ष्मणपुरा	1	62	1
50.	" वाव	2	194	2
51.	" खरताया	1	80	1
52.	" मालीफला	2	80	1
53.	" भगोनपाड़ा	2	79	2
54.	" सूखापाड़ा	3	172	2
55.	" कीकड़ा डुंगरा	2	210	3
56.	" सूखा बावड़ी	2	105	1
57.	" कनबई	2	221	1
58.	" जुहुआरवा हु जुवारवा	4	151	1
59.	" पाटिया	2	125	1
60.	" मगोरपाड़ा	2	117	1
61.	" चांदरी	2	143	1
62.	" नेवल	2	119	1
63.	" भाणवा	2	136	1
64.	" लदूनिया	2	105	1
65.	" ऐड्डा	2	95	1
66.	" बलीचा अ	4	346	4
67.	" भोमलाटी	1	131	2
68.	" चीकली	1	69	1
69.	" भीलवाड़ा	1	79	1
70.	" थाना	5	282	1
71.	" चीकलवास	2	166	2
72.	" झडोला	2	105	1
73.	" बलाई	2	108	1

(236)

1	2	3	4	5
74.	प्रा. वि. मगरा	1	97	1
75.	" लीलड़ी	1	77	1
76.	" समला पानवा	1	35	1
77.	" कटारा केकड़ा	1	82	1
78.	" बवाई	1	57	1
79.	" ठमरा	1	63	1
80.	" भदरा	1	109	2
81.	" कीटवी	1	122	2

पृथ्वीराज योजना, जयपुर के भवनों का नियमन प्रकरण

61. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर को लागू किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां पूर्व में बसे हुए लोगों के मकानों का नियमन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या होगा।

उत्तर

(1) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सिन्धी कैम्प, जयपुर से संचालित निजी बसों पर रोक

62. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में दिल्ली तक यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में निरन्तर कमी हो रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यात्रियों की संख्या में निरन्तर कमी का कारण निजी बसों का सिंधी कैम्प के बाहर से संचालन है? यदि हां, तो सरकार इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। दिल्ली तक यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में निरन्तर कमी का

(राज्य मंत्री, यातायात)

मुख्य कारण दिल्ली जाने वाली सभी बसों का संचालन कश्मीरी गेट, बस अड्डा के स्थान पर दिल्ली सरकार द्वारा सराय कालेखां परिवर्तित किया जाना है तथापि जयपुर मे संविदा वाहनों के रूप में संचालित निजी बसों के पार्किंग स्थलों (जिनमें सिंधी कैम्प क्षेत्र भी शामिल है) एवं इनके संचालन को शहर के बाहरी स्थलों से आरम्भ करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक (सिटी), जयपुर को सदस्य मनोनीत किया गया है।

अलवर जिले के ग्रीन बैल्ट क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण

63. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या सरकार ग्रीन बैल्ट में उद्योग लगाने को प्राथमिकता देना उचिता मानती है? यदि नहीं, तो अलवर जिले के समस्त ग्रीन बैल्ट क्षेत्र एवं दूफली भूमि को उद्योगों के लिये क्यों अधिग्रहण कर रही है ?

(2) क्या सरकार किसान और उद्योगों के बीच में रीको की मध्यस्थता को खतम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्रों के लिये रीको द्वारा भूमि अवाप्त की जा रही है, वह ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में नहीं है।

(2) किसान और उद्योगों के बीच रीको द्वारा किसी तरह की मध्यस्थता नहीं की जाती है, जो उद्यमी किसानों से सीधे भूमि खरीदना चाहता है, वह खरीद सकता है।

"निलयम अपना घर योजना" में आवासों का आबंटन

64. **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए "निलयम अपना घर योजना" में आवास गृह आबंटन हेतु माह दिसम्बर, 1996 में आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे ? यदि हां, तो इसमें कितने-कितने आवास गृह कहां-कहां आबंटित किये जाने थे ?

(2) क्या यह सही है कि "निलयम अपना घर योजना" में विद्याधर नगर सैक्टर 4 कोड नं. 2747 एवं बढारना के आवास गृह आबंटित करने हेतु फरवरी, [illegible]97 में लाटरी निकाली गई ? यदि हां, तो कितने आवास गृहों के लिए लाटरी निकाली गई ? सफल आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त

(श्री मोतीलाल)

लाटरी में सफल आवेदकों को अभी तक भी प्राधिकारण की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो किन-किन को, कब-कब सूचना भिजवायी गई ?

(4) क्या उक्त योजना में सफल आवेदकों को आवास गृह आबंटित कर दिये गये है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए "निलयम अपना घर योजना" बक्शावाला योजना में 1660 आवास गृह, बढारना में 1570 आवास गृह, विद्याधर नगर सैक्टर 4 में 130 आवास गृह, नारदपुरा योजना में 600 आवास गृह आबंटित किये जाने थे।

(2) जी हां। विद्याधर नगर सैक्टर-4 में 130 आवास गृह एवं बढारना में 1570 आवास गृहों की लाटरी निकाली गई सूची संलग्न है।

(3) सफल आवेदकों को आबंटन करने एवं आबंटन पत्र जारी करने का कार्य आवास गृह पूर्ण होने पर किया जायेगा।

(4) सभी आवास गृहों का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है अतः आबंटन नहीं किये गये।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सूरतगढ़ नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों का नियुक्ति प्रकरण

65. **श्री जगतार सिंह कंग** (श्री करणपुर), **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) एवं **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़, नगरपालिका में 30 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु स्वीकृति निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 10-12-1996 को दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन नियुक्तियों में नगरपालिका को कोई दिशा निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(3) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका अध्यक्षा, सूरतगढ़ द्वारा इन दिशा निर्देशों व नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन करके मनमाने तरीके से यह नियुक्तियां की गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नियुक्तियों हेतु गठित साक्षात्कार कमेटी नगरपालिका प्रावधानों के अनुसार गठित की गई ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य थे ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस चयन कमेटी में जिलाधीश का प्रतिनिधि

(श्री जगतार सिंह कंग)

जानबूझकर नहीं रखा गया व अपने ग्रुप के नगरपालिका सदस्यों को नियम विरुद्ध इस कमेटी में रखा गया ? यदि हां, तो क्या इस नियम विरुद्ध गठित कमेटी द्वारा चयनित व्यक्तियों को अधिशासी अधिकारी द्वारा ड्यूटी में लेकर व नियमानुसार असहमति पत्र न भेजकर राज्य सरकार को अंधेरे में नहीं रखा ? यदि हां, तो अधिशासी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस प्रकरण की जांच की जा चुकी है जिसमें रिश्वत का आरोप निराधार पाया है। नियुक्ति प्रक्रिया में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए अध्यक्षा को भविष्य में नियमों की पूर्ण पालना करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(4) जी हां। साक्षात्कार हेतु गठित कमेटी में निम्नांकित सदस्य थे : –

1. श्रीमती आरती शर्मा	**अध्यक्षा**
2. श्री मनीराम सुथार	**सदस्य-सचिव**
3. श्री सत्यनारायण छीपा	**सदस्य**
4. श्री गंगाजल जाखड़	**सदस्य**
5. श्री मुरलीधर उपाध्याय	**सदस्य**
6. श्री नगेन्द्र सिंह	**सदस्य**

(5) जी नहीं। नगरपालिका अधिनियम, 1959 एवं नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमों के प्रावधान अनुसार सफाई कर्मचारी की नियुक्ति अधिकारी अध्यक्ष स्वयं हैं। अतः नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा ही नियुक्ति की कार्यवाही की गई है। इसलिए अधिशासी अधिकारी द्वारा चयनित सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेने के बारे में असहमति टिप्पणी नहीं भेज कर राज्य सरकार को अंधेरे में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

सं. पं. (ग) (कार्मिक/ एसएमई/ डीएलबी/ 944194 जयपुर, दिनांकः 10.12.96

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,

नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, (समस्त)

राजस्थान, सूरतगढ़।

240

आदेश

नगर निगम/परिषद/पालिका द्वारा कुल 30 सफाई कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति राज्य सरकार से पत्र क्रमांक .... दिनांक ....द्वारा चाही गई है। राज्य सरकार उक्त पत्र के सम्बन्ध में वर्ष 1981 के स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत/अतिरिक्त नगरपालिका में 30 (तीस) में सफाई कर्मी नियुक्त करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करती है। यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन रहेगी: –

(1) यह कि नगरपालिका के बजट में इन पदों का प्रावधान होने पर ही इन की नियुक्ति हो सकेगी।

(2) यह कि नियुक्तियां करने से पूर्व पालिका अपने समस्त वित्तीय दायित्वों, जिनमें कर्मचारियों के पी.एफ., ग्रेच्युटी, उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार देनदारियों के भुगतान के संसाधनों को सुनिश्चित अपने स्तर से करेगी एवं राज्य सरकार इन तत्वों के सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं मांगने हेतु वांछित रखेगी।

(3) यह कि एक पीठ याचिका 1713/92 श्री प्रभु एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 21.10.92 के निर्देशों की नियुक्ति हेतु पूर्ण पालना करेंगे एवं नियुक्तियां राजस्थान नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 1964 के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना की जायेगी।

निणर्य के लिए निर्देशित बिन्दु निम्नांकित है जिनकी पालना नियुक्ति में की जावें।

1. Advertisement should be issued in the two local News-papers (Hindi) advertising the post and in the advertisement it self the proforma for application shall be given so that the question of obtaining any application form from the respondents or from the union is eleminated;

2. The said/advertisement shall also be pasted on the Notice Board of all the form zores as well as the Head Office of the Jaipuar Municipal council. The advertisement shall require that the application has to be accomparied with demand draft of Rs.5/- or Rs. 10/- of any Bank:

3. The Municipal Council shall constitute a committee which shall have a personel interviews and in respect of eligible candidates, lebeary could be drawn;

4. Preference should be given to the persons for whom the guidelines have been issued by the Government and is any case the following should be kept in views :-

(a) Persons who have completed 240 days in a calender year;

(b) Persons, who are at the maximum age permissible for selection;

(c) one member from one family should be made eligible and if there is already employment to one of the members then preference should be given to such persons from whose family there is on person in employment;

(d) persons must be of sound health and mind;

(e) the weard of an employee who has expired;

(f) experience in the service of Jaipur Municipality of a person who has given satisfactory performance, according to length of service performed;

Sd/-

स्वायत्त शासन विभाग

सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों को औषधि सुविधाएं

66. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों और उनकी पत्नियों को केवल अंग्रेजी दवाइयां ही निःशुल्क दी जाती हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि दवाइयां नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंग्रेजी दवाइयों के साथ-साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाइयां भी निःशुल्क देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि की दवाइयां निःशुल्क प्राप्त करने की सुविधा का विकल्प दिये जाने का भी राज्य सरकार का मानस है, जिसके आदेश शीघ्र प्रसारित किए जायेंगे।

(2) उपरोक्तानुसार।

पंचायत समिति, हिण्डौन के प्राथमिक विद्यालय

67. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) पंचायत समिति, हिण्डौन में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उक्त विद्यालयों में छात्र-छात्रा व अध्यापकों की कितनी-कितनी संख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(242)

(श्री कमल)

(2) क्या यह सही है कि समस्त विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या छात्र संख्या के अनुपात में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने बालिका विद्यालय हैं जहां पर पुरुष अध्यापक कार्यरत हैं ?

(4) उक्त अव्यवस्था के लिये कौन उत्तरदायी है तथा सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, हिण्डौन में 125 प्राथमिक विद्यालय हैं। उक्त विद्यालयों में छात्र/छात्रा व अध्यापकों की संख्या संलग्न प्राथमिक विद्यालय की सूची में अंकित कर दी गई है।

(2) प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की संख्या छात्र अनुपात में नहीं है। अध्यापकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध के कारण 4 शालाओं में अध्यापक अधिक हैं। स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध हटने पर अध्यापकों की संख्या छात्र अनुपात में कर दी जायेगी।

(3) प्राथमिक शाला के स्तर पर बालक/बालिका में अन्तर समाप्त कर दिया है। अब सभी प्राथमिक विद्यालय सामान्य विद्यालय हैं।

(4) छात्र/छात्रा का अन्तर समाप्त करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

पंचायत समिति हिण्डौन (करौली) के अधीनस्थ राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की सूची मय नामांकन एवं अध्यापक संख्या

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कुल नामांकन	कार्यरत अध्यापकों की वि.वि.
1	2	3	4
1.	प्रा.वि. झारेडा	204	5
2.	" " कन्या शाला झारेडा	72	1
3.	" " काडूका पुरा	147	3
4.	" " खेडीघाटम	69	3
5.	" " खेडीशीश	194	3
6.	" " सिकरोदा मीना	371	7
7	" " सिकरौदा जटट	97	2
8	" " जहानाबाद	157	3

1	2	3	4
9.	प्रा. वि. विनेगा	142	3
10.	" " जाटवबस्ती बरगमा	74	2
11.	" " जाटवबस्ती अलीपुरा	45	2
12.	" " गढीयनबेडा	101	2
13.	" " सिकन्दरपुर	110	2
14.	" " हरिनगर	147	4
15.	" " गढीमौसमाबाद	112	3
16.	" " फाजिलाबाद	72	2
17.	" " कैलाशनगर	119	2
18.	" " गोपीपुर	88	2
19.	" " महुइब्राहीमपुर	216	7
20.	" " गुढामेल	53	2
21.	" " सीतापुर	117	2
22.	" " चॅदीला	110	2
23.	" " पटटीनारायणपुर	70	2
24.	" " पंडाकापुरा	89	2
25.	" " खेरली गुर्जर	237	5
26.	" " नई बस्ती खेरली गुर्जर	62	2
27.	" " हरयान की ढाणी	14	2
28.	राप्रावि. करई	179	4
29.	" " चुराली	131	2
30.	" " अटकोली	114	2
31.	" कल्याणपुरा	36	1
32.	राप्रावि. बाजनाकला	273	7
33.	राप्रावि. झण्डूका पुरा	49	3
34.	" " बददी पुरा	54	2
35.	" " एकोलासी	182	3
36.	" " बेडाबनकी	155	4
37.	" " गेदूका पुरा	145	3

244

1	2	3	4
38.	रा. प्रा. वि. लोंगटी पुरा	88	2
39.	" " बूरौठ नं. 2	115	4
40.	" " जटवाडा	387	5
41.	" " सोनपाल का पुरा	75	2
42.	" " तहारपुर	140	3
43.	" " बंजारों का पूरा	80	2
44.	" " कन्या सूरौठ	153	2
45.	" " विजयपुरा	227	5
46.	" " धंधावली	155	4
47.	" " दुर्गेसी	95	2
48.	" " ब्राहमणों का नगला	103	3
49.	रा.प्रा.वि. चुरसी	200	5
50.	" " सोमला	138	3
51.	" " करसोली	292	5
52.	" " नरसिंहपुरा	103	2
53.	" " मुकुन्दपुरा	197	4
54.	" " बाढ	192	3
55.	" " कल्याणपुर सायटा	47	2
56.	" " खोहरा घूसैटी	77	2
57.	" " बमनपुरा	121	1
58.	रा.प्रा.वि. खरैटा	140	2
59.	" " नथोले का पुरा	61	1
60.	" " कारवाडी जटट	116	2
61.	" " ढिंढोरा	234	5
62.	" " बहादुर पुर	160	2
63.	" " आलाबाढा	128	2
64.	" " अरनिया का पुरा	115	2
65.	" " केरा की ढसणी	85	2
66.	" " कसाने का नगला	124	3
67.	" " बन्ध का नगला	138	2
68.	" " नदी का नगला	74	2

1	2	3	4
69.	रा. प्रा. वि. सिंधानजटट	88	2
70.	" " तीन मूर्ति ढिढोरा	254	4
71.	" " मिल्कीपुरा	190	6
72.	" " शेरपुर	248	5
73.	" " कन्या शेरपुर	163	4
74.	" " खीपका पुरा	129	3
75.	" " कन्या खीपका पुरा	70	2
76.	" " जाटव बस्ती खेडीहैवत	137	2
77.	" " हाडौली	190	4
78.	" " खानाका	101	1
79.	" " खेडी हैवत	180	2
80.	" " कन्या विद्या. बेडीहैवत	116	2
81.	" " खुरसट पुरा	70	2
82.	" " खाती पुरा	100	2
83.	" " पुरानी बस्ती चिनायटा	185	2
84.	" " बमनपुरा	122	2
85.	" " जाटव बस्ती रारा शाहपुर	83	2
86.	" " रतनजिला	195	4
87.	" " गुमानपुरा	70	2
88.	" " रीठोली	207	4
89.	" " गुर्जर गॉवडा	166	2
90.	" " नन्दूका पुरा	125	3
91.	" " मनैमा	187	3
92.	" " जमालपुर	241	5
93.	" " फैली का पुरा	121	2
94.	" " निसुरियान का पुरा	114	3
95.	" " चमरपुरा	116	3
96.	" " जगजीवनराम पुरा	71	2
97.	" " कल्हारन का पुरा	70	3
98.	" " कुतुकपुर	350	6
99.	" " कन्या खेडा	129	6

(246)

1	2	3	4
100.	रा. प्रा. वि. अण्डन का पुरा	205	3
101.	" " दुघाटी	70	2
102.	" " ऊंचे का पुरा	107	3
103.	" " मेड का पुरा	49	2
104.	" " कारवाड	110	2
105.	" " देररौली	144	2
106.	" " सिंघानमीणा	83	2
107.	" " लीलोटी	99	1
108.	" " बाढ पोछडी	44	2
109.	" " केटरी	6	2
110.	" " जाटव बस्ती मालनपुर	180	2
111.	" " कालाखाना	80	1
112.	" " श्री महावीर जी	292	7
113.	" " आजाद नगर गावडी मीना	111	2
114.	" " दुब्बी का पुरा	135	3
115.	" " बनवारी का पुरा	88	2
116.	" " सनैटका पुरा	54	2
117.	क्रा.वि. कन्या सनैट	93	2
118.	" " कजानीपुर	184	5
119.	" " हींगोट	93	3
120.	" " खेडी चाँदला	119	2
121.	" " कन्या कोडिया	94	2
122.	" " गॉवडीमीना	138	4
123.	" " शंकर का पुरा (नवीन प्रा.वि.) लहचौहा	32	1
124.	" " बुर्जावाडा, काचरौली	43	1
125.	" " ताली का पुरा	40	2

विकास अधिकारी
पं.स. हिण्डौन
जिला करौली (राज.)

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा खाली पड़े प्लाटों का बेचान

68. **श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमंडी) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा खाली प्लाट नीलामी द्वारा बेचे जा रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आवासन मण्डल का गठन खाली पड़े प्लाट बेचने के लिये किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की कार्यवाही के लिये दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दण्ड देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आवासन मण्डल का गठन राज्य की आवासीय समस्या के हल के लिये किया गया था। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बोर्ड द्वारा आवासीय बस्तियां बसाई जा रही है, जहां प्लाट्स व वाणिज्यिक भू-खण्डों व दुकानों का निस्तारण नीलामी द्वारा किया जाता है यह कार्य नियमानुसार है। इसमें बोर्ड का कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र की शालाओं में पेयजल व्यवस्था

69. **श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति बांदीकुई के अन्तर्गत कुल प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं? इनमें से कितने विद्यालयों में पेयजल के लिये हैण्डपम्प की व्यवस्था है ? विद्यालयवार हैण्डपम्प की स्थिति व पेयजल सुविधा की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) नये विद्यालय खोलने के लिए विभाग की क्या शर्तें हैं ?

(3) उक्त क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में से कितनों में खेलकूद हेतु क्रीड़ास्थल उपलब्ध है ?

(4) उक्त क्षेत्र में कितने विद्यालयों की चारदीवारी बन चुकी है तथा कितनों की बनना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र की किन-किन विद्यालयों में अपूर्ण कमरे हैं तथा उन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(6) क्या यह सही है कि पुराने विद्यालयों की मरम्मत हेतु कोई राशि सुरक्षित रखी जाती है ? यदि हां, तो उक्त राशि में से बांदीकुई पंचायत समिति की स्कूलों की टूट-फूट व मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, बांदीकुई में कुल 135 प्राइमरी स्कूल संचालित हैं इनमें से

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

120 स्कूलों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प की व्यवस्था है। सूची संलग्न है।

(2) नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु निम्न नीति निर्धारित है : –

1. ग्राम, ढाणी, मजरे की जनसंख्या 300 से अधिक हो।

2. उक्त ग्राम ढाणी मजरे विद्यालय विहीन हो।

3. ग्राम, ढाणी, मजरे से 3 कि.मी. क्षेत्र में अन्य शिक्षण सुविधा उपलब्ध न हो।

(3) पंचायत समिति, बांदीकुई क्षेत्र की 20 प्राइमरी स्कूलों में खेलकूद हेतु क्रीड़ास्थल उपलब्ध हैं।

(4) पंचायत समिति, बांदीकुई क्षेत्र की 33 शालाओं की चारदीवारी का निर्माण कार्य हो चुका है, 102 स्कूलों की चार दीवारी का निर्माण कार्य शेष है। निर्मित चारदीवारी वाली 33 स्कूलों के नामों की सूची संलग्न है।

(5) पंचायत समिति, बांदीकुई में 6 स्कूलों में अपूर्ण कमरे हैं। इन 6 कमरों को जिला विकास अभिकरण द्वारा पूरा कराया जाना है।

(6) प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को आबंटित होने वाली राशि में से 10 प्रतिशत राशि मरम्मत कार्य हेतु व्यय करने का अधिकार है। आवश्यकता होने पर 10 प्रतिशत राशि प्रत्येक ग्राम पंचायत खर्च कर सकती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सुदामानगर (श्रीगंगानगर) में पेयजल व्यवस्था

70. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास द्वारा सुदामानगर (श्रीगंगानगर) में आबंटित मकानों में पेयजल सुविधाओं का अभाव है ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। उल्लेखित कालोनी में अभी लगभग 20 आवासों में ही आबंटी रह रहे हैं। इनमें से 3 आबंटियों ने गृह जल सम्बन्ध ले रखें हैं जिन्हें तथा शेष को 2 सार्वजनिक नलों के माध्यम से नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

परिशिष्ट - 3
(अतारांकित प्रश्न संख्या 73 का विवरण)

बोरानी पार्क निर्माण हेतु लिया गया नगरपालिका बोर्ड प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 27-12-91: पार्क निर्माण पर विचार-विमर्शः इस पर अध्यक्ष महोदय ने बैठक में जानकारी दी कि पालिका द्वारा नौ-चौक्या पार्क तथा नेहरू बाल उद्यान के अलावा बोरानी के बाड़े में पार्क का निर्माण कराया जा रहा है इस हेतु कार्यवाही की जा रही हैं इस पर श्री लोढ़ा जी सदस्य द्वारा मांग की गई कि भूतिया खेड़े में भी पार्क का निर्माण कराया जाए इस पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त तीनों पार्कों के अलावा भूतिया खेड़े में भी पार्क का निर्माण कराया जायें। मीटिंग स-धन्यवाद समाप्त की गई।

एसडी. एसडी.
अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, जहाजपुर नगरपालिका, जहाजपुर

बोरानी पार्क में ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य पर वर्ष वार व्यय की राशि का विवरण :–

ठेकेदार का नाम : – श्री नवल किशोर शर्मा वास्ते प्रहलाद राव एण्ड संस, देवली (टोंक) व्यय की गई राशि योगः- 94,839/- रुपये वर्ष 1991-92 में भुगतान हुई।

नगरपालिका स्तर पर करवाये गये कार्य पर हुये व्यय का वर्षवार विवरण

1.	भीलवाड़ा एग्रो सर्विस, भीलवाड़ा	हस्ती पाइप	8,580=00
2.	बद्री लाल मीणा	ग्रेवल	7,360=00
3.	गुलाब मीणा, बोरानी	खाद	4,800=00
4.	विनायक ट्रैडर्स, जहाजपुर	ईंटें	3,500=00
5.	प्रेमराज चूना उद्योग, जहाजपुर	ईंटें	3,625=00
6.	प्रेमराज चूना उद्योग, जहाजपुर	ईंटें	3,625=00
7.	श्याम लाल रैगर	घमलें	1,400=00
8.	कृष्णा स्टोन सप्लायर्स	ईंटें	3,625=00
9.	शुभम् कृषि सेवा केन्द्र, जहाजपुर	खाद	560=00
10.	सिंघल इंजि. कम्पनी, देवली	मोटर जेट	29,917=00
11.	सोजीराम मीणा, अमरवासी	रेत	8,960=00
12.	मजदूरी एवम् विविध खर्च		1,00,000=00

बोरानी पार्क की भूमि की किस्म का विवरण

ग्राम बोरानी के आराजी खसरा नम्बर 1800 रकबा 5 बीघा किस्म बिलानाम काबिल काश्त हैं जिस पर पार्क निर्मित हैं। यह भूमि नगरपालिका की नहीं हैं न ही नगरपालिका के खाते में स्थानान्तरित हुई हैं। आराजी खसरा नं. 1802 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा जिसमें से राज्य सरकार ने 5 बीघा भूमि प्रावि. बोरानी को आवंटित की गई शेष रकबा भी इस पार्क में शामिल हैं जो राजकीय भूमि हैं। नगरपालिका भूमि नहीं है।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, जहाजपुर

250

परिशिष्ट -4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 78 का विवरण)

आबू पर्वत पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	सम्पत्ति का नाम	स्थान	क्षेत्रफल (वर्गगज में)	क्रय करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	त्रिमूर्ति भवन (बूंदी काटेज)	किचन गार्डर के पास	1515.50	27.1.69
2.	ओमशान्ति भवन	सुभाष मार्ग	5444.56	22.12.78
3.	सुखधाम (मेघदूत)	"	2337.72	30.5.83
4.	श्री नटवर सिंह से क्रय की गई सम्पत्ति	"	653.33	9.11.90
5.	पाण्डव भवन	"	13237.40	11.1.62
6.	रतन काटेज पार्ट- I	"	1172.00	5.3.90
7.	रतन काटेज पार्ट- II	"	2172.00	5.3.90
8.	प्लाट नं. 8 नोल	बंगला योजना	1325.77	6.8.85
9.	प्लाट नं. 3	डान बंगला योजना	852.00	1.1.72
10.	ग्लोबल अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर	सरवरी हाउस	20174.80	24.4.90
11.	चारभुजा निवास	चारभुजा	388.63	4.5.91
12.	ग्लोबल अस्पताल ट्रस्ट	वकील विला	4292.70	21.3.92
13.	प्लाट नं. 9	डान बंगला योजना	971.00	18.9.82
14.	प्लाट नं. 10	"	872.00	16.3.89
15.	प्लाट नं. 11	"	1045.00	16.3.89

अधिशासी, अधिकारी

नगरपालिका, आबू पर्वत

बिना स्वीकृति ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा कराये गये निर्माण का विवरण

(1) ग्लोबल अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर (सरवरी हाउस) नामक सम्पत्ति में इन्होंने स्वीकृति के विपरीत स्वीकृति से अधिक निम्न निर्माण कराया है : –

1.	अस्पताल भवन भाग -II कराया गया निर्माण कार्य (वर्गमीटर में)	
	अ. द्वितीय मंजिल पर	1288.02
	ब. प्रथम मंजिल पर	2338.88
	स. तल मंजिल पर	36.11
2.	आवासीय ब्लाक में	
	अ. बेसमेण्ट में	439.59
	ब. तल मंजिल पर	55.83
	स. प्रथम मंजिल पर	6.69
	द. द्वितीय मंजिल पर	669.66
	योग	**4834.78**

स्वीकृति के विपरीत स्वीकृति से अधिक निर्माण का कुल क्षेत्रफल-4834.78 वर्गमीटर

अधिशासी अधिकारी,

नगरपालिका, आबूपर्वत

विनोबा कच्ची बस्ती में आबंटित भूखण्डों की सूची मय आबंटी का नाम

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 79 का विवरण)

क्र.सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या
1.	श्रीमती नाथी देवी/समता राम	6 नम्बर
2.	श्री गट्टू/सून्दर	7 नम्बर
3.	श्री छोटू/बन्सी	8 नम्बर
4.	श्री रामलाल/कालू	10 नम्बर
5.	श्री रामसहाय/भूराराम	12 नम्बर
6.	श्री छोटूलाल/कालूराम	13 नम्बर

(252)

क्र.सं. आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या
7. श्रीमती राधा देवी/वगैरह/रतनलाल	14 नम्बर
8. श्री राधेश्याम/गेन्दाराम	15
9. श्री श्रवणलाल/चन्दा	14
10. श्रीमती शांति/रामनारायण	17
11. श्री रामनिवास/रामचन्द्र	18
12. श्री रतन लाल/मदन लाल	21
13. श्री रेवड़/भौरीलाल	23
14. श्री विजय कुमार यादव/बलराम यादव	23 -ए
15. श्री भौरीलाल/बाछूलाल	24
16. श्री महादेव/छोटूराम	25
17. श्री पूरन चन्द/छोटीलाल	5
18. श्री बाबूलाल/महादेव	26
19. श्री अमरसिंह/भौरीलाल	27
20. श्री रमेशलाल/अमरसिंह	28
21. श्री बुद्ध प्रकाश/भूराराम	29
22. श्रीमती प्रेम देवी/ब्रजमोहन	30
23. श्री महेश/जौहरी राम	32
24. श्री मोहनलाल/घासीराम	31
25. श्रीमती राशि मालपानी/रामजीलाल	35
26. श्री रामलाल/गुल्ला राम	36
27. श्री देवीलाल/पीरदान	38
28. श्री सोहन लाल/पीरदास	39
29. श्री रंग लाल/मोती लाल	40
30. श्री रामकरण/गुंगाराम	41
31. श्री बालकिशन/मैरुलाल	42
32. श्रीमती रेणु जैन/अमर चन्द	42ए

क्र.सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या
33.	श्री नानग राम/मंगला राम	43
34.	श्री पूरण/कल्याण	43ए
35.	श्री कन्हैया लाल/नाथू लाल	44
36.	श्री मदन लाल/नाथू लाल	45
37.	श्री नाथू लाल/मंगला राम	46
38.	श्रीमती नैना/महादेव	47
39.	श्री आनी लाल/भोमा राम	48
40.	श्री किशन/कालूराम	49
41.	श्री राम चन्दर/मांगीलाल	50
42.	श्री अमर सिंह/मन्ने सिंह	51

उपायुक्त जोन A-1

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट "ब"

विनोबा कच्ची बस्ती में रिक्त भूखण्डों का विवरण

भूखण्ड संख्या	विशेष विवरण
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	भूखण्ड न्यायालय केस्थगन
9)	आदेश व निर्णय से प्रभावित
11)	होने के कारण आबंटन नहीं
19)	किये गये है।
20)	
22)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
33)	उपायुक्त जोन A-1

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 80 का विवरण)

कार्यालय जिलाधीश अलवर (जिला अलवर)

क्रमांक : दिनांक :

कार्यालय–आदेश

अध्यक्ष, नगरपालिका, खैरथल में कमजोर तबके के लोगों को आवासीय प्रजोजनार्थ निम्न तालिका में वर्णित राजकीय सिवायचक भूमि को जो नगरीय क्षेत्र में आती है आबंटन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। उप जिलाधीश किशनगढ़वास ने अपनी जांच प्रतिवेदन में इस भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ उपयुक्त मानते हुए आबंटन करने की सिफारिश की है। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 52 के तहत निम्न तालिका में वर्णित भूमि को आबादी भूमि घोषित की जाती है तथा इस घोषित भूमि को कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय प्रयोनार्थ आबंटन करने की सिफारिश की जाती है। यह भूमि आबादी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजनार्थ काम में नहीं ली जायेगी।

खसरा नम्बर	रकबा	विवरण
1470	34 बीघा 8 बिस्वा	बंजर सिवायचक
1433	11 बीघा 9 बिस्वा	' '
1465	2 बीघा 8 बिस्वा	' '
2033	14 बीघा 15 बिस्वा	' '
2074	6 बीघा 2 बिस्वा	' '
2075	1 बीघा 15 बिस्वा	' '
2076	2 बीघा 13 बिस्वा	आराजी दोयम
2077	5 बीघा 6 बिस्वा	' '
1413	9 बीघा 6 बिस्वा	बंजर दोयम
योग	88 बीघा 9 बिस्वा	

एसडी/-

जिलाधीश, अलवर

उपरोक्तानुसार भूमि पालिका की है

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका, खैरथल (अलवर)

कार्यालय नगरपालिका मण्डल खैरथल (अलवर) राजस्थान

नगरपालिका क्षेत्र में अतिक्रमियों की सूची

क्र.सं.	अतिक्रमियों का नाम	अतिक्रमित क्षेत्र की नाम भूड़ावली भूमि पर	की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	झमर सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह राजपुत	15'×10' दो कच्चे छप्पर	न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है, हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
2.	भूतेरी देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रजापत	15'×10' कच्चा छप्पर	नोटिस दिया गया है, हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
3.	गिर्राज पुत्र श्री बाबूलाल प्रजापत	8'×8'	नोटिस दिया गया है, हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
4.	बंशीलाल पुत्र सोहनलाल राणा	10'×10' व '10×15' दो कच्चे छप्पर	नोटिस दिया गया है, हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
5.	रमेश पुत्र मंगलराम बालमिकी	10'×10' 12'×10' दो कच्चे छप्पर	नोटिस दिया गया है, हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
6.	रघुवीर पुत्र श्री बुद्धाराम सैनी	12'×10' एक कच्चा छप्पर	नोटिस दिया गया है, हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
7.	यादाराम पुत्र श्री मामचन्द बालमिकी	10'×8' एक कच्चा छप्पर	नोटिस दिया गया है हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
8.	हरिराम पुत्र श्री लश्करी बालमिकी	15'×10' दो कच्चे छप्पर	नोटिस दिया गया है हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(256)

1	2	3	4
9.	विमल पत्नि श्री गरीबदास बालमिकी	8'×8' एक कच्चा छप्पर	दिनांक 29-4-1997 को हटा दिया गया था पुनः छप्पर डाल दिया गया।
10.	रामशरण पुत्र श्री बलवीर गुर्जर	8'×8' एक कच्चा छप्पर	दिनांक 29-4-1997 को हटा दिया था पुनः छप्पर डाल दिया गया।
11.	रामवति पत्नी श्री गुरदयाल जाटव	8'×8' एक कच्चा छप्पर	दिनांक 29-4-1997 को हटा दिया गया था पुनः छप्पर डाल दिया गया।
12.	बालमिकी समाज	150' फीट रोड के सहारे कच्ची दीवार	न्यायालय से निर्णय हो चुका है हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
13.	भरपायी पत्नी स्व. धर्मपाल यादव	20'×10' फीट के दो पक्के कमरे व 8'×8' की रसोई	पुराना अतिक्रमण होने से बोर्ड द्वारा हटाने का निर्णय नहीं लिया है जो कि विचाराधीन है।
14	काशीराम पुत्र श्री जीवणाराम यादव	10'×8' एक पक्का कमरा 15'×10' फीट कच्चा छप्पर	पुराना अतिक्रमण होने से बार्ड द्वारा हटाने का निर्णय नहीं लिया है जो कि विचाराधीन है।
15.	होशियार सिंह पुत्र श्री रतनलाल भाट	10'×10' की तीन कच्चे छप्पर	———'
16.	नेकीराम पुत्र श्री रतनलाल भाट	10'×10' के दो कच्चे छप्पर	———'
17.	बाबूलाल पुत्र श्री सूडूराम जाटव	15'×20' एक कच्चा छप्पर	– – –'

1	2	3	4
18.	राम लाल पुत्र श्री छोटूराम भोपा	10'×12' एक कच्चा छप्पर	नोटिस दिया गया है हटाने की कार्यवाही जारी है।
19.	जयसिंह पुत्र श्री हीरालाल जोगी	15'×10' तीन कच्चे छप्पर	पुराना अतिक्रमण होने से हटाने की कार्यवाही हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय विचाराधीन है।
20.	प्रभूराम पुत्र श्री फूसाराम भोपा	8'×8' कच्चा छप्पर	——' '————
21.	सरदाराम पुत्र श्रीजुग्गाराम भोपा	8'×8' कच्चा छप्पर	29-4-1997 को हटाया जाना था पुनः छप्पर बना लिया।
22.	रामोतार पुत्र श्री हीरालाल जोशी	12'×8' कच्चा छप्पर	पुराना अतिक्रमण होने से हटाने की कार्यवाही हेतु मण्डल में विचाराधीन है।
23.	चन्दगी राम पुत्र श्री गरीबाराम बालमिकी	8'×8' कच्चा छप्पर	दिनांक 29-4-1997 को हटाया गया था पुनः अतिक्रमण कर लिया गया।
24	दुर्गाप्रसाद पुत्र श्री फूसाराम यादव	70'×60' पक्की चार दीवारी दो कमरे भीतर व एक तिबारा बाहर	दुर्गाप्रसाद जी की मृत्यु हो चुकी है उसके भतीजे रामपत द्वारा न्यायालय में वाद चल रहा है जिसमें 17-3-1998 को पेशी है।

(अधिशासी अधिकारी)
नगरपालिका, खैरथल

(258)

परिशिष्ट – 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची)

पंचायत समिति इटावा में प्राथमिक शाला एवं ग्रामों में विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 में स्वीकृत हैण्ड पंपों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	प्राथमिक शाला/ग्राम	स्वीकृति वर्ष	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बन्जारी	67	प्राथमिक शाला	96-97	हैण्डपंप की स्थापना हो चुकी है
2.	किशन वास	93	" "	"	" हैण्डपंप स्थापित किया जाना है।
3.	नयागांव	30	" "	"	" हैण्डपंप की स्थापना हो चुकी है।
4.	कोडला	77	" "	"	" " "
5.	तलाब	79	" "	"	" है.पं. की स्थापना हो चुकी है।
6.	ढीबरी चम्बल	08	" "	"	" हैण्डपंप स्थापित किया जाना है।
7.	च्यावदा	129	" "	"	" हैण्डपंप स्थापित किया जाना है।
8.	पीपल्दा कलान	121	" "	"	" हैण्डपंप की स्थापना हो चुकी है।
9.	धनवा	27	" "	"	" हैण्डपंप स्थापित किया जाना है।
10.	ग्वाडी	20	" "	"	" " " "
11.	श्योपुरा	61	" "	"	" हैण्डपंप की स्थापना हो चुकी है।
12.	गैंता	57	" "	"	" " " "
13.	घपोल	35	एससीएसटी	"	" " " "
14.	ढीबरी चम्बल	08	" "	"	" " " "
15.	कांकरा	"	" "	"	" " " " "
16.	श्योपुरा	61	" "	"	" हैण्डपंप स्थापित किया जाना है।
17.	घटोत	21	" "	"	" हैण्डपंप की स्थापना हो चुकी है।
18.	असीदा	34	" "	"	" हैण्डपंप स्थापित किया जाना है।
19.	बीरोदा	76	" "	"	" " "
20.	संग्रामपुरा	36	" "	"	" हैण्डपंप की स्थापना हो चुकी है।

1	2	3	4	5	6
21.	खेडला	107	मजरा/ढाणी	96-97	हैण्डपंप की स्थापना हो चुकी है।
22.	खयावदा	122	" "	"	हैण्डपंप स्थापित किया जाना है।
23.	करवाड़	108	" "	"	हैण्डपंप की स्थापना हो चुकी है।
24.	ढीबरी चम्बल	08	आगूमेंन्टेशन	"	हैण्डपंप की स्थापना हो चुकी है।
25.	अयाना	152	" "	"	हैण्डपंप स्थापित किया जाना है।
26.	ईटावा	86	" "	"	है.पं. की स्थापना हो चुकी है।
27.	ईटावा	86	" "	"	" " "
28.	अयाना	152	एससीएसटी	"	" " "
29.	गेंता	57	" "	"	" " "
30.	रामपुरिया	84	प्राथमिक शाला	"	है.पं. स्थापित किया जाना है।
31.	सौभागपुरा	111	" "	"	" " "
32.	हथोलि	62	" "	"	" " "
33.	पीपल्दा कलान	121	" "	"	है.पं. की स्थापना हो चुकी है।
34.	रजोपा	110	" "	"	" " "
35.	गोपालपुरा	40	" "	"	है.पं. स्थापित किया जाना है।
36.	प्रेमपुरा	151	" "	"	है.पं. की स्थापित हो चुकी है।
37.	ईटावा	86	" I "	"	है.पं. स्थापित किया जाना है।
38.	ईटावा	86	" II "	"	" " "
39.	ईटावा	86	कन्या पाठशाला	"	" " "
40.	अयाना	152	प्राथमिक शाला	"	है.पं. की स्थापना हो चुकी है।
41.	खातोली	71	" "	"	" " "
42.	गेंता	57	" "	"	है.पं. स्थापित किया जाना है।
43.	करवाड़	108	" "	"	है.पं. की स्थापना हो चुकी है।
44.	बिरोता	76	" "	"	" " "
45.	खणेश खेड़ा	65	" "	"	" " "
46.	बगरोठ	48	" "	"	है.पं. स्थापित किया जाना है।

260

1	2	3	4	5	6
47.	खणेश खेड़ा	133	" "	96-97	हे.पं. स्थापित किया जाना है।
48.	झाडौल	103	" "	"	" " "
49.	शहनांवदा	130	" "	"	" " "
50.	श्रीपुरा	150	" "	"	" " "
51.	विनायका	138	" "	"	" " "
52.	गणेशगंज	100	" "	"	हे.पं. की स्थापना हो चुकी है।
53.	दलितपुरा	144	" "	"	हे.पं. स्थापित किया जाना है।
54.	मूडली	95	प्राथमिक शाला	"	हे.पं. स्थापित किया जाना है।
55.	खातौली	71	" "	"	" " "
56.	खातौली	71	एनक्रेटेगरी	"	हे.पं. की स्थापना हो चुकी है।
57.	करवर	108	" "	"	" " "
58.	ईटावा	86	" "	"	" " "
59.	ईटावा	86	" "	"	हे.पं. स्थापित किया जाना है।
60.	ईटावा	86	" "	"	हे.पं. की स्थापना हो चुकी है।
61.	पीपल्दा कलान	121	" "	"	" " "
62.	गणेशपुरा	135	" "	"	हे.पं. स्थापित किया जाना है।
63.	दौलतपुरा	144	" "	"	" " "
64.	जोरावरपुरा	81	" "	"	" " "
65.	मियाना	18	" "	"	" " "
66.	मियाना	18	" "	"	" " "
67.	मियाना	18	" "	"	" " "
68.	रोडगंज	01	" "	"	" " "
69.	निपोला	17	" "	"	" " "
70.	नीमसरा	52	" "	"	" " "
71.	सिनोठा	06	" "	"	" " "
72.	सिनोठा	06	" "	"	" " "

1	2	3	4	5	6
73.	बमोलिया	58	" "	96-97	हैपं. की स्थापना हो चुकी है।
74.	केरावपुरा	81	" "	" "	हैपं. स्थापित किया जाना है।
75.	मयावदा	122	" "	" "	" " "
76.	पीपल्दा खुर्द	123	" "	" "	" " "
77.	फरेरा	75	" "	97-98	हैपं. की स्थापना हो चुकी है।
78.	कडीला	77	" "	" "	" " "
79.	डूगरली	117	" "	" "	" " "
80.	सुमेरपुरा	46	" "	" "	" " "
81.	लक्ष्मीपुरा	109	एनक्रेटेगरी	97-98	हैपं. की स्थापना की जानी है।
82.	खातौली	71	" "	"	हैपं. की स्थापना हो चुकी है।
83.	गणेशखेड़ा	65	समरकन्टींजेंसी	"	हैपं. की स्थापना की जानी है।
84.	ग्वाड़ी	20	" "	" "	" " "
85.	गुडला	32	" "	" "	" " "
86.	बलूपा	38	" "	" "	" " "
87.	निमोला	17	" "	" "	" " "
88.	निमोला	17	" "	" "	" " "
89.	मियाना	18	" "	" "	" " "
90.	शियोपुरा	150	" "	" "	" " "
91.	देवखड़की	153	" "	" "	" " "
92.	ककरांवदा	05	" "	" "	" " "
93.	शिवपुरा	61	" "	" "	" " "
94.	खेडली	114	" "	" "	" " "
95.	दूधली	145	" "	" "	" " "
96.	निमोदा	168	" "	" "	" " "
97.	विजयपुरा	182	" "	" "	" " "
98.	नलायता	139	समरकन्टींजेंसी	" "	" " "
99	छत्रपुरा	136	" "	" "	" " "

(262)

परिशिष्ट – 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 85 का विवरण)

दिसम्बर, 93 से फरवरी, 98 तक जोधपुर शहर के परकोटे में बदली गई पाइप लाइन का विवरण ।

परिशिष्ट -क

क्र.सं.	साइज लगाई गई लाइन	लागत (लाखों में)
1.	(1) 80 एमएमसीआई 945 मीटर	3.17
	(2) 300 एमएमसीआई 150 मीटर	2.39
	(3) 450 एमएमसीआई 283 मीटर	8.35
	1378 मीटर 13.91	14.00 लाख

परिशिष्ट - ख

विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में परकोटे के अन्दर जलापूर्ति में सुधार हेतु दिसम्बर, 93 से फरवरी, 98 की अवधि में किये गये प्रयासों का विवरण

1. जलापूर्ति की मात्रा में सुधार

माह दिसम्बर, 93 से पूर्व उक्त क्षेत्र में लगभग 40 लाख गैलन जलापूर्ति 48 घण्टे के अन्तराल पर की जाती थी। जनवरी, 98 से 58 लाख गैलन प्रतिदिन जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है।

2. वितरण पाइप लाइन में सुधार :

निम्न विवरण के अनुसार कुल 14529 मीटर पाइप लाइन बिछायी जा चुकी हैं जिस पर रुपये 86.30 लाख की लागत आई हैं।

क्र.सं.	साइज	लगायी गई पाइप लाइन की लम्बाई (लेड लेन्थ)	व्यय राशि
1	2	3	4
1.	80 एमएम सीआई	6663 मीटर	22,38,768=00
2.	90 एमएम पीवीसी	150 मीटर	11,250,=00
3.	100 एमएम सीआई	2854 मीटर	11,81,556=00
4.	125 एमएम सीआई	800 मीटर	4,04,080=00
5.	150 एमएम सीआई	914 मीटर	5,74,906=00

1	2	3	4
6.	200 एमएम सीआई	1700 मीटर	15,60,600=00
7.	250 एमएम सी आई	230 मीटर	2,84,510=00
8.	300 एमएम सीआई	685 मीटर	10,92,575=00
9.	350 एमएम सीआई	250 मीटर	4,47,000=00
10.	450 एमएम सीआई	283 मीटर	8,35,416=00
		14529 मीटर	86,30,581=00

दिसम्बर, 93 से फरवरी, 98 तक जोधपुर शहर के परकोटे में वर्षवार खोदे गये हैण्ड पम्पों की सूची

परिशिष्ट - ग

वर्षवार खोदे गये हैण्ड पम्पों की सूचि

1. दिसम्बर, 93	शून्य
2. वर्ष 1994	1. नागौरियों का बास गली नं. 2
	2. चौहान जी का नोहरा
	3. मियों का घैर
	4. खापटा मोतीचौक मालियों की गली
	5. जुना दारु का ठेका (परित्यक्त के स्थान पर)
	6. कबूतरों का चौक सीताराम जी का मंदिर
	7. पुरयों की गली, भिस्तियों का बास
	8. जालोरी गेट स्कूल के बाहर
	9. कंवरराज जी का बाडा, नवलजी की गली
	10. घाडों का चौक मेघवालों का बास
	11. भिस्तियों का बास जगदम्बा गली मंदिर
	12. सुमेर पुष्टिकर स्कूल प्याऊ के पास
3. वर्ष 1995	शून्य
4. वर्ष 1996	1. गिरधर मंदिर के पास खानिया
	2. नाजरजी की बावडी, जालोरी गेट बारी के अंदर।

	3. हरिजन बस्ति, जालोरी गेट
	4. पीपली की गली, रामगोपाल जी वकील के मकान के पीछे।
	5. कबूतरों का चौक, घोडों का चौक
	6. कालिया धुका, हरिजन बस्ति
	7. बाईजी तालाब, बालरवा ठाकर की हवेली के पास
	8. मकराना मोहल्ला पोस्ट ऑफिस के पीछे।
	9. गांछा बाजार, पाल ठाकर हवेली पोल में।
	10. माणकचौक पालासनी हवेली
	11. दो कोठों के बीच जैन भवन
	12. दो कोठों के बीच इन्द्रा मार्केट
5. वर्ष 1997	शून्य
6. वर्ष फरवरी 98 तक	शून्य

माह दिसम्बर, 93 से फरवरी, 98 के मध्य जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प के बोर होल पर स्थापित इजेक्टों पम्पों की सूची

क्र.सं.	स्थान का नाम	स्थापित करने की तारीख
1.	ओसवालों का न्याति नोहना	7.5.94
2.	तेजसिंह की हवेली	17.5.94
3.	राजमहल स्कूल के पास	27.6.94
4.	बनियाबाड़ा	28.6.94
5.	भिस्तियों का बास	12.7.94
6.	जयसिंह जी का थान	5.8.94
7.	नायो का चौक सिटी पुलिस	22.8.94
8.	डोडीघारों का मोहल्ला	28.8.94
9.	कबूतरों का चौक सीताराम जी मंदिर	28.8.94
10.	हनवन्तपुरा	8.6.95
11.	पुरबियों का बास	1.7.95

1	2	3
12.	कबूतरों का चौक पोस्ट ऑफिस	24.8.95
13.	ईसाकिया स्कूल	5.9.95
14.	तापड़ियों की गली पुगलवाड़ा	10.10.95
15.	भिस्तियों का बास पीपली गली	3.4.96
16.	सोनारों का बास शाहपुरा	8.6.96
17.	खेदादियों का बास	27.7.96
18.	बोहरों की पोल	27.7.96
19.	खेतरपाली चबूतरा	3.8.96
20.	सिवान्ची गेट चण्डक की दुकान	10.8.96
21.	मेड़ती सिलावटों का बास	12.8.96
22.	गुन्दी मोहल्ला	13.8.96
23.	नागौरी सिलावटों का बास	7.9.96
24.	पूरा मोहल्ला	18.9.96
25.	कबूतरों का चौक, बंद गली	26.9.96
26.	रावतों का बास	25.10.96
27.	आमली का बास	25.10.96
28.	मोदियों की गली	30.10.96
29.	आहोर की हवेली	16.12.96
30.	जोगीयों का बास सिवान्ची गेट	1.1.97
31.	चैतानियों की गली	9.1.97
32.	चौबदारों का मोहल्ला	22.2.97
33.	बिस्सों का चौक	16.12.97

परिशिष्ट -घ

दिसम्बर, 93 से फरवरी, 91 तक जोधपुर शहर के परकोटे में वर्षवार हैण्ड पम्प दुरुस्त कराने की संख्या (शहरी विधान सभा क्षेत्र)

(1) दिसम्बर, 1993 57

\ वर्ष 1994 752

266

(3) वर्ष 1995	856
(4) वर्ष 1996	802
(5) वर्ष 1997	811
(6) फरवरी 98 तक	102
कुल	3380

परिशिष्ट – 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 90 की सूचना)

परिशिष्ट - "अ"

सहभागिता योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति दि. 28.2.98 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	क्या पेयजल वितरण शुरू हो चुका है।
1	2	3
1.	भारतन्दुनगर, खातीपुरा, जयपुर	हाँ
2.	महावीरनगर, गोपालपुरा रोड जयपुर	" "
3.	गोविन्दपुरी–ए हवा सड़क जयपुर	" "
4.	विवेक बिहार कालोनी न्यू सांगानेर रोड जयपुर	" "
5.	पुलन्दरजी का बाग, एम.आई.रोड जयपुर	" "
6.	सीताराम कालोनी, प्रतापनगर, जयपुर	" "
7.	विवेक बिहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	" "
8.	अम्बेडकर नगर, चयनपुरा बाईपास	" "
9.	प्रेमनगर कालोनी, प्लाट नं. ई-70 से ई-142 तक, झोटवाड़ा, जयपुर	" "
10.	कैलाश नगर, जयपुर	" "
11.	रामनगर एक्सटेंनशन, जयपुर	" "
12.	मरुधर बिहार, जयपुर	" "
13.	विवेक बिहार फेज-4 न्यू सांगानेर, जयपुर	" "
14.	प्रेम कॉलोनी, जयपुर	" "

1	2	3
15.	नित्यानन्द नगर "ए"	हां
16.	नारायण नगर, टोंक रोड, जयपुर	" "
17.	ग्रीननगर, दुर्गापुरा, जयपुर	" "
18.	केशव पथ बरकत नगर, जयपुर	" "
19.	विद्युत नगर, क्वींस रोड, जयपुर	" "
20.	शिवकालोनी, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर	" "
21.	शंकर कालोनी, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर	" "
22.	विवेक विहार फेज, चतुर्थ, जयपुर	" "
23.	लक्ष्मण कालोनी, जयपुर शहर	" "
24.	उद्यान पथ बरकतनगर, जयपुर	नहीं
25.	ग्रीन नगर फेज -	हां
26.	जनकपुरी फेज -	हां
27.	शिवकालोनी दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर	नहीं
28.	नरवरपुरी बास, बदनपुरा	" "
29.	बरकत नगर फैज -	" "
30.	देवनगर विवेक विहार, जयपुर शहर	" "
31.	देवनगर किसान मार्ग, फैज - जयपुर	" "
32.	रघुनाथपुरी प्रतापनगर	" "
33.	मोती नगर पश्चिम क्वींस रोड, जयपुर	हां
34.	आफीसर्स कालोनी सिरसी रोड, जयपुर	हां
35.	जय जवान कालोनी फैज -	" "
36.	नित्यानन्द नगर	" "
37.	सिद्धार्थ नगर	" "

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का विवरण)

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम (परिवार का मुखिया)	यूनिट संख्या
1.	हरिनारायण पुत्र श्री जगन्नाथ मीना	5
2.	श्याम लाल पुत्र मदनलाल नट	5

268

1	2	3
3.	भंवर लाल पुत्र सुखदेव भील	5
4.	मानजी पुत्र चन्दानर	8
5.	लादूलाल पुत्र छोटे लाल बैरवा	1
6.	प्रकाश पुत्र मदन नट	3
7.	चेतन लाल पुत्र मदन लाल नट	7
8.	पूरण मल पुत्र चन्दा नट	8
9.	चतरभुज पुत्र हरलाल	10
10.	पोखर लाल पुत्र सुखदेव भील	8
11.	रामलाल पुत्र लोडक्या भील	5
12.	रामलाल पुत्र लोडक्या भील	8
13.	श्रीमती तारा/मदन नट	6
14.	मदन लाल पुत्र रूपा नट	12
15.	कजोड़ मल पुत्र चन्दा नट	10
16.	दयाल पुत्र चन्दा नट	5
17.	रामप्रसाद पुत्र मोहन नट	6
18.	नाथू पुत्र लोढक्या भील	8
19.	श्याम पुत्र मदन नट	2
20.	मोहन पुत्र रूपा	10
21.	कान्ति पुत्री मोहन	10
22.	हनुमान पुत्र गोपी लाल साहू	4
23.	राजू पुत्र गुमान नट	4
24.	मानजी पुत्र धन्ना नट	6
25.	बाबूलाल पुत्र रूपा नट	11
26.	चन्दूकताम पुत्री श्री चन्द नट	8
27.	नवीन कुमार पुत्र बाल किशन नट	2
28.	सुरेश कुमार पुत्र नवीन कुमार	4

269

1	2	3
29.	रामस्वरूप पुत्र चन्दानट	8
30.	श्रीमती रतन पुत्री मदन नट	8
31.	आशा बाई पुत्री बाबूनट	7
32.	प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ मादली	8
33.	राम सहाय पुत्र ,,	8
34.	अमीचन्द पुत्र श्री चन्द नट	8
35.	कैलाश पुत्र धन्ना नट	13
36.	बन्नो पुत्र प्रकाश नट	8
37.	शीला पुत्री धन्ना नट	11
38.	ओमी पुत्र धन्ना नट	6
39.	गुमान पुत्र ,,	10
40.	धुल्ला पुत्र पन्ना चमार	12
41.	श्रीमती सीमा पत्नी समरू	5
42.	सगीना पुत्री श्री चन्द नट	7
43.	श्री चन्द पुत्र गोपीनट	10
44.	कजोड़ पुत्र ऊंकार बैरवा	5
45.	लखमा पुत्र चन्दा नट	15
46.	राम कन्या पुत्री हजारी नट	3
47.	रामावतार पुत्र हजारी लालमाली	7
48.	कैलाश पुत्र नारायण बैरवा	6
49.	तुलसी राम पुत्र मोहन नट	11
50.	गोपीलाल पुत्र भूरा लाल तैली	2
51.	कृष्ण मुरारी पुत्र गोपी तैली	4
52.	सीताराम पुत्र गोपी तैली	4
53.	तारा चन्द पुत्र गुमान नट	8
54.	मूली बाई/मोती लाल	2

270

1	2	3
55.	राजुलाल पुत्र रामस्वरूप नट	4
56.	शन्नो देवी पुत्र चन्दा नट	7
57.	चन्द लाल पुत्र धुल्ला नट	5
58.	बुद्धी प्रकाश पुत्र चन्दा नट	3
59.	कालू पुत्र सुखदेव भील	6
60.	प्रकाश पुत्र केसरलाल बैरवा	2
61.	लीलादेवी पुत्री धन्ना नट	14
62.	विरधी चन्द पुत्री भूरालाल	4
63.	ग्यारसी पत्नी धन्नानट	7
64.	बीमलाबाई पुत्री गुमाननट	4
65.	राजेश पुत्र रूपा नट	12
66.	घीसी पुत्र चन्दा नट	4
67.	शिवराज पुत्र श्योजी नट	12
68.	विनोद कुमार पुत्र नवीन कुमार	3
69.	रामनारायण पुत्र ओंकार बैरवा	6
70.	सरीया पुत्र ओंकार भील	8
71.	हीरालाल पुत्र जगदीश जाट	5
	युनिट योग	**426**

भाग (3) का विवरण

कैरोसीन

क्र.सं.	कार्ड सं.	नाम उपभोक्ता	यूनिट सं.	देय मात्रा
1.	12	विरधीचन्द पुत्र भूरालाल जैन	4	5 लीटर
2.	226	कैलाश पुत्र धन्ना नट	13	5 लीटर
3.	126	कैलाश पुत्र नारायण बैरवा	6	5 ' '
4.	175	प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ माली	8	5 ' '
5.	203	मुलीबाई पत्नी मोती	2	5 ' '

क्र.सं.	कार्ड सं.	नाम उपभोक्ता	यूनिट सं.	देय मात्रा
6.	209	गुमान पुत्र धन्ना नट	10	5 "
7.	214	प्रकाश पुत्र कैसर लाल बैरवा	2	5 "
8.	250	औमी पुत्र धन्ना नट	6	5 "
9.	243	रामसहाय पुत्र जगन्नाथ मीणा	8	5 "
10.	274	ग्यारसी पुत्र धन्ना नट	7	5 "
11.	266	सीमा पत्नी समरू नट	5	5 "
12.	375	दयाला पुत्र चन्दा नट	5	5 "
13.	366	प्रहलाद पुत्र घासी बैरवा	7	5 "
14.	369	तुलसीराम पुत्र मोहन नट	11	5 "
15.	407	लखमा पुत्र चन्दा नट	15	5 "
16.	410	राम प्रसाद पुत्र मोहन नट	6	5 "
17.	421	नवीन कुमार पुत्र बालकिशन नट	2	5 "
18.	448	समीना पुत्री श्रीचन्द नट	7	5 "
19.	450	चन्द कला पुत्री श्रीचन्द नट	8	5 "
20.	452	श्रीचन्द पुत्र गोपीचन्द नट	10	5 "
21.	453	अमीचन्द पुत्र श्री चन्द नट	8	5 "
22.	472	कालू पुत्र सुखदेव भील	6	5 "
23.	480	सुरेश कुमार पुत्र नवीन कुमार नट	4	5 "
24.	551	धूला पुत्र पन्ना चमार	12	5 "
25.	605	तारा चन्द पुत्र गुमान नट	8	5 "
26.	622	आशाबाई पुत्री बाबूलाल नट	7	5 "
27.	665	रामकन्या पुत्री हजारी नट	3	5 "
28.	15	हीरालाल पुत्र जगदीश जाट	5	5 "
29.	98	रामनारायण पुत्र ऊंकार बैरवा	6	5 लीटर
30.	413	हनुमान पुत्र गोपी साहू	4	5 "
31.	530	सीताराम पुत्र गोपी	5	5 "

क्र.सं.	कार्ड सं.	नाम उपभोक्ता	यूनिट सं.	देय मात्रा
32.	577	गोपीलाल पुत्र भूरा तैली	7	5 लीटर
33.	673	सरीया पुत्र ऊकार भील	8	5 ' '

नोट :- माह जनवरी, 1998 की लेवीचीनी का उठाव हो चुका है, किन्तु वितरण नहीं हुआ है, शीघ्र वितरण करवाया जा रहा है।

माह फरवरी, 1998 में वार्ड नं. 3 के निम्नांकित कार्डों को गेहूं प्राप्त हुआ ·

क्र.सं.	कार्ड सं.	नाम उपभोक्ता	युनिट सं.	देय मात्रा
1.	109	बन्नो वेवा प्रकाश	3453	20 किलो
2.	377	कालू पुत्र भूरा	3353	20 किलो
3.	577	गोपीलाल पुत्र भूरा	3430	10 किलो

परिशिष्ट – 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 93 की प्रति)

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ 74(7) खावि/साविप्र/87 जयपुर दिनांक : 9.1.1996

ओर से,
खाद्य आयुक्त एवं सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

वास्ते,
समस्त,
जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषय :- उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के बारे में

महोदय,

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने तथा उचित मूल्य दुकानों के आबंटन करने हेतु एवं आबंटन समितियों के गठन के बारे में विभाग द्वारा समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है। इस संबंध में विभाग द्वारा पत्र संख्या एफ. 74 (7) खावि/साविप्र/87, दिनांक 28.4.87 एवं 23-10-1992 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये थे जिसके बाद पत्र संख्या सम, दिनांक 18.7.94, 12.5.95 एवं 4.12.95 द्वारा आवश्यक संशोधन किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उचित मूल्य दुकानों के आबंटन की प्रक्रिया पर पुनः विचार किया गया है तथा विभाग द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों को संकलित कर उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के संबंध में पूर्व में दिये गये निर्देशों के स्थान पर निम्नांकित दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते है :–

आबंटन में प्राथमिकताएं

(अ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।

(ब) पिछड़ें वर्ग (बैकवर्ड) क्लास के व्यक्ति।

(स) भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवाएं।

(द) सहकारी समितियां, जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तथा जिनके विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत नहीं है।

(न) निजी व्यक्ति जो स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार नहीं करते है तथा जीवन-यापन के लिए उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर रहेंगे। ऐसी महिलाएं जो उत्साही हो तथा महिला संगठन जो उचित मूल्य दुकान चलाने में समर्थ हो, को वरीयता दी जावें।

उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन में उक्त प्राथमिकता क्रम को अपनाते समय निम्न बातें स्पष्ट रूप से ध्यान में रखी जावे : –

1. उचित मूल्य दुकानों के आबंटन में 7 प्रतिशत आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिये होगा इनके उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्राथमिकता क्रम उपरोक्तानुसार होगा। यह शर्त केवल नई आबंटित की जाने वाली दुकानों के लिये होगी।

2. प्राथमिकता क्रम (अ)(ब)(स) व (न) में शिक्षित बेरोजगार नवयुवक अथवा ऐसे विकलांग जो शारीरिक एवं अन्य सभी दृष्टियों से दुकान चलाने हेतु सक्षम हो, को प्राथमिकता दी जावेगी। विकलांगों के लिये प्राथमिकता क्रमों को मिलाकर कुल आबंटन की जाने वाली दुकानों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3- महिला एवं महिला संगठनों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से भविष्य में आबंटित की जाने वाली दुकानों में कम से कम 50% दुकानें इन्हें आबंटित की जावें तथा आबंटन के समय इनकी आर्थिक स्थिति आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावें।

4- उचित मूल्य दुकानों का संचालित करने वाले व्यक्ति की मृत्य होने के पश्चात् उसके आश्रितों को यदि वे उचित मूल्य दुकान संचालन करने के लिये आवेदन करें और उसके लिये पात्रता एवं योग्यता रखते हो तो उन्हें उचित मूल्य की दुकान आबंटन करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता क्रम अपनाते हुये दुकान आबंटित की जावें : –

(क) डीलर की विधवा पत्नी।

(ख) डीलर का बालिग पुत्र।

(ग) डीलर का बालिग पौत्र।

(घ) डीलर की विधवा पुत्री।

(ङ) डीलर की अविवाहित पुत्री।

मृतक डीलर की उचित मूल्य की दुकान जिस आश्रित को आबंटित की जायेगी, वे स्वयं दुकान चलायेंगे।

5- सहकारी समितियों के संबंध में सहायक पंजीयक, सहकारी समितियों की राय भी ली जा सकेगी।

6- सभी वर्गों के आवेदकों के लिये यह आवश्यक है कि वे स्वयं दुकान चलाने के लिये सहमत हो एवं दुकान बेनामी प्राप्त नहीं की जावें। यह भी आवश्यक होगा कि दुकानदार उसी क्षेत्र (यथा पंचायत, ग्राम, वार्ड) का निवासी हो, जहां वह दुकान चलाना चाहता है और दुकान भी यथासंभव उस वार्ड, ग्राम अथवा ग्राम पंचायत में स्थिति हो अर्थात किसी भी व्यक्ति को उस वार्ड, ग्राम अथवा पंचायत में दुकान आबंटित नहीं की जायेगी, जहां उसका स्थायी निवास नहीं है। स्थायी निवास की पुष्टि के लिये मतदाता सूची की सहायता ली जा सकती है।

आबंटन प्रक्रिया

(अ) आबंटन के पूर्व प्रार्थना-पत्र समाचार पत्रों एवं अन्य प्रचार माध्यमों से आमंत्रित किये जाने चाहिये। दुकानों के आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र दुकानदार से अलग-अलग प्राप्त किये जावें।

(ब) एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को दुकान आबंटित नहीं की जायेगी।

(स) आबंटी का चाल-चलन अच्छा हो एवं आवश्यक वस्तुओं से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत कभी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हो तथा उसको पूर्व में आबंटित उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार-पत्र दोषी पाये जाने के कारण निरस्त नहीं किया गया हो।

(द) आबंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या की यथासंभव 10 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। प्राथमिकता क्रम से प्रतीक्षा सूची में से तात्कालिक आवश्यकता (किसी कार्यरत दुकान का निलम्बन, निरस्तीकरण अथवा अन्य अस्थायी व्यवस्था किये जाना) होने पर लिया जायेगा।

(च) किसी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के निलम्बन, निरस्तीकरण की दशा में उस क्षेत्र की वितरण व्यवस्था के लिये तुरन्त प्रतीक्षा सूची में से नयी दुकान आबंटित की जायेगी। किसी भी स्थिति में वितरण व्यवस्था निकटतम क्षेत्र की कार्यरत दुकान से चालू नहीं की जायेगी बल्कि पृथक दुकान की ही व्यवस्था की जायेगी।

(छ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों हेतु आबंटित संमिति का गठन निम्न रूपेण किया जाता है : –

(क)	जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	नगरपालिका / नगर परिषद के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
(घ)	जिला रसद अधिकारी -	सदस्य सचिव

(ज) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु निम्नानुसार आबंटन समिति का गठन किया जाता है : –

(क)	उपखण्ड अधिकारी	संयोजक
(ख)	जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
(ग)	संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/ प्रशासक अथवा संबंधित नगरपालिका के अध्यक्ष/प्रशासन अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	संबंधित पंचायत समिति का सदस्य	सदस्य

उपरोक्त दोनों समितियों के सदस्यों में किसी व्यक्ति अथवा सहकारी समिति की पात्रता के बारे में मतभेद हो तो जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

आबंटन समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा अनियमितता बरतने पर उन सदस्यों को हटाये जाने का अधिकारी राज्य सरकार/जिला कलक्टर को होगा।

अन्य : – (वर्तमान कार्यरत एवं भविष्य में आबंटित की जाने वाली सभी दुकानों के लिये)

(अ) आबंटन के पूर्व दुकान के स्थान और पास-पड़ोस की स्वच्छता को महत्व दिया जावें। दुकान किसी अन्य दुकान का भाग न हो, ऐसी जगह अवस्थित हो जिसका सहज रूप से पता चल सके और आसानी से पहुंचा जा सके। उपभोक्ताओं को खड़े रहने के लिये पर्याप्त स्वच्छ स्थान हो। दुकान के ऊपर स्पष्ट एवं सुपाठ्य रूप से इस बात का लेख हो कि यह उचित मूल्य की दुकान है।

(ब) जिस क्षेत्र के लिये दुकान स्थापित की जावें वह यथासंभव केन्द्रीय स्थल पर हो।

(स) आटे की चक्की, परचून (मोसर) दुकान अथवा होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबे व इसी प्रकार के अन्य संस्थानों आदि से दुकान का स्थान सुरक्षित दूरी पर हो। चयन एवं अर्हता आदि

276

के क्षेत्रीय सत्यापन (फील्ड वेरीफिकेशन) के लिये जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सुविधाजनक प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में उचित मूल्य दुकान का आबंटन उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावें।

भवदीय,

ह.

विशिष्ट शासन सचिव,

खाद्य विभाग, राज.जयपुर।

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक एफ 74 (7) खा.वि./साविप्र/87 जयपुर, दिनांक 1.6.96

समस्त,

जिला कलक्टर, (रसद)

राजस्थान।

विषय : – उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन बावत गठित समिति में संशोधन।

महोदय,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सम संख्यक आदेश दिनांक 23.10.92 व 18.7.94 के क्रम में जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु पूर्व गठित समिति में नियुक्त संयोजक उपखण्ड अधिकारी के स्थान पर जिला-रसद अधिकारी को संयोजक नियुक्त किया जाता है। अतः उक्त समिति का स्वरूप अब निम्न प्रकार होगा : –

(क) जिला रसद अधिकारी — संयोजक

(ख) जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ता (दो) - सदस्य

(ग) संबंधित ग्राम पंचायत/प्रशासक अथवा संबंधित नगरपालिका के अध्यक्ष/प्रशासक अथवा उनका प्रतिनिधि — सदस्य

उपरोक्त समिति के सदस्यों में किसी व्यक्ति अथवा सहकारी समिति की पात्रता के बारे में मतभेद हो तो जिला कलक्टर का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

भवदीय,

ह.

विशिष्ट शासन सचिव।

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक : एफ 74(7)खावि/साविप्र/87 जयपुर, दिनांक 7.7.96

जिला कलक्टर (रसद)

समस्त (राजस्थान)

विषय : – उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु गठित समिति में संशोधन ।

महोदय,

विभागीय पत्र सम संख्यक दिनांक 9.1.96 द्वारा उचित मूल्य की दुकानों हेतु आवंटन समिति का नाम अब "उचित मूल्य की दुकान आवंटन सलाहकार समिति पढ़ा जावे" तथा जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन हेतु सलाहकार समिति के खंड (ख) में भी संशोधन करते हुए नगर निगम के महापौर अथवा उनके प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अतः उक्त सलाहकार समिति का स्वरूप अब निम्न रूपेण होगा : –

जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु सलाहकार समिति : –

(क) जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	अध्यक्ष
(ख) नगर निगम के महापौर अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि/नगर पालिका/नगर परिषद् के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(ग) जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
(घ) जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

ह.

विशिष्ट शासन सचिव (खाद्य)

परिशिष्ट – 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची)

पंचायत समिति डेगाना की ग्राम पंचायतों को मिलने वाले अनुदान में से 10 (दस) प्रतिशत वसूल की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वसूलसुदा अनुदान 10 प्रतिशत राशि (रुपया में)
1.	फगड़वास	3873

278

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वसूलसुदा अनुदान 10 प्रतिशत राशि (रुपया में)
2.	डैगाना गांव	4649
3.	तिलानैस	4276
4.	कितलसर	5304
5.	सिरासना	4021
6.	बंवरला	3364
7.	सांजुल	3823
8.	चौसली	4935
9.	चुई	5442
10.	जाखेड़ा	3549
11.	डावोली मीठी	3196
12.	बरना	3428
13.	मांझी	3913
14.	वांदाक्ष्ण	5866
15.	जालसूखुर्द	4261
16.	खैरवा	5007
17.	गुणसली	3141
18.	खुडीकलां	5465
19.	आंतरोली कलां	3548
20.	जालसूमानक	3539
21.	मोगास	2977
22.	बुटाटी	4965
23.	निम्बड़ीचांदावता	4801
24.	राजौद	3036
25.	बछवारी	3926
26.	पूनास	3198
27.	चोलियास	3346
28.	निम्बोला कलां	2802
29	पुन्दलोता	2754
30.	पालियास	3793
31.	ईड़वा	3890
32.	हए सांर	6670

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वसूलसुवा अनुदान 10 प्रतिशत राशि (रुपया में)
33	निम्बड़ी कलां	3052
34.	पालड़ाकलां	3930
35.	मेवड़ा	3055
36.	नथावड़ा	2510
37.	थाटा	2748
38.	राजलोता	4026
39.	माण्डल जोधा	4103
40.	बिखर नियाकलां	5022
42.	गोनरड़ा	3297
43.	गोरेड़ीचांचा	10720
44.	लंगौड़	4164
		1,77,414

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, डेगाना

जिला नागौर

जिला नागौर (राजस्थान)

क्रमां/पसडै/संस्था/96/4001-4243 दिनांक 15/11/96

प्रेषित : –

श्री/श्रीमती ——————

सरपंच ग्राम पंचायत ———

विषय : – वर्ष 1995-96 के पंचायत अनुदान में से पंचायत समिति कोष में 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर के डेगाना प्रवास के दौरान दिये गये निर्देशानुसार पंचायत समिति का कार्यालय भवन जो जीर्ण-सीर्ण हालत में हो चुका है, अगर समय रहते इसकी मरम्मत आदि का कार्य सम्पादित नहीं करवाया गया तो कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा सदैव बना हुआ है जिसके लिए प्रत्येक पंचायत को मिलने वाले अदा राशि जो वित्तीय वर्ष 1996 के लिए प्राप्त की गई है, तथा जो प्राप्त की जानी का, 10 प्रतिशत हिस्सा तत्काल पंचायत समिति कोष में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद हासिल करने की व्यवस्था करें। राशि एक सप्ताह के भीतर-भीतर पंचायत समिति समिति कोष में जमा करवानी है।

अतः आप अपना सहयोग प्रदान कर तत्काल पंचायत समिति के पक्ष में चैक जारी करें।

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, डेगाना

प्रतिलिपि पत्र संख्याः एफ. 65 (12)11/ब/ले/ 95-96/329 दि. 8-5-96 ओर से निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर वास्ते समस्त मु. कार्य. अधिकारी जिला परिषद एवं समस्त विकास अधिकारी राजस्थान।

विषय : – राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1995-96 में आबंटित की गई राशि उपयोग के संबंध में।

प्रसंग : – इस कार्यालय की स्वीकृति संख्या दिनांक 30-3-96 एवं वित्त बजट विभाग के आदेश संख्या दिनांक 30-3-96

प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 33.44 लाख रु. राशि का हस्तान्तरण प्रासंगिक पत्रों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को किया गया है। स्वीकृति की राशि के मद एवं उपयोग के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं फिर भी वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कार्यावाही करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं : –

1- राशि का संस्थाओं को हस्तान्तरण

आपके जिले के संबंधित राशि का हस्तान्तरण पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को आप द्वारा कर दिया गया होगा अगर नहीं किया गया है तो अब हमें इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही करके सूचित करे।

2- सामान्य अनुदा की राशि का उपयोग

ग्राम पंचायतों की सामान्य अनुदान की राशि में वृद्धि करके 5 रुपये से 11 रुपये की गई है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष देय 6 रु. की राशि का उपयोग ग्राम पंचायत के क्षेत्र में बिजली की सुविधा एवं सफाई के लिये किया जायेगा। पंचायत समिति को देय सामान्य अनुदान की राशि में एक रु. की वृद्धि करके उसे 25 पैसे से 1.25 रु. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष किया गया है। इस राशि का उपयोग पंचायत समितियों द्वारा कार्यालय व्यय एवं तत्संबंधी अन्य प्रयोजनी हेतु किया जायेगा। प्रथम बार जिला परिषद को दिये गये सामान्य अनुदान की राशि का उपयोग कार्यालय व्यय, वाहन के संधारण एवं रखरखाव के लिये किया जायेगा।

3- रखरखाव अनुदान

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिये स्वीकृत 5000 रूपये की राशि का उपयोग किया जावे। पंचायत समिति स्तर पर राशि के उपयोग के लिये उपयुक्त व्यवस्था मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा करवायी जावे ताकि गांवों में स्थित स्कूल भवनों का रखरखाव सही रूप से हो सके। जहां स्कूल भवन अच्छी हालत में है वहां इस राशि का

उपयोग पंचायत समिति स्तर पर गठित कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्र की सड़कों तथा अन्य सम्पतियों के रख-रखाव के लिये किया जावे। पंचायत समिति स्तर पर स्थित कार्यालय एवं आवासीय भवनों के रखरखाव के लिये 10000 रु. की राशि का आबंटन किया गया हैं। जिला परिषद के स्वयं के स्वामित्व के भवनों के रखरखाव के लिए 20000 रुपये का आबंटन किया गया हैं।

4. प्रारम्भिक अनुदान

राज्य में पिछले वर्ष में 1826 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। आपके जिले की ऐसी कई बार पंचायतों से लिये भवनों के किराये, फर्नीचर एवं दरी आदि खरीदने के लिए 5000 रुपये की राशि प्रत्येक पंचायत दी गई है।

सामान्य अनुदान रख-रखाव आदि की राशि प्रति वर्ष नियमित रूप से दी जायेगी। अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राशि का सही उपयोग करना आप सुनिश्चित करें ताकि गांवों में सफाई एवं बिजली की व्यवस्था हो सके तथा स्कूल भवन आदि का मरम्मत नियमित रूप से हो सके और अन्य सम्पत्तियों को खराब होने से बचाया जा सके।

एसडी.

निदेशक

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की प्रति)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,

जिला - टौंक (राज)

विषय : –कन्या पाठशाला लाम्बाहरिसिंह का पुराना हाल बिना स्वीकृति तुड़वाकर नया कमरा मर्जी से बिना नक्शे के निर्माण कराने की जांच के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निम्न प्रकार निवेदन है कि-

1. कन्या प्राथमिक शाला लाम्बाहरिसिंह में सरपंच व सरपंच पति ने दो कमरे बिना तकनीकी स्वीकृति के जीर्ण बताकर तुड़वाकर एवं उसका सम्पूर्ण मलबा अपने घर में पीछे बना रहे पक्के भवनों में मय पट्टियों के काम में ले लिया।

2. जो नये कमरे हाल बरामदा व क्वार्टर बनाया वह भी बिना सरकारी साइज के मर्जी से निर्माण करा दिया।

282

3. अपने पापो को धोने हेतु सरपंच रोज नेताओं व अधिकारियों के घर पर चक्कर लगाकर जल्दी ही उस पर सरकारी मोहर उद्घाटन करा कर लगाने के चक्कर में हैं।

4. अतः अनुरोध है कि आपने जैसे पूर्व में पुलिस सहायता देकर जनता में अमन चैन दिलाया उसी तरह आप इसमें भी हस्तक्षेप कर ग्राम व जनता की रक्षा करें। सरपंच यह कहता है कि ऊपर रिश्वत देकर काम मंजूर कराता हूं अतः मेरी मर्जी होगी वेसे ही काम करूंगा।

जनता ग्राम लाम्बाहरिसिंह

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की प्रति)

परिशिष्ट "क"

THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES RULES, 1990

7.82 Millomryrt :- Every auto rickhsaw shall be provided with suitable type of milometer to record total Kilometer covered on the basis of which fare is paid and also a milometer of the type in which trip readings can be adjusted to zero of fare meter.

परिशिष्ट–15

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

[श्री हरिनारायण (खण्डार)]

खण्डार विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसल को हुआ नुकसान

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सबन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन की जानकारी हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिला सवाईमाधोपुर के कई गांवों में 7 दिसम्बर, 1997 को हुई भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें सरसों, जो, गेहूं, मिर्ची, अरहर आदि नष्ट हो गई हैं। किसान आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गए हैं। खाने के लिए अनाज, पशुओं के लिए चारा व अन्य आवश्यक कामों के लिए रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। कई गांवों में भारी ओलावृष्टि से घरों के कवेलु भी फूट गये हैं। इस ओलावृष्टि की चपेट में खण्डार निर्वाचन क्षेत्र के कई गांव आये हैं। जैसे - फलौदी, टोडरा, कालाकुंआ, जालफाखेडी, भगवानपुरा, दुमोदा, केलाशपुरी, गुढ्राहेडी, गहुआकेटापरे, गण्डावर, पीपलदा, अनियाला, बडवास, पादड़ा, ओण्डमीना, सेवंती कलां, आंकोदा, सिंगोरकलां, सिंगोर खुर्द, करीराकलां, करीराखुर्द, रेडावद, जाखोदा, मदपुरी, कोसरा, छारेटा, तोड, वीरपुर, बिचपुरी मिश्रान, खिदरपुर जाटान, कुरेडी, झोपड़ी ईसरड़ा, गोविन्दपुरा, डेहकवा, बोरदा, ऐकडा, देवपुरा, बिलोपा, ईटावा, काबड़, घुडासी, धमुनकलॉ, गम्भीरा, तेन्दु, रामडी, जाला,

भगवतगढ़, आदलवाड़ा कलां, आदलवाडा खुर्द, रेवतपुरा, डांगीमानपुर, सुनारी, महू, सीनोली, भूरीपहाडी, डूंगरी, बसोकलां एवं बसोखुर्द आदि।

अतः जिन गांवों में ओलावृष्टि हुई है वहां अकाल घोषित किया जावे तथा किसानों को जीवनयापन करने के लिए अकाल राहत कार्य व अन्य कार्य चलाये जावें। इस क्षेत्र में रास्तों का अभाव है। इसलिए अकाल राहत में सम्पर्क सड़कें बनवाई जावें।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)] ————

टोडाभीम में काजीपाडा के विकलांग दुकानदार की हत्या

महोदय, जिला करौली के थाना टोडाभीम में काजीपाडा जो मुसलमानों का मोहल्ला है। जहां पर मुसलमान अपने बच्चों सहित निवास करते हैं जिनमें अधिकांश मेहनत मजदूरी व सरकारी नौकरी करने वाले हैं। पर काजीपाडा के अर्न्तगत एक विकलांग दुकान चलाता था वह अत्यन्त गरीब व दयनीय था लेकिन विगत माह उस दुकानदार की वहां के लोगों ने हत्या कर दी और टोडाभीम थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ पर आज तक मुसलमानों को नहीं पकड़ा गया जबकि वो खुले आम घूम रहे हैं मुसलिम भाईयों में इसका गहरा रोष छाया हुआ है। शिकायत उच्च अधिकारियों को भी की जा चुकी है पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं इस सदन के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस गरीब विकलांग की हत्या करने वालों को तुरन्त पकड़वाया जावें और मुसलिस समाज के साथ न्याय किया जावें ।

[श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास का अभाव

महोदय, वेटेनरी पोली क्लिनिक की स्थापना पशु चिकित्सा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सकीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पालतू पशुओं को नवीनतम चिकित्सा उपलब्ध कराने में सक्रिय योगदान मिल सकें, की गई है। साथ ही पशु नस्ल का सर्वांगीण विकास व उचित सम्भाल करते हुए पशु पालकों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकें। पशुपालन व्यवसाय अब एक मिश्रित खेती के रूप में पनप रहा है।

पशु चिकित्सायल उदयपुर का स्वरूप व रख-रखाव तथा सुन्दरता को बनाये रखना आवश्यक है। प्रान्त, राष्ट्र तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा, राजनेता, वैज्ञानिकों ने उदयपुर पशु चिकित्सालय की उत्कृष्ट स्तर की सराहना की थी, किन्तु अब स्थिति ऐसी नहीं रही व इस चिकित्सालय की वर्तमान स्थिति असंतोषपूर्ण हो गई है। चिकित्सकों के पद खाली बताये जाते हैं व पशुओं की ओर ध्यान नही दिया जा रहा है। वर्ष 1996 व 1997 में चिकित्सालय में बीमार पशुओं के आने की संख्या कम हुई है। कृषि उपज मण्डी हिरणमगरी सैक्टर-11, उदयपुर के पशु चिकित्सालय को लेकर भी जनता में असंतोष है।

चिकित्सकों में तकनीकी कार्य कुशलता का निष्पादन उचित प्रणाली द्वारा नही होने से

भी पशुपालक असंतुष्ट पाये जाते हैं। पालतु कुत्तों की चिकित्सा पद्धति में अत्यधिक गिरावट व कुत्तों की मृत्यु से भी असंतोष है।

कई पद उच्च स्तर के व आवश्यक तकनीकी पद रिक्त होने से चिकित्सक उचित पद पर पदस्थापित नहीं होने से भी कार्य-कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण चिकित्सालय में पशु चिकित्सा के अनुपात में भी गिरावट आयी है।

अतः इसके सुधार के लिए आमूलचूल परिवर्तन की महती आवश्यकता प्रतीत होती है।

भावना किसी भी स्तर तक नहीं है। अतः पशु चिकित्सालयों के सुधार के लिए माननीय पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है ताकि पशुपालकों में उठ रहे असंतोष का समाधान हो सकें।

[श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)]

पृथ्वीराज नगर योजना को निरस्त करने की मांग

महोदय, पृथ्वीराज नगर योजना के बारे में पिछले काफी लम्बे अरसे से आंदोलन चल रहा है और इसीलिए इस योजना को प्रारम्भ करने में इतना समय लगा है। पृथ्वीराज नगर योजना की स्कीम 10 हजार एकड़ भूमि पर बनाने की योजना थी जिसमें से 5 हजार एकड़ भूमि आमेर एवं बनीपार्क निर्वाचन क्षेत्र में आती है तथा 5 हजार एकड़ जमीन सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र में आती है।

मैंने पूर्व में भी इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और उस समय माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री भंवरलाल जी शर्मा ने एक कमेटी बनाकर इस योजना में हो रही कठिनाइयों के बारे में विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया था किन्तु खेद की बात है कि मंत्री महोदय ने जो कमेटी बनाई उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भाजपा के विधायकों को ही शामिल किया और मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर का मामला होते हुए भी मुझे इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने अपने दोनों विधायकों को खुश करने के लिए पृथ्वीराज नगर योजना की 5 हजार एकड़ भूमि को इस योजना से बाहर करने का आश्वासन दिया जो कि बहुत ही गलत है क्योंकि कोई भी योजना आधी काटकर नहीं बनाई जाती। कांग्रेस विधायिका के क्षेत्र में पड़ने वाले किसानों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और उनकी जमीन को जबरन छीनने के लिए तहसील से नोटिस दिए जा रहे हैं वह अनुचित ही नहीं बल्कि अमानवीय भी है। इस योजना को या तो पूरी ही लागू की जानी चाहिये या पूरी ही समाप्त की जानी चाहिये ताकि वहां के किसानों के साथ ज्यादती नहीं हो।

सांगानेर में 3 स्थानों पर नई कालोनियां बनाई जा रही हैं उसी प्रकार पृथ्वीराज नगर योजना को भी सांगानेर में किसी दूसरे भाग में ले जाकर बनाया जा सकता है। जयपुर के नजदीक 10 लाख रुपये बीघा की जमीन किसानों से छीनने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। अतः इस योजना को तुरन्त निरस्त किया जावे।

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

कोटा में राइट मेन कैनाल की गणेशगंज लिफ्ट में पानी न पहुंचने से किसानों की फसलों को हुई क्षति

राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत गणेशगंज लिफ्ट में पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसल बर्बाद होने से उत्पन स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय, कोटा जिले में राइट मेन के नाव से गणेशगंज लिफ्ट निकाली गई परन्तु समय पर विद्युत नहीं मिलने से उसमें लगी मोटरें नहीं चलने से अन्तिम छोर के किसान ग्राम, चाणदा, गणेशगंज, अगानी, प्रेमपुरा, काकरा, अयाना श्रीपुरा काकरा, माल बम्बोरी के किसानों के भाल में पानी नहीं पहुंचने से फसले बर्बाद व नष्ट हो गई है।

वही जब से यह लिफ्ट निकाली गई है विभाग के द्वारा आउटलेट (धोरे) नहीं निकालने के कारण अधिकांशः पानी बर्बाद होता है जिसमें भी किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता है।

अतः आप इस लिफ्ट स्कीम पर छोटे (आउटलेट) निकालकर किसानों के अन्तिम छोरे पर पर पानी पहुंचा कर किसानों को राहत दिलाने का कष्ट करें।

[श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ)]

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अन्नापत्ति प्रमाण न दिये जाने से भूखण्ड तालिकों को हो रही परेशानी

नियम 295 के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों को 500 वर्ग गज जमीन से कम क्षेत्रफल में मकान बनाने व ऋण प्राप्ति के लिए अनापत्ति पत्र न देने के संबंध में।

माननीय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों में 500 वर्ग गज क्षेत्रफल से कम में मकान बनाने व क्रय के लिए अन्नापति पत्र देने का प्रावधान है। इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक अधिसूचना क्रमांक पत्र/विप्राय/एसटीसी (प्रोजेक्टस) /28/96 दिनांक 25 जून, 1996 को अधिसूचना भी जारी की गई परन्तु कई व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा मकान बनाने की

286

अधिसूचना भी जारी की गई परन्तु कई व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा मकान बनाने की अनुमति व ऋण के लिए अनापत्ति पत्र भी जारी नहीं किये जा रहे हैं जिससे आम लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही व निर्देश अत्यावश्यक है।

[श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगूं)]

कोटा रावतभाटा बस का रात्रि विश्राम रावतभाटा के बजाय चेचट करने की मांग

महोदय, बेगूं विधान सभा क्षेत्र का एक क्षेत्र कुण्डाल है जिसमें एकलिंगपुरा, रैनखेड़ा खातीखेड़ों, बडौदिया, जालखेड़ा, और धावद कला कुल छः पंचायतें है यह क्षेत्र रावत भाटा से 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है जहां से किसान-व्यापारी-विद्यार्थी बड़ी तादाद में प्रतिदिन अपने-अपने निजी व सरकारी कार्यों के लिए रावतभाटा मूल तहसील मुख्यालय बेगूं और जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ आते जाते हैं। इस क्षेत्र में बसने वाले ग्रामवासियों को एक भी वाहन सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं है कि प्रातः 9-10 बजे रावतभाटा पहुंचा सके। ऐसी स्थिति में माननीय यातायात मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि कोटा-रावतभाटा बस जो रावतभाटा रात्रि विश्राम करती है उसका रात्रि विश्राम चेचट दिया जाय ताकि कुंडाल क्षेत्र की ग्रामीण जनता को बस सेवा सुविधा उपलब्ध हो सके।

धन्यवाद ।